राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक–7] नवीं विधान सभा के सातवें सत्र का पहला दिवस [संख्या–1

बुधवार,

दिनांक 16 सितम्बर, 1992.

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही पूर्वान्ह 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

नियम का निलम्बन

नियम 31—प्रश्न काल का निलम्बन

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, यह + + + इस सरकार ने कुम्हेर में 17 लोगों की जान ले ली है। इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। प्रश्न काल स्थगित कीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आप किस जनता दल से बोल रहे है, यह तो बता दें।

डा. चन्द्रभान : हम जनता दल असली से बोल रहे है, आपको क्या कहना है ? आप लोगों ने कुम्हेर में 17 लोगों की जानें ले लीं। यह + + + अध्यक्ष महोदय, इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। इसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजिये आप।

डा. चन्द्रभान : यह + + + इसको इस्तीफा दे देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : प्लीज, जोशी जी बोल रहे हैं। लीडर आफ अपोजीशन बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : भेड़-बकरियाँ भी नहीं मिलतीं ऐसे तो।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अपनी पहचान तो बताओ।

श्री अध्यक्ष : कृपया सुनिये, जोशी जी लल रहे हैं,

श्री हरिदेव जोशी (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, आप क्या प्रारम्भ कर

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री हरिदेव जोशी)

उससे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले सदन के और अभी के बीच में काफी ऐसी घटनाएं हो गयी हैं जिन्होंने राजस्थान की गर्दन नीची कर दी है और हमारी चारों तरफ चर्चा हो रही है। ऐसी स्थिति के अन्दर ऐसे ह्यूमिलिएशन के अन्दर काफी तनाव रहता है लोगों को। लोग चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर स्थिति में सुधार लाया जाए। कुम्हेर के अन्दर जो घटना घटी है वह कितनी दर्दनाम है। यह ठीक है कि मुख्य मन्त्री जी ने जाते ही ज्यूडीशियल इन्क्वायरी की घोषणा कर दी और उन्होंने इधर की इधर सहायता देने की वो कर दी। पर वह सहायता मिली नहीं। मगर, तथ्य ऐसे हैं जो यह दर्शाते हैं कि यह सरकार सोती रही, उसके कारिन्दे कानों में रूई डालकर बैठे रहे। दिमाग बन्द करके उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की, इससे इतना रक्तपात हुआ। मेरी यह प्रार्थना है कि आप कार्य शुरू करें उससे पहले इसके ऊपर चर्चा हो जाए ताकि शान्तिपूर्वक ढंग से हाऊस चल सके।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि क्वश्चन आवर स्थगित किया जाए और कुम्हेर के ऊपर तुरन्त चर्चा आरम्भ करायी जाए। ऐसा जघन्य काण्ड राजस्थान के इतिहास में राजस्थान बनने के बाद कभी नहीं हुआ जहाँ इन्सान ने इन्सान को जिन्दा जला दिया। प्रशासन की लापरवाही से लोगों को जिन्दा जला दिया गया। 14 आदमियों को जिन्दा मार दिया गया वहां पर, सरकार की जानकारी होने के बावजूद। सदन की क्वश्चन आवर की कार्यवाही को स्थगित करें और तुरन्त चर्चा आरम्भ कराएं।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव रखा था।

श्री अध्यक्ष : आप कुछ बोल रहे हैं, आप सुन तो लीजिए। आपने कहा, इनको सुन तो लीजिए आप।

डा. चन्द्रभान : प्रश्न काल स्थगित कीजिए हमारा यह निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : आप नेता को सुन लीजिए। आप कुछ तो डैकोरम रखें।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्यमन्त्री) : यह यदि सदन की इच्छा है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपको आपत्ति नहीं है? आज इस सम्बन्ध में स्टेटमेंट रखा हुआ है। सामान्यतया प्रश्न काल को स्थगित करने माननीय सदस्यों के जो प्रश्न हैं वे ही रहेंगे। यानी वह घाटा आपको है। यदि आप उसको सफर करना चाहते हैं तो आपको आपत्ति नहीं है। हाऊस यदि यूनानिमण है तो कोई बात नहीं है। मैं पूछ लेता हूँ।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : हाउस की सामान्य प्रक्रिया बन्द होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं पूछ लेता हूँ, यदि हाउस इस सम्बन्ध में एकमत है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं पूछ लेता हूँ। (व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

जो आप मांग कर रहे हैं वही तो मैं कर रहा हूँ। क्या सदन की मर्जी है कि प्रश्न काल स्थगित किया जाए ?

(ध्वनि मत के पश्चात्)

प्रश्न काल दो स्थितियों में स्थगित होता है। आखिर मैं भी तो नियमों और परम्पराओं से बंधा हुआ हूँ। एक तो तब जब हाउस यूनानियसली तय करे कि प्रश्न काल स्थगित हो और दूसरा तब जब गवर्नमैण्ट मोशन मूव करे। इसलिए मैं हाउस से पूछ रहा हूँ। (व्यवधान) एक मिनट, प्लीज, बिराजिये।

जहां तक इस इश्यू का सवाल है इसके डिस्कशन के महत्व को मैं कम नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि सत्ता पक्ष भी इसमें सहमत है जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने खड़े होकर कहा कि उनको आपत्ति नही है। वह वक्तव्य उन्होंने अपनी तरफ से रखा हुआ ही है पहले से। आप लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो हाउस में परम्पराएं हैं, आखिर इस मामले पर आल इण्डिया लेवल पर डिस्कशन हुआ है। प्रश्न काल स्थगित करने की परम्परा है उससे नुकसान होता है माननीय सदस्यों को। प्रश्न सदस्यों के है, सदस्य ही सत्ता से कुछ पूछना चाहते है। वे अपना नुकसान करके प्रश्न काल को स्थगित कराएं, इसके बारे में हाई लेवल पर डिस्कशन चल रहा है। अभी इसके लिए कान्फ्रेंस होने जा रही है। यदि हाउस की सहमति है तो मैं प्रश्न काल स्थगित करने को तैयार हूँ। चलिये प्रश्न काल स्थगित किया जाता है। माननीय दिग्विजय सिंह जी। आप इनका स्टेटमेंट सुनिये। आप शुरू कर रहे हैं? आप शुरू करें। जोशी जी बोल रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है। मैं मानता हूँ कि कुम्हेर काण्ड बहुत महत्वपूर्ण है, लोग उस पर चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन यह हमेशा की परम्परा रही है कि पहले जो भी शोक प्रस्ताव हैं वे ले लिये जाएं, अगर आपको और सदन को आपत्ति नहीं है तो। उसके बाद यह कुम्हेर काण्ड लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : कोई आपत्ति नहीं है।

श्री केदारनाथ शर्मा (गंगानगर) : अध्यक्ष जी, मैंने एक मोशन नियम 306 को सस्पैण्ड करने के लिए रखा था। कुम्हेर पर डिस्कशन हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर आज का सैशन गोल्डन जुबली के बाद पहला सैशन है। 9 अगस्त की जो एक ऐतिहासिक क्रान्ति थी उसकी हम गोल्डन जुबली मना रहे हैं। उसके बाद यह पहला सेशन है, इसलिए वन्दे मातरम् से शुरू किया जाए। फिर कुम्हेर पर स्टेटमैण्ट आ जाय।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूँ इसमें तो कोई आपत्ति की बात नहीं है।

श्री रामकिशन : मैंने इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव दिया था कि सन् 1942 के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। लेकिन मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता पहले कुम्हेर पर चर्चा हो जाए उसके बाद

(श्री रामकिशन)

उस पर हो जाए, जिससे शान्ति से मामले को निपठाया जा सके।

श्री अध्यक्ष : हाँ, तो पहले आबीच्युअरी हो जाए।

डॉ. चन्द्रभान : नहीं, पहले कुम्हेर पर।

श्री रामकिशन : 1942 के शहीदों के प्रति पहले हो जाए, उसके बाद रख लेंगे।

श्री केदारनाथ शर्मा : पहले वन्दे मातरम् फिर श्रद्धांजलि।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का प्रस्ताव है कि पहले वन्दे मातरम्। अब यह नयी परम्परा पार्लियामैण्ट में भी शुरू होने जा रही है, कई असैम्बलीज में हो गई है कि जब सत्र आरम्भ हो उस दिन पहले वन्दे मातरम् हो जाए और जब साइने डाई एडजार्नमैण्ट हो तो जन-गण-मन हो जाए। वन्दे मातरम् की अभी चूँकि हमने तैयारी की नहीं है, आप लोग खड़े होकर एकसाथ बोलें, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्।
शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी।
सुहासिनी सुमधुर भाषिणी।
सुखदाम् बलदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम चल रहा है, मेरा एक निवेदन है कि कुम्हेर काण्ड में जिन लोगों को जलाकर मारा गया, जो शहीद हैं उनको भी श्रद्धांजलि दी जाए।

श्री अध्यक्ष : आप शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

भारत छोड़ो आन्दोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं उन सब शहीदों के प्रति अपने हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ जिनके त्याग और तपस्या के कारण हम विधानसभा में एक विधायक के रूप में बैठे हैं और जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जिनकी कुर्बानी के कारण हमारा देश स्वतन्त्र हुआ गुलामी के बन्धन से मुक्त हुआ, उन लोगों ने किन कड़ी परिस्थितियों में स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेकर जनता को जगा कर गुलामी के बन्धन से मुक्त होने की प्रेरणा दी, मेरा विश्वास है कि वह प्रेरणा हमको भविष्य में भी इस देश को एक और अखण्ड बनाये रखने की निरन्तर प्रेरणा देती रहेगी।

अंग्रेज ईस्ट इण्डिया कम्पनी के नाम से हिन्दुस्तान में आए थे। उस समय कोई यह नहीं समझता था कि व्यापारी देश की छूट का लाभ उठाकर अपना शासन कायम कर लेंगे और उस शासन के द्वारा इस देश की संस्कृति और परम्परा को नष्ट करते

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हुए अपना राज्य चिरस्थायी बनाने का प्रयत्न करेंगे। शनैः-शनैः वह ईस्ट इण्डिया कम्पनी एक राज के रूप में हमारे सामने प्रकट हुई। उस राज ने इस देश का किस प्रकार से शोषण किया, उसके कहने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में शोषण किया, सामाजिक क्षेत्र में शोषण किया, हिन्दुस्तान किसी भी प्रकार से प्रगति नहीं कर सके, इसमें जितने भी अवरोध पैदा करने थे, वे सब प्रकार के अवरोध पैदा किये गये। 1857 में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रान्ति का बिगुल बजा और वह बिगुल लगातार बजता रहा। उस समय अंग्रेजों ने यह अनुभव कर लिया था कि हिन्दुस्तान की जनता जाग गई है और इस जागे हुए शेर को पिंजड़े में बन्द रखना, यह सम्भव नहीं है। उससे लेकर 1947 तक कई प्रकार के रिफार्म्स की घोषणा की, कई प्रकार की नीतियों में परिवर्तन किये। इस परिवर्तन के आधार पर वे हिन्दुस्तान की जनता को ललचाये रखना चाहते थे। 1917 में फिर उसी प्रकार की स्थिति बनी और शनैः-शनैः महात्मा गाँधी ने स्वतन्त्रता आन्दोलन का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। महात्माजी चाहते थे कि हम अंग्रेजों को बाहर निकालें और अंग्रेजों द्वारा दिये गये किसी भी कारण को स्वीकार नहीं करें। यह आंदोलन 1942 तक चलता रहा, हजारों लोग गिरफ्तार किये गये। गिरफ्तार व्यक्तियों में कईयों की बड़ी दर्दनाक स्थिति में मृत्यु हुई, कई परिवार नष्ट हो गए लेकिन अंग्रेज अपनी कुटिल चालों से बाज नहीं आये। अन्त में जाकर महात्मा गांधी को यह निर्णय करना पड़ा कि अब किसी भी स्थिति में अंग्रेज यहाँ नहीं रहें, इसके लिए जनमानस को तैयार किया जाए। जनमानस का उन्होंने आह्वान किया। एक तरफ अंग्रेजों को कहा कि अंग्रेज भारत छोड़ो और दूसरी तरफ हिन्दुस्तान की जनता का आह्वान किया कि अब यह समय आ गया है कि 'करो या मरो'। इसके आगे हमें दूसरे प्रकार का कोई रास्ता नहीं मिलता। उस समय काफी लोगों की गिरफ्तारी हुई, जेलें भर दी गयीं और जितने भी अत्याचार और अन्याय हो सकते थे, उस प्रकार की कार्यवाही आंदोलनकारियों के खिलाफ की गयी। अंग्रेज यह समझते थे कि यह दूसरा विश्व महायुद्ध लगभग समाप्त हो गया है और उसके कारण से ऐसी परिस्थितियाँ बन सकती हैं कि हमें यह देश छोड़ना पड़े। लेकिन युद्ध समाप्ति के पश्चात भी अंग्रेजों की यह नीयत बनी रही कि यदि इस आंदोलन को किसी प्रकार से कुचला जाए तो हिन्दुस्तान को गुलाम रखा जा सकता है। लेकिन उनके मन्सूबे कामयाब नहीं हुए। 1942 में गिरफ्तारियों के बावजूद हिन्दुस्तान के कोने-कोने में चाहे विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाला हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला हो, सब की यह भावना आ गई कि इस अवसर का लाभ उठाकर अंग्रेजों को यहाँ से विदा किया जाए।

यह उनके पुण्य प्रतापों का परिणाम है कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, लोकतांत्रिक व्यवस्था हमने स्वीकार की और उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर आज विधायक के रूप में इस विधानसभा में बैठकर हम जनता का प्रतिनिधित्व कर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रहे हैं । मैं ऐसा समझता हूँ कि उन लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना, यह तो मामूली-सी बात है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों ने जिस बात के लिए कुर्बानी दी है; इस देश को स्वतन्त्र बनाये रखने और देश की एकता और अखण्डता को बनाये रखने का कार्य हमें उनसे प्रेरणा लेकर करना चाहिए।

मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं उनके इस सारे त्याग और तपस्या के लिए अपनी ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ।

मैं यह भी चाहूँगा कि आजकल जिस प्रकार की गतिविधियाँ चल रही हैं, ईस्ट इण्डिया कम्पनी उस समय आई थी लेकिन आज मल्टिनेशनल्स के नाम पर चाहे विश्व बैंक हो, चाहे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, ये भी इसी प्रकार की ललचाई नजरों से इस देश को देख रहे हैं। हमें सावधान रहना पड़ेगा कि कहीं ये भविष्य में जाकर ईस्ट इण्डिया कम्पनी का स्वरूप अख्तियार नहीं कर ले। यह हमारी सावधानी इस बात के लिए काम देगी। इसके लिये महात्मा गाँधी ने जो मन्त्र दिया था—स्वदेशी और स्वावलम्बन, उस मन्त्र को अपना आधार मानकर हमको इस देश की अखण्डता और एकता के लिए प्रयास करना चाहिए,

मैं इन्हीं शब्दों के साथ उन सारे शहीदों के प्रति, उन स्वतन्त्रता आंदोलनकारियों के प्रति, जिन्होंने अपने त्याग और तपस्या के कारण इस देश को स्वतन्त्र कराया, अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से और सदन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

श्री हरिदेव जोशी (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने एक जमाना देखा जिस समय अंग्रेज राज करते थे, राजाओं महाराजाओं का राज था। उसके बाद आजादी आई, हमने उस लड़ाई में भाग लिया जिससे देश को आजादी मिली। दरअसल गाँधीजी का नेतृत्व इसके लिए संसार को एक नया मार्ग दिखाने वाला साबित हुआ। संसार में कोई उदाहरण नहीं है कि बगैर खून खराबा किये कोई राज प्राप्त किया गया हो। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ गाँधीजी ही एक ऐसे नेता हुये जिन्होंने यह उदाहरण पेश किया। अंग्रेजी हुकूमत किस शोषण के तरीके से काम करती थी और किस निर्लज्ज ढंग से काम करती थी, उसको हम सबने देखा है। अंग्रेजों के पहले भारत को एक सोने की चिड़िया कहा जाता था। अंग्रेजों ने इसको गरीबी के गर्त में डाल दिया। देश में जागृति पैदा हुई, 1857 का आन्दोलन हुआ। सन् 1857 के स्वतन्त्रता युद्ध और 1942 के स्वतन्त्रता युद्ध के अन्दर एक बड़ा फर्क है। फर्क यह है कि 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बहादुर शाह जफर और दूसरे कितने ही राजा-महाराजाओं ने आजादी की लड़ाई में भाग लिया। अंग्रेजों को निकालने के लिये, परन्तु 1942 में जितने भी राजा-महाराजा थे, वे अंग्रेजों के साथ हो गये। कहने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेजों ने 1857 से 1942 तक ऐसी नीति अख्तियार की कि देश के लोगों के अन्दर अंग्रेजों पर आधारित रहने की धारना पैदा कर दी।

(श्री हरिदेव जोशी)

गाँधीजी ही एक ऐसा नेता हुए जिन्होंने धूल में पड़े हुये आदमी को खड़ा किया। महिलायें, जिनके अन्दर आज जागृति दिखाई देती है, उस समय परदे के अन्दर गुड़ियाओं की तरह रहती थीं। गाँधीजी थे जिन्होंने अलख जगाया कि महिलायें शराब की दुकानों के ऊपर, विदेशी कपड़े की दुकानों के ऊपर, धरना देने के लिये आगे आयीं। उन पर अत्याचार किये गए मगर उन्होंने कोई परवाह नहीं की। तो यह जो आजादी आई है, महँगे दामों में आई है। हमने देखा है कि छोटे-छोटे बच्चे किस प्रकार से एक उद्देश्य को लेकर गये, वहाँ गोली चलाई गई और वे मारे गये। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को एक हिंसक आंदोलन के रूप में लिया। मगर गाँधीजी ने बहुत स्पष्ट कर दिया था, ग्वालियर टैंक पर जब आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें गाँधीजी ने कहा था कि मेरे जीवन का यह आखरी आन्दोलन है। मैं अहिंसा में विश्वास करता हूँ और अब भी यह चाहता हूँ कि आन्दोलन जो हो वह अहिंसक रहे। मगर यदि कोई मार्ग नहीं दिखता है तो तुम अपने नेता हो, डू और डाई। लोगों ने इस चीज को पकड़ लिया। गाँधीजी और दूसरे नेता जेलों में डाल दिये गए। लगभग डेढ वर्ष बाद मालूम पड़ा कि कौन कहाँ पर है। माता कस्तूरबा गाँधी, महादेव भाई, देसाई गाँधी जी को आँखों के सामने देखते-देखते चले गये। इन सब चीजों ने देश को हिला दिया। जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, अच्युत पटवर्धन और दूसरे इस प्रकार के अनेक लोग थे जिन्होंने अण्डरग्राउण्ड काम किया और देश के आन्दोलन को जारी रखा। अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की थी कि हम बीच का कोई रास्ता निकालें, मगर वह सम्भव नहीं हुआ। क्रिप्स मिशन आया और गया, दूसरे लोग आये और गए, आखिर तय हुआ कि अंग्रेज हिन्दुस्तानियों को सत्ता सौंप कर चले जायेंगे। उन्होंने कई कारस्तानियां कीं जो इस देश को नुकसान पहुँचाने वाली थीं, उनको हमने भुगता।

अब हमें देखना है कि हिन्दुस्तान ऐसे तत्वों से बचे जो इस देश को नुकसान पहुँचाने वाले हैं। ये वित्त संस्थायें और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति ऐसी हैं कि जो किसी को भी ऊँचे उठने नहीं देना चाहती हैं। खुद उठीं रहें और सब उनकी जी हुजूरी में खड़े रहें, ऐसी मानसिक स्थिति आज कई राष्ट्रों की है। उससे लगकर भारत को यह देखना है कि हमारा कोई कदम ऐसा न हो जो इस देश को कमजोर करे। हमें विरासत में जो मुल्क मिला है उसका एक हिस्सा भी जाता है तो यह इस पीढ़ी की कमजोरी है। पिछली पीढ़ी ने यह आजादी दिलाई है, हमारा कर्तव्य है कि हम इसको सम्भाल कर रखें। अगर हम सम्भाल कर नहीं रख सकते हैं तो इतिहास हमें कोसेगा। इसलिये हमें बहुत सावधान रहना है।

इन शब्दों के साथ मैं उन सब लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने इस देश को आजाद करवाने के लिए अपना खून दिया था।

श्री दिग्विजय सिंह (नेता जनता दल डी) : अध्यक्ष महोदय, आज हम उन शहीदों

(श्री दिग्विजय सिंह)

को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जिन्होंने इस देश को आजादी की राह दिखाई। अभी जैसा सदन के नेता ने अपनी भावना प्रकट करते हुए इस बात के लिए कहा है कि वे उन शहीदों के कृतज्ञ हैं जिन्होंने आज भारत के अन्दर इस सदन के अन्दर लाकर हमको बैठा दिया और आज विधानसभा और लोकसभा जैसी जनतंत्रीय संस्थाओं का निर्माण हम करके उसमें बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे देश को आजादी की राह दिखाने में और आजादी के संघर्ष में शहीदो ने जो योगदान दिया वह चिर-स्मरणीय है। यदि वे इस संघर्ष को नहीं उठाते तो निश्चित रूप से हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ रहता। इसमें महात्मा गांधी जो पूज्य राष्ट्रपिता तुल्य रहे हैं, उनका मुख्य योगदान रहा है और उन्हीं की प्रेरणा से हिन्दुस्तान के अन्दर एक अलख जगी और अलख जगाने के बाद अंग्रेजों को हमने हमारे देश से खदेड़ा।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सम्पूर्ण हो पूर्व राजा या पूर्व रियासतें अंग्रेजों के पक्ष में रहे हों या जागीरदार उनके पक्ष में रहे हों, ऐसी बात नहीं है। राजस्थान के अन्दर ऐसे उदाहरण भी हैं कि पूर्व राजा और पूर्व जागीरदार अंग्रेजों के सख्त खिलाफ थे। अंग्रेजों से उन्होंने संघर्ष किया, अंग्रेजों के विरूद्ध उन्होंने लड़ाई लड़ी। खरवा के भोपाल सिंहजी स्वतन्त्रता सैनानियों में रहे हैं और विजयसिंह पथिक के साथ उन्होंने काम किया है। इसी प्रकार से स्वर्गीय महाराजा जयसिंहजी, अलवर, वे हमेशा अंग्रेजों के कट्टर विरोधी रहे। उनकी मान्यता थी कि देश को अगर सही मायने में आजाद करना है और आजादी दिलानी है तो उस समय कांग्रेस पार्टी में कोई अलग-अलग दल नहीं थे, सब के सब कांग्रेस पार्टी में ही थे, एक ही पार्टी थी, उस वक्त देश में कांग्रेस पार्टी, जिसके अन्दर सब एकजुट होकर अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए और देश को आजाद कराने के लिए जुट गए थे। इसलिए मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आज उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते समय हमें एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि महात्मा गांधीजी ने जो सपना इस देश को बनाने के लिए सोचा था क्या वैसा हम देश को बना पाये हैं? यह हमारे लिए उन शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि जिस प्रकार के देश की कल्पना महात्मा गांधीजी करके चलते थे उस कल्पना के स्वरूप हम इस देश को बनाने के अन्दर लगें। इस देश के अन्दर आज जो स्थितियां पैदा हो रही हैं अगर उनके ऊपर नजर डालें तो निश्चित रूप से जो महात्मा गांधीजी ने जो दर्शन दिया था, वह दर्शन हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आज उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब संकल्प लें कि देश को बनाने के अन्दर पार्टी स्तर से ऊंचे उठकर देश के अच्छे कामों को हम सब आगे होकर बढ़ायें। उन सब शहीदों को मैं अपनी और से और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री रामकिशन (नेता, जनता दल (ब). माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद यह इतिहास में पहला अवसर था कि जिस तरह

(श्री रामकिशन)

का आन्दोलन सन् 1942 का हुआ था उस तरह का आन्दोलन दुनिया के गुलाम देशों में कभी नहीं हुआ। उसका नतीजा यह हुआ कि हमारा देश खुद भी आजाद हुआ और उस आन्दोलन के फलस्वरूप और हिन्दुस्तान की आजादी के बाद एशिया और अफ्रीका के करीब 112 देश विदेशों की दासता से मुक्त हो गए। इतने बड़े आन्दोलन के शहीदों के लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करें, उसकी बजाय उस दर्शन को समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए जिसके लिए वे शहीद हुए थे। वह दर्शन इतना सा नहीं है, जैसा हम सोचते हैं कि वह सामन्ती लड़ाई थी या गैर सामन्ती लड़ाई थी या राजाओं की लड़ाई थी। असल में सन् 1942 के आन्दोलन के विकास में कांग्रेस के आन्दोलन को जोड़ते हुए, सन् 1857 में क्या स्थितियां थीं, 1917 में क्या हालत थी, 1921 में क्या हालत थी, गांधीजी के आने के बाद क्या हालत थी, तिलक के समय में क्या हालत थी, इन सब को छोड़ते हुए सन् 1942 का आन्दोलन असल में एक ऐसे विश्व के निर्माण का आन्दोलन था जिसमें समता हो, जिसमें शोषण नहीं होना चाहिए। आज हमें अफसोस है, हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं लेकिन हमारे देश में उल्टी धारा बह रही है। 9 अगस्त, 1942 को कांग्रेस ने जब प्रस्ताव पास किया—"अंग्रेजो, भारत छोड़ो", "करो और मरो" उस समय कांग्रेस के सारे नेता बन्द हो गए थे। उनको तो कर लिया था गिरफ्तार लेकिन उस आन्दोलन को चलाया था समाजवादियों की दूसरी टीम ने, जिसमें जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, अरूणा आसफ अली, हंसा मेहता, रामानन्द मिश्र और मैं किन-किन के नाम लूं। अगर आन्दोलन था तो सारा उन लोगों का आन्दोलन था। उनको आन्दोलन, केवल हिन्दुस्तान की आजाद सरकार बने और सरकार में वे शामिल हों, उसका आन्दोलन नहीं था। इसलिए जब पहली सरकार बनी तो कोई समाजवादी उस सरकार में शामिल नहीं हुये। हमारी कल्पना उस समय यह थी कि हिन्दुस्तान आजाद होगा और हिन्दुस्तान समाजवादी भी होगा जिसमें सर्व प्रकार का शोषण समाप्त हो जायेगा, अब हम श्रद्धाजलि अर्पित कर रहे हैं ऐसे वातावरण में। हमने जिस समता की लड़ाई को शुरू किया था, और जिसका क्लाइमेक्स था सन् 1942 का आन्दोलन, उसके बाद हम एक तरह से विचलित हो रहे हैं। हम उससे पीछे जा रहे हैं इसलिए हमारी चिन्ता देश की अखण्डता और एकता तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी चिन्ता यह है कि अगर हम हिन्दुस्तानियों ने, हिन्दुस्तान की जनता ने, हिन्दुस्तान के राजनेताओं ने समता का आन्दोलन कम कर दिया तो सारे विश्व में दूसरा नये ढंग का संकट पैदा होने वाला है।

मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन और करना चाहूंगा कि उस समय के जो राजनैतिक हालात थे, अंग्रेजों ने कुछ किया हो लेकिन उस समय पार्लियामेंट में वहां के युद्ध के बाद चर्चिल की पराजय हुई थी और एटली वहां विजयी हुये थे। एटली का जो दृष्टिकोण था, वैसे तो साम्राज्यवादी देश के प्रधानमन्त्री की कुछ सीमायें थीं, फिर भी उन्होंने उस राष्ट्रीय आन्दोलन को स्वीकार किया और **हिन्दुस्तान की आजादी**

(श्री रामकिशन)

में मदद करने की कोशिश की। लेकिन जो हमारी उस समय भूलें हुई थीं कि हमारे देश का विभाजन हुआ। लेकिन विभाजन को हमने स्थाई स्वीकार नहीं किया था। हमारा एक सपना था, उस विभाजन का विरोध करने वाले महात्मा गांधी, आचार्य कृपलानी और डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने शपथ ली थी कि मजबूरी में हम विभाजन स्वीकार कर रहे हैं लेकिन हम एक ऐसा सपना साकार करने की कोशिश करेंगे कि हमारा देश एक हो, किसी कारण से जो हम अलग हो रहे हैं उनमें दुबारा देशों में एकता कायम हो। आज हम जिस तरह की स्थिति में फंस गये हैं, हम दूसरे देशों की एकता की बात सोचें ही नहीं, दूसरे देशों से नजदीकी सम्बन्धों के बारे में सोचें ही नहीं लेकिन आज हमारे देश का जिस तरह पंजाब की स्थिति में मरण हुआ है, कश्मीर के कारण जिस तरह के हालात बने हुये हैं और इन सबके बावजूद आज अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी का हमला जो हमारे देश पर हो रहा है, मैं समझता हूं, बेमिसाल है। मुख्य मंत्रीजी ने एक बात कह कर निश्चित तौर पर हम सब लोगों का मन रखने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि हमें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का विरोध करना चाहिये और स्वदेशी और स्वावलम्बन का समर्थन करना चाहिये तभी सन् 1942 के आन्दोलनकारियों को श्रद्धांजलि होगी। लेकिन, मुख्यमंत्रीजी, आपका दल तो आर्थिक नीति का समर्थन....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं कि दलगत राजनीति लायेंगे.......आप सीधे श्रद्धांजलि अर्पित करिये।

श्री रामकिशन : यह दलगत नहीं है, यह दलगत बिल्कुल नहीं है। आप इतनी जल्दी उत्तेजित नहीं हों, दलगत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रसंग आये नहीं कोई पवित्र....... ,

श्री रामकिशन : मैं निवेदन करना चाहता था आज इस स्थिति में........।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं जरा राजनीति से दूर ही रहें तो अच्छा रहेगा।

श्री रामकिशन : दूर है बिल्कुल, मैंने सन्दर्भ दूसरा लिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज हमारे सामने चुनौती देश की एकता की है, हमारे देश के सामने चुनौती बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की किसी तरह दासता नहीं आये, उसकी है। हमारे सामने चुनौती अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हम जो अकेले पड़ गये हैं, उसकी है। हमारे सामने चुनौती नीतिहीनता की है। आज हमारे देश की कोई नीति किसी मामले में साफ नहीं है। सन् 1942 के आन्दोलन के क्रान्तिकारी लोग जिन्होंने अपने जीवन को अर्पण किया, जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया उनकी यह कल्पना थी कि हमारा देश संसार में समतामूलक राज बनेगा। आज अच्युत पटवर्धन को हम याद करने जा रहे हैं। ये वही अच्युत पटवर्धन थे जिसने सतारा में सरकार चला करके बता दी थी। बलिया हो, देवरिया हो, सतारा हो, सन् 1942 के आन्दोलन के जो प्रतीक थे उनको हम याद करते हैं तो हमें एक समतामूलक आन्दोलन को नजर अन्दाज नहीं करना चाहिये। मैं केवल इतनी-सी बात कह करके

(श्री रामकिशन)

जो श्रद्धांजलि देना चाहता हूं अपने शहीदों को। हजारों लोग शहीद हुए, भगतसिंह, चन्द्रशेखर। चाहे वे 1942 से नहीं जुड़े हुये हों लेकिन जैसे-जैसे आन्दोलन का विकास होता गया वैसे-वैसे हमारी नीतियों की स्पष्टता होती गयी और साथ-साथ हजारों लाखों नौजवानों ने एक अच्छे हिन्दुस्तान, बराबरी वाले हिन्दुस्तान के लिये प्राण आहूत किये थे। मुझे अफसोस है कि हम किसी न किसी कारण से उन सारे रास्तों से हट रहे हैं। आज अगर हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं सन् 1942 के आन्दोलन के शहीदों को तो हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यह है, उनकी वजह से आजादी मिली, हमारा देश आजाद हुआ यहां तक तो सही है लेकिन जो उनकी कल्पना थी सन् 1942 में और जिस भावना से उस आन्दोलन को उन्होंने गति दी थी अगर उस भावना को पुनः जाग्रत नहीं करेंगे तो यह हमारी औपचारिकता होगी, हमारी श्रद्धांजलि नहीं होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ में सन 1942 के आन्दोलन के शहीदों को खास तौर से जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, जिन्दा हैं अरूणा आसफ अली, हंसा मेहता वगैरह उनको सम्मान देता हूं और दूसरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं पुनः सदन से निवेदन करता हूं कि इस भावना को हम राजस्थान से ही शुरू करें जिसमें हम स्वदेशी स्वावलम्बन, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के खिलाफ जो कुछ कार्यवाही कर सकते हैं वह कर्म से हम राजस्थान से ही शुरू करें, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री नत्थीसिंह (नेता, जनता दल (अ)): अध्यक्ष महोदय, सन् 1942 के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये हमें वह जमाना याद आता है जब अंग्रेजों की सब कुटिल नीतियों के बावजूद हिन्दुस्तान के जन-जन ने यह फैसला कर लिया था कि हम आजाद हो गये हैं, गुलामी में नहीं रहेंगे। "करो या मरो" प्रस्ताव के बाद, नेताओं की गिरफ्तारी के बाद हिन्दुस्तान का हर नागरिक अपना नेता था और उसने अपने तरीके से आन्दोलन को चलाया। चाहे अरूणा आसफ अली हो, चाहे डॉक्टर लोहिया, जय प्रकाशजी, अच्युत पटवर्धन हों उन्होंने रेडियो भी चलाया, आजादी की लड़ाई को भी आगे बढ़ाया। चाहे बलिया में और दूसरी जगह नौजवान लोग हों, जिन्होंने हुकूमतें हाथ में लीं। इतना ही नहीं भगत सिंह और चन्द्रशेखर जी ने शहादत दी थी, सन् 1942 के अन्दर देश के अन्दर "करो या मरो" का नारा था और देश के बाहर सुभाष चन्द्र बोस आजाद हिन्द फौज के जरिये "जय हिन्द" का नारा बुलन्द कर रहे थे और देश पर कुर्बानी दे रहे थे। उस सारे आन्दोलन की जो नीतियां थीं, अंग्रेजों के चाहते हुये भी नेवी में विद्रोह हुआ, हमारी फौज और नेवी का नौजवान जाग उठा कि हम गुलामी की जंजीरों में नहीं रहेंगे। आज जब हम उन सभी शहीदों को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये, जैसा मुख्य मन्त्रीजी ने कहा, कि हम पर आर्थिक गुलामी लादने वाले लोग न आ जाएं मल्टी नेशनल के

(श्री नत्थीसिंह)

रूप में। हमारी आजादी के सेना नायक जो सबसे बड़े थे उन्होंने इस देश को एक रखने के लिये कहा कि यह देश सबका है। एक घर का नहीं है, किसी एक जाति का नहीं है। जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के लोग जंगली बन गये थे, इन्सानियत भूल गये थे तब भी वह एक दीपक जलता रहा और जिसने अपनी आखिरी कुर्बानी 30 जनवरी, 1948 को दी। आज जब हम 1942 के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं तो हमें याद रखना होगा कि हम आर्थिक नीतियों के अन्दर गुलाम न हो जाए मल्टीनेशनल के। अपने भेद-भाव के कारण अपनी धर्मान्धता के कारण और अपने निहित राजनैतिक स्वार्थों के कारण इस देश को टुकड़ों-टुकड़ों में नहीं बांट दें। हमारे देश के संविधान में जो अधिकार हैं, जो धर्म निरपेक्षता है, जो लोकतन्त्र है और जो समतामूलक समाज है, शोषण विहीन समाज है उसके प्रति हम समर्पित रहें, यही सच्ची श्रद्धांजलि हमारी होगी। उस पर हम सब लोग अपने तरीके से कायम रहें मन और विचार से। हमारे देश में कथनी और करनी में बड़ा अन्तर आ गया है, लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। गांधी जी ने सिखाया था कि कथनी और करनी का अन्तर नहीं हो। उसको अगर हम मिटा दें तो निश्चित तौर पर पर हम सही रास्तों पर जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में सन् 1942 के शहीदों को अपनी और अपने जनतादल (असली) की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री हेतराम बेनीवाल (नेता, मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी) : अध्यक्ष महोदय साम्राज्यवाद के खिलाफ हमारे देश के लाखों लोगों ने जो एक लम्बा संघर्ष लड़ा वह लम्बा संघर्ष विभिन्न धाराओं के विभिन्न तरीकों से लड़ा गया। हमारे देश में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसा को अपना कर, सत्याग्रह को लेकर जो आन्दोलन हुआ, लाखों लोगों को जेलों में ले गया, लाखों लोग भूखे प्यासे रहे और करोड़ों लोगों ने उसमें सहयोग किया। ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि अंग्रेजों के दमन के खिलाफ इस देश के करोड़ों लोग उठे। 1942 के पास जब विश्व युद्ध छिड़ गया तो एक तरह से कांग्रेस की सारी लीडरशिप को गिरफ्तार करने के बाद वह आन्दोलन दब गया, और उस आन्दोलन को कुचले जाने के बाद एक नयी प्रक्रिया इस देश में आन्दोलन चलाने वाले दूसरी पीढ़ी के लोगों में हुई। उन्होंने जिस तरह से अथाह कुर्बानी दी और जो स्थिति इस देश में पैदा कर दी उसने उस समय इतने बड़े अंग्रेज साम्राज्य के दिमाग में भय पैदा कर दिया कि वे इस पूरे भू-भाग पर कायम नहीं रह सकते। मैं समझता हूं कि उन नेताओं की कुर्बानी कम नहीं थी। जीवन का उत्सर्ग करने वाले, अपने सारे के सारे नौजवानों की टोली को लेकर अलग से राज्य स्थापित करने वाले, जिलों में अलग विद्रोह करने वाले और राज्य व्यवस्था को तोड़कर, अपने छोटे से साधनों को लेकर उस बड़े साम्राज्य से टक्कर लेने की हिम्मत ऐसे नौजवानों ने की। जिनमें से बहुत से लोग गोलियों से मारे गये, भून दिये गये, बहुत से लोगों को फांसी

(श्री हेतराम बेनीवाल)

दे दी गई। बहुत से लोग अनाम थे, जिन लोगों का नाम पता नहीं लगा, वे लोग भी थे जो शहीद हो गये। ऐसा जो आन्दोलन था आजादी का मैं समझता हूँ, जो 1857 से शुरू हुआ और 1942 के विशाल आन्दोलन तक चला उसी की परिणिति यह हुई कि बाद में इस देश को अंग्रेज छोड़कर गये।

उन शहीदों के मस्तिष्क में इस देश की जो कल्पना थी, उनकी कल्पना करने के पीछे जो कारण थे, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि अगर हम उनको देना चाहते हैं तो उस कारण को हम अपने मष्तिस्क में देखें। वे इस देश को किस रूप में रखना चाहते थे ? जिन अंग्रेजों से हमने इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद साम्राज्यवाद से पीछा छुड़ाया, मैं समझता हूं, उस आजाद देश में अगर उन्हीं शक्तियों को फिर इस देश में निमंत्रण दें जिन्होंने एक कम्पनी खोलकर हमारे देश को गुलाम कर दिया। हम सैंकड़ों कम्पनियों को ला रहे हैं, हमारा क्या होगा ? जिस आंदोलन में हमारे नेता का यह पता नहीं था कि वह किस बिरादरी का है, अरूणा आसफ़ अली और आसफ अली दोनों उस आन्दोलन के नेता थे। हमारे नौजवान बिना जाति का, बिना प्रदेश का, बिना उस पहरावे का फिक्र किये हुए नेता मानते थे लेकिन आज हमारे देश की क्या स्थिति है ? आज हम किस रूप में पहुंच गये हैं ? निश्चित तौर से हमको यह चिन्तन करना पड़ेगा जब हम आज सारे देश में 1942 के आंदोलन की स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं 9 अगस्त से जो शुरू हुआ और यह पूरे वर्ष इस तरह के समारोह करेंगे। आज की विधान सभा में उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए मैं महसूस करता हूं कि हम सारे सदस्य जो इस विधान सभा में हैं, कोशिश करें कि कम से कम जिस प्रदेश में हम रहते हैं, वहां ये भावनाएं रहें, उस तरह की भावनाएं पैदा हों कि हम अपने इस देश को एक रख सकें, जिस लक्ष्य के लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी, वे लक्ष्य उनके पूरे हों और वह वातावरण इस देश में कायम हो। मैं समझता हूं सच्ची श्रद्धांजलि यही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे····

अनेक माननीय सदस्य : निर्दलीय रह गये।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। एक मिनट विराजिये। एक मिनट बैठिये पहले। सामान्यतया परम्परा यदि आप निभाना चाहें कि जो बोलना चाहें वे बोलें, तब तो बात ठीक है लेकिन दलगत है···· (व्यवधान) इसमें दो भेद हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि श्रद्धांजलि देने के लिए हरेक को अवसर मिलना चाहिये, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए परम्परा हमारी संसद में और सारी विधान सभाओं में यही है कि दल के जो नेता हैं वे ही देते हैं।

माननीय सदस्यगण, मुझे आज सन् 1942 का वह दृश्य याद आता है कि जब नागपुर में 9 तारीख के बाद जुलूस निकला, मैं भी उसमें शामिल था, और उस जुलूस में से जब एक लड़का कलेक्ट्री पर राष्ट्रीय झण्डा चढ़ाने के लिए चढ़ा तो किस तरह से गोली मारकर उसको

(श्री अध्यक्ष)

गिराया गया। मुझे वह दृश्य भी याद है जब जनता ने सामूहिक रूप से प्रशासन ठप्प कर दिया उस समय आपको ध्यान होगा, दूसरे महायुद्ध के जो अमेरिकन टोमीज यहां आए हुए थे सेना में, उन लोगों के हाथ में लॉ एण्ड आर्डर सिच्यु-एशन को कन्ट्रोल करने का काम दिया गया और उन्होंने किस तरह से अत्याचार किये। नागपुर में एक सड़क पर लोगों ने पाइप डालकर रास्ते बंद कर दिये थे। टोमिज जा रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे। वे उनको देखकर उस पाइप में घुस गये। ये टोमीज वहां गये और उन्होंने उस पाइप में बंदुक चला करके उन बच्चों को भून दिया। मुझे वो दृश्य भी याद है कि जब बिहार में कलेक्ट्री पर झण्डा चढ़ाने के लिए एक के बाद एक छह लोग, छह नौजवान गोली के शिकार हुए। एक गया, आगे बढ़ा, उसको गोली लगी। दूसरे ने दौड़कर झण्डा पकड़ा, वह आगे बढ़ा, उसको गोली लगी। छः आदमियों को भून दिया गया लेकिन अन्त में भूनने वालों को भी भागना पड़ा। इसी प्रकार से सन् 1942 के वे जो भी शहीद हैं जिनके बारे में सामान्य लोगों को जानकारी नहीं है, मैं उनको भी अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे सावरकर बंधु, चापेकर बंधु, हमारे सारे क्रांतिकारी आई. एन. ए. के वे शहीद, अज्ञात शहीद जिन्होंने आजादी के लिए अपनी नौकरी छोड़ करके अंग्रेजों से युद्ध किया और जो अहिंसा में विश्वास करने वाले थे, उन्होंने जिस प्रकार से हंसते-हंसते जीवनदान किया, वह एक जुनून था देश को आजाद करने का, देश को आजाद देखने का। हर नौजवान में यह भावना थी कि अब हम अंग्रेजों के गुलामी के जूड़े को उठाकर फेंकेंगे, और उसमें हम कामयाब हुए, उन शहीदों की वजह से कामयाब हुए। अब आज जब चर्चा करते हैं तो मेरा निवेदन तो यही है कि शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम जीवित शहीद बनकर रहें। अब हम मर तो नहीं सकते, फांसी पर भी नहीं चढ़ सकते, हमको कोई गोली मारने भी नहीं आ रहा है लेकिन हम इस देश के जनतन्त्र को बचाने के लिए, इस देश की आजादी को अक्षुण्ण रखने के लिए और हमारे इस भारतवर्ष में मूल्यों को स्थापित करने के लिए जिन्दा शहीद की तरह से जिन्दा रह सकते है। कि अपनी इच्छाओं को कम करते हुए, अपनी अपनी आवश्यकताओं को कम करते हुए, जब तक इस देश में एक भी गरीब गरीब है, तब तक हम भी किसी प्रकार के ऐशो-आराम नहीं करेंगे। इस प्रकार की धारणाएं मन में धारकर, कि जब तक हम देश की बहबूदी को नहीं उठालें, जब तक देश को उन्नति की ओर नहीं ले जाएं, तब तक हम भी उसी प्रकार से जीवन यापन करें। मैं समझता हूं जिस जनतन्त्र को इतने बड़े त्याग के बाद में प्राप्त किया है उस जनतन्त्र को संस्थाओं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, मजबूत करें इनकी स्वतन्त्रता को मजबूत करें, ताकि इस देश में जनतन्त्र अक्षुण्ण रहे। हमारी आजादी को किसी प्रकार से किसी भी क्षेत्र से, कहीं से भी कोई आंच नहीं आए, इसके लिए हम जागरूक रहें, देश की एकता और अखण्डता पर प्रहार करने वाली शक्तियों को हर प्रकार से

(श्री अध्यक्ष)

व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से दवाएं और किसी भी कीमत पर हम देश की अखण्डता को खतरे में नहीं डालें, देश की एकता को खतरे में नहीं डालें, इन सिद्धांतों के लिए यदि हम जीवित शहीद रहने का संकल्प लें तो निश्चित रूप से उन शहीदों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि सार्थक होगी। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी ओर से, पूरे सदन की ओर से सन् 1942 के उन सभी शहीदों को जो ज्ञात हैं, जो अज्ञात हैं, उन सबको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि दो मिनट के लिए मौन उनकी श्रद्धांजलि में रहे।

सदन ने दो मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

सर्व श्री नारायणसिंह मसूदा, कल्याण सिंह कालवी, भूरालाल रैगर, हंसराज आर्य, भूतपूर्व सदस्य, राजस्थान विधान सभा तथा कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी एवं श्री अच्युत पटवर्धन स्वतन्त्रता सेनानी के निधन पर शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री भैरोंसिंह शेखावत मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्य श्री नारायण सिंह मसूदा, श्री कल्याण सिंह कालवी, श्री भूरालाल रैगर, श्री हंसराज आर्य, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी, श्री अच्युत पटवर्धन जी, इनके स्वर्गवास पर मैं मेरी ओर से और इस सदन की ओर से श्रद्धांजलि का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, श्री नारायणसिंह जी मसूदा इस राज्य में मन्त्री रहे, सदन के उपाध्यक्ष रहे और कजकेर मंत्रिमण्डल के सदस्य रहे। मैं ऐसा समझता हूं कि जो भी महानुभाव उनके सम्पर्क में आये होंगे उन पर उनकी मृदुभाषिता की छाप पड़ी होगी। वे बड़े विद्वान व्यक्ति थे, काफी अध्ययन उन्होंने किया था, जन समस्याओं से परिचित थे और कुछ मामलों में तो उनको विशेषज्ञ कहा जा सकता है। उनके ज्ञान का परिचित इस सदन में विधायक के रूप में तो मिला ही मंत्री के रूप में और उपाध्यक्ष के रूप में भी देते रहे हैं। उनका स्वर्गवास सबके लिए एक दुःख का विषय है। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनका शोक-संतप्त परिवार इस दारुण दुःख को सहन करे, इस प्रकार की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, श्री कल्याणसिंह जी कालवी इस सदन के भी सदस्य रहे, लोक सभा के भी सदस्य रहे, राज्य मंत्रिमण्डल के भी सदस्य रहे और केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के भी सदस्य रहे। श्री कल्याणसिंह जी धरती के आदमी थे। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर वह व्यक्ति इस स्तर पर पहुंचेगा प्रारंम्भ में शायद किसी को कल्पना नहीं होगी, लेकिन ज्यों ही राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश किया तो लोगों के मन में यह बात पैदा होने लगी कि यह व्यक्ति आगे जाकर राजनीतिक क्षेत्र में पूरे राजस्थान का ठीक प्रकार से प्रतिनिधित्व करेगा। वे किसान थे और निश्चित ही किसानों की समस्याओं के संबंध में उनका बहुत परिचय था। उन समस्याओं को लेकर इस सदन में और इस सदन के बाहर वे चर्चा करते रहे, किसानों का प्रतिनिधित्व करते रहे। कभी यह कल्पना भी नहीं की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जा सकती थी कि कल्याणसिंह जी का इतनी जल्दी स्वर्गवास होगा। स्वर्गवास के ठीक चार दिन पहले मेरी उनसे टेलीफोन पर चर्चा हुई। मैं उनसे कई बार हंसी-मजाक में कह देता था कि ठाकुर साहब अपना वजन कम करो तो उन्होंने दो-तीन बार मुझसे कहा, मेरा वजन यों ही बढ़ रहा है किस प्रकार से कम किया जाय मेरे सामने यह समस्या है। लेकिन चार दिन पहले उन्होने कहा कि मुझे थोड़ी-सी बेचैनी रहती है। मैंने कहा आप इसका उपचार करायें और इस चीज की ज्यादा उपेक्षा ठीक नहीं है। वे बम्बई गये लेकिन अचानक उनका सुबह स्वर्गवास हो गया, हृदय-गति रूक गई। मैं ऐसा समझता हूं कि इस प्रकार का कार्यकर्त्ताओं में कार्यकर्त्ता, नेताओं में नेता, किसानों में किसान, साधारण व्यक्तियों में साधारण व्यक्ति, इस प्रकार की प्रतिभा वाला व्यक्ति हमारे बीच से उठकर चला गया। इस सदन को और पूरे राजस्थान को इस संबंध में काफी दुःख है। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके शोक-संतप्त परिवार को इस दारूण दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, इस संबंध में ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, भूरालाल जी रेगर इस सदन के सदस्य रहे हैं। बहुत ही विनम्र स्वभाव के वे व्यक्ति थे। अपनी समस्याओं की नहीं, अपने क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में काफी चर्चा करते थे। मैं ऐसा समझता हूं कि वे विनोदी स्वभाव के थे। कई बार सुखाड़ियाजी और बाकी के माननीय सदस्य जो अब यहां नहीं रहे, गोकुलप्रसाद जी शर्मा और वे सब बैठकर जब भूरालालजी की चर्चा करते थे, वह भी विषय था लेकिन उस सारे विषय को वे जिस प्रकार से सहज स्वीकार करते हुए जाते थे वह उनके विनोदी स्वभाव का प्रतिक था। वे हमारे बीच से उठकर चले गए। मैं उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे इस प्रकार की प्रार्थना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हंसराज जी आर्य एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्त्ता थे। एक छोटे-से घर में जन्म लेकर किस तरह से यह व्यक्ति विधायक बना इसका लम्बा इतिहास है। मैं इतिहास को दुहराना नहीं चाहता लेकिन आप भी एक जबर्दस्त सिद्धान्तवादी व्यक्ति थे। सिद्धान्तों पर अड़ने की बात हंसराज जी को बहुत ही प्रिय थी। एक बार जो बात तय कर ली उससे बाद में हंसराज जी को झुकाना या उससे मोड़ना यह संभव नहीं था। वे किसानों में रहे, गांवों में रहे। किसानों की समस्याओं को लेकर जिस समय किसानों से संबंधित कानून बने उनमें उन्होंने रुचि दिखाई और उनका सही प्रतिनिधित्व करते रहे। हंसराज जी एक ऐसे व्यक्ति थे कि जब भी कई बार वे मिलने के लिए आते थे तो पैदल ही आते थे। मैंने उनसे कई बार पूछा आप पैदल क्यों आते हो तो उन्होंने कहा कि आप देखिए कि इस उम्र में मेरा स्वास्थ्य कैसा है। मैंने कहा आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है, न तो आपका वजन घट रहा है और न आपका वजन बढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं कोई दवाई नहीं लेता और मेरे स्वास्थ्य का केवल मात्र एक कारण है कि मैं जिस किसी से मिलने के लिए जाता हूं तो पैदल जाता हूं। तो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जितना मुझे टहलना आवश्यक है उतना मैं टहलता हूं। एक बार तो उन्होंने मुझे यहां तक कहा कि आज तमाम दिन भर में मैंने जयपुर शहर में 18 मील तक की यात्रा की है और पूरा हिसाब दिया कि इतनी दूर इससे मिलने गया, इतनी दूर उससे मिलने गया। इस प्रकार के वे व्यक्ति थे। उनकी वेशभूषा देखें तो उसमें किसी प्रकार का अन्तर जब से मैंने उनको देखा है उस वेशभूषा में किसी प्रकार का अन्तर नहीं आया। उनके भोजन में किसी प्रकार का अंतर नहीं, उनके रहन-सहन में अंतर नहीं और विचार जो बने हुए हैं उनमें किसी प्रकार का अंतर नहीं आया। ऐसा व्यक्ति हमारे बीच से उठ गया इसका हम सबको दुःख है। मैं उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार के प्रति भगवान उनको इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे इसकी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।

अध्यक्ष जी, कप्तान दुर्गाप्रसाद जी चौधरी मेरे तो बहुत ही अंतरंग मित्र थे। उनको किसानों का मसीहा में कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर क्षेत्र में जहां किसानों की समस्या आ जाए वे सब प्रकार से सहयोग करते थे। यदि धन देने की भी आवश्यकता हो तो अपनी तरफ से धन देते। अगर सरकार के सामने जाकर प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता को तो एक बड़े अखबार के मालिक होने के उपरांत भी उस व्यक्ति को किसी प्रकार का संकोच नहीं होता था। यदि कहीं जाने की आवश्यकता हो तो भी वे कभी संकोच नहीं करते थे, चाहे रात हो या दिन हो। जिस समय भी किसानों की आवश्यकता हुई या ग्रामीण क्षेत्रों में जाने की आवश्यकता हुई दुर्गाप्रसाद जी ने कभी संकोच नहीं किया। मुझे इस बात की अच्छी तरह से याद है कि आचार्य निरंजननाथ जी और मैं स्वयं कई बार उनको लेकर कई सम्मेलनों में गया। सम्मेलनों में जाते तो उस समय सम्मेलन में जिस प्रकार का अपना भाव व्यक्त करते थे उससे लगता था कि भावों में किसी प्रकार का बनावटीपन नहीं है। जो मन में है वैसी ही बात व्यक्त कर रहे हैं। वह बात चाहे मेरे विरुद्ध जाती हो या और श्रोताओं के विरूद्ध जाती हो या सरकार के विरूद्ध जाती हो उस व्यक्ति को कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होता था। इस प्रकार का व्यक्तित्व हमारे बीच से उठ गया।

दुर्गाप्रसाद जी और उनका परिवार पूरे स्वतंत्रता संग्राम में एक आंदोलनकारी के रूप में बहुत आगे बढ़ा। उन्होंने उस क्षेत्र में जिस प्रकार की जागृति पैदा की उसको भी आज के दिन कोई भूल नहीं सकता। ऐसा स्वतंत्रता सैनानी, ऐसा कर्मठ किसान कार्यकर्त्ता, ऐसा सामाजिक कार्यकर्त्ता हमारे बीच से उठ गया मुझे उसका दुःख है और उनके प्रति सदन की ओर से और मेरी ओर से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके शोक-संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे इसकी भी प्रार्थना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, श्री अच्युत पटवर्धन, इनके संबंध में क्या कहा जाए, क्या नहीं कहा जाए यह बोलने वाले के लिए समस्या है। अभी पण्डित रामकिशनजी कह रहे थे कि 1942 के आंदोलन में किस प्रकार से इस व्यक्ति ने काम किया है, यह सही है, हिन्दुस्तान में बहुत कम महापुरुष इस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रकार के मिलेंगे कि अंग्रेजों के राज में उन्होंने अपना राज कायम किया है। उस व्यक्ति को कभी इस बात की चिन्ता नहीं थी कि अंग्रेज किस प्रकार से मुझे झुका सकते हैं, मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं और गिरफ्तार करने के बाद में किस प्रकार से अपने राज से डिगा सकते हैं। उस व्यक्ति ने लोगों को प्रेरणा दी। केवल प्रेरणा अपने काम से नहीं दी, केवल प्रेरणा अपनी कर्मशक्ति से नहीं दी, उस व्यक्ति ने प्रेरणा अपनी लेखनी से दी, उस व्यक्ति ने प्रेरणा अपने भाषणों से दी। वह जिस प्रकार की जानकारी लोगों को देते थे उससे लोगों को प्रेरणा मिली। वे ऐसे व्यक्तियों में से थे जिन्होंने सारे समाज को जागृत किया और जागृत करने के पश्चात अंग्रेजों को यहां से रवाना किया। आज वह व्यक्ति हमारे बीच से उठ गया। मैं समझता हूं वे उस पीढ़ी के अंतिम व्यक्तियों में से होंगे जिनका दर्शन बहुत लम्बे समय तक करने का हमको मौका मिलता रहा। कई बार चन्द्रशेखर जी के

(12.00 मध्यान्ह)

मकान पर मैंने उन से चर्चा की, बातचीत की। बातचीत करने से ऐसा कहीं लगातार था कि 1942 के समय ये इतने तेज-तर्रार और उग्रवादी होंगे। बातचीत में सौम्यता, बातचीत में सम्मान, बातचीत में तर्क, ये सब इस प्रकार की बातें थीं कि उस प्रकार का व्यक्ति हमारे बीच में से उठ गया, मैं समझता हूँ कि हमें और देश को इसके कारण से बड़ी क्षति हुई है। इसलिए मैं उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनका तो शोक-संतप्त परिवार सारा देश है, इस परिवार को ईश्वर इस प्रकार की शक्ति प्रदान करे कि अच्युत पटवर्धनजी ने जो रास्ता हमको बताया है उस रास्ते पर हम चलें।

इस रूप में जिन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख मैंने अभी किया है, मैं उन सबके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

श्री रामकिशन : विट्ठल भाई रह गये, विट्ठल भाई का देहान्त हो गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हैं ? विट्ठल भाई, जो सदस्य थे विधान सभा के ? उनका देहान्त हो गया है कल कर देंगे ?

श्री हरिदेव जोशी (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने कतिपय महानुभावों के बारे में जो शोक प्रकट किया है, मैं अपने आप को इसमें सम्मिलित करता हूँ।

राव नारायणसिंह जी मसूदा इस सदन के माननीय सदस्य थे। वे पहले अजमेर में और उसके बाद में यहां की विधान सभा के सदस्य रहे। वे बहुत ही मृदुभाषी अच्छे व्यक्ति थे। वे जागीरदार परिवार के थे मगर उनके स्वभाव से या उनके उससे यह मालूम नहीं पड़ता था कि वे कोई पैसे वाले आदमी हैं अथवा ऊँची हैसियत के आदमी हैं। वे शालीनता की मूर्ति थे। कोई उनका मजाक करता, वे उसको बुरा नहीं मानते। काफी दिनों तक बीमार रहे और अभी उनका देहावसान हुआ है, मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, श्री कल्याणसिंहजी

(श्री हरिदेव जोशी)

कालवी हमारे बीच में बैठे हैं और उठकर चले गये, ऐसा-सा लगता है। ऐसे व्यक्तित्व बहुत कम होते हैं जो इतने ऊँचे स्थान पर पहुँचे और बिल्कुल ही उनकी तरह निराभिमानी हों। वे शालीनता की मूर्ति थे और पार्टी-पोलिटिक्स से ऊपर उठ कर मनुष्य हित के लिए काम करते थे। वे मुझसे चार दिन पहले मिले थे, उसी प्रकार की सामान्य बातचीत करते हुए मैंने उनको पूछा—आजकल दिल्ली रहते हो ज्यादा तो बोले, नहीं, मैं इधर ही रहता हूँ। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करताहूँ।

भूरा भाई, जैसा भैरोंसिंहजी ने कहा, बहुत ही भले आदमी थे। स्वयं पिछड़ी हुई जातियों में पैदा हुए थे और उनके लिए ही निरन्तर काम भी करते रहते थे। वे उन राजनीतिज्ञों की तरह नहीं थे जो किसी पद के ऊपर, कुर्सी के ऊपर आ जाएँ तो अपने आप को बड़ा मानने लग जाएँ और हट जाएँ तो बड़े दुःखी हों। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

हंसराजजी आर्य ऊँचे कद के आदमी थे और जैसी उनकी ऊँचाई थी। वैसी ही ऊंची प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के सदस्य थे और प्रजा परिषद के आन्दोलन के अन्दर जेल भी गये थे। वे एक स्थिर व्यक्ति थे, जिस चीज को चाह लेते थे उसको करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। घूमना, पैदल चलना, दवाइयों से परहेज, प्राकृतिक ढंग से जीवन व्यतीत करना—उनका एक प्रकार से उपदेश रहा करता था। वे हमारे बहुत अच्छे साथी थे, कांग्रेस पार्टी के मेम्बर थे। मैं हृदय से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, दुर्गाप्रसादजी चौधरी कप्तान कहे जाते थे। अजमेर के कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें अपना कहते थे क्योंकि सेवा दल के प्रारम्भ में वे मुखिया थे। दरअसल में उनमें इस प्रकार की प्रवृत्ति थी कि आदमी को डिसीप्लिन के अन्दर रखना चाहते थे, खुद डिसीप्लिन मानते थे और अपने इर्द-गिर्द भी डिसीप्लिन मांगते थे। हमारा-उनका सम्बन्ध तो बहुत पुराना था। रामनारायणजी चौधरी, दुर्गाप्रसाद चौधरी वगैरह सपरिवार डूंगरपुर आ गये थे, यहां से जब निष्कासित हुए हम। हमारा उनका साथ रहा वर्षों तक। उन्होंने अपनी लेखनी से और वैसे भी इस प्रदेश की काफी सेवा की है। वे भुलाये नहीं जाएँ, ऐसे व्यक्ति थे। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

श्री अच्युत पटवर्धन भारत माता के वरद् पुत्र थे जिनकी तुलना बहुत कम लोगों से की जा सकती है। आचार्य नरेन्द्रदेव, जयप्रकाश नारायण, डा. राममनोहर लोहिया और इस प्रकार के बहुत थोड़े लोग जो समाजवादी विचारधारा के थे उनमें से ये एक थे। इतना बुलन्द इनका व्यक्तित्व था कि सब लोग उनको आदर की निगाह से देखते थे। देश में ऐसे लोग बहुत कम हुए हैं जो अपने काम से भी और बुद्धि से भी सामने वाले को कायल करते हैं। मैं उस महान भारत के पुत्र को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि उनकी दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे।

श्री दिग्विजय सिंह (नेता, जनता दल) : अध्यक्ष महोदय, सदनके नेता ने जिन दिवंगत आत्माओं के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की है उसमें अपनी भावना जोड़ते हुए मैं भी उन दिवंगत आत्माओं

(श्री दिग्विजय सिंह)

को अपनी ओर से, अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

श्री नारायणसिंह मसूदा इस विधान सभा के सदस्य रहे, मन्त्रिमण्डल में भी रहे, उपाध्यक्ष पद पर भी रहे और उनका मेरा निजी परिचय भी था। वे बहुत सरल स्वभाव के और जैसा विपक्ष के नेता महोदय ने कहा, जागीरदार होते हुए भी या इस पद पर होते हुए भी उनमें कोई इस प्रकार की बू नहीं थी कि वे कोई सामन्ती हैं। बिल्कुल एक साधारण जीवन बिताने वाले व्यक्तियों में से थे। एक लम्बी बीमारी के बाद उनका स्वर्गवास हो गया और वे हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके शोक संतप्त परिवार को धैर्य प्रदान करे, इसके लिए ईश्वर से कामना करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, श्री कल्याणसिंहजी कालवी। जिनके लिए मेरे को व्यक्तिगत आघात पहुँचा है, उनका और मेरा साथ राजनीतिक जीवन में तीस वर्षों तक रहा। सन् 1962 में जब स्वतन्त्र पार्टी का गठन हुआ तब से लेकर अब तक हम साथ रहे, और साथ रहने के साथ-साथ उनसे काफी कुछ सीखने को भी मिला। जिस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था, एक बात जो उनके अन्दर सबसे अच्छी थी कि किसी प्रकार की भी घड़ी के अन्दर कोई संकट आ जाये, वे हमेशा बिल्कुल धैर्य और संयम से काम लेकर उसको निपटाने की कोशिश करते थे। हमारे बीच में भी कई बार मतभेद इस बात के लिए हो जाते थे लेकिन हमेशा से इस संकल्प के साथ रहते थे कि किस प्रकार से हम मिलकर चलें। कल्याण सिंहजी कालवी का जीवन निश्चित रूप से समाज के लिए एक सराहनीय जीवन रहा है। समाज उनके प्रति कृतज्ञ है। एक किसान परिवार में, छोटे परिवार में जन्म लेने के बाद वे विधान सभा के सदस्य बने, राज्य मन्त्रिमण्डल में आये, वे लोक सभा के सदस्य बनकर केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में भी गये, यह एक समाज के लिए बहुत उत्कृष्ट बात है। जब तक वे जीवित रहे उन्होंने समाज की सच्ची सेवा की। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह समाचार मुझे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने दिया। मुख्य मन्त्री जी मेरे बंगले पर आये और एकदम से कहा कि चलो मेरे साथ बैठ कर आपको चलना है। मैं इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मुझे ले कहां जा रहे हैं। रास्ते में इन्होंने मुझसे कहा कि कालवी साहब के के बंगले चलना है और उनके परिवार को यह सूचित करना है कि कालवी साहब नहीं रहे और बम्बई में उनका आज प्रातः काल हार्ट फेल हो गया है। एक क्षण के लिए तो मुझे भी विश्वास नहीं रहा कि जो दो दिन पहले मुझसे बात करके गये हों और यह कह कर गये हों कि दो दिन बाद आकर कुछ चर्चा करेंगे, यकायक उनका हमारे बीच में से उठ जाना निश्चित रूप से मैं इसको राजस्थान के लिए तो मानता ही हूँ पर मैं व्यक्तिशः मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी हानि मानता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से श्री भूरालाल जी रैगर से भी मेरा परिचय था विधान सभा सदस्य होने के नाते। वे बहुत ही सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे। आज वे हमारे बीच में नहीं रहे उनके प्रति भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और

(श्री दिग्विजय सिंह)

शोक-संतप्त परिवार को इस क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूँ।

इसी प्रकार से श्री हंसराज जी आर्य से भी मेरा व्यक्तिशः परिचय था और विपक्ष में वे हमारे साथ आ गये थे। बड़े संघर्षशील आदमी थे और खास तौर से किसानों की समस्याओं के लिए तो वे जुझारू थे। मुझे वह क्षण याद है जब इस विधान सभा के बाहर तो वे संघर्ष करते ही थे पर किसानों के सम्बन्ध में भी कभी बात आती तो विधान सभा के अन्दर भी कभी-कभी वे इतने उत्तेजित हो जाते थे कि विधान सभा के क्या नियम हैं उन नियमों को भी भूल करके इस प्रकार का प्रदर्शन भी उन्होंने किया। आखिर में उन्होंने इस बात के लिए क्षमा मांगी पर उनकी किसानों के प्रति जो लगन, श्रद्धा और पीड़ा थी उसे उजागर करने में वे निःसंकोच इस सदन के अन्दर खुले प्रकार से उनका पक्ष लेते थे। वे आज हमारे बीच में नहीं रहे उनके प्रति भी मैं अपनी ओर से और दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे इस क्षति को सहन करने की, इसकी कामना करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, कप्तान साहब एक स्वतन्त्रता सेनानी थे और स्वतन्त्रता सेनानी के साथ ही साथ वे बड़े पत्रकार भी रहे हैं। इसके माध्यम से उन्होंने अपनी ख्याति स्वतन्त्रता सेनानी के साथ जोड़ते हुए जिस निर्भीकता के साथ पत्रकारिता का परिचय दिया, निश्चित रूप से पत्रकारिता जगत के अन्दर उनका सराहनीय कार्य रहा है। कप्तान साहब ने अजमेर मेरवाड़ा में कई आन्दोलन चलाये। उन आन्दोलनों के अन्दर कोई प्रमुख था वे कप्तान साहब थे और खास तौर से भूमि आन्दोलन के सम्बन्ध में या उनके लाज के सम्बन्ध में उन्होंने काफी आगे बढ़कर अजमेर मेरवाड़ा के अन्दर कार्य किया। वे आज हमारे बीच में नहीं रहे, मैं उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

श्री अच्युत पटवर्धन के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जैसा कहा, मैं भी समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को किस प्रकार से श्रद्धांजलि दें और कैसे उनका वर्णन हम अपने शब्दों में करें। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके बताये हुए मार्ग के ऊपर हम चलें। वे आज हमारे बीच में नहीं रहे, मैं उनके प्रति भी अपनी ओर से और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जैसा माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि सारा देश ही उनका परिवार था, उनको ईश्वर चिर शान्ति प्रदान करे, इसकी मैं कामना करता हूँ।

श्री केदारनाथ शर्मा (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, श्री नारायणसिंह जी मसूदा इस आगस्ट हाउस के 20 साल तक माननीय सदस्य रहे। काफी कुछ कहा गया उनके बारे में, डिप्टी स्पीकर भी रहे वे। उनकी शराफत की कोई मिसाल नहीं और विद्वता की भी कोई मिसाल नहीं, इन दो गुणों के कारण वे अपनी पहचान राजस्थान के राजनैतिक जीवन में छोड़ गए।

अध्यक्ष जी, कल्याणसिंहजी कालवी के साथ भी बहुत साथ रहने का और काम करने का मौका मिला। मन्त्री परिषद में भी

(श्री केदारनाथ शर्मा)

और बतौर एम. एल. ए. और जनता दल और पार्टी के अन्दर काम करने के वक्त में भी तथा जेल के अन्दर और जेल के बाहर 20-25 साल में काफी साथ रहने का मौका मिला। वे, जैसा सदन के नेता जी कहा है कि 'मैन आफ मासेस' थे, इसमें कोई शक नहीं। जागीरी फैमिली में पैदा होने के बाद भी आम जनता में घुलमिल कर उनके काम करने का तौर तरीका था, उनकी पहचान थी। मैंने, अध्यक्ष जी, उनके चेहरे पर कभी उदासी नहीं देखी। संकट आये, राजनैतिक जीवन में हारे, सरकारें टूट गयीं, बदलीं पर उनके चेहरे पर कभी उदासी और चिन्ता नहीं देखी। यह उनकी खूबी थी। बड़ी कम उम्र में ही हमारे बीच में नहीं रहे, सब को उनके बारे में बहुत अफसोस है। उनको खाने-पीने का भी शौक था, खेल के भी वे शौकीन थे। खाने पीने में काफी अच्छी उनकी डाइट थी। हम हंसी करते थे जेल के अन्दर, दो-ढाई किलो से कम वे खाया नहीं करते थे। कैसे हजम होता था? लोग सोचते थे कि कैसे हजम कर पाते थे वे। खास तौर से खेती बाड़ी में और पशुधन और एनीमल हस्बेण्ड्री में उनकी विशेषता थी। नस्लों के बारे में पहचान, बीमारियों के बारे में पहचान—उनके मुकाबले और किसी को जानकारी नहीं थी।

अध्यक्ष जी, भूरालाल जी रैगर अपने अच्छे व्यवहार से, अच्छी मिलनसारिता से अपने इलाके में अपनी पहचान और सद्भावना छोड़कर गये। उनके साथ भी रहने का मौका मिला।

श्री हंसराज जी आर्य, मेरे बहुत निजी मित्र थे। माननीय बैदजी बैठे हैं। बीकानेर स्टेट के अन्दर जिला परिषद् के नाम से जो आन्दोलन चलता था स्वतन्त्रता संग्राम तब वे और हम लोग और बैद जी के साथ काम करने का मौका मिला। फिर वे एम. एल. ए. रहे। साधारण परिवार के बीच पैदा हुए। पढ़े-लिखे भी ज्यादा नहीं थे। कुछ दिन पटवारी उन्होंने की, उसके बाद छोड़ दी और आन्दोलन में शामिल हो गए। अध्यक्ष जी, सारी स्टेट में हम दोनों ने जो भूमिका अदा की है उसमें पैदल चल करके, घूम फिर करके और भाषण देकर एक नया कैडर और नई टीम पैदा करने में उनका योगदान बहुत रहा है। जब आपके इलाके में, अध्यक्ष जी, कांग्रेस गार्ड आई उसमें मैं और वे शरीक थे। अब एक मैं जिन्दा हूँ और श्री दीपचन्द जी जिन्दा हैं, बाकी सब चले गये। जब हमें ताम्रपत्र मिला, अध्यक्ष जी, तो एम. एल. ए. बनने पर उन्हें उतनी खुशी नहीं हुई जितनी ताम्रपत्र प्राप्त करने में हुई। हम दोनों आये और हम दोनों ने बैठकर आपस में कुछ खाया पीया कि आज हमें ताम्रपत्र मिला है। कौन जानता था कि वहां काम करने वाले बैद जी का इलाका पास था। बैद जी ने भी आन्दोलन में बहुत साथ दिया। आखिरी दस-बारह साल में सक्रिय राजनीति से दूर हो गये थे, शराबबन्दी में लग गये थे, रचनात्मक कामों में लग गये थे। माननीय लालचन्द जी बैठे हैं उनके इलाके के रहने वाले थे। अपने इलाके में उनकी छाप है और हमारे दोस्त होने के नाते हमें बहुत अफसोस है।

(श्री केदारनाथ शर्मा)

कप्तान श्री दुर्गाप्रसाद जी के बारे में कहना चाहता हूँ । रजवाड़ों को समाप्त करके राजस्थान एक हो यह नारा माननीय जोशी जी के इलाके में शुरू हुआ । वर्मा जी ने दिया, व्यास जी ने दिया मगर यहां भी अजमेर के जितने भी आन्दोलनकारी थे वे उनमें अग्रणी थे । हमें भी शरीक होने का मौका मिला संयम के प्रतीक और निर्भीकता के प्रतीक रहे वे । अपनी बात खुल करके कहना कोई संकोच नहीं रखना उनकी यह बड़ी खूबी और विशेषता थी ।

अध्यक्ष जी, अच्युत पटवर्धन हमारे नेता थे । 'मैन आफ एक्शन' रहे । थिंकर भी थे । अध्यक्ष जी हमें उनके भाषण सुनने का बहुत मौका मिला । उनके नेतृत्व में बहुत सीखने का मौका मिला । इम्पेशेन्स स्पीच और स्पीच में जो फोर्स थी, स्पीच में जो डेप्थ जो इनसाइट थी वह बहुत कम लोगों में होगी । वे स्टालवार्ट सोशलिस्ट कल्चर के बहुत स्टालवार्ट रहे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं और मेरा दल इन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता है ।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री नारायणसिंहजी मसूदा, वे मासेज के आदमी थे, सज्जन व्यक्ति थे । जागीरदार होते हुये भी जनता के निकट रहते थे । वही एक बात उनकी हमें विशेष तौर से याद आती है । एक बात मुझे उनकी जो याद है, उनको कभी बहुत बड़ी, ऊँची आवाज में सदस्यों को डांटते हुये हमने नहीं सुना । बड़े प्रेम के साथ वे सबको कन्ट्रोल में रखते थे । ऐसे महान व्यक्ति हमारे बीच में से चले गये । मैं उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप से ज्यादा सोफ्ट स्पोकन थे ।

श्री नत्थीसिंह : श्री कल्याणसिंहकालवी की यह कुर्सी ऐसे लगती है कि अभी आकर बैठ जाएँगे. कहीं हमारे बीच से नहीं गये हैं । वे यहाँ किसानों के बड़े हिमायती थे । अपने विचारों के बड़े धनी थे । कई बार यहाँ से लेकर पार्लियामेण्ट तक उनका विरोध भी हुआ लेकिन वे अपने विचारों से नहीं डिगे । एक उनमें सबसे बड़ी खूबी थी कि जिस किसी का साथ देने का उन्होंने तय कर लिया फिर चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, उसका साथ देने से वे कभी हटे नहीं । ऐसे दृढ़ विश्वास के व्यक्ति, ऐसे दृढ़ व्यक्तित्व के धनी श्री कल्याण सिंह कालवी जी हमारे बीच से उठ गये । मैं उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ ।

पिछड़ों के हिमायती और साधारण लोगों में से आये हुये श्री भूरालालजी रैगर जो इस विधानसभा के तीन बार सदस्य रहे और लोगों की सेवाएँ कीं, उनको भी मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ ।

श्री हंसराज जी आर्य के साथ काम करने का बहुत मौका मिला । बड़ी हिम्मत के धनी थे, बहादुर थे । उन्होंने लोगों के अत्याचार भी सहे लेकिन कभी वे झुके नहीं, वे अपनी आन के पक्के थे । जैसा माननीय मुख्यमन्त्री ने कहा कि वे बहुत तगड़े थे, यह बात तो सही है लेकिन वे हमेशा किसानों के प्रति समर्पित रहे ।

(श्री नरपतसिंह)

कप्तान साहब स्वतन्त्रता सेनानी होने के साथ-साथ किसानों के हिमायती थे और अपने पत्र के जरिये उन्होंने हमारे देश की और प्रदेश की बहुत सेवा की। मैं उन्हें अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

श्री अच्युत पटवर्धन जी, 1942 के नायक थे, आन्दोलन के चिन्तक थे। समाजवादी विचारधारा को काफी आगे बढ़ाने वाले थे। उनके प्रति नमन करते हुये हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके सम्बन्ध में जो प्रस्ताव माननीय सदन के नेता ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी विधानसभा के उपाध्यक्ष मसूदाजी उन नेताओं में से थे जो राजस्थान के बनने के बाद जो जागीरदार से कांग्रेस के साथ मिलकर आम जनता के आंदोलन में आये। उनमें से बहुत कम लोग हैं जो साधारण कांग्रेस की कार्य-नीति के मुताबिक उनके साथ मिलकर घुल-मिल गये और उस पर चले। मैं समझता हूँ श्री मसूदा जी उन लोगों में थे जिन्होंने दिल से उस बात को स्वीकार किया और स्वीकार ही नहीं किया अपने व्यवहार से और अपने काम से जनता के सामने यह साबित भी किया कि वे उन परम्पराओं को, जागीरदारों को और उनकी व्यवस्थाओं को छोड़कर साधारण व्यक्ति की श्रेणी में आ गये हैं। ऐसे राजनीतिज्ञ हमारे बीच में नहीं रहे, मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

माननीय कल्याणसिंहजी कालवी भी इसी श्रेणी के राजनीतिज्ञ थे। यद्यपि मेरा उनसे पाँच-सात साल पहले ही परिचय हुआ है। पहले मैं यह समझता था कि राजस्थान के जो पुराने जागीरदार हैं और जो अब भी प्रजातन्त्र की व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते, ऐसे लोगों से शायद वे घिरे रहते है, पर जब 1989 में दिल्ली में मेरा उनसे परिचय हुआ मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिला तो उसके बाद उनसे कई बार मिलने से मुझे लगा कि सिर्फ वेशभूषा से लगते थे कि वे जागीरदार हैं या उस परम्परा के हैं पर दिल से और उनके काम से ऐसा लगता था कि वे साधारण किसान हैं और बहुत मामूली-से व्यक्ति और उनमें घुलमिल कर रहने वाले हैं। दिल्ली में सत्ता मिलने के बाद वे पार्लियामेण्ट के मेम्बर बने। उसके बाद मन्त्री रहे केन्द्र में और मन्त्री से हट भी गये, उसके बाद हमने उनका जो व्यवहार देखा, इस तरह के वे राजनीति में योद्धा थे कि उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि वे किस के साथ मिलकर किस ऊँचाई पर पहुँच गये। किसी के साथ मिलकर के उस सत्ता से पिछड़ गये तो भी उन्होंने अफसोस नहीं किया। निरंतर हिम्मत से संघर्ष करने की वे इच्छा रखते थे। ऐसी इच्छा-शक्ति वाले राजनीतिज्ञ और किसानों के हितैषी, आज जनता, जो राजस्थान के किसान हैं, वह कल्याणसिंह कालवी को भूलेगी नहीं। जितना उनको दर्द था और जितना वे चाहते थे अपने जीवन में वे नहीं कर सके। छोटी उम्र में 58 साल की उम्र में ही उनका देहावसान हो गया। मैं उनके प्रति अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

(श्री हेतराम बेनीवाल)

भूरालालजी रैगर एक अनुसूचित जाति के साधारण कार्यकर्ता और राजस्थान विधानसभा में आये। उन्होंने अपने वर्ग के लिये और अपने जैसे लोगों के लिये यहाँ बैठकर संघर्ष किया। वे दो बार विधान-सभा के सदस्य रहे। वे हमारे बीच में नहीं रहे, मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

श्री हंसराज जी आर्य हमारे गंगानगर जिले से थे। गंगानगर जिले के ही नहीं, बीकानेर स्टेट का जो राजनीतिक आंदोलन बीकानेर स्टेट में शुरू हुआ उनके अग्रणी नेताओं में से थे और सिर्फ नेताओं में नहीं बहुत ज्यादा जिन लोगों ने आजादी के समय पीडा सही, बहुत ज्यादा दमन बर्दाश्त किया उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं में थे। कांगडा काण्ड में जो उनके साथ हुआ। उनको 6 महीने तक उस चोट के कारण बिस्तर में रहना पड़ा, उसके बाद वे कांग्रेस की राजनीति में रहे, सत्ता में रहे। सत्ता में रहने के बाद भी उन्होंने अपने व्यवहार से और अपने काम से ऐसा दर्शाया कि जैसे वे साधारण जीवन जी रहे हो और आखिरी वक्त में तो उन्होंने शराबबंदी के खिलाफ एक अभियान भी छेड़ा। वे जानते थे कि इस अभियान में वे असफल होंगे। मेरी उनसे बात हुई। मैं उनसे मिला, मैंने कहा कि आप बड़े गलत रास्ते पर चल पड़े यह तो आप पहाड़ से टकरा रहे हो। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि मेरी इच्छा है मैं आखरी वक्त में वह काम कर जाऊँ जो हमेशा से मेरे दिल में रहा और मेरे राजनीति में 30 साल रहने के बाद भी मैं उसको बंद नहीं कर पाया। तो वे निश्चित तौर से ऐसे कार्यकर्ता थे जो नेता हमारे बीच में आज नहीं रहे। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

दो हमारे राजस्थान के और हिन्दुस्तान के स्वतन्त्रता आन्दोलन के नेताओं के प्रति आज माननीय मुख्यमन्त्रीजी ने प्रस्ताव रखा है—एक हैं कप्तान दुर्गाप्रसाद चौधरी। राजस्थान को एक करने में या राजस्थान के किसानों के संघर्ष को लड़ने का एक वातावरण तैयार करने में अगर किसी पत्रकार ने बहुत बड़ा योगदान दिया है तो वे निश्चित ही दुर्गाप्रसादजी हैं। पत्रकार रहते हुये, अखबार चलाते हुये और अखबार को भी इस रूप में चलाते हुए कि वही अखबार ठीक चले, उसके बावजूद भी वे आखरी वक्त तक राजनीति में रहे और किसानों के हितों के लिये लड़ते रहे। सक्रिय राजनीति के दाँव-पेच में न जाकर के सत्ता में भागीदार न होते हुये भी वे किसानों की और आम जनता की सेवा करते रहे। उस महान पत्रकार के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

श्री पटवर्धन के बारे में माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं, इस देश में समाजवादी क्षेत्र में अगर कोई स्पष्ट रूप से चिंतन करते हुये उसको अमल करने में सबसे अग्रणी थे तो वे पटवर्धन जी थे। जितना उनकी वाणी में जोश था उतनी ही उनकी लेखनी में भी ताकत थी। वे अपने लिखने से भी लोगों को प्रभावित करते थे, मैंने बचपन में ही उनको पढ़ा, देखने का मौका तो उनको भाषण देते हुए मिला है। पर जो कुछ उनका पढ़ा था, मेरे मस्तिष्क

(श्री हेतराम बेनीवाल)

पर उसकी बहुत बड़ी छाप रही है। कम्युनिष्ट होते हुए भी उस सोशलिस्ट विचारक के जो विचार मैंने पढ़े, मैं समझता हूँ हमारे देश में उनका लिखा हुआ और जो कुछ उन्होंने किया है उस पर अमल करने वाले लोग शायद कम रह गये हैं अन्यथा ऐसी परम्पराओं के धनी और बहादुर स्वतंत्रता सेनानी थे कि जिससे हमारा देश अब भी मजबूती से समाजवादी स्तर तक बढ़ सकता है। उनकी इच्छा थी कि बहुत बड़ी लोगों में इस प्रकार की चेतना पैदा की जाए और इस तरह के कार्यकर्ता पैदा किये जाएँ। वे बाद में, अन्त में काफी अकेले भी महसूस करने लगे और राजनीति से कुछ इनएक्टिव भी रहे उसके बावजूद भी जो देन उनकी तरफ से हमारे देश को है, हमारा देश उनका ऋणी रहेगा। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर इस सदन में माननीय सदन के नेता, प्रतिपक्ष दल के नेता, अन्य दलों के नेताओं एवं सदस्यों ने श्री नारायणसिंह मसूदा, पूर्व उपाध्यक्ष, मन्त्री एवं सदस्य; श्री कल्याणसिंह कालवी पूर्व मन्त्री, सांसद एवं सदस्य और इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री भूरालाल एवं श्री हंसराज आर्य तथा स्वतन्त्रता सैनानी कप्तान दुर्गाप्रसाद चौधरी एवं स्वतन्त्रता सैनानी एवं वरिष्ठ समाजवादी नेता श्री अच्युत पटवर्धन के प्रति जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और संवेदना प्रकट की है, उसमें मैं अपने आपको भारी दिल से शरीक करता हूँ।

राजस्थान सरकार के पूर्व मन्त्री और विधान सभा के उपाध्यक्ष रहे श्री नारायण सिंह मसूदा का जन्म 5 अगस्त, 1919 को गुजरात के दांता नामक स्थान पर हुआ। आपने बी.ए. तक शिक्षा प्राप्त की। सर्वप्रथम आप 1952 में तत्कालीन अजमेर राज्य विधान सभा के सदस्य चुने गये। राजस्थान विधान सभा के लिये आप अजमेर के मसूदा क्षेत्र से 1957 से 1972 तक के चारों आम चुनावों में निर्वाचित हुये। 7 मई, 1962 से 28 फरवरी, 1967 तक आप विधान सभा के उपाध्यक्ष रहे।

28 अप्रेल, 1967 को आप श्री सुखाड़िया मन्त्रिमण्डल में केबिनेट मन्त्री के रूप में शामिल किये गये। इसके बाद 9 जुलाई 1971 तथा 16 मार्च, 1972 को गठित श्री बरकतुल्ला खां के मन्त्रिमण्डल में भी आप मन्त्री बनाये गये।

विधान सभा के कार्यकाल मे आप अनेक राजकीय एवं विधान सभा की अनेक समितियों के सदस्य एवं सभापति रहे। आपने राष्ट्रमण्डलीय संसद संघ की राजस्थान शाखा का प्रतिनिधित्व करते हुये सन् 1960 एवं 1965 में क्रमशः लन्दन एवं न्यूजीलैण्ड के सम्मेलनों में भाग लिया। इसके अलावा आपने जापान, रूस और फिनलैण्ड की भी यात्रा की।

साहित्य एवं दर्शन में आपकी विशेष रुचि रही। आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें 'नेहरू फारेन पालिसी', 'क्यूरोसिटी, सुपरस्टिशन एण्ड आइन्स्टीन', 'समस्या एवं समाधान', 'एकांकी पंचायतन', 'उपनिषद् मनन' एवं 'गीता मनन' प्रमुख हैं।

(श्री अध्यक्ष)

आपका निधन 8 जुलाई, 1992 की रात्रि को हो गया।

राजस्थान के वरिष्ठ राजनेता और पूर्व केन्द्रीय मन्त्री श्री कल्याणसिंह कालवी का जन्म 3 दिसम्बर, 1930 को नागौर जिले के कालवी ग्राम में हुआ। आपकी शिक्षा चौपासनी स्कूल, श्री उम्मेद स्कूल, महाराज कुमार कालेज तथा जसवन्त कालेज, जोधपुर में हुई। आपने तृतीय वर्ष कला तक अध्ययन किया।

व्यवसाय से कृषक तथा पशुपालक रहे श्री कालवी छठे दशक के मध्य में स्वतन्त्र पार्टी से जुड़े और जयपुर की राजमाता गायत्री देवी के प्रमुख सहयोगी रहे। आप स्वतन्त्र पार्टी के महामन्त्री और राजस्थान प्रदेश जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे।

वर्ष 1978 में राजस्थान विधान सभा के उप चुनाव में आप जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में बनेड़ा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुये। 5 नवम्बर, 1978 से 17 फरवरी, 1980 तक आप राज्य के कृषि एवं पशुपालन मन्त्री रहे। आठवीं राजस्थान विधान सभा के लिये हुए चुनावों में आप डेगाना निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के ही उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुये। बाद में जनता दल का गठन होने पर आप जनता दल विधायक दल के नेता चुने गये।

वर्ष 1989 में नवीं लोक सभा के चुनावों में श्री कालवी बाड़मेर से जनता दल के प्रत्याशी के रूप में सांसद चुने गये और श्री चन्द्रशेखर सरकार में 21 नवम्बर 1990 से 21 जून 1991 तक ऊर्जा मन्त्री रहे। आप 18 वर्ष तक अपने गाँव के निर्विरोध सरपंच भी रहे। आपने नीदरलैंड, फ्रांस व जर्मनी सहित अनेक यूरोपीय देशों की यात्रा भी की।

श्री कालवी का निधन 27 जुलाई, 1992 को हो गया।

श्री भूरालाल का जन्म सम्वत् 1982 में भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा तहसील के गाँव फूलियाकलां में हुआ। आपने प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की। कृषि और समाज सेवा में आपकी विशेष रुचि थी।

आप चौथी (1967-72) तथा पाँचवीं विधान सभा (1972–77) के लिये शाहपुरा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुने गये।

आप जीवनपर्यन्त पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे। अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए आप विधान सभा में भी सक्रिय रहे।

आपका निधन 23 जुलाई, 1992 को हो गया।

स्वतन्त्रता सैनानी और पूर्व विधायक श्री हंसराज आर्य का जन्म सन् 1902 में भादरा तहसील के घाटड़ा छोटा ग्राम में हुआ। आपने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की, आप बीकानेर रियासत में छः वर्ष तक पटवारी के पद पर रहने के बाद स्वतन्त्रता आन्दोलन में कूद पड़े और देश की आजादी

(श्री अध्यक्ष)

के लिए कई बार जेल यात्राएँ भी आपने की। आजादी के आन्दोलन के दौरान हुये कांगड़ा काण्ड का नेतृत्व आपने ही किया था। प्रथम विधान सभा (1952-57) तथा चौथी विधान सभा (1967-72) के के लिए आप कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में भादरा निर्वाचन क्षेत्र से चुने गये।

श्री हंसराज आर्य 1946 से 50 तक बीकानेर प्रजा परिषद् प्रबन्ध समिति के सदस्य रहे। आप 1950 में भादरा तहसील कांग्रेस तथा गंगानगर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा आप 1959-60 में गंगानगर जिला परिषद के सदस्य 1961 से 64 तक भादरा पंचायत समिति के प्रधान, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस तथा अनेक समितियों के सदस्य भी रहे।

आपका निधन 14 मई, 1992 को हो गया।

राजस्थान के जाने माने स्वाधीनता सैनानी और निर्भीक पत्रकार कप्तान दुर्गाप्रसाद चौधरी का जन्म सीकर जिले की नीमकाथाना छावनी में 18 दिसम्बर, 1906 को हुआ। कानपुर से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के साथ ही आप सन् 1919 में आजादी के लड़ाई में कूद पड़े। इसी वर्ष महात्मा गांधी द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड के विरोध में शुरू किये गये आन्दोलन में भाग लेने के लिये आपने आगे की पढ़ाई का परित्याग कर दिया।

अजमेर में 1930 से 1945 तक आप कांग्रेस सेवादल के कप्तान की हैसियत से आजादी की लड़ाई में सक्रिय रहे। तभी आपके नाम के आगे कप्तान के नाम की ख्याति जुड़ी। आपने बिजौलिया के ऐतिहासिक किसान सत्याग्रह और भूतपूर्व रियासतों के शासकों तथा जागीरदारों के जुल्मों के विरूद्ध प्रजा मण्डल के विभिन्न आन्दोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लेने पर आपको जेल यात्रा भी करनी पड़ी। आपने आदिवासी भीलों के उत्थान एवं सामाजिक परिवर्तन हेतु भी रचनात्मक कार्य किया।

आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के कई वर्ष तक सदस्य रहे तथा लम्बे समय तक अजमेर शहर कांग्रेस के मंत्री के रूप में भी आपने कार्य किया। अक्टूबर, 1936 में आपने अजमेर से "नवज्योति" समाचार पत्र का सम्पादन व प्रकाशन प्रारम्भ किया और इसे भी आजादी की लड़ाई का हथियार बनाया। पत्रकार के रूप में आपने सोवियत संघ, इंगलैण्ड, अमेरिका, इटली फ्रांस, स्विट्जरलैण्ड, पश्चिमी जर्मनी, चीन, जापान, थाईलैण्ड, हांगकांग, बैंकाक आदि अनेक देशों की यात्राएं भी कीं।

आपका निधन 29 जून, 1992 की रात्रि में हो गया।

वरिष्ठ समाजवादी और स्वाधीनता सेनानी श्री अच्युत पटवर्धन का जन्म 5 फरवरी, 1905 को अहमदनगर में हुआ। दसवीं तक की पढ़ाई अहमदनगर में ही पूरी करने के बाद आप वाराणसी आ गये और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से बी. ए. तथा एम. ए. अर्थशास्त्र की परीक्षा प्रथम

(श्री अध्यक्ष)

श्रेणी से उत्तीर्ण की । शिक्षा पूरी करने के बाद आप सेन्ट्रल हिन्दु कालेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हो गये ।

आपने सन् 1932 में अध्यापन छोड़ दिया और गांधीजी के नागरिक अवज्ञा आन्दोलन में कूद पड़े । अगले दस सालों में आजादी की लड़ाई लड़ते हुए आपको कई बार जेल यात्रा करनी पड़ी , 1934 में जेल में ही आपने अपने सहयोगियों के साथ कांग्रेस समाजवादी दल बनाया ।

1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद श्री पटवर्धन ने अरुणा आसफ अली और डा. राममनोहर लोहिया के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी । 1945-46 में आप भूमिगत रहकर महाराष्ट्र के सतारा जिले में समानान्तर सरकार चलाने लगे जिसकी सफलता से आपका नाम "सतारा का सिंह" पड़ गया ।

भूमिगत रहकर श्री पटवर्धन अपनी बहादुरी, राजनीतिक कौशल और एकाग्र विचारधारा के कारण जननायक बन गये । सरकार ने आपको सबसे बड़ा उग्रवादी घोषित कर आपको पकड़ने के लिये एक लाख रूपये का इनाम रख दिया था ।

1950 में आपने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और फिर सेन्ट्रल हिन्दू कालेज में प्रोफेसर हो गये । श्री पटवर्धन पर महात्मा गांधी का इतना गहरा प्रभाव था कि उन्होंने जीवन पर्यन्त को सार्वजनिक पद ग्रहण नहीं करने की सौगन्ध खाई और निस्वार्थ सेवा करते हुए उसका निर्वाह किया । आपने पहले मंत्री पद और बाद में राष्ट्रपति पद की पेशकश को भी सविनय अस्वीकार कर दिया । आपने 1947 में समाजवादी पार्टी का गठन किया । आचार्य नरेन्द्र देव के सान्निध्य में आपने समाजवादी आन्दोलन को एक नयी दिशा दी ।

श्री पटवर्धन ने ही सबसे पहले 1945 में भारत में परिवार नियोजन का आन्दोलन चलाया था । अपनी कथनी और करनी को एक करते हुए आप आजन्म अविवाहित रहे । आप समाजवादी दर्शन के आधिकारिक व्याख्याकार थे । समाजवादी चिन्तन के विविध आयामों पर आपने लगभग एक सौ पुस्तकें लिखी हैं ।

आपका निधन 5 अगस्त, 1992 को हो गया ।

मैं सभी दिवंगत व्यक्तियों को अपनी ओर से और इस सदन के समस्त माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे और उनके शोक-संतप्त परिवारजन को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे ।

माननीय सदस्यगण, कृपया एक मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत व्यक्तियों की आत्माओं की शांति के लिये प्रार्थना करें व श्रद्धांजलि अर्पित करें ।

(सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की ।)

शासकीय वक्तव्य

कुम्हेर में साम्प्रदायिक दंगा

श्री हरिदेव जोशी (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, कुम्हेर कांड की चर्चा चल रही थी। कुम्हेर कांड जिस तरह का हुआ है उसको सब लोग जानते हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं यह समझता हूं कि इतना लोमहर्षक कांड राजस्थान में कभी नहीं हुआ। यही नहीं, इसके कारण से भारत भर में राजस्थान की बड़ी बदनामी हुई है और इसकी तुलना बिहार के प्रशासक से की जाने लगी है। मैं ऐसा समझता था कि मुख्य मंत्री जी यह महसूस करते होंगे कि उनकी सरकार की ओर से जो असंवेदनशीलता बताई गई है, उसके कारण से वे सदन से माफी मांगेंगे कि दुबारा ऐसा नहीं होगा। उसके कारण हमें बड़ा खेद है। मैं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं। तीन दिन तक पुलिस क्या करती रही। पुलिस को पहले इत्तला मिल गयी थी, यह बात सही है, या गलत है ? आपका प्रशासन, आपके डी. जी., आपका दल होने के बावजूद भी वहां लोग मरते रहे। पहले दिन लोगों ने अपनी एफ. आई. आर. दर्ज करवायी, तीसरे दिन करवायी, उसके बावजूद भी आपकी ओर से कोई एक्शन नहीं हुआ। वह क्यों नहीं हुआ ? जो अधिकारी वहां रखे उन भ्रष्ट अधिकारियों का तबादला कर देना ही काफी नहीं है। आप कल कहेंगे हमने इतनी घोषणा की, ज्यूडीशियल इनक्वायरी की घोषणा की, यह तो एक तरकीब है जिसको आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं। अपोजीशन क्या कहेगा, उसका आप क्या उत्तर देंगे, यह सारा उसमें आपने पूरा कर दिया है एक कलम से। मगर उसकी परिणति क्या हुई ? राहत क्या मिली ? आपने राहत की घोषणा की लेकिन राहत पहुंची कब ? इसी प्रकार से जो घोषणाएं आपने कीं उनके ऊपर कार्यवाही क्या हुई ? दूसरी पार्टी जिसने लोगों के ऊपर हमला किया, क्या उनके मन में यह डर रहा कि भई, सरकार हमसे पूछेगी ? तीन दिन तक घटना होती रही, पुलिस के लोग बैठे हो फिर भी आप कोई कार्यवाही न कर सके, यह क्यों होता है ? इसलिए न कि आपकी जो सरकार थी वह इतनी एक्टिव नहीं थी और वह उसको डरती निगाह से देखती थी। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि आपकी सरकार ने राजस्थान का सिर नीचा किया है और ऐसी स्थिति पैदा की है जिससे लोगों को यह कहने का मौका मिले कि राजस्थान में कोई प्रशासन नहीं है। आप यह सोचते होंगे कि आपने अगर इतने हजार रूपए प्रति व्यक्ति राहत के दिये हैं, दस हजार रुपये, अथवा जो कुछ भी है तो आदमी की यही कीमत आंकी जाती है क्या ? फिर मैं यह कहना चाहता हूं, कितने लोगों के ऊपर मुकदमें चल रहे हैं ? कितने लोगों को अब तक क्या सजा मिली है ? अगर सजा मिली है तो क्यों उनको उजागर नहीं किया गया ? मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो भी कार्यवाही की, वह अपने बचाव में की, लोगों को राहत देने के लिए नहीं की। आप अच्छी तरह से जानते होंगे वहां पर रेंज क्यों खुली थी। जयपुर रेंज से उसे हटाकर भरतपुर रेंज इसीलिए बनाया गया था कि वहां परिस्थितियां ऐसी थीं जो लोगों के अन्दर डर पैदा कर रही थी और जिन लोगों में झगड़े हुए वे जातियां आपस में लड़ती थीं। आपको यह ध्यान रखना

(श्री हरिदेव जोशी)

चाहिए था कि वहां पर आप काम्पीटेन्ट आफिसर को भेजें। मगर जो सबसे अधिक गये-गुजरे लोग थे, उनको आपने बंद कर दिया। वहां पर डी. जी. ने जाकर एक्शन क्यों नहीं लिया ? अगर ऐसा आतंक था तो जा नहीं सकते थे ? पुलिस के कितने लोग मारे गये ? पुलिस के कहीं कोई चोट लगी हो, पुलिस ने कोई कौशिश की हो। इसलिए सारा का सारा प्रशासन निरंकुश प्रशासन था और आपको मालूम हो जाने के बावजूद भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया। आप से मतलब है आपकी सरकारी मशीनरी ने। होम मिनिस्टर साहब ने कोइ कार्यवाही नहीं की। होम मिनिस्टर साहब तो हैं भी क्या ? उनको तो खाली, अब मैं क्या कहूं·······

श्री प्रद्युम्नसिंह : बराये नाम हैं।

श्री हरिदेव जोशी : एक मुखौटा रहता है नाटक में जो लोग काम करते हैं, तो मुखौटा है होम मिनिस्टर का बाकी, एक्टिविटीज तो कोई और ही लोग देखते हैं। मैं मुख्य मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, प्रशासन प्रोक्सी से नहीं होता, प्रशासन में प्रोक्सी नहीं चलती है खुद को काम करना पड़ता है। तो गृह मंत्रीजी या तो इनकाम्पीटेन्ट हैं इसलिए आपको देखना पड़ता है या दूसरे लोगों को देखना पड़ता है, अथवा आप उन पर विश्वास नहीं करते इसलिए वे रूचि नहीं लेते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : तभी तो आपने उनको मुख्यमंत्री बनाने की आफर दी थी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपसे बेहतर साबित होते निश्चित रूप से। आपने इनको + + + बना रखा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब काबिल तो हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप इस जघन्य कांड को हंसी में मत टालिये, मुख्य मंत्रीजी। आपमें तो अगर नैतिकता होती, तुरन्त इस्तीफा देना चाहिए था।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपके इशारे पर सब हुआ है।

श्री सम्पतराम : मैं यह निवेदन करता हूं कि जोशीजी ने जो आफर दी थी मुख्य मंत्री की वह अपने फायदे में ही दी थी, जैसे आपके फायदे में है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अपने ही फायदे में दी थी।

श्री हरिदेव जोशी : आप दूसरी बात करके इस बात को कमजोर करना चाहते हैं। मैं तो एक बात कहता हूं कि अगर आपके अन्दर जरा भी नैतिकता है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, होम मिनिस्टरी से इस्तीफा दे दीजिए, यही मुझे कहना है।

श्री अध्यक्ष : प्रद्युम्नसिंहजी।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, इधर से आ जाए तो अच्छा है। अगर आप इजाजत दें तो।

श्री अध्यक्ष : उनके बोलने के बाद आपका नम्बर आ जाएगा।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने बोलना शुरू कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : आप ही बोलने वाले हैं, उसके बाद आपका ही नम्बर है।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, पहली जून, इस कांड के बीज उसी दिन बो दिये गये लेकिन आपको इससे पहले की पृष्ठभूमि में भी जाना पड़ेगा, भरतपुर के अन्दर जब स्थिति इतनी विस्फोटक थी। मोरेल कांड हुआ ही था उसके पहले, आपको मालूम था कि इतना सैन्सिटिव जिला है उसके बाद भी आपने वहां एहतियात के तौर पर कदम नहीं उठाये। वहां के प्रशासन के ऊपर भी आपको दृष्टि डालनी पड़ेगी कि वहां के प्रशासन के अन्दर एस. पी. और डी. आई. जी. की बोलचाल नहीं है। हालत यह थी कि डी. आई. जी. की रेंज के चारों एस. पी. से बनती नहीं थी। जिले के सब प्रतिनिधियों ने पुलिस प्रशासन में आमूलचूल परिवर्तन की मांग की थी और उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था *irrespective of the party affiliation* और आपकी निगाह में भी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इसमें ब्रीफ नहीं करना चाहता हूं, आपकी नौलेज में भी यह बात है कि वहां पर पुलिस प्रशासन के अन्दर आमूलचूल परिवर्तन की मांग की गई थी लेकिन आपकी पार्टी के एक महामंत्री का एक वरिष्ठ अधिकारी के ऊपर...

(12.48 म. प.)

(**श्री हीरासिंह चौहान,** उपाध्यक्ष पदासीन)

प्रोटेक्शन था इसी कारण से वहां डी. आई. जी. को नहीं बदला गया। जहां एस. पी. और डी. आई. जी. की बोलचाल बन्द हो और उस सैन्सिटिव जिले के अन्दर जहां इतनी विस्फोटक स्थिति हो वहां होता क्या ? यही तो परिणति होनी थी अंत में एक तारीख को सिनेमा की एण्ट्री को लेकर वहां झगड़े की शुरूआत होती है, फिर 2 तारीख को कारीगरों के लड़के जा रहे थे। मैं यहां पर जाति का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं खाली प्रशासनिक विफलता की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कारण यह है कि राजस्थान के इतिहास के अन्दर राजस्थान बनने के बाद इतना बड़ा नरसंहार, इन्सानों के द्वारा इन्सान का कत्ल किया जाना, जिन्दा जला दिया जाना, आज दिन तक नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, साम्प्रदायिक दंगा था, वह एक अलग चीज है। 2 जून को यह हुआ। तीन जून को भी वहां पर इन्सीडेन्ट हुआ. लेकिन इस प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कोई कदम नहीं उठाया। थर्ड जून को या सैकण्ड जून को इन्टेलीजेन्स की रिपोर्ट मिल गयी थी चीफ मिनिस्टर साहब को, डी. जी. की रिपोर्ट मिल गयी लेकिन सब कान के अन्दर तेल डालकर बैठे रहे, कोई एक्शन नहीं हुआ वहां पर। और उसका नतीजा वहां पर आज कैसा है ? इन्टेलीजेन्स की रिपोर्ट आने के बाद आपने क्या कार्यवाही की ? 5 तारीख को आई. जी. (क्राइम) वहां चले गये और 6 तारीख को यह हादसा होता है वहां पर। 6 तारीख को डी. जी. पहुंचे हैं, डी. जी. के जाने के बाद भी शान्तिनगर के अन्दर वारदात हुई। आखिर यह हो क्या रहा था ? आई. जी. बैठे हैं वहां पर, डी. जी. बैठे हैं वहां पर, डी.

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

आई. जी. बैठे हैं वहां पर और सब से बड़ा, 6 तारीख को आपके एस. पी. महोदव ने एक ही जाति के लोगों को थाने बुला कर बैठा दिया और जो बदमाश थे, जिनको पकड़ा जाना था, जिनको पकड़ने गये वे भाग गये पुलिस को देखकर। उसके बाद जो वहां पर काण्ड हुआ है, जिन लोगों ने हमला किया उसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं हुई, कोई पिकाशनरी मैजर्स नहीं उठाये गये, कोई फोर्स का डिप्लायमेण्ट नहीं हुआ। अगर फोर्स का डिप्लायमेण्ट था तो आकर लोग घुसे कहां से मोहल्ले में ? मौहल्ले के अन्दर घुस कर उन्होंने आग लगायी, और लोगों को जिन्दा जला दिया, लूटपाट की और औरतों की इज्जत से खिलवाड़ किया। इससे ज्यादा + + + की बात और क्या हो सकती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है श्रीमन्, एक जून, दो जून और तीन जून की घटनाओं के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेने से, कोई कार्यवाही नहीं करने से, यहां का प्रशासन क्या कर रहा था मैं सरकार से पूछना चाहता हूं ? एक तारीख को किस्सा हुआ, दो तारीख को किस्सा हुआ, तीन तारीख को किस्सा हुआ, वहां के डी. आई. जी. और एस. पी. ने क्या किया ? कलक्टर ने क्या किया ? यहां इन्टेलीजेन्स की रिपोर्ट आ गई, उस रिपोर्ट पर आपने क्या एक्शन लिया ? ये आपके पार्ट हैं, सरकार के पार्ट हैं गृह मंत्रीजी। बड़ा ईमान है कि गृह मंत्रीजी आ रहे हैं, गृह मंत्रीजी, आपकी सुनता कौद है ? आपको तो बना दिया। किसी बुराई-भलाई के जिये आप गृह मंत्रीजी हैं बाकी डोर तो मैं हिलाऊंगा बैठकर, डोर हिलेगी और जो मैं चाहूंगा वह होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख की बात है, अगर आज जरा भी नैतिकता हो सरकार के अन्दर तो इस्तीफा देना चाहिये। इतना बड़ा हत्या काण्ड ! जिन्दा जला दिया गया ! आप उस दृश्य की कल्पना कीजिये, वहां क्या हुआ है। इतना बड़ा काण्ड हुआ, आपने जुडीशियल कमीशन बना दिया। सी. बी. आई. को केस नहीं देते तो आप क्या करते ? आपके खुद के पुलिस अफसर इन्वाल्व थे। आपकी पुलिस की इज्जत क्या थी और आपकी पुलिस के एक्शन पर बिलीव कौन करता ? आपकी पुलिस की इज्जत तो कुछ रह नहीं गयी थी तो जांच तो आपको सी. बी. आई. से करानी ही थी। और जुडीशियल कमीशन का आप कहेंगे तो आप और क्या करते ? जुडीशियल कमीशन की रिपोर्ट आयेगी साल में, डेढ़ साल में, दो साल में। जवाब तो मुख्य मंत्रीजी का एक रटारटाया है कि आपने भी ऐसे ही किया था कि कई मामलों में आपने क्या एक्शन लिया। मैं आपसे कहता हूं कि जुडीशियल कमीशन की रिपोर्ट आयेगी लेकिन जहां एपीहैन्शन और प्राइमाफेसी नजर आ रहे थे लेप्सेज वहां आपने क्या एक्शन लिया ? आपके डी. जी. गये, आपको खुद को जाना चाहिये था। खुद को इस्तीफा देना चाहिए था, डी. जी. का डिस्मिसल होना चाहिये था, आई. जी. का डिस्मिसल होना चाहिए था, सस्पेन्शन होना चाहिये था, डी. आई. जी. का होना चाहिये था, एस. पी. का होना चाहिए था। किसी थानेदार को तो आपने सस्पेण्ड कर दिया। इतना बड़ा

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

काण्ड, पुलिस के अन्दर आपसी मतभेद और पार्टीबाजी, इन कान्पीटेंट अफसरों से..........।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एडीशनल एस. पी. मौके पर मौजूद थे।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये । आर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं इसी पर आ रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, डी.वाई.एस.पी. या एडीशनल एस. पी. या थानेदार इन की बात तो मैं कर नहीं रहा हूं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब इतने बड़े अफसर वहां मौजूद थे आज आप छोटे अफसरों की बात क्यों करते हैं ? इतने बड़े अफसर वहां मौजूद थे उसके बाद भी क्या स्थिति बनी ?... ....(व्यवधान) । आपका मौका आये तब आप अपनी बात कह देना। मैं यदि कोई फैक्ट मिस कर रहा हूं तो उसको आप कह दीजियेगा, उसको करेक्ट कर लीजियेगा।

श्रीमन् मुझे इस मामले में सरकार से 4-5 प्रश्न पूछने हैं, आपने यहां से थानवी साहब को भेजा, थादवी साहब वहां गये, उन्होंने क्या रिपोर्ट दी ? उस रिपोर्ट पर आपने क्या एक्शन लिया ? "हिन्दू" अखबार के अन्दर कहीं से उनको जानकारी मिली होगी, उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने विस्तार से थानवी साहब की रिपोर्ट को रीप्रोड्यूस किया, जो उसका सब्सटेन्स है उसको रीप्रोड्यूस किया है। सबसे पहली बात, आपको रिपोर्ट पर कायदे से इन्क्वायरी करानी चाहिये थी चेयरमैन. रेवेन्यू बोर्ड से या रेवेन्यू बोर्ड के मैम्बर से । आपने पुलिस अफसर को तो इन्क्वायरी के लिए भेज दिया, और इन्क्वायरी के बाद आपने छह को नोटिस दिया, एक्सप्लेनेशन काल किया। जहां तक मेरी जानकारी है, इस प्रकार की रिपोर्ट की कोई कीमत नहीं है। सर्विस रूल्स के अन्दर अगर आपको जांच करवानी थी तो आपको बोर्ड के मेम्बर से या बोर्ड के चेयरमैन से जांच करानी चाहिये थी। आपने थानवी साहब की रिपोर्ट पर क्या एक्शन लिया ? चलिये, उनको आपने भेजा। आपने क्या एक्शन लिया ? आज मैसेज क्या है ? राजस्थान की जनता को यह लग रहा है कि यह सरकार लीपापोती कर रही है पूरे मामले पर, अपने अधिकारियों को बचाने की चेष्टा में लगी हुई है, समय को, व्यतीत करना चाहती है यह सरकार और लोगों को बचाने की नीयत है इस सरकार की । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार के ऊपर आरोप यह है.. ....

श्री रघुवीरसिंह कौशल : उपाध्यक्ष महोदय, ये बहुत अच्छी अपनी बात पुटअप कर रहे हैं लेकिन उनके सभी मित्र वर्ग यह चाहते हैं कि वे जरा धीरे बोलें। उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं अपने मित्रों का बहुत आभारी हूं। मैं और धीरे बोलूंगा। आपने कहा, सही बात है, मैं ब्लड प्रैशर का पेशेन्ट हूं। आपकी बड़ी कृपा है।

श्रीमन्, बी. के. थानवी की रिपोर्ट भेजी, पहली गलती और रिपोर्ट आ गई

35

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

उस रिपोर्ट पर आपने एक्शन नहीं लिया, नम्बर एक, नम्बर दो, इन्टेलीजेंस रिपोर्ट जो आपको प्राप्त हो गयी उस पर आपने क्या कार्यवाही की ? नम्बर तीन, वहां के अधिकारियों का, डी.आई.जी., एस.पी., आई.जी. और डी.जी. का जो रोल रहा उस पर सरकार क्या एक्शन लेने जा रही है ? और जो सहायता लोगों को दी जानी चाहिये थी, बहुत ढोल पीटा सहायता का, जरा उसका टोटल अमाउण्ट बता दीजिये कि कितना लॉस हुआ और आपने लोगों को सहायता के रूप में क्या मुआवजा मुहैया कराया ? तो, उपाध्यक्ष महोदय, अपनी बात समाप्त करने से पहले, इतना बड़ा काण्ड होने के बाद, इतनी बड़ी बात होने के बाद मेरी मांग है भारत सरकार को कि वह राजस्थान सरकार को बर्खास्त करें। नहीं, तो मुख्यमंत्री में नैतिकता हो तो मुख्य मंत्रीजी को स्वयं इस्तीफा देना चाहिये, यह मेरी मांग है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नत्थीसिंह जी।

श्री नत्थी सिंह : पहले सम्पतरामजी बोल लें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल रहे है क्या ? या आप अपना राइट छोड़ रहे हैं ?

श्री नत्थी सिंह : यह दूसरा दल है। इनके बाद बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना राइट छोड़ रहे हैं क्या ?

श्री नत्थी सिंह : यह दूसरा दल है, हम दूसरा दल हैं आपको मालूम होना चाहिये, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये। श्री नत्थीसिंहजी।

(1.00 म. प.)

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, कुम्हेर में जो जघण्य काण्ड हुआ वह निश्चित रूप से अत्यन्त ही निंदनीय और शर्मनाक है। कुम्हेर मेरा क्षेत्र है और सबसे ज्यादा मैं इस बात के लिए शर्मिन्दा हूं कि हमारे क्षेत्र में जहां हमेशा लोग मिलजुल कर रहते थे, कभी इस तरह का झगड़ा नहीं होता था, वहां इस तरह की वारदात हुई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्यों हुई ?

श्री नत्थी सिंह : आप शांति से सुनिये। आप जैसे ही लोग ही ऐसी घटनाओं को जन्म देते हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांति से सुनिये।

श्री नत्थी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 6 तारीख को 10 आदमी मरे, आगजनी हुई 7 तारीख को 4 आदमी मरे, आगजनी हुई। क्यों हुई ? वे कारण क्या थे ? आपकी पुलिस वहां थी, आर.ए.सी. वहां थी, आपके आई. जी. वहां थे, आपके कमिश्नर वहां थे और........

अनेक माननीय सदस्य : आप भी थे।

श्री नत्थी सिंह : आपके और लोग भी वहां थे और यह बात सही है कि मैं भी वहां था। मैंने 5 तारीख को मुख्य मंत्रीजी को चिट्ठी लिखी और यह बताया कि अगर राजस्थान की सरकार और जिला प्रशासन ऐसे ही सोता रहेगा तो भरतपुर और कुम्हेर में कोई भारी वारदात हो सकती है, इसको रोकें। मैंने पत्र में साफ-साफ तौर पर लिखा है। मेरे पत्र की अंतिम लाईन में, पूरे फैक्ट्स दिये हैं मोरोली काण्ड से लेकर तीन तारीख तक का वर्णन किया है। अन्त में शेखावतजी को कहा है ...... (व्यवधान)........

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : डिस्टर-बेंस हो रहा है यह बहुत गलत है। आप हाउस को आर्डर में रखिए।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नत्थीसिंहजी, आपसे निवेदन करूंगा कि पूरा पत्र पढ़कर सुना दें।

श्री नत्थी सिंह : पूरा पढ़कर ही सुना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 3 तारीख को, उसके साथ 1 तारीख को और उससे पहले मोरोली काण्ड उसके बाद चित्तोगढ़ी और उसके बाद जो सिनेमा में और बांसरोली में हुआ, उसके बाद भी आपकी सरकार सोती रही है उस सबका विवरण देते हुए कहा और 1 और 3 तारीख को जो हुआ उस पर कार्यवाही करो. ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पढ़ दो ना।

श्री नत्थी सिंह: पत्र तो आपके पास है वह पढ़ लेना। पत्र तो आपको दिया है। होम मिनिस्टर को दिया, अखबारों में दिया, कोई छिपाने की बात नहीं है। आप निश्चित रुप से उस पत्र को पढ़ें।

श्री हरिदेव जोशी : आप पत्र मांगते है, फाइल रखेंगे क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : आप उनसे पत्र मांगते हैं, आप फाइल रखेंगे क्या ? हाउस की टेबल पर फाइल रखेंगे क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने क्या कहा मैंने सुना नहीं।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने यह कहा कि आप उनसे तो पत्र मांगते हैं, आप हाउस की टेबल पर फाइल रखेंगे क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौन सी ?

श्री हेतराम बेनीवाल : एस. पी. वाली फाइल।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसका मैं जवाब दे दूंगा। मैं तो उनके पत्र की बात कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप पढ़ लो तो सारा हाउस जान जाएगा।

श्री नत्थी सिंह : मैं आपकी नहीं अपनी बात रखूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मतलब आप पत्र नहीं पढ़ना चाहते ?

श्री नत्थी सिंह : पत्र तो पढ़ ही रहा हूं। मैंने सारी घटनाओं को लिखते हुए कहा है कि उस वक्त राज्य पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारियों ने भरतपुर में आकर डेरा डाला लेकिन कुम्हेर में इतनी दर्दनाक घटना हुई है और किसी के कान पर जूं तक नहीं

(श्री नत्थी सिंह)

रेंगी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कुम्हेर में हुई घटनाओं के अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जाए। आप स्वयं मानते हैं कि गुण्डों की कोई जाति नहीं होती। वह किसी भी जाति का हो उसके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए। अगर कुम्हेर के मामले में देरी हुई तो पूरे जिले में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया होगी और हो रही है। इसी का नाजायज फायदा लोग नहीं उठा लें। आपसी सौहार्द बना रहे, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन पर है। अगर प्रशासन ने सतर्कता नहीं बरती और कोई अप्रिय घटना या स्थिति पैदा हुई तो इसका सारा दोष प्रशासन और सरकार का होगा। ऐसी स्थिति न बन सके, लोगों में यह भावना पैदा हो कि अपराधी किसी भी समुदाय का हो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर मैंने आपको पत्र लिखा है और पूरी स्थिति से आपको अवगत कराया है। उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। पाच तारीख को कोई कार्यवाही नहीं हुई, 6 तारीख को घटना हुई। मुख्य मंत्रीजी मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको मालूम है कि मोरोली काण्ड घटित हुआ, उसके बाद हम लोगों ने साफ तौर पर हिम्मत के साथ कहा था, स्वर्ण जाति के लोगों से मैंने कहा और यहां सदन में भी कहा कि शुरूआत अनुसूचित जाति के कुछ गुण्डों की ओर से हुई है लेकिन आगजनी, मारपीट सवर्ण जाति के लोगों ने लोगों की है। उनका यह कहना गलत है कि आग अपने आप लग गयी। हमने हिम्मत के साथ कहा और आपने वायदा किया था मुख्य मंत्रीजी, आप भूल गये। आपने कहा था, एक तरफ के लोगों को पकड़ा गया है, दूसरी तरफ के गुण्डों को भी जरूर पकडा जाएगा। आज की तारीख तक वे पकडे गये? यहां पर डेपुटेशन आया था, उससे आपने कहा था कि डी. आई. जी. को जिसके कारण आपस में झगड़ा है उसको हम जरूर बदल देंगे, लेकिन आप नहीं बदल पाये। मैं कहना चाहता हूं, कि 18 मार्च को जो काण्ड हुआ उसके बाद जब 13 अप्रेल को कुछ लोगों ने रैली का ऐलान किया उस वक्त आपके सिंचाई मंत्रीजी भरतपुर गये। हम लोगों को बुलाया एम. एल. एस. को बुलाया और यह बात हुई, कि रैली नहीं होनी चाहिए, भरतपुर में रैली होगी तो कोई अप्रिय घटना घट जाएगी। हम लोगों ने साथ दिया, तय किया कि रैली नहीं होगी। लेकिन 6 तारीख को पेगौर में पंचायत की बैठक हो रही है और चार दिन से कुम्हेर के बाजार बंद हैं एक तारीख की घटना को लेकर, तीन तारीख की घटना को लेकर। एक तारीख को सिनेमा की अप्रिय घटना हुई, तीन तारीख को कुम्हेर में लूट हुई, लोगों को पीटा गया, अपमानित किया गया, बसों में से लोगों को उतार-उतार कर बेइज्जत किया गया और उसके बाद भी आपने कोई कार्यवाही नहीं की, इससे यहां पर भारी उत्तेजना हो रही है। इधर आपके एस.पी. यह कहते हैं कि मुझे एडीशनल फोर्स चाहिए, आर. ए. सी. भेजो। आपने आर. ए. सी. भेजी लेकिन मैं पूछता हूं कि तीन किलोमीटर पर पेंगोर था, सारे कुम्हेर का वातावरण उत्तेजित हो, बाजार बंद हो, आपने क्यों नहीं कोई ऐसा कदम वहां उठाया कि कोई पंचायत नहीं हो? क्या 144 की

(श्री नत्थी सिंह)

धारा लगाई गयी ? क्या आपने एलान किया कि किसी तरह की पंचायत नहीं होगी ? मुझे दुःख है कि 6 तारीख को आपके आई जी सुबह वहां आये, पांच को आये, आपके कमिश्नर, आपके कलक्टर, आपके एस. पी. साहब, सब लोग वहां जाते हैं, रहते हैं उसके बावजूद आपको अहसास नहीं होता है। मेरी चिट्ठी के बावजूद। मैं आपको चिट्ठी लिखता हूं और अफसरों को कहता हूं कि भाई, यहां पर किसी तरह की पंचायत नहीं होने दी जाए, इसको रोका जाए। लोगों से सम्पर्क करते, कोशिश करते वहां लोगों को समझाते, लेकिन कुछ नहीं किया। पंचायत हुई और झगड़ा हो गया, जिम्मेदारी किस की है ? यहां बहुत लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं कि जाट-जाटव का झगड़ा हुआ। यह असत्य है। मैं 6 तारीख को आपसे मिला, आपने हमारे साथ रात को श्री लालचन्द डूडी, वन मंत्री को भेजा। हम गये सुबह। आपके होम मिनिस्टर, आपके सिंचाई मंत्रीजी, आपके डी. जी. वहां थे, यदुनाथ सिंहजी वहां थे, हम सब को कुम्हेर ले जाया गया। आपका प्रशासन कितना गया बीता था कि जब हम मोहल्ले में पहुंचते हैं कुम्हेर में तो आपके एस. पी. कहते है, कलक्टर कहते है कि एक जाति विशेष के आदमी इस मोहल्ले में नहीं जाने चाहिए। यहां लोगों के पास बम हैं आज भी। ये लालचन्द डूडी, आपका मंत्री गया, नत्थी सिंह, उस इलाके का जन प्रतिनिधि गया और यदुनाथ सिंह, एम. एल. ए. गये तो इनको मार दिया जाएगा, इनके साथ क्या कर दिया जाएगा, लॉ एण्ड आर्डर की समस्या हो जाएगी। मैंने कहा, जाने दो, हमारे साथ जो होगा हम भुगतेंगे। लेकिन आपके प्रशासन ने हिम्मत नहीं की कि वह हम लोगों को वहां तक जाने दे। मंत्री तक को नहीं जाने दिया। हम थाने में बैठे। एक तरफ यह हुआ और दूसरी तरफ ? मैं बताना चाहता हूं सदन को कि उस बड़े मोहल्ले के पास दूसरा मोहल्ला है जाटवों का। मुझे खुशी है, आगरा के अखबारों ने, जो वहां पर गये, लिखा है। वहां सूर बाबा के एक जाट मोहन लाल ने 50 आदमियों को अपने घर में अन्दर रख लिया। वह सामने खड़ा हो गया कि मुझे मारोगे तब इन पर हाथ उठेगा, नहीं तो हाथ नहीं उठेगा। पूरे लोगों को बचाया। वह भी जाट था, कोई और नहीं। एक रामस्वरुप गुर्जर जो बगल में रहता है, उसने 50 आदमियों को अपने घर में रखा और कहा, नहीं मारे जाएंगे ये, हम इनकी रक्षा करेंगे। 6 तारीख को जब इतनी हैवानियत चल रही थी तो इन्सानियत भी बकाया थी, लोगों को बचाया जिसने। लेकिन आपके अफसरों में इतनी इन्सानियत नहीं थी कि वे लोगों को अन्दर जाकर, जो जुल्म के शिकार हुए है उनसे बात करने दें। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कारण था कि इतनी बात होने के बाद भी आप लोग कोई एक्शन नहीं ले पाये ? क्या हुआ लोग गिरफ्तार किये उसके बाद ? कौन गिरफ्तार किये ? रास्ता चलते लोग, और बमों की तलाशी ली उसमें गिरफ्तार हुए। आज उन सबकी जमानत हो गयी। हाई कोर्ट ने कह दिया कि 90 दिन हो गये, 90 दिन तक आप चालान पेश नहीं कर सके इसलिए कानूनन इनको छोड़ना पड़ता है। तो मैं आप से कहना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार कौन है ? आप

(श्री नत्थी सिंह)

गये मुख्य मंत्री जी । कुम्हेर गये जाटवों के मोहल्ले में आप। आपने क्या कहा? आपने कहा कि ये बैरवा साहब, खडे हो जाओ। ये आपकी अनुसूचित जाति के अफसर हैं। डी. आई. जी. साहब आपकी अनुसूचित जाति के अफसर हैं। मैंने सब आपकी अनुसूचित जाति के लगा रखे हैं, बोलो मैं क्या करूं । यह है आपका जवाब। मुख्य मंत्री को शोभा देता है इस तरह की बात कहना आपने इस प्रशासन को बदला है, लेकिन इस प्रशासन को पंगु किसने बनाया, इस बात पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आपको अपनी जिम्मेदारी को वहन करना होगा। प्रशासन को बदलने से कुछ नहीं होगा। मैं उन आदमियों में नहीं हूं जो यह कहें कि इस सरकार को बर्खास्त किया जाए । मैं तो कहना चाहता हूं कि यदि भैरोंसिंह जी में तनिक भी अस्मिता बाकी है तो वे स्वयं इस कुर्सी को ठोकर मारें और प्रायश्चित करें कुम्हेर में जो कुछ हुआ उसके लिए। तब बात होगी ।

मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं। इसके कुछ पहलू और हैं, उन पर भी हम ध्यान रखें। आज भी हम उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुम्हेर में लोग मारे गये, लेकिन कुम्हेर को एसा स्थल बना दिया कि रोज डैलीगेशन आ रहे है, रोज टीवी बोल रहा है। और क्या कर रहे हैं वहां ? झूठ का सबसे बडा व्यापार। लोगों में और उत्तेजना भड़काओ, लोगों को और उत्तेजित करो। यहां तक कहा गया, एक बडे नेता ने कहा कि यहां पर नर बलि दी गयी है। सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पेश की गयी। उस संस्थान की अध्यक्षा कोई और नहीं, हमारे स्वर्गीय नेता बाबू जगजीवन राम जी की पुत्री है। चार एम. एल. एज के नाम लिखाये गये कि वे वहां मौजूद थे कुम्हेर में 6 तारीख को। हम जब तुम्हारे यहां बैठे हैं तो वहां मौजूद थे। नर बलि ली गयी और सिर पर वो किया। मुझे दुःख हुआ। रामविलास जी पासवान और विश्वनाथ जी ये बातें कहें। सारे काण्ड में आपने कोई हिम्मत नहीं दिखायी, बड़े लचर रहे आप लेकिन आपने सारी माया मोह छोड़कर यह जरुर कहा कि विश्वनाथ प्रताप सिंहजी गलत बोल रहे हैं कि कोई नर बलि दी गयी। इतना ही नहीं मुझे कहना पड़ता है कि कांग्रेस के लोग माननीय बूटा सिंह जी और दूसरे गये; किसी ने सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। जिस तरह से उन दो आदमियों ने लोगों को बचाया, उसी तरह गांव - गाव में हम लोग गये, गांव - गांव में हमने शान्ति समितियां कायम की और सात तारीख के बाद कोई झगड़ा आज तक नहीं होने दिया। आपको मालूम है, इस कटे पर नमक छिड़कने से काम नहीं चलेगा। आज जरुरत इस बात की है कि वहां शान्ति रहे, वहां लोग अपना काम करे, अपने खेतों को जोतें। उनमें शान्ति नहीं है। जिन लोगों ने गुनाह किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, वे पकडे जाने चाहिए। निर्दोष नहीं जाए, दोनों पक्ष के लोग। हम नहीं चाहते कि किसी गुण्डे को छोड़ दिया जाए। लेकिन यह सब कुछ नहीं हो रहा, राज ऐसे नहीं हो रहा। हमने मांग की थी आप से कि सब की तलाशी लो, सब के पास हथियार और विस्फोटक हैं, सब जब्त करो। कुछ नहीं हुआ अभी तक चल रहा है

(श्री नत्थीसिंह)

मैं कहना चाहता हूं कि एक बड़ा डेलिगेशन आया। एक बड़े नेता के पुत्र उसमें आये। उनके साथ डाक्टरों का एक दल था। वे गये अस्पताल में। यह काण्ड था जून का और 5-7-1992 को 12 बजे बाद एक बम विस्फोट हुआ। 32 बम पकड़े पुलिस ने। उसमें एक महिला घायल हुई बरसी देवी। वह अस्पताल में दाखिल हुई, उसका पैर काटना पड़ा। वे जो बड़े नेता आये थे और उनके साथ डाक्टरों का जो दल था, अस्पताल में उसने क्या किया ? डाक्टर की रिपोर्ट है, मेरे पास उसकी कापी है। कहा गया वहां पर कि हम इसका इलाज कर रहे हैं, श्रीमती बरसी देवी का पैर काटना पड़ा है। अस्पताल में ही उनको खून दिया गया, अब भी दिया जा रहा है। डा, एस. एन. वर्मा और उनकी टीम बराबर उसकी देखभाल कर रही है, किसी तरह की लापरवाही नहीं है। ड्यूटी डाक्टर अंकेश श्रीवास्तव ने बताया कि जो डेलीगेशन आया उसमें कुछ लोगों ने कहा कि हम डाक्टर हैं। बिना प्रमुख चिकित्साधिकारी की अनुमति के वे वार्ड में घुस गये और श्रीमती बरसी देवी की फोटो ले ली। श्रीमती बरसी देवी के लिए ड्यूटी डाक्टर से कहा कि यह कुम्हेर काण्ड की पीड़ित हैं। 5-7-1992 को जब विस्फोट हुआ, उसमें घायल हुई थी जब कि। नहीं, लिखो तुम, हमको यह कहा गया, कि यह कुम्हेर काण्ड में घायल हुई है। इसकी देखभाल अच्छे ढंग से नहीं करो। इसके साथ-साथ ड्यूटी डाक्टर के साथ अभद्र व्यवहार भी किया और धमकी दी कि हम आपकी रिपोर्ट कर देंगे, नहीं तो इन्हें कुम्हेर काण्ड में दिखाओ। क्या यह एप्रोच हमारी होनी चाहिए ? हमारी एप्रोच यह होनी चाहिए कि जो मन फट गये हैं वे मन मिलें, मिलकर रहें। जो दुर्भावना पैदा हो गई है वह किसी न किसी तरह से सद्भावना के रूप में परिणत हो। उसका एक ही तरीका हैं, दूसरा तरीका नहीं कि हम संयम के साथ जो दोषी हैं उनको पकड़कर सजा दिलाएँ, निर्दोषों को छेड़ें नहीं। भावनाओं को भड़काएँ भी नहीं। यदि भावनाओं को भड़काएँगे तो निश्चित रूप से उससे कोई भला होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आज के दिन यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इस तरह का उपचार और उपाय करना चाहिए जिससे जो लोग सदियों से एक साथ रहते आये थे, प्यार के साथ उसी तरह से रहें। आपको मालूम है ? यहां रैलियां हुईं, दिल्ली में रैलियां हुईं उसकी प्रतिक्रिया भरतपुर में भी हुई और वहां पर भी ऐलान कर दिया गया हमारे कुछ साथियों द्वारा कि डीग में फिर रैली होगी। लेकिन हमने कहा, नहीं। डीग में रैली होगी तो और दंगे होंगे, और झगड़ा होगा। हम लोग आगे आये, हमने मुख्य मन्त्री जी को भी बुलाया और उस रैली को रद्द कराया। सद्भाव कायम रहे, हम चाहते हैं। उस सद्भाव के लिए आपने कुछ अफसरों को हटाया है, पर मैं पुनः कहना चाहूंगा कि अफसरों को हटाने से कुछ काम नहीं होगा। मुख्य मन्त्री जी, अपना दायित्व समझिये, आप तो बड़े आदर्शवादी हैं। कुर्सी का मोह त्यागो और कुम्हेर के लिए अपनी कुर्बानी दो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री टीकमचन्द कान्त।

श्री टीकमचन्द कान्त (रेवदर) : उपाध्यक्ष महोदय, 6 जुलाई को मुझे भी कुम्हेर जाने का मौका मिला। अखबार के अन्दर अन्य जानकारियों से बहुत कुछ जाना। लेकिन यह बात सत्य है कि दलित ने जब जब भी कहीं सर उठाया उसको समाज ने स्वीकार नहीं किया, कम से कम कुछ वर्ग ने। दो साल की सरकार के ऊपर आप अगर यह आरोप लगाना चाहते हैं, उसके कारण से यह झगड़ा हुआ, तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह जातिवाद का जहर 40 वर्षों से राजनीति के कारण इस समाज में पनप रहा है। आज हम जूनियर पार्टी हैं लोकतन्त्र के अन्दर हिन्दुस्तान की। सीनियर पार्टी अगर है तो वह कांग्रेस पार्टी है। मैं दलित हूं, मैं अनुसूचित जाति का हूं। जो 13–14 जाति के लोग कुम्हेर काण्ड की बलि चढ़ गये, अगर उनका दोष किसी पर जाता है जो आज तक की राजनीति करने वाली कांग्रेस पर भी कि उसने आज तक इस जातिवाद को किसी न किसी तरह से समाज के अन्दर अपकी सम्भाव्यता खड़ी करने दी। आज स्तीफा देने की बात कर रहे हैं माननीय भैरोंसिंह जी से ? साण्डेराव का मनोहारी काण्ड, किसने स्तीफा दिया ? आन्ध्र के अन्दर सेन्दूर में हरिजनों को जिन्दा जला दिया गया, काट दिया गया 9–9 लोगों को, कांग्रेस की सरकारने क्या स्तीफा दिया ? कर्नाटक के अन्दर अभी अन्दर अभी हरिजन मारे गये, क्या कर्नाटक की सरकार ने स्तीफा दिया ? कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र से माननीय नत्थीसिंह जी आते हैं, वे इसके प्रायश्चित के लिए क्या कभी अनशन पर बैठे ? माननीय नत्थीसिंहजी ने आज तक स्तीफा क्यों नहीं दिया ?

उपाध्यक्ष महोदय, इन राजनीतिक बातों से परे हटकर कुम्हेर काण्ड को एक अन्य स्वरूप में देखिये। समाज किस रूप के अन्दर आगे बढ़ रहा है····(व्यवधान)···· क्या करेगा समाज ? अगर यह झगड़ा आगे चलता रहा तो सारी राजनीतिक पार्टियां समाप्त हो जाएंगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जिन शहीदों के नाम पर हमने यह सारी की सारी श्रद्धांजलि उसके बाद दी, जिस गांधी का भारत हम देखना चाहते थे, वह नहीं हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन ?

उपाध्यक्ष महोदय, इसके दो पहलू हैं। अभी इन्होंने कहा 'दलित गुण्डा'। अगर मैं यह कहूं, कांग्रेस पार्टी पर मैं यह आरोप लगाऊं कि उसने भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने की बात की, उसने भी स्पष्ट दोषियों पर आरोप नहीं लगाया तो मुझे मालूम है कि वहां क्या पक रहा है। जब जातिवाद की बात कर रहे हैं तब खुला कर दीजिए कि फलां जाति ने काम किया है। कांग्रेस भी इसके पीछे रही है। कुम्हेर काण्ड को उठाना था इसलिए उठा लिया। कुम्हेर के उस दौरे के बाद वहां के आफिसर्स ने हमको कहा था कि कुम्हेर के अन्दर आप लोग आ रहे हैं ये जो किसी न किसी रूप से प्रतिनिधिमण्डल आ रहे हैं ये आकर नित नई आग लगा जा रहे है। इन लोगों को सहायता देने की जहां तक बात है, इनकी सुरक्षा के लिये हमारा सारा का सारा समय व्यर्तीत हो रहा है, इनको बन्द कीजिये। यहां की कांग्रेस पार्टी ने समाचार नहीं भेजा कि हमारे लोगों का आना बन्द कीजिये। जनता दल ने यहां से नहीं भेजा

(श्री टीकमचन्द कान्त)

कि रामविलास पासवान मत आओ, मीरा कुमार आपको आने की आवश्यकता नहीं क्योंकि वहां पर आग जल रही थी, द्वेष फैल रहा था, और वह फैलता ही चला जाता। जिस प्रकार का अखबार कवरेज सारा कर रहे थे, उसकी गहराई में कोई नहीं गया। उपाध्यक्ष महोदय, यह वहां की जातिगत राजनीति का मामला था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी या दिग्विजय सिंह जी गृहमन्त्री थे इसकी वजह से यह झगड़ा नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, प्रशासन के बारे में भी कहा गया कि इनको निलम्बित किया जाना चाहिये था, उनको हटा दिया जाना चाहिये था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं....(व्यवधान) सरकार ने इस हेतु एक जांच बिठाई। उपाध्यक्ष महोदय, आपने जब जांच बिठाई तो जो वहां जो आफिसर्स उस समय थे उनको वहां से हटाकर दूसरे आफिसर्स को लगा दिया गया ताकि किसी भी प्रकार से वे लोग जांच को प्रभावित नहीं कर सकें, जांच रिपोर्ट आने के बाद आप कह दीजिये कि कौनसा सरकारी कर्मचारी है, यदि वह दोषी है तो बच नहीं पाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी आन्ध्र और सेन्दर की बात की। वहां न्यायिक जांच के लिए कितने महीनों तक मांग होती रही, नहीं दे पाये। मैं दलित होने के नाते पुनः दलितों की तरफ से धन्यवाद देता हूं मुख्य मन्त्रीजी को कि इस मामले के अन्दर आपने समय का इन्तजार नहीं किया, आपने मांग का इन्तजार नहीं किया, विधान सभा सत्र में मांग उठाये जाने का इन्तजार नहीं किया, आपने न्यायिक जांच दे दी।

श्री यदुनाथ सिंह : कहां है वह न्यायिक जांच ? कहीं है क्या ?

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण सहानुभूति इस जाति के साथ होते हुए दलितों को जिस प्रकार से क्रश किया जा रहा है, जिस प्रकार से उनको पीड़ित किया जा रहा है, उनको जिस प्रकार से जिन्दा जलाया और काटा रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, सी. बी. आई. की जांच बहुत कुछ रंग ले आएगी, शायद बहुत कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। आज भी मैं कह रहा हूं कि कृपा करके ऐसी भाषा का उपयोग मत कीजिये, कुछ ऐसे शब्द जो आपने कह दिये उन्हें एक्सपंज करवा दीजिये, उपाध्यक्ष महोदय, ताकि अखबारों में वे शब्द और वाक्य नहीं छपे और जिसके कारण से कुम्हेर और भरतपुर के अन्दर कुछ असंतोष, कुछ ऐसी चीज खड़ी हो जाए कि नये सिरे से झगड़ा खड़ा हो जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गया था उनके बीच में। मैंने उनसे कहा कि यह घटना घट गई, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम हरिजन कभी-कभी इसलिये मारे जाते हैं कि हमको मालूम ही नहीं कि दोष है फिर भी सजा मिलती जाती है। मालूम ही नहीं कि दोष क्या किया है, हमने फिर भी हम हरिजन हैं, इसलिये मारे जा रहे हैं। मैंने कहा कि शान्त रहो। उसके बाद के अन्दर सरकार ने जो कार्यवाही की

(श्री टीकमचन्द कान्त)

उससे तो कुछ सन्तुष्टि है ? तुम्हारे मकान जले उसकी जगह तुमको पैसा मिला, उनकी क्षतिपूर्ति हुई। तुम्हारे यहां जिस किसी भी घर के अन्दर जो शहीद हो गया, मैं तो शहीद कहूंगा उसको, उसको ससम्मान श्रद्धांजलि देते हुए क्या उसके बदले के अन्दर मुआवजा तुमको समय पर मिला ? जिसका पशु जल गया, उसका मर गया, उसका पैसा समय पर मिला। उन लोगों ने एक बात कही, अखबारों के अन्दर उस समय तक बयान आते रहे। छह जुलाई को मेरे समक्ष वहां की भरी सभा में कहा गया कि सरकार ने आज तक सहायता दी होंगी उसमें छीजत आई होगी, उसमें कमी आई होगी लेकिन इस सरकार की प्रशंसा करते हैं हम कि जितना हमको लिया गया था उतना पैसा मिला, एक पैसा कम नहीं मिला। इसलिये मैं इस फ्लोर से भी प्रशासन के अधिकारियों को, उन चिकित्सकों को जिन्होंने जाकर के उनकी सेवा की, उनको समय पर पैसा पहुंचाया, सामग्री पहुंचाई धन्यवाद देना चाहता हूं। राजस्थान के अन्दर शायद पहली मिसाल है कि बिना छीजत हुए एक-एक पैसा उस पीड़ित व्यक्ति तक, उसके हक का जितना तय किया गया था, मिला....(व्यवधान).... उपाध्यक्ष महोदय, एक पहलू मैंने देखा है, दूसरे पहलू के लिये मैंने कह दिया है। अगर हरिजन और सवर्ण की यह लड़ाई जिस पर रोटी सेंकना चाहते हैं राजनीतिक लोग-बाग, यह चलती रही तो कभी समाज के अन्दर संवादिता खड़ी नहीं हो पायेगी, वह समाज और टूटता चला जायेगा। आज टूटने और अखण्ड होने की बात कर रहे हैं, देश तो टूट चुका है एक बार एक सम्प्रदाय के नाम पर और फिर इसको तोड़ने की बात अगर कोई इस प्रकार कर रहे हैं तो हम सब राजनीतिक पार्टियों को संकल्प लेना होगा, ऐसी जगह पर एक साथ पहुंचना होगा, ऐसी जगह पर एक साथ पहुंचकर के निर्णय लेना होगा।

विश्वेन्द्रसिंहजी जो 10 तारीख की रैली, सत्य बात है, भयभीत थे लोग-बाग। मुख्य मन्त्रीजी सीधे दिल्ली से हैलीकाप्टर से वहां उतरे हैं, विश्वेन्द्र सिंहजी को समझाया है। यदुनाथ सिंहजी आपने भी उसके अन्दर भागीदारी की है तो मैं धन्यवाद देता हूं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कुम्हेर कान्ड को राजनीति का मसला मत बनाइये, राजनैतिक रोटी सेंकने और वोट लेने का मसला मत बनाइये। इस कुम्हेर काण्ड से शिक्षा लीजिये कि अगर समाज का यह दलित अंग इस तरह मारा जाता रहा, पीटा जाता रहा तो आपकी जातिवादी वोटों की राजनीतिक सफल हो सकती है लेकिन यह समाज और असफल हो जायेगा, एक बार फिर राष्ट्र कटने की कगार पर खड़ा हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, कुम्हेर के अन्दर जो पीड़ित लोग हैं, शायद सरकारी आंकड़े आ जायेंगे, 6 तारीख तक 45 लाख रुपये तो कम से कम सहायता के रूप में पहुंच गये थे, ऐसी सूचना है। प्रत्येक मवेशी के पीछे पशु चिकित्सक लगा हुआ

(श्री टीकमचन्द कांत)

था। जिसकी मवेशी मर गई, छोटे को 300 रुपये, बड़े को 2000 रुपये तक पहुंचाये गये। उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद भी प्रशासन सतत सक्रिय रहा है वहां। मैंने जब जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि हम दूसरी टोली बनाकर वापस आँकलन कर रहे हैं और कुम्हेर के उन पीड़ित लोगों को सहायता हम पहुंचा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि सरकारी बचाव के कारण यह सारी की सारी जांचें की है, इसको सरकार का उत्तरदायित्व या संवेदनशीलता नहीं कह सकते। यह जितनी भी कार्यवाहियां की हैं यह सरकारी बचाव के कारण की हैं उस दृष्टिकोण से उसको देखने की कोशिश कीजिए। यह कार्यवाही कोई सरकार का उत्तरदायित्व और सरकार की संवेदन-शीलता के रूप में क्या नहीं देखी जा सकती है ?

उपाध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर के मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज उन लोगों को शामिल बैठाने की आव-श्यकता है, उनके बीच में जो खाई पैदा हो हो गई है उसको मिटाने की आव-श्यकता है। गुरूर छोड़े हम सिर्फ राजनीति का और हम अपने आप में सामाजिक कार्यकर्ता का स्वरूप खड़ा करें। उनको हम इकट्ठा लायें, एक साथ लायें। अभी आर. एस. सी. डी. सी. ने स्पेशल कार्यक्रम के तहत कुम्हेर के अन्दर योजना शुरू की है। उपाध्यक्ष महोदय, लाखों रुपयों की आर. एस. सी. डी. सी. को साथ में लेकर सम्बल योजना प्रारम्भ करके कुम्हेर के उन पीड़ित लोगों को आगे लाने की कोशिश की गई है। दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मनिहारी जैसी घटनाएं, सांडेराव में हुई जैसी घटनाएं, यह कुम्हेर जैसी घटनाएं दलितों पर होते हुए अत्याचार, जातिगत राजनीति इन सब के लिए आज हम संकल्प लें कि ये खत्म हों। विरोध में बैठकर राजनीति की दूसरी बातें करने के बजाय हम सब एक साथ इकट्ठे होकर संकल्प लें इस प्रदेश की जनता के लिए आपस में संवादिता खड़ी करने का। आज अगर कुम्हेर कांड फूट रहा है तो उसके परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण सदन इस बात का संकलप और शपथ ले। इतनी ही बात कह कर अपनी बात पूर्ण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष जी, कुम्हेर में जो जघन्य कांड हुआ उसकी पृष्ठभूमि में तो मैं नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि मेरे से पूर्व यहां पर माननीय सदस्यों ने इस पर विस्तृत तौर पर प्रकाश डाल दिया है। यह बात सही है कि कुम्हेर काण्ड कोई एक दिन में विद्वेष की भावना से उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं अलवर का मसारी काण्ड, उसके बाद 18 या 19 मार्च को धुलण्डी के दिन भरतपुर में महरौली गांव में, उसके बाद 14 मई को भरतपुर के बांसरोली गांव में जो घटनाएं घटी उसमें भी दो व्यक्तियों की जान गई। वहां पर तनाव बढ़ता हुआ जा रहा था और भरतपुर जिले के प्रशासन और

(श्री परसराम मदेरणा)

पुलिस को इस बात को पूर्ण रूप से जानकारी थी वह अनभिज्ञ नहीं था कि तनाव बढ़ता हुआ जा रहा है और इस अकस्मात बढ़ते हुए तनाव के सम्बन्ध में कोई भी किसी प्रकार की घटना हो जाय, उस सम्बन्ध में प्रशासन की जिम्मेदारी आती है।

अभी जालौर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य को इस्तीफा देना चाहिए। प्रश्न चाहे कुम्हेर का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य का है या भोपालगढ़ का, उनके इस्तीफा देने का नहीं है। प्रश्न उस सरकार का है जो सत्ता में है और प्रश्न सरकार के उस शासन का है जिसको एफिशियेंटली और सफलता से वह चलाती है या नहीं चलाती है।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : भोपालगढ़ में काण्ड हुआ था उस समय आपने इस्तीफा दिया था क्या ?

परसराम मदेरणा : आप सुनिए, बैठिए पहले।

श्री राजेन्द्र गहलोत : भोपालगढ़ में गोलीकाण्ड हुआ था उस समय आपने इस्तीफा दिया था क्या ? इस्तीफा देने की बात चल रही है, लेवी के मामले को लेकर गोलीकाण्ड हुआ था, आप मन्त्री थे, उस समय आपने इस्तीफा दिया था क्या ?

डॉ. चन्द्रभान : आप देखो।............ (व्यवधान)····

श्री परसराम मदेरणा : गोलीकाण्ड कई जगह हुये हैं।

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा) : आपके कार्यकाल में हुए हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मेरे कार्यकाल में भी, विभिन्न प्रांतों में कई दफा गोलीकांड हुए हैं। अभी तमिलनाडु में 15 दिन पहले गोलीकांड हुआ है····[व्यवधान]····

श्रीमती सुमित्रासिंह (पिलानी) : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर इस तरह से टोका-टोकी चलेगी तो कैसे काम चलेगा ? आप इसकी गम्भीरता बनाये रखें।····[व्यवधान]····इसमें हँसने की कौनसी बात है ? बीच में टोका-टोकी करते हैं। आपको भी बोलने का समय मिलेगा। जैसे श्री टीकमचन्दजी कान्त बोले हैं आप भी बोलना।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों से निवेदन है कि बीच में व्यवधान पैदा नहीं करें। विराजिए आप।

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन, मुझे इस चीज से बहुत दुःख है कि एक भूमिका बनी हुई थी और 3–4 घटनाएँ एक के बाद एक इन–सक्सेशन होती जा रही थीं 1 जून को संजय सिनेमा पर एन्ट्री के प्रश्न को लेकर मारपीट हुयी, उस मारपीट के बाद में उस सिनेमा के ऊपर रात को हमला हुआ तो तनाव बढ़ गया था। उस तनाव के बढ़ने के बाद प्रशासन ने क्या स्टेप्स लिये थे ? फिर 3 तारीख को पैंगोर गाँव में चुनाई के काम के लिए गये थे उनके साथ मारपीट हुयी। मारपीट होने के बाद

(श्री परसराम मदेरणा)

जब वे कुम्हेर में आये तो कुम्हेर में बस स्टेण्ड के ऊपर काफी बड़ा हंगामा हुआ। लोगों के साथ दुर्व्यहार भी हुआ, दुकानें भी कुछ लूटी गयीं और कुछ निर्दोष लोगों की वहाँ पर उस दिन पिटाई भी हुयी, बाजार बन्द हो गया। 4 तारीख को भी कुम्हेर बन्द रहा, 5 को भी बन्द रहा। 4 तारीख को वाटर सप्लाई के कनेक्शन काट दिये गये। पुलिस स्टेशन में काग्निजेबल आफेंस की करीबन 6 या 7 एफ.आई.आर. दर्ज हुयी। 7 एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद में 5 तारीख को एक मुस्लिम को गिरफ्तार किया गया। प्रशासन कान में तेल डाले सोता रहा, हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। उसका परिणाम यह हुआ कि 5 तारीख को जब वहाँ पर पंचायत होने जा रही थी और जैसी कि मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने इस सदन को जानकारी दी है कि राज्य के इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस यहाँ पर पहुँए गये, इण्टेलिजेंस के वहाँ पर डी.जी. पहुँच गए, आपने वहाँ पर कमिश्नर भेज दिया। प्रशासन के इतने लोग बैठे हुए थे और जब आप यह समझ रहे थे कि इन घटनाओं का, 1, 3, 4, 5 तारीख की घटनाओं का बहुत बड़ा रीएक्शन होने जा रहा है, पंचायत में इकट्ठी कर रहे हैं, पैंगोर में पंचायत हो रही है, पंचायत के लोग ला एण्ड आर्डर अपने हाथ में ले सकते हैं तो क्या प्रशासन ने कोई प्रिवेंटिव कदम उठाये हैं; गृह मन्त्रीजी, जब कुम्हेर बन्द है, वहाँ पर हड़ताल हो रही है, पंचायत में आने वाले लोग, ऐसे मामलों में फौज इकट्ठी होती हैं। रेशनालिज्म, प्रूडेंस कहीं पर भी नहीं रहती है। मौब साइकलोजिकल वर्क करती है और ऐसी मौब को कन्ट्रोल करने के लिये आपको निश्चित तौर पर 5 तारीख को निषेधाज्ञा लगा देनी चाहिये थी, 144 की धारा को इम्पोज कर देना चाहिए था ताकि न तो यह पंचायत होती और न यह झुण्ड बना कर बड़ा मोहल्ला पहाडगंज, डीग-गेट और भरतपुर गेट पर इस तरह का वीभत्स काण्ड होता और न लोगों की जाने जातीं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निश्चित तौर पर आरोप है कि प्रशासन लेक्स नहीं रहा, प्रशासन अकर्मण्य भी नहीं रहा बल्कि प्रशासन कम्प्लीटली फेल्योर था। वहाँ पर गृह मन्त्रीजी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ 5 तारीख को पैंगोर में पंचायत हो रही थी और पंचायत की एक प्रतिक्रिया की वजह से हो रही थी, कुछ घटनाएँ घटीं उससे पहले एन्टी सोशल एलिमेंट्स जो लोग दोनों तरफ थे उनको अरेस्ट आपने क्यों नहीं किया ? कहीं पर भी चाहे सांप्रदायिक दंगा हो चाहे जातिगत संघर्ष हो अब यह एप्रीहेंशन हो जाता है कि कुछ एलीमेंट्स मौके का नाजायज फायदा उठायेंगे, तो ऐसे लोगों को इमिजियेटली अरेस्ट किया किया जाता है। जब तक शांति स्थापित नहीं हो तब तक उनको बन्द कर दिया जाता है ताकि समाज में अशांति फैलाने वाले लोग जिनके कुछ निहित स्वार्थ होते हैं, अशांति नहीं फैला सकें। परिणाम यही हुआ। मुझे मालूम नहीं। कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य वहाँ पर थे उनको जानकारी ज्यादा है। उनको वहाँ नहीं जाने दिया, क्यों नहीं जाने दिया, उसके पीछे क्या राजनीति थी. मुझे पता नहीं। लेकिन गृह मन्त्री जी जब आप वहाँ विराज रहे

(श्री परसराम मदेरणा)

थे, मैंने पुछवाया था कि मैं वहाँ आना चाहता हूँ, आपके एक मिनिस्टर को आपने मना कर दिया, मैं आऊँ आप मुझे परमीशन देंगे क्या ?

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मन्त्री) : मैंने मना कब किया ? आप कह रहे हैं कि मैंने मना कर दिया। मैंने तो कोई मना नहीं किया। आप तो खुद ही उसके सात दिन बाद पधारे हो।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं, मैंने तो आपको पुछवाया था। कुम्हेर से आने वाले सदस्य और मेरे में बात हो रही थी, मैंने पूछा तो कहा हमको जाने नहीं नहीं दिया तो मैंने कहा कि आप मेरा पूछिये। पूछने के बाद मुझे यह बताया गया कि वे कह रहे हैं कि हम परमीशन नहीं देंगे, हमने हमारे मिनिस्टर को ही परमीशन नहीं दी।

श्री दिग्विजय सिंह : एक निवेदन करूँ, कुम्हेर से दिल्ली पहुँचा तो मैंने स्वयं हरिदेवजी से कहा था कि आपके पी.सी.सी. के प्रेसीडेण्ट साहब अब तक नहीं पधारे हैं, कब पधार रहे हैं, मुझे बताओ।

श्री परसराम मदेरणा : जोशीजी से आपने क्या कहा और जोशीजी और आपके बीच में क्या बात हुई, यह मुख्य मन्त्री जी ज्यादा जानते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस मामले में आपको विश्वास में नहीं लेते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे विश्वास में लिया जाये या नहीं लिया जाये लेकिन मेरा कोई भी स्टेप, मुख्यमन्त्री जी, बहुत डिसीजिव होगा। उस दिन आप ऊपर नहीं उठ सकेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ शर्मनाक घटना थी। जिन्दा जलाया गया, 9 लोग मारे गए। शाहपुरा में मारे गए, सैंथली के अन्दर, जब आप भरतपुर में बैठे हुए थे, पूरा प्रशासन बैठा हुआ था, राजस्थान का होम मिनिस्टर जो लॉ एण्ड आर्डर के लिए रेस्पोंसिबल और आसरेबल, अकाउन्टेबल इस हाउस के अन्दर है वह भरतपुर में बैठा हुआ था, 7 तारीख की सुबह तीन आदमी वहाँ मारे गए और बुरी तरह से उनको वहाँ काटा गया। यह भरतपुर से दो से तीन किलोमीटर के अन्दर होगा, क्या कर रहा था उस वक्त प्रशासन ? (व्यवधान)....

कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक जमात है, निश्चित तौर पर एक राजनैतिक जमात है और जन आधार को मजबूत करने के लिए अपने कार्यकलापों को सिद्धान्त विचार धारा और दर्शन के मुताबिक जनता के सामने रखती है। मैं दो बार कुम्हेर में गया। मैंने बाजार के अन्दर, बड़े मोहल्ले में और पहाड़गंज में हक ही बात कही कि इस घटना से कोई भी व्यक्ति या कोई भी राजनीतिक जमात जनता को भड़काने वाली या उत्तेजना पैदा करने वाली कोई भी कार्यवाही करती है तो वह भरतपुर का बहुत बड़ा अनर्थ करती है, राजस्थान का अनर्थ करती है, देश का अनर्थ करती है। मैंने एक बात और भी कही कि कांग्रेस पार्टी वोटों की राजनीति या वोट बटोरने के लिए और वोटों का लाभ लेने के लिए

(श्री परसराम मदेरणा)

नहीं आई है। मैं इस बात को बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब मैं यह बात कह रहा था तो 15 एम. पीज और सेन्ट्रल गवर्नमेंट के चार मिनिस्टर भी वहाँ थे। मेरा निवेदन करने का मतलब यही है कि मुख्यमन्त्री जी ने 6 तारीख को सेना भेज दी, 7 तारीख को फटाफट सी. बी. आई. को इन्वेस्टीजेशन ट्रान्सफर कर दिया, जुडीशियल कमीशन बैठा दिया। यह इस बात का द्योतक है, क्योंकि, मुख्यमन्त्री जी, 17 जून को मैंने आपका स्टेटमेंट अखबार में पढ़ा था और 17 जून के स्टेटमेंट में आपने इस बात को स्वीकार किया है कि गवर्नमेंट ने एक के बाद एक अपनी सतर्कता नहीं रखी है एवं फ्लेगरेनेस और लेक्सिटी रही है। विजिलेंस नहीं रही है उसको स्वीकार करते जा रहे हैं आप। 17 तारीख को यह बात कही जो मैंने अखबार में पढ़ी और मेरे पास में है कि गत 6 माह से कुम्हेर में व्याप्त जातीय तनाव की बात पता थी लेकिन प्रशासन से हालात का आंकलन करने में चूक हो गई। इन्टेलीजेन्स की रिपोर्ट आपके पास निरन्तर अनवरत तरीके से प्राप्त हो रही थी, आपके सीनियर आदमी वहाँ 4 तारीख से बैठे हुए थे, शायद 5 से नहीं, मेरे ख्याल से 4 को ही। [व्यवधान]....

श्री यदुनाथसिंह : 4 को चीफ सेक्रेटरी थे।....[व्यवधान]

श्री परसराम मदेरणा : सीनियर ऑफिसर सरकार के जो भी थे, पालियामेंट्री डेमोक्रेसी के अन्दर जिनको सरकार के आदेश और निर्देश और निर्णयों की क्रियान्विति करनी होती है, पहुँच गये थे जो उनके सामने असेसमेंट था। उन असेसमेंट के होते हुए 6 तारीख को इतनी बड़ी घटना हो जाना, इस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेल्योर है। सी. बी. आई. की कार्यवाही से या जुडीशियल कमीशन बैठाने से आप अपनी अकर्मण्यता और अपनी असफलता से बच नहीं सकते। आपकी मोरल रेसपोन्सिबिलिटी थी। प्रशासन के लिए आप उत्तरदायी हैं। इस सदन में जब यह कह दें कि प्रशासन ने आंकलन गलत किया है इसका मतलब है कि सरकार ने गलत किया है और सरकार ने गलत आंकलन किया है तो इस सरकार को एक भी दिन सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है।

मैं यह बात मानता हूँ कि प्रशासन की शिथिलता और अकर्मण्यता से को भी जघन्य घटना घट गई, ऐसा बड़ा काण्ड हुआ। उसके बाद, जालोर से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपकी राय से सहमत हूँ, 10 तारीख को मीटिंग वगैरह हो रही थी, कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य और मुख्य मन्त्री जी की उसमें भूमिका रही होगी लेकिन जिन लोगों ने मुझसे बात की थी उनको मैंने यही परामर्श दिया था कि आपको इस प्रकार की कोई भी पंचायत नहीं बुलानी चाहिए। इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। यही नहीं जब 10 जुलाई को मीटिंग होने वाली थी, 5 जुलाई को मैंने भरतपुर की जनता के नाम से एक अपील निकाली थी जिसमें पेम्फलेट्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी अब छोटी पार्टी नहीं है अब तो यह दिल्ली की ओर और लाल किले की तरफ जा रही है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : आपके मुंह में घी शक्कर।.. (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : दिल्ली से राजस्थान बहुत नजदीक है और राजस्थान दिल्ली से बहुत नजदीक है। चार घंटे का रन है. आप लगातार जाएं तो चार घंटे में पहुंच सकते हैं नेशनल हाई-वे पर लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है, माननीय मंत्रीजी जो सिकराय निर्वाचन क्षेत्र से पधार रहे हैं, कि एक बादशाह भी आपकी तरह दिल्ली की पेरीफेरी पर जाते-जाते वहां खतम हो गया। फारसी में एक शेर बहुत मशहूर है दिल्ली के बारे में "हनूज दिल्ली दुर अस्त" इसलिये पेरीफेरी पहुंचने के बाद लाल किला बहुत दूर रहता है, सैंकड़ों मिल दूर रहता है। मैं यह निवेदन........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वी. पी. सिंह ऐसे ही पहुँच गए ?

श्री परसराम मदेरणा : जनता जब समर्थन देती है तो पहुँचते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको पहुंचने देगी जनता या नहीं पहुँचने देगी। मैं कोई ज्योतिष या भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं, प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं समझता हूँ कि आप सपनों की दुनिया में विचरण कर रहे हैं, बिल्कुल कपोल कल्पित आपका कोई चान्स मुझे तो नहीं दिखता है कम से कम अगले 20 साल तक। कम से कम अगले बीस साल तक आपका कोई आयोटा आफ चान्स नहीं दिखता है। मुझे मालूम है कि आपकी क्या हालत होने वाली है। अभी इलेक्शन होने दीजिए आप (व्यवधान)····

उस विषय से अपने आपको दूर हटाते हुए मेरी सभी पोलिटिकल पार्टियों से अपील है और मैं उनके इस विचार से सहमत हूँ कि जहाँ विद्वेष, घृणा के लिये भड़काऊ चीजें ऐसे समय के अन्दर घी का काम करती है—जातिगत राजनीति, वोटों की राजनीति, निहित स्वार्थ के लिए और राजनीतिक स्वार्थ के लिए कोई भी हरकत. मगर मैं उसको गलत भी नहीं मानता हूँ बल्कि निकृष्ट काम मानता हूँ किसी भी राजनीतिक जमात के लिए जो राष्ट्रीय जमात है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर मुझे इजाजत देंगे तो जो कुछ भी अपील मैंने भरतपुर की जनता के नाम से प्रसारित की थी, सदन की मेज पर भी रख सकता हूँ क्योंकि यह बात जो मैं कह रहा हूँ, यह बात मैंने इस पेम्पलेट के अन्दर लिखी है, बहुत जिम्मेदारी से लिखी है. सामाजिक दायित्व के बोध से लिखी है। एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से लिखी है; इस सदन के सदस्य की हैसियत से लिखी है और मेरी पार्टी की विचारधारा और सिद्धान्तों के अनुरूप लिखी है। इसलिये मैं निवेदन करूँगा कि वहाँ पर आज शांति का वातावरण बने, इसमें हरेक राजनीतिक पार्टी को सहयोग देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। शांति का वातावरण बनाना एक बात है और प्रशासन का फेल्योर, एक दूसरी बात है। एब्जेक्ट एण्ड फ्लेगरेंट तरीके से प्रशासन ने अकर्मण्यता बरती, प्रशासन की निष्क्रियता रही, प्रशासन असफल रहा, उसके लिए सरकार दोषी है और इनको कोई नैतिक दायित्व नहीं है कि एक मिनट भी इनकी सरकार सत्ता में रहे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सम्पतरामजी।

श्री टीकमचन्द कांत : जालौर से आने वाले माननीय सदस्य की जगह रेवदर से आने वाले माननीय सदस्य होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : रेवदर कर दीजिये।

श्री टीकमचन्द कांत : कोई बात नहीं। जालौर से रेवदर सुधार दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : जालौर से आप रेवदर पधार गये और रेवदर से दूसरी जगह जाने की सोच रहे हैं, यह भी मुझे पता है।

श्री सम्पतराम (खैरथल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस कुम्हेर कांड के सम्बन्ध में आज इस सदन में चर्चा हो रही है, यह भारत की एक अभूतपूर्व घटना है। जब मैं अभूतपूर्व शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो उसके कुछ फैक्ट्स हैं मेरे सामने। बिहार में, यू.पी. में और देश के विभिन्न इलाकों में ऐसी घटनाएं हुई हैं और गरीब दलित और शोषित लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार और जुल्म होता रहा है। यह हजारों वर्षों की कहानी है। उपाध्यक्ष महोदय, आज की कहानी नहीं है तथा उनमें और इसमें बहुत बड़ा भेद है। वह दूर-सुदूर गांव था कहीं और किसी कौम ने या किसी भूमिधारी ने या किसी और गिरोह ने कोई गिरोह बना लिया, हथियार ले लिये, बन्दूक ले ली और रात में जैसे डाकू जाता है, उस प्रकार से गये, लोगों का कत्ले-आम किया। हो सकता है पुलिस को किसी रूप में जानकारी हो लेकिन ऐसा सबूत नहीं था कि प्रशासन को जानकारी थी और प्रशासन ने जान-बूझकर उसको नहीं रोका। ऐसी घटनाएं हुई हैं देश में लेकिन वे कुम्हेर जैसी नहीं थी। मैं उन तथ्यों में नहीं जाना चाहता, जो माननीय नत्थीसिंह जी ने भी कहे, माननीय परसराम जी ने भी कहे और औरों ने भी कहे। लेकिन इतने दिनों से जो बात चल रही थी, कुम्हेर कोई छोटी जगह नहीं है, बड़ी जगह है। 15 किलोमीटर पर, अगर मैं सही हूं तो, भरतपुर है जो जिला हैड क्वार्टर है। वहां पर यह घटना घटी। सदन के माननीय सदस्य इस बात की चिन्ता कर रहे हैं कि इसके क्या कारण रहे। उन कारणों में हो सकता है मेरी गलती हो, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि सदन को और देश के लोगों को उन कारणों में जाना होगा। हजारों वर्ष से शादी-ब्याह नहीं होते थे इस मुल्क में, राजस्थान में। कहीं सुना था झगड़ा किसी ने, कि बरात में दूल्हे को मार दिया गया, उसके बाप को मार दिया गया, कहीं सुना था ? नहीं सुना, क्यों ? जब इंसान जानवर की जिन्दगी बिताता है तो वह शिकायत क्या करेगा ? हम गये हैं छोटी कौम की बरात में। इस गली से होकर बरात नहीं निकलेगी, आपका बाजा नहीं बजाया जायेगा, आप घोड़े पर भी नहीं चढ़ सकेंगे, आप कोई सामाजिक फंक्शन, दूसरे वर्ग के लोग सामाजिक फंक्शन, जो कुछ भी करते हैं, वह आप नहीं कर सकेंगे। यह वे सहर्ष स्वीकार करते हैं और इसलिए कि हम पैदा ही इस मुल्क में इसलिए हुए हैं कि तुमको इसकी खिदमत करनी पड़ेगी। अभी आप थोड़ी देर पहले श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे, मैं भी सुन रहा था। गांधीजी ने कुरबानी दी, मुल्क ने दी, सभी ने दी और मुल्क आजाद हुआ। यह किसलिए मुल्क आजाद किया था ? गांधीजी का स्वप्न तो

(श्री सम्पतराम)
यह तो नहीं था। गांधीजी का स्वप्न यह था कि हम गुलाम हैं, अंग्रेजों को तो निकालना है और अंग्रेजों का बंधन जब हमारे गले से उतर जायेगा तो हम भारत का वह स्वप्न बना सकेंगे जो हमारे दिलो दिमाग की कल्पना है। आपका कहां है सामाजिक न्याय, और कहां है आपका आर्थिक न्याय ? आज इस मुल्क में जिन लोगों को राजनैतिक अधिकार नहीं हैं, सामाजिक अधिकार नहीं है, उनको अपने अधिकार लेने के लिए इसी प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ेंगी और कुम्हेर जैसी घटनाएं पता नहीं देश में और कितनी होंगी।

आपने देखा होगा, डक शूटिंग हुआ करती थी भरतपुर में बहुत दिनों पहले। राजा, महाराजा और बादशाह वहां जाया करते थे, डक सूटिंग होती थी और ठंड के वक्त में होती थी। जब गोली चलाई जाती थी और वह पक्षी ठंड में पानी में गिरता था तो कौन उठाता था उसको ? यदि मेरे पास सही सूचना है तो, नहीं तो माफ करना, या तो कुत्ते रखे जाते थे या वहां पर शिड्यूल कास्ट के लोग रखे जाते थे। माननीय उपाध्यक्ष जी, यदि गलत हैं तो वापस ले लूंगा। मैंने गलती के लिए पहले ही मान लिया। डंडे मार-मार करके बेगार ली जाती थी ... (व्यवधान)। माननीय सदस्य, मेरी बात सुन लें। अगर गलत है तो कोई बात नहीं, मेरे पास जो सूचना है वह मैं कह रहा हूं।

बेगार ली जाती थी। हम जिस गांव में रहते हैं वह जागीरदार का गांव है। एक लम्बरदार साहब थे। वे हर फसल में में, जितने घर थे, उनसे दो दो आदमी लिया करते थे मुफ्त में, वे गुलामी की जिन्दगी जीना चाहते थे। आज मेहरबानी गांधीजी की समझिये, मेहरबानी कांग्रेस की समझिये, मेहरबानी स्वामी दयानन्द की समझिये, स्वामी विवेकानन्द की समझिये, आपने तालीम या नारा दिया, जो कुछ भी दिया आजाद मुल्क के नागरिकों में उसकी चेतना घर-घर में पैदा हो गई है। उससे संघर्ष उनका है। हर आदमी यह सोचता है कि यह छोटा आदमी हमारे बराबर कैसे आ गया, वह संघर्ष उनका है। एक की कुर्सी छोड़नी पड़ती है, दूसरे को बिठाना पड़ता है। यह सब कुछ होता है। परसराम जी अभी कह रहे थे, प्रशासन की अकर्मण्यता है। ये जो बड़े-बड़े हाकिम हैं, ये कहां से आते हैं ? ये उसी समाज से आते हैं, जो हमेशा से गरीबों पर अत्याचार करता रहा है। अगर प्रशासन का एटीटूयूड ठीक है, मैं इस बात में यकीन नहीं करता कि एक क्षण में ठीक हो जायेगा, हमारा दृष्टिकोण, हमारा एटीट्यूड ठीक होना चाहिये। अगर एटीट्यूड हमारा ठीक है तो जुल्म कभी नहीं होंगे थाने में। थानेदार दर्ज करता है एफ.आई.आर. और कार्यवाही करेंगे। कल दूसरी घटना घटित होगी। नहीं, वह जाय और उनको यह बता दे कि आइंदा इस प्रकार की जुल्मों की पुनरावृति होगी तो आपके साथ यह सख्ती बरती जायेगी। आपने देखा, मैं छोटी-सी तारीफ की बात नहीं कह रहा हूं, माननीय भैरोंसिहजी, आपके राज की बात कह रहा हूं। मैं गृह मंत्री था आपके राज में, तब की बात कह रहा हूं। यहां पर दो मुद्दे आए। पिछली दफा जब मैं गृह मंत्री था, सदन में बड़े हीटेड डिस्कशन हुए थे। एक तो आयी

(श्री सम्पतराम)

थी डाकू की प्रोब्लम । ईश्वर की कृपा से वे डाकू खत्म किये गये । एक आया था कि हरिजनों की जो महिलाएं हैं, उनकी इन्फार्मेशन देने वाले लोग रहते । 5 को लेकर, 6 को लेकर, 10 को लेकर आप माननीय सदस्य कहा करते थे । जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिये वेश्यावृति के रूप में, कैसे भी उसका इस्तेमाल होता था और वापस छोड़ दिया जाता था। फिर ले जाते थे । मुझे पता नहीं मैं कहां तक सत्य हूं, अगर असत्य होऊं तो ठीक कर देना । मैंने कोशिश की थी और इसी प्रशासन के जरिए उस बीमारी का हल निकाला था । गुण्डे, बदमाश व लफंगे जितने थे, मैं वह डिटेल्स में नहीं बताऊंगा आपको, बताने की जरूरत भी नहीं है कि क्या-क्या साधन हमने एप्लाई किये थे, उस समय हमने उनको पकड़ा । मेरे पास किरोड़ीलाल जी. एम. पी. आए थे और मैंने हाथ हिलाया तो मैं शपथपूर्वक कहता हूं हाथ मिलाने की बजाय वे मेरे पैर पकड़कर बैठ गए । भैरोंसिंह जी, आपका दृष्टिकोण ठीक है । माननीय मुख्य मंत्री जी आपके प्रशासन को ठीक करो । इनका एटीट्यूड बिलकुल गलत है और यह एटीट्यूड जब तक ठीक नहीं करोगे तब तक ऐसी पुनरावृत्ति होती रहेगी । इसलिए यह सारा का सारा मसला बैकग्राउण्ड झलक उठता है ।

आज मसारी काण्ड हो गया । क्यों होता ? कोई खास बात नहीं, वहां पर बरात आती थी उस पर हो गया । पहले एक दफे जयपुर रियासत की बात है, यहां पर रैगरों ने लड्डू बनाये । भीड़ चढ़ आई दुनिया भर की । राजा का जमाना था, उन्होंने कहा कि ये लड्डू कैसे बनाये ? हम लड्डू नहीं बनाने देंगे । यहां के अंग्रेज अफ्सर दूसरे थे, उन्होंने सख्ती बरती । गोली चलानी पड़ी तब काम हुआ । यह हमारे प्रशासन के लिए डूबकर मर जाने की बात है और अगर मैं सत्ता में होता तो मैं ईश्वर की शपथ खाता हूं एक दिन भी सत्ता में नहीं रहता बल्कि इस्तीफा देकर आ जाता । आप क्या जवाब देंगे ? आपके डी. जी. बैठे हैं, आपके आर. ए. सी. के 250 आदमी बैठे हैं, आपका सारा प्रशासन मौजूद है और हफ्तों से वहां प्रचार हो रहा है, अखबारों में आ रहा है और हम उसका इलाज नहीं कर सके ? और तो और जब 6 तारीख की मोर्निंग से आर. ए. सी. का इस्तेमाल करके उन हरिजनों के घरों की तलाशी ली गई थी उसकी सूचना जहां पर यह पंचायत हो रही थी वहां पहुंच गई होती और 5 आदमियों की वह भीड़ दिखा दी होती तो मेरे ख्याल से हमला नहीं होता । यह बंदूक किसके लिए है ? यह टीयर गैस किसके लिए है ? गरीबों को मारने के लिए है ? मैं जब था तो मैंने देखा था कि क्या जवाब दूं ? पुलिस कस्टडी में आदमी मरे, 3 शिड्यूल्ड कास्ट के मरे । मैंने उनकी एण्टीसिडेंट्स लेने की कोशिश की कि उनका बैकग्राउण्ड कैसा है । वे चोर थे, बदमाश थे, गुण्डे, क्या थे ? लेकिन किसी का नहीं निकला । उनको मारा गया । महाराज, इस प्रशासन को ठीक करिए । मैं किसी पार्टी पर लांछन नहीं लगा रहा । सबका दृष्टिकोण समाज सुधार का है और होना भी चाहिए ।

(श्री सम्पतराम)

फिर ? अभी वोट की चर्चा कर रहे थे कि वोट की राजनीति है। महाराज, वोट की राजनीति लाठी वालों की है। आज गरीब को वोट डालने कौन देता है। वह हिन्दुस्तान का राज ऐसा बनाना चाहता है जो सामाजिक व्यवस्था को बदले। लेकिन उसे बदलने कौन देता है ? वह जब वोट डालने जाता है उससे पहले ही वोट डाल दिए जाते हैं। क्या यह तथ्य नहीं है ? वह बेचारा क्या करे, कुढ़-पिटकर घर बैठ जाता है। यह चेतना का समय है। जब चेतना होती है तो आदमी संघर्ष करता है और समझता है कि नहीं, तू इंसान है, तुझे इंसान की जिंदगी जीने का हक है। जब वह संघर्ष करता है तो इसी तरह के काण्ड होते हैं। नहीं तो ब्याह-शादी के दिन सारे हिन्दुस्तान की आबादी शिड्यूल्ड कास्ट ने बढ़ा दी ? सबसे ज्यादा ब्याह-शादी होते हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा। बड़ी प्रेम और मोहब्बत होती थी लेकिन अब क्या हो गया ? जब थोड़ा वह भी कहते हैं कि उनको बाजा बजाने दिया जाय, वे नाच-गाना करते हैं, करने दीजिए। घोड़ी लाते हैं तो लाने दीजिए। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से सदन से एक प्रश्न करना चाहता हूं। अंग्रेज तो किसी को नहीं कहते थे कि घोड़ी पर मत चढ़ो। अंग्रेज तो किसी हरिजन को यन नहीं कहते थे कि तालाब मत जाओ। अंग्रेज तो यह नहीं कहते थे कि इस प्रकार से शादी करो। महाराज, अंग्रेज चले गए लेकिन यह जो अंग्रेज दूसरे पैदा हो गए उन अंग्रेजों से राहत देने के लिए सभी दलों के माननीय सदस्यों को ईमानदारी से यह कोशिश करनी चाहिए कि यह जो भेद भाव है इसको हम दूर करें, सद्भावना पैदा करें। मैं एक-दूसरे के खिलाफ यह नहीं कहता हूं कि उसको दण्ड दो या उसको मत दो लेकिन जो दो-चार एक्शन पहले हो गए होते तो यह स्थिति नहीं होती।

अभी नत्थी सिंह जी ने कहा, गुण्डे की कोई जात नहीं होती। एक मुसलमान ने कोई एब कर दिया तो सारे मुसलमान खराब नहीं होते। एक जात या कौम का कोई आदमी कर जाय तो वह सारी कौम या जात खराब नहीं होती। यह मीर करे, गुर्जर करे या कोई और करे लेकिन कौम बदमाश नहीं होती, आदमी बदमाश होता है। एक और कारण है। आगरा व भरतपुर का भी प्रभाव इस पर होता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है जो मैं समझा हूं। हो सकता है वह गलत हो। आगरा में शिड्यूल्ड कास्ट के जाटवों की काफी आबादी है और उनमें सब प्रकार के तत्व हैं। पैसे वाले भी हैं और वे काफी सेठ लोगों पर अपना रौब-दाब भी रखते हैं। वे किसी को छोटा-बड़ा नहीं मानते। उसी प्रकार की चेतना वहां से आती है, वह संघर्ष वहां पर होता है। राजस्थान के दूसरे जिलों में, दूसरी जगह उन बेचारों की जमीन छीन लेते हैं तब भी नहीं आते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मोहनलालजी सुखाड़िया को, आज वे नहीं है। उन्होंने एक कानून पास किया था कि शिड्यूल्ड कास्ट की जमीन किसी के रहन में हैं तो इससे कुछ नहीं होगा। उससे जमीन रूक गई। लेकिन आज भी बहुत बड़े पैमाने पर हमारे शासन का जो ऑर्गन है प्रशासन,

(श्री सम्पतराम)

उसकी भी शह है और उसके द्वारा बहुत कुछ काम किया जाता है। तो, महाराज, यह गरीब की छीना-झपटी होगी। मैंने तो शुरू में भी स्टेटमेंट आपके सामने दिया था कि इस गरीब को ऊंचा उठाना होगा। कहाँ-कहाँ वह संघर्ष करे? आप यह कहते हैं कुम्हेर में तो रोक दिया। मेरे से एक एम.एल. ए. की बात हुई कि आप कुम्हेर के मामले में बोले नहीं। वे बोले, वोट का मामला है। मैंने पूछा, क्या वोट का मामला है? क्या शिड्यूल्ड कास्ट के वोट नहीं होते? तो उन्होंने कहा कि उनके वोट कहां होते है, उन्हें तो कोई वोट डालने ही नहीं देता, इसलिए हम उस मामले में उनको सपोर्ट करते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा और आप पूछेंगे भी नहीं। तो इस प्रकार की घटनाए होती हैं। तो महाराज, ये सारे मामले हैं इनमें चिन्तन करें और प्रशासन से सुधार करें।

भैरोंसिंह जी, क्यों आपने आई. जी. को भेजा वहां पर? वे 5 तारीख को क्यों नहीं गए? कुम्हेर में जब 250 आदमी बैठे थे, उन हरिजनों को तो आप पीट-कूटकर ले आये। मैं उसके लिए कुछ नहीं कहता अगर आपका प्रशासन काम करता था, तलाशी लेता था, गुण्डे थे, बदमाश थे। लेकिन बताऊं, झगड़े की जड़ क्या है? मैं फिर कहता हूं कि मुझे पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि मैं वहां का रहने वाला नहीं हूं। वहां दो हवेलियां हैं। उन हवेलियों में नाकारा आदमी रहते है, वे गुण्डागर्दी करते हैं। उनको नौकरी-पेशा कुछ नहीं मिलता है और उन लोगों ने सारा वातावरण बनाया। यह बस की घटना हुई, सिनेमा की घटना हुई। अगर कोई भी डाकू हरिजन है, नाई है, कुम्हार है तो वह तो डाकू है उसको पकड़ते। और जिस दिन यह पंचायत हो रही थी उस दिन मेरे ख्याल से मोहन सिंह, एडिशनल एस. पी. थे उन्हें 50 आदमी भरकर ले जाने चाहिए थे कि चलो। और पुलिस स्टेशन में जितने बैठे हुए थे वे दिखा देते तो मेरे ख्याल से कुम्हेर का इतना बड़ा जघन्य अपराध नहीं होता। वहां का प्रशासन क्यों बैठा था? क्या एक्शन लिया? आपने दो काम किए। एक तो किया ज्यूडीशियल इंक्वायरी। मेरी यह दरख्वास्त है कि यदि कोई गरीबों पर अत्याचार, जुल्म को रोकना चाहता है तो कोई भी सरकार ज्यूडीशियल इंक्वायरी की इजाजत नहीं दे। यह ज्यूडीशियल इंक्वायरी क्या है? एक कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी है। इसके तहत हमने भी की है, कांग्रेस ने भी की है, सब सरकारों ने की है। उसमें क्या देते हैं, इंक्वायरी देते हैं। और उसमें क्या होता है, उसमें निश्चित मुद्दे सुनिश्चित किए जाते हैं कि आपकी जांच का दायरा यह होगा। मुझे जहां तक जानकारी है इस जांच का दायरा यह कि ऐसे कौन-कौनसे कारण थे जिनकी वजह से कुम्हेर में इतना बड़ा जघन्य अपराध हो गया? दूसरा, भविष्य में क्या सावधानी बरती जाय जिससे इस प्रकार का अपराध नहीं हो। मुख्य मंत्री जी, मुझे होम मिनिस्टर साहब ठीक कर देंगे लेकिन मेरा अपना ख्याल है, इससे क्या रिजल्ट मिला? मण्डावरी कांड के अंदर एक लाइन में बिठाकर कत्ले-आम कर दिया पुलिस की मौजूदगी में और मैं भी मिनिस्टर था। मैंने स्टेटमेंट दिया था कि पुलिस 302 की मुल्जिम है। क्य एक्शन

(श्री सम्पतराम)

लिया उस पर ? सब हथियार रखवा लिए गए। पार्लियामेंट में, सारी असेम्बलीज में चर्चा यह होती थी, यहां भी हुई थी कि हरिजनों को हथियार दे दो। मैंने कहा था हथियार पकड़ने के लायक होने दो उनको। अगर आज उनको हथियार दे दिए गए तो उनसे छीनकर दूसरे लोग इस्तेमाल करेंगे। अभी वह वक्त नहीं आया और फिर हमको समाज में झगड़ा पैदा नहीं करना है। महाराज, जो ज्यूडीशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जायेगी उसके क्या नतीजे निकलेंगे ? और जिस दिन तक रिपोर्ट आये तो क्या पता यह सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। उस पर कौन चिन्तन करेगा ? आपकी सी. बी. आई. की जांच की तो मैं क्या कहूं, सब नोर्म्स पढ़े हैं, मैंने भी पढ़े हैं। महाराज, यह लॉ एण्ड ऑर्डर का क्वेश्चन है, आपके पास सारी शक्ति है। कौन-सा ऐसा कानून है जिसको इस्तेमाल करने की शक्ति प्रान्तीय सरकार को नहीं है ? फिर भी यह क्यों नहीं किया गया ? प्रिवेन्टिव डिटेन्शन करते, हिम्मत थी तो किसी में क्या होता ? राज चला जाय तो चला जाय। मैं कहता हूं, भैरोंसिंह जी ने इस्तीफा दे दिया होता तो इनका नाम हिन्दुस्तान में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया होता और इनको फिर राज मिलता और यही दलित राज देते, यह मैं कहता हूं आपसे। इनको यह मालूम हो जाय, वह उनका भला करते, कितना करते कितना नहीं करते, यहतो अलग बात है, मगर नीयत के बारे ये भी पता पड़ जाय गरीब आदमी को कि यह नीयत से हमारा भला चाहता है तो वे उसके भक्त हो जायेंगे। तो, महाराज, यह जो सारा काण्ड था, इस काण्ड में आपने क्या तो उस पुलिस अफसर के खिलाफ कार्यवाही की ? क्या आपने जानकारी की ? क्यों आप गये ? देखिये, यह डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हम जन प्रतिनिधि हैं, हमारा भी कुछ कर्त्तव्य है, हमारा रोल है कुछ। वैसे तो चीफ सैक्रेटरी और डी. जी. साहब राज चला लेते, हमारे रहने की कोई जरूरत नहीं थी पार्लियामेंट्री रिसर्च करने की। तो कौन गया वहां, किससे सम्पर्क किया, किस-किस से नहीं किया, इस मामले को डिफ्यूजकरने के लिए क्या कोशिश की गई ? कोई कोशिश नहीं की गई। मेरी राय में, मैंने तो पहले भी कहा था अखबारों में और आज भी कहता हूं कि नैतिक जिम्मेदारी सरकार को वहन करके उसको आदर्श कायम करना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डा. चन्द्रभान : मेरा निवेदन है, कृपया रिपीटीशन नहीं करें, कोई नये पाइंट पूछ लीजिए, सवाल पूछ लीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये तो हर बार नये रूप में आते हैं।

डा. चन्द्रभान : क्या ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : हर बार नया रूप है।

डा. चन्द्रभान : बोलने के लिए आये हैं यहां पर, और किसलिए आये हैं ? उपाध्याक्ष महोदय, कुम्हेर जैसी कोई भी घटना घटित होती है तो सत्ता पक्ष के लोग हों,

(डा. चन्द्रभान)

चाहे विरोध पक्ष के लोग हों, इस तरह की घटना की निन्दा करते हैं। कुम्हेर की घटना की भी इस सदन के सभी माननीय सदस्य निन्दा करते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार के स्तर पर और इस सदन को मुख्य रूप से विचार करना चाहिये। जहां तक कुम्हेर की घटना का सवाल है, मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस तरह की घटनाऐ तो समूचे देश में होती हैं और राजस्थान में हुई हैं लेकिन मेरी याददास्त में कमजोर तबके के लोगों की इतनी जानें एक साथ जाने की यह पहली घटना है। और यह अनजाने में नहीं हुई, यह अचानक नहीं हुई। इसके अतीत में इसके बैकग्राउण्ड को यदि देखें तो ढाई महिने से यह घटनाए किसी न किसी रुप में घट रही थी। सरकार की जानकारी में थी, प्रशासन की जानकारी में थी। इससे यह कहा जाय कि सरकार की अदूरदर्शिता और प्रशासन की घोर लापरवाही, क्रिमिनल लेप्सेज के कारण यह घटना घटी है तो गलत ही होगा। इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, यह सबसे बड़ी बात है। जहां तक नैतिकता का सवाल है, यह सरकार जिम्मेदार है, इसमें कोई बहस का मुददा ही नहीं है। लेकिन मुझे यह कहते हुए घोर अफसोस हो रहा है कि जो लोग यहां शासन चला रहे हैं, जब विरोधी पक्ष में बैठते है तो छोटी - छोटी घटनाओं पर सरकार से इस्तीफे की मांग करते है और ये बड़ी - बड़ी घटनाएं कर देते हैं चाहे वह जयपुर का साम्प्रदायिक दंगा हो, चाहे कुम्हेर के जातीय संघर्ष में 17 लोगों की जानें चली जाती हों, यह लोग कहते है कि इस्तीफा मांगने का विरोधी पक्ष का कोरा प्रचार है, कोई अधिकार नहीं है। इस तरह से चीजों को प्रस्तुत किया जाता है कि सरकार इस मामले में पूर्ण रुप से निर्दोष है। गृह मंत्री जी का माननीय का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, आपकी जानकारी में है, 18 मार्च का मोरोली काण्ड, 24 मार्च को यह घटना चितकोर में और फिर 16 मई को बांसरोली में हुई और फिर एक जून से लेकर छह जून तक घटनाएं कुम्हेर में घटती रही कुम्हेर बंद भी रहा। यह तो पांचवी बड़ी घटना है। जो वहां के जन प्रतिनिधि थे उन्होंने शासन को, प्रशासन को समय-समय पर सचेत भी किया और इसके बावजूद भी यह इतनी बड़ी घटना कुम्हेर जैसे कस्बे में घटी जो कहना चाहिए कि भरतपुर जैसे जिला मुख्यालय, जो रेंज मुख्यालय है, उसके बगल में केवल 14 किलोमीटर पर है। अभी माननीय सम्पतरामजी ने कहा कि वहां से तीन किलोमीटर की दूरी पर पंचायत हो रही थी, जिस पंचायत में भाग लेने वाले लोगों पर यह चार्ज है कि उन लोगों के कारण और वहीं लोग इसमें शामिल थे मुक्य रूप से। ऐसी बात नहीं है, शामिल इसमें दूसरे लोग भी थे। उपाध्यक्ष महोदय मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, मैं पत्रकार बन्धुओं से भी निवेदन करना चाहूंगा, यह कोई दो जातियों के बीच का मसला नहीं है, इसमें सब जातियां शामिल थीं। इसमें केवल उस पंचायत में जो लोग थे वे शामिल नहीं थे। बल्कि कुम्हेर में भी बहुत सारे लोग थे जो इस घटना में शामिल थे। यही वजह है

एक माननीय सदस्य : कौन -सी जाति के लोग थे ?

डा. चन्द्रभान : इसमें हर जात - बिरादरी के लोग थे । हो सकता है कि वहां जाट लोगों की संख्या ज्यादा है इसलिए वे ज्यादा संख्या में होंगे लेकिन अन्य लोग भी शामिल थे । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन टोटली वहां पर पेल्यौर था । माननीय गृह मंत्रीजी की जानकारी में यह जरुर होगा कि आपके एस. पी. साहब वहां पर आॅर्डर दे रहे है कि फायर करो और आपके सिपाही ने उनके आदेश को मानने से मना कर दिया । वहां पर पुलिस फोर्स में पहले भी रिजेंटमेंट था, आपके एस. पी. के खिलाफ और आपके एस. पी. की तो वहां यह हालत थी कि यदि वह भाग कर छिपता नहीं तो वह भी वहां खत्म हो जाता । आपकी पुलिस फोर्स ने उसका कहना नहीं माना । आपके एडीसनल एस. पी., आपके डीवाई. एस. पी., आपके ए. डी. एम., आपके एस. डी. एम., किसी ने किसी का कहना नहीं माना, वहा पर यह स्थिति थी । आपको इसकी पूरी जानकारी होगी, आप अपने स्टेटमेंट में यह बात रखेंगे भी ।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यही उठता है, क्योंकि इनके बयान में भी आ जायेगा और अन्य माननीय सदस्यों ने भी यहां पर विस्तार से चर्चा कर दी, कि इस तरह की घटना हो तो उसके लिए कोई रेस्पोन्सिबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए । मेरा यह स्पष्ट कहना है और मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि इस जघन्य काण्ड की मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी इस सरकार की है । माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय गृह मंत्रीजी सहित सरकार को इस नैतिक जिम्मेदारी को उठाते हुए इस्तीफा देना चाहिए और एक उदाहरण और मिसाल कायम करनी चाहिए । इसी के साथ जो आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डी. जी., एस. पी., कलेक्टर, ए. डी. एम., डीवाई. एस. पी., सब इन्सपेक्टर, एडिशनल एस. पी., जो भी, जितने भी अधिकारी जिम्मेदार हैं उन सब लोगों को तो आपको पहले ही निलम्बित कर देना चाहिए था । उन सब लोगों की जगह तो जेल में होनी चाहिए थी जिस जगह दूसरे लोगों को आपने भेजने का काम किया । उपाध्यक्ष महोदय, कहते हैं कि सजा मिलेगी उन लोगों को पर जिन लोगों के खिलाफ इन्होंने मुकदमें बनाये वे सब लोग बेल आउट हो गये हैं, उनमें से एक भी आदमी आज की तारीख में जेल के अन्दर नहीं है । इसकी वास्तविकता यह है कि आपके एस. पी. और आपके अधिकारियों का यह बयान था कि दंगाई लोग तो दंगा मचा कर भाग गये । जब दंगाई लोग भाग गये, किसी ने उनको देखा ही नहीं, किसी ने पहचाना ही नहीं, आपने किसको पकड़ा ? आपके पुलिस के एस. पी. के ये बयानात, तो यह मुकदमा तो वहीं कमजोर हो गया । आपके जिला प्रशासन के जो प्रमुख अधिकारी हैं उनको इसका जिम्मेदार ठहराना चाहिए । मैं तो यह कहना चाहूंगा कि भविष्य के लिए सरकार की ओर से व्यवस्था होनी चाहिए, इस सदन को आज यह फैसला लेना चाहिए कि इस तरह की कोई भी घटना घटती है उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी

(डा. चन्द्रभान)

चाहिए। अंत में फिर इस सरकार से मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ी - बहुत भी नैतिकता है तो इस्तीफा दे दो। आज नहीं कल आपको जाना तो है ही।

(श्री रघुवीरसिंह कौशल, सभापति, उदासीन)

एक माननीय सदस्य : बडे बुझे - बुझे बोल रहे हो, क्या बात है ?

श्री सभापति : श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : सभापति महोदय, कुम्हेर काण्ड में जो घटना हुई है वह निश्चित रूप से निन्दनीय है और इस काण्ड की जितनी भर्त्सना की जाय उतनी कम है। सामाजिक रचना और जो सदियों पुराने दुराग्रह हैं वह इस प्रकार से है कि हरिजनों को, दलितों को हमेशा नीचे दबाये रखते हैं। जब ये हरिजन - दलित लोग इस वातावरण से मुक्त होने का प्रयास करते हैं, केवल प्रयास करने की वे हिम्मत करते हैं तो उनके ऊपर अनेक प्रकार के जुल्म और ज्यादतियां होती रहती हैं। कुम्हेर का जो काण्ड हुआ है वह भी इसी प्रकार के घटनाक्रम की पुनरावृत्ति है। भरतपुर में जिस तरह के घटनाक्रम चले आ रहे थे, पहले होली के दिन, फिर मसारी और शादी का जो काण्ड हुआ था उसमें और बाद में जो कुछ छिटपुट घटनाएं होती रहीं हैं वे हरिजनों और सवर्णों के बीच या जो जातियों के बीच घटनाएं होती रहीं ठीक तरह से उनकी जानकारी नहीं होने की वजह से उन पर पाबंदी नहीं लगाई गई और परिणामस्वरूप कुम्हेर की यह बड़ी घटना हुई। एक तारीख से लेकर सात तारीख तक के बीच में घटनाक्रम हुआ है, इतनी बड़ी घटना केवल एक दिन में नहीं हुई है। आगे सिनेमा में जिस प्रकार का झगड़ा हुआ, पास के सेंसरी गांव में मजदूरी करने लोग जो गये थे उनकी मारपीट की और कुम्हेर में जब वे जाये तो उनके साथ मारपीट की। उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई लेकिन रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद भी जब कुछ नहीं हुआ तो हरिजनों ने वहां जाकर जुलूस निकाला और आक्रोश व्यक्त किया। आखिर यह बात सही है कि हरिजनों के ऊपर जुल्म होते रहें और ज्यादतियां होती रहें, वे अपनी बात को कहने का प्रयास करें और कहीं सुनाई नहीं हो तो उनका आक्रोश व्यक्त करना स्वाभाविक था। उस आक्रोश व्यक्त करने मात्र से ही इस प्रकार से लोगों ने प्रचारित किया और प्रसारित किया और ऐसी - ऐसी झूठी अफवाहें फैलाई गयीं कि पैट्रोल पम्प को तोड़ दिया गया है, दुकानों में तोड़फोड़ की हैं, कुछ महिलाओं के साथ बदतमीजी की है। ये सारी घटनायें झूठी थी और यह अफवाहें फैलाई गयीं। इसमें कुछ जिम्मेदार लोग थे जो इस बात को तूल देते रहे....

श्री सभापति : कृपया शांत रहें।

श्री हीरालाल आर्य : परिणामस्वरुप पास के सेंसरी गांव में और नेंमोर में जलदाय की जो लाइन थी वह काट दी गयी। उसकी भी रिपोर्ट हुई। लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने अपना आक्रोस व्यक्त किया, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। बड़ी पंचायत की मिटिंग हुई लेकिन सम्भवतः दबाव

(श्री हीरालाल आर्य)

में आकर और ठीक अवलोकन नहीं करने से, ध्यान नहीं देने से यह घटना हुई है....

श्री यदुनाथ सिंह : प्रशासन को तो मुख्य मंत्री जी दबा सकते हैं।

श्री हीरालाल आर्य : वे निश्चित रुप से दबा सकते हैं और दबाने का प्रयास किया भी है। प्रशासन की यदि गलती हुई हैं तो निश्चित रुप से हमारे मुख्य मंत्री जी उनको बड़े से बड़ा दण्ड देंगे।

श्री रामकिशन : कब ?

श्री हीरालाल आर्य : जांच रिपोर्ट आने पर। आपके कहने मात्र से कुछ होगा नहीं। आज चाहे जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई हैं, आंध्र में हुई है, चाहें बिहार की घटना हुई है, कहीं पर भी हरिजनों के ऊपर अत्याचार की घटना होती है तो बड़ा हल्ला होता है। विधान सभाओं में और लोक सभा में बड़ा हल्ला किया जाता है लेकिन वास्तविक समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। उन की समस्याओं को समझने का और उनकी पीड़ा को दूर करने का कौन प्रयास करता है ? माननीय मुख्य मन्त्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हरिजनों को पीड़ा को समझ करके, जो घटना हुई उसमें राहत देने का जो प्रयास किया है। निश्चत रूप में हिन्दुस्तान में वह मिसाल है। हरिजनों पर अत्याचारों की जो घटनाएं होती हैं कहीं पर भी इतनी राहत हरिजनों को नहीं दी गई। किसी स्टेट में नहीं दी गई जितनी राजस्थान की सरकार ने वहां पर राहत दी है। मैं स्वयं कुम्हेर होकर आया हूं। मैं जान बूझकर बाद में गया था इस बात की जानकारी लेने के लिए कि आखिर घटना के बाद में कुम्हेर में हमारे हरिजन भाई किस प्रकार का सोच रखते हैं। मेरी हरिजन भाइयों से एक-एक घर जाकर बात हुई है, वे इस बात से सन्तुष्ट थे कि घटनाक्रम के बाद उनको दोनों वक्त का भोजन, उनकी आवास की व्यथस्था····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया आपस में बात नहीं करें। माननीय यदुनाथसिंह जी आपका नम्बर बहुत शीघ्र आ रहा है बोलने के लिए।

श्री हीरालाल आर्य : मृतकों के लिए एक-एक लाख रुपये का मुआवजा, जो जले हैं जिनके साथ मारपीट हुई है, बीमार हैं उनका मुफ्त इलाज, उनको मुआवजा दिया गया, जिनके जानवर मरे हैं उनको भी मुआवजा दिया गया है, रहने के लिए आवास की पाटौर बनाई गई हैं और वहां सुरक्षा की इतनी पर्याप्त व्यवस्था की गई है कि वे लोग सन्तुष्ट हैं इस बात से। मैंने इस बात की भी जानकारी की कि क्या इस घटना से डरकर कोई हरिजन अपना घर या गांव छोड़कर भागा है तो मुझे कोई इस बात की जानकारी नहीं मिली कि जिससे कोई हरिजन घर छोड़कर भगा हो और किसी को पर्याप्त सहायता नहीं मिली हो। इस बात की भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि क्या कोई हरिजन पीड़ित ऐसा है जिसको पर्याप्त सहायता नहीं मिली हो तो हर हरिजन इस बात से बड़ा सन्तुष्ट था कि पहली बार इस सरकार ने हमारी सुनवाई की है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने आई. ए. एस. अधिकारियों की टोली भेजकर वहां पर जिस प्रकार से उन लोगों को राहत

(श्री हीरालाल आर्य)

पहुंचाने की व्यवस्था की है उससे हरिजनों में बड़ा स्वाभिमान जागा है, उनमें विश्वास जागा है उनमें सुरक्षा की भावना पैदा हुई है, लेकिन कुछ लोग इस घटना को राजनैतिक रंग देकर बार-बार इस बात की चर्चा करते हैं कि सरकार को स्तीफा देना चाहिए, सरकार को स्तीफा देना चाहिए । सरकार यूं ही स्तीफा देने वाली नहीं है। सरकार का धर्म है, सरकार का काम है कि वह कमजोर वर्ग के लोगों को सुरक्षा प्रदान करे, उनको राहत दे । पहली बार उनमें सुरक्षा की भावना आई है और आज उनको लगा है कि कोई सरकार ऐसी है जो हमारी सुनती है । इस बात से उन्हें बड़ा सन्तोष है ।

मैं इस बात के लिये जरूर निवेदन करना चाहूंगा, माननीय गृह मन्त्री जी यहां विराज रहे हैं, कि आखिर यह घटना एक दिन में नहीं हुई। आपके वक्त तो कभी भी इस तरह हरिजनों के ऊपर जुल्म हुए थे तो उनको कभी इतनी बड़ी राहत नहीं दी गई थी । आसन जिलेलाव और सांडेराव में क्या हुआ था ? वहां लोगों को क्या सहायता दी गई थी आपके सरकार के द्वारा ? किसी प्रकार की कोई सहायता आज दिन तक नहीं दी गई । केवल राजनैतिक लाभ उठाने के लिए, राजनैतिक सडयन्त्र करके सरकार से इस्तीफा मांगने से काम नहीं चलेगा । आखिर आज आवश्यकता इस बात की है कि जो हरिजन उपेक्षित हैं, पिछड़े हैं वे समाज की मुख्य धारा में किस प्रकार आयें। उनको समाज की मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता हैं। फिर भी यह जो घटना हुई है वह अच्छी नहीं हुई है । आने वाले समय में इस प्रकार की घटना नहीं हो । यह पहली बार है जब इतनी बड़ी घटना होने के बाद न्यायिक जांच के आदेश हुए हैं, सी.बी.आई. से जांच के आदेश हुए हैं। अभी कह रहे थे कि प्रशासन दोषी है, तो प्रशासन दोषी होने पर प्रशासनिक जांच के भी आदेश हुए हैं। मैं भी मानता हूं कि इस मामले में प्रशासन की कहीं कोताही रही है। यह घटना इतने लम्बे समय तक होती रही, यदि प्रशासन ध्यान देता तो कोई मीटिंग नहीं होती। लोग इकट्ठे नहीं होते, नल लाइन को नहीं काटते, हरिजनों पर जुल्म नहीं होते. लेकिन प्रशासन की कोताई हुई है। इस बात का सन्तोष है हरिजनों में कि जो जांच बैठाई है उसमें वास्तविक फैक्ट्स आ रहे हैं और दूध का दूध और पानी का पानी होगा । जिन लोगों ने जुल्म और ज्यादतियां की हैं या करने की कोशिश की है वे बच नहीं पायेंगे। राजनैतिक इच्छा शक्ति के बिना इन लोगों का भला नहीं हो सकता। हमारी सरकार में राजनैतिक इच्छाशक्ति है, इन, लोगों का हित करने की इच्छा है इसलिए जांच बैठा करके जो भी जांच के परिणाम आयेंगे निश्चित रूप से उनको दण्डित किया जायेगा, ऐसी हमारी सरकार की इच्छा है । हरिजनों में जो सुरक्षा की भावना आई है, उनको जो राहत पहुंचाई गई है निश्चित रूप से इसके लिए माननीय मुख्य मन्त्री जी और हमारी सरकार धन्यवाद की पात्र है। जयहिन्द !

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगन्नाथ पहाड़िया ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (कठूमर) : माननीय सभापति जी, आज दुर्भाग्य से ऐसी घटना पर चर्चा कर रहे हैं जो न केवल हमारे राजस्थान के लिए बल्कि समूचे देश के लिए एक तरह से कलंक है। इसीलिए कुम्हेर की इस घटना को मैं एक

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

ही घटना के रूप में नहीं लेता बल्कि इस घटना के पीछे क्या कारसे हैं, उसकी सामाजिक व्यवस्था क्या है, आर्थिक व्यवस्था क्या है, राजनैतिक व्यवस्था क्या है और भूतकाल में ये घटनायें क्यों घटी हैं अब क्यों अब रही हैं और आगे कैसे इनका समाधान होगा उसके ऊपर मैं विचार करता हूं।

सभापति जी, मैं जानता हूं कि जिस वर्ग से मैं आता हूं उसके ऊपर अत्याचार होता है, अनाचार होता हैं इसलिए मेरी एक जिम्मेदारी है उनके मसलों को उठाने की और उनके बारे में कुछ कहने की। लेकिन साथ ही वह वर्ग भी समूचे समाज का एक वर्ग हैं इसलिए हम सारे देश और समाज से अलग होकर नहीं सोच सकते और खास तौर से मेरे जैसे लोग जो इत्तफाक से कई जिम्मेदार पदों पर रह चुके हैं बहुत संक्षिप्त दायरे में रहकर इन बातों को सोच नहीं सकते। फिर भी हर इन्सान एक मनुष्य है, मानव है, जीव है और जब भी कभी कष्ट होता है, परेशानी आती है और वह विचलित होता है तो एक तरह से सोचने को मजबूर होता है। एक तरह से यह अच्छी बात है कि घटना काफी पुरानी हो चुकी है इसलिए तत्काल जो घाव हुए थे, तत्काल जो विचार बने थे ने काफी एक तरह से अब सम्पन्न हो चुके हैं। उस तरह की विचारधारा और उस तरह का चिन्तन मैं समझता हूं कि समाज के किसी वर्ग का अब नहीं रहा है। सौभाग्य की बात है कि उस इलाके में भी वह उत्तेजना किसी वर्ग में नहीं है जो उस समय थी और इसलिए हम उसको अब सामान्य ढंग से सोच सकते हैं।

मैं घटनाक्रम के विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि कई माननीय सदस्य जो मेरे से पहले बोले उन्होंने उसकी चर्चा कर दी लेकिन फिर भी सन्दर्भ के तौर पर एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, सभापति जी, कि घटना की शुरुआत 1 तारीख को होती है जबकि सिनेमा की खिड़की पर कुछ व्यक्तियों का आपस में झगड़ा होता है।

इत्तफाक की बात है कि सिनेमा देखने वाले किसी जाति विशेष के हैं, सिनेमा की टिकट खिड़की वाले किसी जाति विशेष के हैं। दोनों एक ही जाति विशेष के व्यक्ति होते तो स्थिति दूसरी बनती लेकिन मैं सामाजिक बैकग्राउण्ड में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि दोनों ग्रुप अलग-अलग जाति विशेष के थे इसलिए उस घटना ने ऐसा टर्न लिया। एक तारीख को घटना घटी, कुछ आपस में मारपीट हुई और उसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई। अच्छा होता उसी समय तत्काल कोई कार्यवाही पुलिस कर देती तो शायद यह घटनाक्रम आगे नहीं बढ़ता, लेकिन दो तारीख को यह चर्चा होती रही और तीन तारीख को पुनः जब एक वर्ग विशेष, जाति विशेष के लोगों ने देखा कि हमारी सुनवाई नहीं हो हो रही है, उन्होंने कुम्हेर के बाजार में एक जुलूस निकाला। उनका कहना यह है कि जुलूस हमें इसलिए निकालना पड़ा कि कि हमको सुरक्षा की पूरी गारण्टी नहीं थी। हमको लगता था कि हमारे ऊपर फिर हमला होगा इसीलिए हमने जुलूस निकाला। इस बात ने सारे समाज, सारे प्रशासन को आगाह किया था कि माकूल कार्यवाही कर दी जाय जिससे कि आगे

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

कोई घटना नहीं घटे। हो सकता है उस जुलूस के बाद कुछ घटना क्रम ऐसा हो जो कि अशोभनीय हो, अच्छा नहीं लगा हो। या किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ हो। क्योंकि मैं मौके पर नहीं था, मैं सुनी-सुनाई बात आपको अर्ज कर रहा हूं। ऐसा कुछ हुआ हो सकता है लेकिन हमारी जिम्मेदारी थी, हमारी सरकार की, समाज की सब की। एक तारीख को घटना घटी थी, रिपोर्ट हो गई थी, उस समय कार्यवाही नहीं की गई। तीन तारीख को शिड्यूल कास्ट के लोगों की ओर से जुलूस निकाला गया। बाजार में होकर गये, बस के अड्डे पर चले गये। कहते हैं वहां पर कोई दुर्घटना हो गई थी, दुर्व्यवहार हो गया था किसी के साथ, तो इससे बड़ा आघात यह घटना क्या कर सकती थी समाज को और सरकार को? लेकिन उस समय भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। हमने सुना है, तीन तारीख को हो यह सब सुनकर पुलिस की एडीशनल फोर्स भरतपुर भेज दी गई थी। काफी मात्रा में, डेढ़ सौ, दो सौ ढाई सौ, मुझे मालूम नहीं है कितने पुलिस के लोग वहां पहुंच गये थे लेकिन कोई माकूल इन्तजाम नहीं किया गया जिसकी वजह से, सुना है कि, चार तारीख को कुछ लोगों ने, जो कि दूसरे गांव के रहने वाले थे कुम्हेर कस्बे के पानी की सप्लाई को रोक दिया। उत्तेजना बढ़ी और आपस में वातावरण बिगड़ता ही चला गया। सुना है तीन तारीख को और चार तारीख को भी कुछ न कुछ आपस में चर्चा हो रही थी, मीटिंगें हो रही थी और वातावरण बन रहा था उत्तेजना का। हमारी जहां तक जानकारी है, सरकार को पूरी तरह से इस बात की जानकारी मिल चुकी थी। यहां से इंटेलीजेंस की रिपोर्ट भी आ चुकी थी कि अगर माकूल कार्यवाही नहीं की गयी, कोई कार्यवाही ठीक तरह से नहीं की गयी तो बड़ी घटना घट सकती है। इसके इसके बावजूद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। नतीजा निकला कि पांच-छह तारीख को जो कुछ होना था, सो हुआ मैं बहुत लम्बे घटनाक्रम में नहीं जाना चाहता हूं कि सरकार को पूरी बात की जानकारी थी, प्रशासन को पूरी बात की जानकारी थी, बड़े-बड़े अफसर मौके पर वहां पहुंच चुके थे इसके बावजूद भी वह घटना घटी। वह क्यों? देखना पड़ेगा। वह क्यों का जवाब हमारे पास अभी नहीं आ रहा है।

एक तो ऐसा लगता है कि सरकार की लापरवाही, अकर्मण्यता तो थी ही और शायद कुछ अफसरों की मिली भगत भी हो सकती है। अब चूंकि मैं सब अफसरों को नहीं जानता, मैं किसी का नाम भी नहीं जानता, मैं किसी से परिचित भी नहीं हूं इसलिए किसी का नाम लेकर मैं बताना नहीं चाहूंगा। बार-बार किसी एडीशनल एस. पी. का नाम आता है, हो सकता है वे मौके पर हों। वे मौके पर थे या नहीं थे लेकिन यह बात सत्य है कि सरकार को पूरी बात की जानकारी थी तभी तो सरकार के बड़े-बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। इसके बावजूद भी रोकथाम की कोई व्यवस्था नहीं की गयी, इसका मतलब साफ निकलता है कि इस प्रशासन ने ढिलाई की, इस सरकार ने ढिलाई की। यह सरकार इसकी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। मैं मानता हूं कि इस सरकार को कोई न कोई जिम्मेदारी महसूस कर के जो

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

सदन में विपक्ष के नेता ने कहा है और लोगों ने कहा है उस बात को महसूस करना चाहिए था, लेकिन इसके लिये बहुत गम्भीर चिन्तन की आवश्यकता है। वह गम्भीर चिन्तन शायद सरकार अभी नहीं कर रही है। सरकार के मुखिया को इस बात को बहुत गम्भीरता के साथ लेना पड़ेगा। शायद इस बात को इस गम्भीरता के साथ वे नहीं ले रहे हैं कि केवल कुम्हेर की घटना घट गई, इसके पीछे और कोई घटना नहीं घटी थी। क्या इससे पहले मण्डावरी में काण्ड नहीं हुआ था ? क्या मोरोली में काण्ड नहीं हुआ था ? सब घटनायें तो लगातार घट रही थीं। दो-ढाई महीने के अन्तराल में लगातार। खास तौर से भरतपुर जिले में ये घटनायें घटती चली जा रही थीं और आगाह कर रही थीं इस बात के लिए कि सरकार को मुस्तैदी के साथ कदम उठाना चाहिये, लेकिन ऐसा कदम नहीं उठाया गया, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, यह सरकार किसी प्रकार से अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। हो सकता है बहुमत के आधार पर सरकार बनी रहे, इस्तीफे की मांग करने के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया जाय, लेकिन यह सरकार बच सकती है ? समाज छोड़ेगा नहीं। आखिर जिस समाज के बल पर हम यहां पर चुन कर आये हैं उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आज नहीं तो कल रिजल्ट तो सामने आने ही वाला है। अगर ऐसा ही मान कर बैठे हैं, जो होना है होगा ही तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। मैंने एक सन्दर्भ के रूप में इन बातों को निवेदन किया है।

एक बात इस सन्दर्भ में और कहना चाहूंगा, मुझे बताया गया है कि तीन और चार की घटनायें भी घट जाती तो कोई खास बात नहीं होती लेकिन किसी एक अखबार ने खास तौर से उन बातों को बहुत उछाल-उछाल कर और बढ़ा-बढ़ा कर छापा और ऐसी घटनायें छाप दीं जो शायद हुई भी नहीं थीं। हो सकता है हुई भी हों लेकिन अखबार में छपने के बाद तो उन्होंने आग में घी के जैसा काम कर दिया। बहुत तेजी के साथ कुछ चर्चायें छप गयीं कि स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, लोगों को मारा-पीटा गया है, नंगा किया गया है, वगैरह-वगैरह और नतीजा निकाला के वे सब चर्चायें समाज के दिमाग में, सरकार के सामने आ चुकी थीं लेकिन उसकी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इन बातों को भविष्य में जाकर बहुत ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। जब पुलिस मौजूद है, पुलिस को सारी बातों की जानकारी है, प्रशासन के बड़े से बड़े वहां अधिकारी मौजूद हैं तो फिर इन घटनाओं को क्यों नहीं रोका गया ? मैं आशा कर के चलता हूं कि भविष्य में इस प्रकार की घटनायें नहीं घटेंगी इस बात के लिए हमको कुछ न कुछ अभी से इन्तजाम करना पड़ेगा क्योंकि केवल एक तारीख को कुछ हो जाता, तीन तारीख को कुछ हो जाता, चार तारीख को कुछ हो जाता, यहां तक तो बात समझ में आती थी लेकिन पांच को भी कुछ हुआ, 6 को भी कुछ हुआ, सात को भी कुछ हुआ, लगातार होता ही चला गया। पुलिस वहां पर पड़ी हुई है, सरकार और प्रशासन के बड़े अधिकारी वहां पर पड़े हुए हैं फिर भी कुछ होता ही चला जा रहा है इसका मतलब है कि सरकार सो रही थी

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

और जान-बूझकर इन बातों को नजरअंदाज कर रही थी। मैं आशा करके चलता हूं कि भविष्य में इस प्रकार की घटनायें नहीं घटें इस बात का कदम उठाया जायेगा।

अब यह देखना कि है क्या ये घटनायें केवल दो जातियों के बीच में हुई ? ठीक कहा था पूर्व वक्ताओं ने कि केवल दो जातियों का सवाल नहीं है। न तो मरने वालों में केवल दो जाति विशेष के लोग हैं न मारने वालों में। मैं भी मौके पर गया। था और कई गांवों में गया था, वहां पर जो घटनायें घटी हैं, यह बात सही है कि हमारे जाटव भाइयों के साथ मुख्यतः यह घटना घटी लेकिन उनकी चपेट में ही नहीं, आये तो वाल्मीकि भाई भी, कोहली भाई, खटीक भाई भी, रैगर भाई भी। इस तरह से आप देखते हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट के अधिकांश जातियों के लोग वहां रहते हैं, उस चपेट में आ गये। मरने वालों में केवल शिड्यूल कास्ट के लोग थे, यह बात नहीं है, जाटव भाई भी ज्यादा मरे। जाटव भाई ही नहीं मरे लेकिन मैंने सुना है कि एक-आध जाट भाई भी मारा गया। वह कैसे चपेट में आ गया, किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा गया, वह अलग बात है लेकिन सुना है, एक जाट भाई भी मारा गया। इसके मायने क्या हुए ? मरने वाले एक जाति विशेष के नहीं हैं, मारने वाले भी एक जाति विशेष के नहीं हैं, कुछ लोग और उसमें शामिल हैं और इस बात की पुष्टि हो जाती है। मैं जानता हूं श्री यदुनाथसिंहजी जो कह रहे हैं सही बात है कि बंद होने वाले भी कई जातियों के हैं, जाट जात ही नहीं हैं। अभी भी जो बंद हैं वे भी कई जातियों के लोग हैं। इसका मतलब क्या हुआ ? मरने वाले जाटव हैं ज्यादातर। एक जाट है, वह कैसे मरा है, उस सन्दर्भ में नहीं जाना चाहता। किसने मारा है, किस तरह से मरा, क्या परिस्थितियाँ हुईं, लेकिन एक मरा है ऐसा बताया गया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये सब बातें जो हो रहीं थीं, उस सन्दर्भ में हम को जाना पड़ेगा। यह एक बात का मसला नहीं है, सारे समाज का मसला है, इसको समाज की तरह से देखना पड़ेगा। अगर वर्ग का मसला भी हम मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि जाट-जाटव का झगड़ा नहीं है, यह शिड्यूल्ड कास्ट और सवर्ण का मामला है तब भी हम को सोचना पड़ेगा। देश की आजादी के इतने दिन के बाद भी जिस देश में ऐसी घटनायें घटें और जिस के पीछे सारी मूल जड़ बताया जाय छुआछूत, मूल जड़ बतायी जाय सामाजिक व्यवस्था तो क्या, वह समय नहीं आ गया है जबकि हम को सामाजिक व्यवस्था पर विचार करना पड़ेगा ? क्या वह समय नहीं आ गया है जब कि हम को आर्थिक व्यवस्था पर विचार करना पड़ेगा ? जहां तक मैं समझता हूं इस घटनाक्रम की चार-पांच बातों पर ध्यान देना आवश्यक है जो इसकी जड़ में हैं। सबसे पहला, हमारी धार्मिक व्यवस्था, उसके बाद हमारी सामाजिक व्यवस्था और फिर समाज के बाद समाज के हिसाब से, जन्म के हिसाब से पनपी हमारी जाति व्यवस्था, इन सब पर हम को विचार करना पड़ेगा। क्या वह समय नहीं आ गया जबकि सारे सदन को इन बातों पर विचार करना चाहिए ?

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

यही बात नहीं है, इसके साथ हमको हमारी आर्थिक व्यवस्था पर भी विचार करना पड़ेगा । आज भी कुछ लोगों के पास जमीनें हैं और कुछ लोग मजदूरी करके कमा कर खाते हैं, गुलाम की जिन्दगी जीते हैं, इस पर भी विचार करना पड़ेगा, तब तक ये सारी की सारी बातें चलती रहेंगी। इसके साथ-साथ हमको इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा कि हमारी राजनैतिक वोट की प्रणाली क्या है । मुख्यतः आज भी हम गांवों के अन्दर देखते हैं, ऐसी तो शहरों में भी बातें आने लगीं कि वोट का मामला भी, राजनीति का मामला भी काफी हद तक हमारे समाज की व्यवस्था को प्रभावित करता है । लेकिन इस सब में जड़ में क्या है ? जो मैं समझ पाया हूं, वह हमारी अशिक्षा है, हमारा अज्ञान है, हमारा अन्धकारमय जीवन है और इस पर हमको विचार करना पड़ेगा कि इसको हम कब तक बना करके रखेंगे और अन्त में, अन्त में नहीं लेकिन मुख्य कारण है सरकार की अकर्मण्यता और सरकार का फेल्योर । सभापति महोदय, मैंने दो-तीन बातें आपको निवेदन कीं—हमारी धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था, हमारी राजनैतिक और वोट की व्यवस्था, हमारी अशिक्षा और अज्ञान और सबसे बड़ी हमारी सरकार की अकर्मण्यता और उसका फेल्योर । अब हमको करना क्या है इनका हल निकालने के लिए ? यह बात बहुत साफ है, आप लोग सब कहेंगे, इसमें कौन् सी खास बात है कि शिक्षा का प्रचार होना चाहिए । लेकिन जिस तरह की शिक्षा का प्रचार होना चाहिए वह नहीं हो रहा है । हम लोगों को केवल साक्षर बना दें, कुछ लोगों को डिग्रियां दे दें, अगर ये शिक्षा के मायने हैं तो, बुरा मत मानियेगा, बड़े से बड़े शिक्षाविद् हमने पैदा किये हैं, एम. ए. पास होते हैं, पीएच. डी. होते हैं, डॉक्टरेट लेते हैं, एम. फिल. करते हैं इसके बावजूद इन्सान का चिन्तन वहां का वहां रह जाता है ।

(2.42 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन ।)

इसलिए मैंने, अध्यक्ष महोदय, निवेदन किया, कि केवल ऐसी शिक्षा से काम चलने वाला नहीं है। शिक्षा भी हमारी कोई सामाजिक शिक्षा होनी चाहिये । उसमें धर्म का पुट भी होना चाहिये । लेकिन ऐसा धर्म नहीं होना चाहिये जो एक जाति को दूसरी जाति से अलग करता हो, एक वर्ग को दूसरे वर्ग से अलग करता हो, अगर हम उस शिक्षा की ओर ध्यान देंगे कि समाज के अछूत वर्ग को वेद और कुरान पढ़ने का अधिकार भी नहीं हो, सुनने का अधिकार भी नहीं हो, यहीं व्यवस्था आज भी चलती रहेगी तो वह सम्भव नहीं है। नहीं हो रहा है । देश में आजादी के बाद काफी सुधार हुआ है, शिक्षा का काफी प्रसार हुआ है । शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ हमारा ज्ञान बढ़ा है, विज्ञान बढ़ा है और काफी समाज का उत्थान हुआ है लेकिन इस बात को हमको भूल नहीं जाना चाहिये कि इस प्रगति से, इस चेतना से जहां सारे समाज में चेतना आई है, हम उसके साथ-साथ हम शिड्यूल कास्ट्स के जो लोग हैं उनमें भी चेतना आई है, हम भी अपना अधिकार मांगते हैं और चाहते हैं कि जैसी और लोग जिन्दगी जीते हैं उसी प्रकार की जिन्दगी शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग, वे अछूत माने जाने वाले लोग

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

भी जीयें। इस बात को अब नजरन्दाज आप नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कुछ पुराने लोग, बुजुर्ग लोग, अनपढ़ लोग, गांव के रहने वाले लोग और कुछ दिन इस तरह की जिन्दगी जी लें लेकिन जो अब नई पीढ़ी आ रही है, पढ़े-लिखे लोग आ रहे हैं उनको ज्यादा देर तक दबाकर रखना, सम्भव नहीं हो सकेगा। इसलिए मैंने आपको निवेदन किया कि ऐसी शिक्षा का जो हमको सामाजिक चेतना दे सके, हमको प्रचार करना पड़ेगा। केवल अक्षर ज्ञान कराकर, किताबी शिक्षा देकर, कुछ डिग्रियां देकर हम मान लें कि हमारा कर्तव्य पूरा हो गया, उससे पार पड़ने वाली नहीं है। इसलिए मेरा एक तो सुझाव यह है कि शिक्षा का प्रचार हमको सही मायने में करना चाहिये। लेकिन शिक्षा मात्र से भी काम नहीं चलेगा। जब तक कोई दण्ड नहीं दिया जाय अपराधी को तब तक काम चलता नहीं है। वह सबक के तौर पर होना चाहिये, ऐसा होना चाहिये कि जिससे और लोगों को सबक मिले। मैं नहीं कहता कि कौन उसमें अपराधी हैं, वह तो चूंकि जांच आयोग आपने बैठाये हुए हैं। मुख्य मन्त्रीजी इस मामले में बहुत चतुर हैं, बजाय इसके कि हम न्यायिक जांच की मांग करते उन्होंने पहले ही···· (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको अवसर ही नहीं दिया।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : हम जानते हैं। सी. बी. आई. की पहले हम मांग करते, उन्होंने पहले ही मांग कर दी। यह बहुत अच्छा तरीका सरकार ने निकाला है लेकिन ज्यादा···· (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप देखिए, समय बहुत हो गया है इसलिये उनको कनक्लूड करने दीजिए।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : आप मुझे बोलने दीजिये, मैं कभी बोलता नहीं। और कोई बोलता है, कभी मैं नहीं बोलता। मैं वैसे ही नहीं बोलता, बहुत कम बोलता हूँ। मेरा कभी मन बोलने का किया तो मेहरबानी करके सुन लें।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, आप बोलिये।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : अगर आपको मेरे को सुनना पसन्द नहीं है तो माननीय सम्पतरामजी जो गृह मंत्री रहे हैं, आपकी सरकार में रहे हैं, उन्होंने क्या बयान दिया था अभी उसको आपने सुना होगा। क्या सी. बी. आई. के बारे में कहा, क्या जुडीशियल इंक्वायरी के बारे में कहा, क्या गृह मंत्री के तौर पर उनके तजुर्बे रहे हैं उसके बारे में कहा, मेहरबानी करके उसको सुन लिया होता आपने तो शायद मेरे बोलने के बीच में टोकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये सब काम तो तब होने चाहिये जबकि हमारी नीयत साफ हो। हमारी नीयत जब साफ है तो कोई भी कार्यवाही करने से हमको हिचकना क्यों है ? जब मैं कार्यवाही की बात करता हूँ केवल सरकारी कर्मचारियों पर सारा दोष डालना नहीं चाहता। मैंने समाज की बात कही, हम भी उसके दोषी हो सकते हैं, इसलिये मैंने कहा कि अपराधियों को दंड मिलना चाहिये। अपराधी कौन हैं ? हो सकता है, कुछ गुण्डे हों, उनको भी दंड देना चाहिये। और गुण्डे, मैं आपको साफ कहना चाहता हूँ, मैं शिड्यूल्ड कास्ट का हूँ,

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

चाहे शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हों उन्होंने गलतियां की हैं तो उनको भी दंड दीजियेगा लेकिन दूसरी जातियों के जो लोग हैं उनको भी बख्शा नहीं जाना चाहिये। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, समाज की व्यवस्था के आधार पर कुछ लोग बच जायं और कुछ लोग पकड़े जायं, यह बात नहीं होनी चाहिये। जो भी अपराधी हैं, जिन्होंने शुरूआत की, जो भी उसकी जड़ में हैं उनको पूरी सजा मिलनी चाहिये, ऐसी मेरी आशा है। लेकिन केवल उनको ही हम दण्डित करके छोड़ दें और कल को सरकार के कर्मचारी, अफसर जिनकी जिम्मेदारी होती है उनको हम बख्श दें तो यह बात भी मुनासिब नहीं होगी। केवल तबादले इस बात का कोई इलाज नहीं है। हमको देखना पड़ेगा कि कौन अफसर मौजूद थे, किनकी जिम्मेदारी थी, जिन्होंने उस जिम्मेदारी को नहीं निभाया। उसके प्रति पूरी जांच-पड़ताल करें। मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि आप एकदम सजा दे दीजिये सुनी सुनायी बातों पर। जांच-पड़ताल आपने बैठा रखी है, लेकिन जैसा माननीय श्री सम्पतराम जी ने कहा, जांच-पड़ताल का क्या हश्र होता है, उन्होंने गृह मंत्री के तौर पर जो अपने तजुर्बे थे वे बताये हैं आपको, उसको ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। जब सरकार चाहती है कि कार्यवाही हो, जब सरकार चाहती है, कि जो अपराधी हैं अफसर उनको दंड दिया जाय तो सरकार के पास में पूरे अधिकार होते हैं, वह चाहे तो कार्यवाही कर सकती है। और मेरी ऐसी आशा है कि आज के मुख्य मंत्री, जो बहुत संवेदनशील बनते हैं, अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों के प्रति अपने कर्त्तव्य को समझेंगे और जो उनको करना चाहिये उसको करेंगे। इसलिये मैंने आपको कहा कि पहला काम शिक्षा का प्रसार करना है, दूसरा काम अपराधियों को दंड देना है। उसके साथ साथ जोग परेशान हैं, जिनके साथ मारपीट हुई, जो मारे गए हैं, जिनके घर बरबाद हुए हैं, मैं आपको कहता हूँ, उनको मुआवजा देना चाहिये।. एक माननीय सदस्य कह रहे थे, बहुत बड़ा मुआवजा दिया गया है, लाखों रुपये दिये गये हैं। मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि रुपये देने से और उनको माल-ताल देने से, उनको खाना-पीना देने से दस-पांच दिन का, क्या वापस आ जायेंगे आदमी ? जो मर गये वे दुनिया में वापस नहीं आ सकते। कई भाई के बिना बहिनें रह गईं, कई माताएँ अपने पुत्रों के बिना रह गयीं, कई पत्नियां अपने पति के बिना रह गयीं, क्या उन पत्नियों को पति हम दे सकते हैं, क्या उन बहिनों को हम भाई दे सकते हैं, क्या उन माताओं को हम लाल दे सकते हैं ? वह हम नहीं दे पायेंगे। इसलिये मुआवजा देने से ये घाव पूरे नहीं हुआ करते। हमको मनों के घाव भरने हैं, इसलिये सद्भावना पैदा करनी पड़ेगी, वहां जाना पड़ेगा। हमको इकट्ठा होकर जाना पड़े तो जाना चाहिये। मुझे पता है अध्यक्ष महोदय, जिस दिन आप पधारे थे उस दिन मैं भी वहां पर गया था। किस तरह का वातावरण था उत्तेजना किस तरह की थी वह आपसे छिपी हुई नहीं है, हमसे भी छिपी हुई नहीं है। लेकिन उस सब पर तो पानी डालना है, उस सब में तो हमको सद्भाव के साथ में शांति का वातावरण पैदा करना है। इसलिए मुख्यमंत्री जी, जहां मैंने आपको कहा अपने कर्त्तव्य का एक तरह से पालन नहीं

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

किया, आपने किया भी, आप गये दो बार आपने भी कोशिश की लेकिन इस पैंतरे से काम चलने वाला नहीं है। जो लातों के देवता हैं वे बातों से मान जाया करते तो शायद पहले से काम चल जाता, इस सरकार की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, यह दर्द लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसलिये जहां आपने और कदम उठाये हैं, उसके साथ-साथ मैंने कहा, दोनों तरह के अपराधियों को, चाहे सरकार के कर्मचारी अपराधी हों, चाहे समाज के अन्दर कुछ गुण्डे हों, चाहे वे हमारे ही वर्ग के हों उनको पूरी तरह से सजा देनी चाहिये।

तीसरी, मुआवजे की बात मैंने कही। मुआवजा पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। पर्याप्त मात्रा क्या हो ? इसकी मात्रा हम पैसों में तय नहीं कर पायेंगे। मैंने कहा, हम किसी माता को लाल नहीं दे पायेंगे, हम किसी पत्नी को पति नहीं दे पायेंगे, हम किसी बहिन को भाई नहीं दे पायेंगे लेकिन आगे उनकी जिन्दगी ठीक तरह से बसर हो सके इस तरह का इन्तजाम उनके साथ हो सके वही उनका सच्चा मुआवजा होगा। इसके साथ-साथ मैंने आपको निवेदन किया कि केवल शिक्षा का प्रसार, केवल मुआवजा, केवल दंड देने से काम नहीं चलेगा क्योंकि एक सामाजिक समस्या है। यह इसके साथ-साथ धर्म का पुट भी लगा हुआ है इसलिए हमको सामाजिक, आर्थिक सुधार भी करने पड़ेंगे। आर्थिक सुधार की जब मैं बात करता हूँ, माफ करना, भारत की सरकार चाहे वह आज की सरकार है, कल की सरकार है, कल की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, गैर कांग्रेस की सरकार हो, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। अभी भी वैसी इस देश के अन्दर व्यवस्था हैं जबकि बेगारी जैसी व्यवस्था चलती थी। हम मजदूरी करके गुजारा करते हैं लेकिन जो मजदूरी चाहते हैं, हमको नहीं मिलती। कई बार ऐसा होता है कि मजबूर होकर के जितनी मिलती है उसी में हमको जाना पड़ता है। यह समूची व्यवस्था है जिसमें विस्तार के साथ हमको जाना पड़ेगा। तो हमको सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की ओर सोचना पड़ेगा।

इसके साथ-साथ मेरा चौथा सुझाव है कि राजनैतिक और वोट की व्यवस्था में भी हमको सुधार करना पड़ेगा क्योंकि इसके पीछे कई बार वोट भी होता है। हम क्यों खड़े हो जाते हैं अलग-अलग जातियों के नेता बन करके ? अपनी जातियों के पीछे क्यों खड़े हो जाते हैं ? क्योंकि उन जातियों के वोट की उम्मीद करके हम चलते हैं। हो सकता है उन जातियों के वोट नहीं मिलते हों और कई बार ऐसा भी हो जाता है, जैसे लोहे से लोहा कट जाता है, एक ही जाति के कई-कई लोग खड़े हो जाते हैं तो जातियों के वोट बंट भी जाते हैं। लेकिन हमको आशा रहती है कि हम जातियों की अगुवाई करेंगे तो जाति के वोट हमको मिल जायेंगे इस प्रकार की राजनैतिक व्यवस्था पार्टियों में चल रही है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, कि हमको जहां शिक्षा का प्रसार करना है, लोगों को दंड देना है, राजनैतिक और आर्थिक सुधार करने हैं, उसके साथ-साथ वोट की व्यवस्था भी ऐसी हमको करनी पड़ेगी जिससे कि जाति के आधार

(69)

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

पर जो वोट पड़ना शुरू हो गया है, धर्म के आधार पर जो वोट पड़ना शुरू हो गया है, समाज और व्यवस्था के आधार पर जो वोट पड़ना शुरू हो गया है और उसको सभी राजनैतिक पार्टियां बढ़ावा दे रही हैं उस पर हमको विचार करके कोई सुधार करना पड़ेगा ।

केवल इससे भी काम चलने वाला नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पर निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस सदन के अध्यक्ष हैं, आप एक समाज सुधारक हैं, आपको लीड लेनी पड़ेगी । सारी राजनैतिक पार्टियों को इकट्ठा करके न केवल कुम्हेर के अन्दर, न केवल भरतपुर जिले के अन्दर, बल्कि सारे राजस्थान के अन्दर ऐसा वातावरण बनायें जिससे कि राजनैतिक पार्टियां कम से कम ऐसे मामलों में तो पार्टी से ऊपर उठ जाया करें । आज भी हम देख रहे हैं, सदन के कुछ लोग उधर से बोल रहे हैं कुछ इधर से बोल रहे हैं, उसी ऐंगल से बोल रहे हैं । यह क्या मतलब हुआ ? मुख्य मन्त्रीजी ने बहुत अच्छा काम किया, आप उसकी तारीफ कर रहे हो, उससे अच्छी तो हम तारीफ कर सकते हैं कर रहे हैं । वे गये वहां पर, अच्छा काम उन्होंने किया लेकिन उनके जाने मात्र से काम नहीं चलेगा, लगातार हमको जाना पड़ेगा, लगातार हमको शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, लगातार हमको अपराधियों को दंड देना पड़ेगा तब कहीं जाकर यह सारी की सारी व्यवस्था बैठेगी । मैं आपका बहुत समय लेना नहीं चाहता । मैंने आपको निवेदन किया कि इसकी जड़ में क्या है, वह भी आपको निवेदन किया कि कैसे सुधार किया जाना चाहिए और मैंने आपको यह भी निवेदन किया कि यह किसी जाति विशेष का मामला नहीं, इधर से या उधर से या किसी व्यक्ति विशेष का भी मामला नहीं, किसी इलाके विशेष का भी मामला नहीं, सारे देश के अन्दर इस तरह की घटनाएँ घट रही हैं । उन घटनाओं के पहले भी घटनाएँ घटीं जो पूरी तरह से उनको आगाह कर चुकी थीं । इसलिए मेरी प्रार्थना है, मुख्य मन्त्रीजी विराजमान हैं, उन्होंने हमारी बात को सुना है, गम्भीरता से उस पर विचार करेंगे । सदन के विपक्ष के नेता ने जो कुछ कहा, और लोगों ने भी जो कुछ कहा, खास तौर से हमारे सम्पतरामजी ने कहा उस पर जरूर विचार करेंगे । मुझे ऐसी आशा है भविष्य में ऐसी घटनाएँ नहीं घटें, ऐसी कार्यवाही करने की हम कोशिश करेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद ! देखिए, अब तीन घण्टे इस बहस को हो गए और 14 आदमियों के नाम मेरे पास और लिखे हैं । मैं समझता हूँ, आपका बिजनेस भी अभी और बाकी पड़ा है तो अब मैं इसलिए सब लोगों को तो नहीं बुला पाऊँगा । तो आप····

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, बड़ा सेन्सिटिव मामला है और प्रथम दिन है, चाहे हमको देर तक बैठना पड़े, हम निश्चित रूप से देर तक बैठेंगे लेकिन मैं आपसे निवेदन करूँगा कि····

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, ऐसी

(श्री रामकिशन)

शान्तिपूर्ण बहस आज दिन तक कभी हुई है क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हमारे दल की तरफ से जिन लोगों की लिस्ट है और अन्य लोग जो बोलना चाहते हैं, आप कृपया अवसर दीजिए। शान्तिपूर्वक अपनी बात सब लोग कह रहे हैं ···

श्री अध्यक्ष : आपने मेरी बात तो पूरी होने नहीं दी। मैं यही कह रहा था कि प्रमुख पाइण्ट्स लगभग आ चुके हैं, अब उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, 14 आदमी यदि बोलना चाहते हैं तो 5 मिनट से ज्यादा कोई नहीं ले और नयी बात कहे जो बात अब तक डिबेट में नहीं आई है। तब तो सबको एकोमोडेट करने में एक घण्टे का समय और दे सकता हूँ और यदि आपने 5 मिनट से अधिक समय लेने की कोशिश की तो फिर गड़बड़ होगी। देखिए आप अभी तो जोश में कह रहे हैं कि हम बैठे रहेंगे···।

श्री निर्भयलाल जाटव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, राजस्थान का सबसे बड़ा कांड हुआ है, इसमें आप 5 मिनट का समय देते हो तो मतलब बढ़ाना चाहते हो इस कांड को।

श्री अध्यक्ष : यह विधान सभा है। विधान सभा में कम में कम समय में अधिक से अधिक बात कहने वाला कामयाब होता है। यह पब्लिक मीटिंग नहीं है, यह विधान सभा है इसलिए इसमें आप पाइण्ट्स दीजिए ···(व्यवधान) आप बैठिए न तो। आपने मेरी बात को···

श्री निर्भयलाल जाटव : अध्यक्ष महोदय, आपका आदेश शिरोधार्य है। इस महत्वपूर्ण कांड पर भी आप एक घण्टे की पाबन्दी लगा रहे हो ···

श्री अध्यक्ष : समय की पाबन्दी तो देखिए सब पर है। मुझे पता है, अभी कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि हम 5 बजे बाद नहीं बैठेंगे और प्रद्युम्नसिंहजी कह रहे हैं रात तक बैठेंगे। रात तक बैठेंगे तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। आप 12 बजे तक बैठिये, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। देखिये, समय की कुछ तो आप पाबंदी करेंगे। वापस वही बात होगी, दुहराने से कोई मतलब नहीं है इसलिए मैं 5 मिनट का समय देता हूँ। आपके जो 14 आदमी हैं, मैं उनके नाम बुला रहा हूँ, आप 5 मिनट में बोलेंगे। श्रीमती रमा पायलट। (अनुपस्थित) श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री ईश्वरलाल सैनी : रमा पायलट जी की जगह मैं बोल लेता हूँ। एक कांग्रेस की नहीं है न तो मैं बोल लेता हूँ इधर से।

श्री अध्यक्ष : आपका लिस्ट में नाम है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : रमा पायलट जी नहीं हैं तो मैं उनकी जगह बोल लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था से चलने दीजिए आपका नम्बर आ जायेगा।

श्री हेतराम बेनीवाल (सांगरिया) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है मैंने

(श्री हेतराम बेनीवाल)

आज के कुम्हेर कांड पर स्थगन प्रस्ताव रखा था....

श्री अध्यक्ष : इसीलिए तो आपका नाम लिया है।

श्री हेतराम बेनीवाल : और आपने जो यह समय सीमा दी है 5 मिनट की, मैं यह समझता हूँ कि इस बोलने पर जो आपने पाबंदी लगायी है....

श्री अध्यक्ष : अब आप इस पर बोलेंगे तो आपका टाइम चला जायेगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं इसी पर बोलूंगा पहले। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस घटना से राजस्थान नहीं, हमारे देश की सारी राजनीतिक पार्टियां, सारे नेता और प्रमुखतः जो भी देश के लोग हैं, वे प्रभावित हुए हैं, उस घटना पर चर्चा करते वक्त यह जो अंत में आपके मस्तिष्क में आ गयी कि इसको किसी तरह निपटा दिया जायें, मैं समझता हूँ कि निपट तो वैसे ही इसलिए गयी कि मुख्य मन्त्री जी को बहुत मौका मिल गया। असेम्बली बहुत वक्त के बाद हो रही है इसलिए अपने आप ही यह घटना इस तरह की हो गई। राजस्थान की जो मौजूदा सरकार है उसमें इस तरह की यह दूसरी घटना है। इससे पहले जातिगत संघर्ष की एक बहुत ही शर्मनाक घटना मण्डावरी में हो गयी थी और राजस्थान सरकार का जो प्रशासन है उसका रवैया बिल्कुल वही था जो इस कुम्हेर कांड में था। इसी तरह से कंजर इकट्ठा हुए, उनके खिलाफ चोरी का इल्जाम लगाया और चोरी के इल्जाम में उन कंजरों को घेरने के लिए सवर्ण जाति के लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई। पुलिस ने उनके हथियार छीन लिये और भीड़ में उनको मार दिया गया। बिल्कुल ऐसी की ऐसी घटना। यह घटना इसलिए और भी शर्मनाक है कि यह चार दिन तक हुई, एक दिन में नहीं हुई। अगर एक दिन में कोई शर्मनाक घटना हो जाये जातियों के संघर्ष में, तो समझ में आता है। चार दिन तक घटना हुई, एक तारीख से लेकर 6 तारीख तक लगातार इस घटना की प्रवृत्ति हुई। 6 तारीख के बाद जब सारा प्रशासन वहां पहुँच गया, पूरी तरह से मशीनरी पहुँच गयी, माननीय गृह मंत्रीजी पहुँच गये तब उनकी हाजिरी में वहां तीन और लोग मारे गये। उनकी उपस्थिति में, वे उपस्थित रहे और तीन आदमी और मारे जायें उसी तरह के जातिगत संघर्ष में, उसी अनुसूचित जाति के, और राजस्थान सरकार यह समझती हो कि उसका कोई प्रशासन था तो यह निश्चित तौर पर उसकी भूल है।

अध्यक्ष महोदय एक तारीख को घटना होती है, इस पूरी लड़ाई की, पूरे संघर्ष की पृष्ठभूमि वह बताती है। एक तारीख की घटना के बारे में अलग-अलग दर्शन हैं। कुछ लोग कहते हैं सिनेमा की टिकट नहीं ली, कुछ लोग कहते हैं सिनेमा में जबरदस्ती घुस गये। जो जाटव हैं उनका यह कहना है कि सिनेमा में जब हम गये टिकट लेकर तो उस सिनेमा के अन्दर नीचे बैठने की व्यवस्था भी है। जिनको सीट नहीं मिलती वे नीचे बैठते हैं। कुछ जो टिकट देने वाले थे और जो गेट कीपर्स थे, उन लोगों ने इंगित करके उन तीन हरिजनों को जबरदस्ती कुर्सियों से उतार कर नीचे बिठाया कि आप कुर्सी पर कैसे बैठे हो जब दूसरे लोग खड़े हैं। यही सबसे बड़ी जड़ थी उस लड़ाई की। जो वातावरण

(श्री हेतराम बेनीवाल)

बना, उस थियेटर पर गड़बड़ी हुई, वहां पत्थर फैंके, सब कुछ हुआ, हल्ला हो गया। उस हल्ले के अन्दर वे जो 3–4 हरिजन थे, जिन लोगों ने इसका विरोध किया था, उनको तीन तारीख को एक गांव के अन्दर पकड़ लिया गया और यह कहकर पकड़ लिया गया कि वे ही हरिजन हैं। क्योंकि जो थियेटर है वह जाट का है····

अनेक माननीय सदस्य : सुनार का है।

श्री हेतराम बेनीवाल : जो गेटकी पर थे उन्हीं ने उनको पहचान लिया, यह हमको समझ में नहीं आया। पेंगोर गांव में उन तीन लोगों को मजदूरी करते पहचान लिया, यह उनका कहना है। मजदूरी करते हुए पहचान करके उनको पीटा, पीटकर लाये और उसके बाद भी पिटाई हुई। जो जाटव थाने के अन्दर पर्चा देने के लिए गये थे पुलिस ने उनको भगा दिया। दो दिन की घटना के बाद पुलिस इस तरह से भगा दे, 7 हजार की आबादी जाटवों की है उस मौहल्ले में और वहां जाटों के घर कोई नहीं, स्थिति यह है। जाटों के 5–6 घर हैं, 50–60 की आबादी होगी। उस 7 हजार की आबादी में उन्होंने एक ही बात की, वे 50 गये गांव में और 210 गांव में घूमे चारों तरफ और घूम कर पेंगोर गांव में उन्होंने जलसा किया। मुझे समझ में नहीं आता कि यह प्रशासन क्या कर रहा था कि 10 हजार लोग एक गांव में इकट्ठा हो जायें। 10 हजार लोगों को इकट्ठा करने के लिए लाउडस्पीकर लेकर गये, गांवों में सूचना दी, ट्रैक्टरों से गये, ट्रालियों से गये और 10 हजार इकट्ठा हुए। उनके इकट्ठा होने से पहले पुलिस ने पूरे मौहल्ले की तलाशी ले ली। 7 हजार की आबादी, वहां जो जाटवों का मौहल्ला है, यह मैं मानता हूँ कि उन्होंने आत्मरक्षा के लिए हथियार लिये। जिस तरह से कंजरों के पास बंदूकें निकलीं, या लाठियां निकलीं, बिल्कुल सही है कि इन जाटवों के पास भी कुछ हथियार होंगे, कोई चीज होगी। जिस पुलिस के एस. पी. ने, जिस पुलिस के अधिकारी ने सारे जाटवों से हथियार छीने, हथियार ले लिये, घरों से हथियार निकाल लिये, उनको यह भी ध्यान रखना चाहिए था कि दूसरी तरफ तो भीड़ इकट्ठा हो रही है, उनके भी हथियार लेकर उनको रोकती। मुझे समझ में नहीं आया। एक तरफ तो हथियार ले लिये और दूसरी तरफ डेढ़ सौ आदमियों को वहां गिरफ्तार कर लिया, डेढ़ सौ लोगों को थाने ले गये। जो नौजवान लड़के थे, जो बोलते थे, उनको थाने में ले गये, उनको बिठा लिया और पीछे से 10 हजार की जो भीड़ है उसने ट्रालियों और ट्रैक्टरों पर नारे लगाते हुए कम से कम 7–8 किलोमीटर का रास्ता तय किया और 7–8 किलोमीटर का रास्ता तय करके उस मौहल्ले में गये ऐसी संकडी गली से कि कोई भाग नहीं सके। अध्यक्षजी, उसके

(3.00 म. प.)

बाद कोई इन्सान नाम का आदमी बाहर नहीं था, ऐसा लगता था कि कुम्हेर में कोई इन्सान ही नहीं था। छोटे-छोटे बच्चों को, 5–5 साल की लड़कियों को, 40–40, 50–50, 60–60 साल की औरतों को इस तरह से जला दिया जैसे भुट्टों को भूनते हैं। जानवर, आदमी और उसका सामान एक साथ एक ही जगह मकान में भून दिया और सारों को जला कर राख कर दिया। पता नहीं पुलिस कहां

73

(श्री हेतराम बेनीवाल)

थी, प्रशासन क्या कर रहा था और इतनी देर तक 4–6 घण्टे तक कैसे उनको छूट दे दी ? यह घटना हुई, 14 आदमी मारे गये, 14 वहां पर नर कंकाल मिले, हड्डियां मिलीं। उसके बाद उस दिन शाम को जयपुर पता लग गया, जयपुर से फोर्स गयी। आई. जी., पुलिस खुद गये जयपुर से, होम मिनिस्टर साहब भी गये और 250–300 जवान गये। मेरे समझ में नहीं आता कि वे क्या कर रहे थे। यह जो 250–300 कहते हैं कि फोर्स थी किस तरह की उनके अन्दर चेतना थी कि दूसरे दिन भी 7 तारीख को उसी बाजार में 2 बजे तीन जाटव और सीधे तलवार से मार दिये ? मार नहीं दिये गये उसके बाद तो हजारों आदमी वहां से सामान छोड़ कर भाग गये। सात हजार में से लगभग 5–6 हजार आदमी गांव छोड़-छोड़ कर भाग गये, जैसा था वैसे ही। ऐसी घटना हुई और हमारा प्रशासन बैठा रहा। मुझे एक बात कहनी है माननीय मुख्य मन्त्रीजी से। मुख्य मन्त्रीजी, हमने आपसे मुण्डावरी में कहा था कि थानेदार का सिर्फ ट्रान्सफर करना, थानेदार को सिर्फ चेतावनी देना पर्याप्त नहीं है। अगर आपने उस दिन उस थानेदार को और उस डी. एस. पी. को डिस्मिस किया होता तो निश्चित तौर पर दूसरी घटना कभी हो नहीं सकती थी। डिस्मिस नहीं किया, आपने चेतावनी देकर छोड़ दिया। वही, उसी रूप में, वहां के लोग, उसी जाति के मैं नहीं कहता कि उस वजह से हो गया पर यह सही है कि सवर्ण जाति के लोगों के दिमाग में यह प्रचार-था कि जाटव सिर उठा रहे हैं, जाटवों ने बेइज्जती कर दी। यह प्रचार हुआ, कि जाटवों ने एक औरत को काट दिया, उसके स्तन काट दिये। जब वे बन्द करवाने गये रोडवेज की बस और बाजार बन्द करवाने गये तो वहां एक औरत को बेइज्जत कर दिया, सरे आम उसको नंगा कर दिया, उसके स्तन काट दिये और उसकी बेइज्जती की। यह प्रचार धुआंधार हुआ और सारे अफसरों में हुआ, सारी सवर्ण जाति में हुआ। उस प्रचार का किसी भी अधिकारी ने कोई खण्डन नहीं किया, किसी भी अधिकारी ने जाकर यह नहीं कहा कि यह बात गलत है। क्योंकि जो औरत थी जिसके लिये कहते हैं कि स्तन काट दिया वह कहीं नहीं मिली। वह कहां चली गयी, किस अस्पताल में रही, क्या हुआ इसका कोई पता नहीं। उसके बाद खुद डी. आई. जी. मानता हैं कि यह बिल्कुल गलत स्टोरी थी। इस गलत स्टोरी को प्रचारित करके उद्वेलित किया गया, जाटों को और जाटों का जुलूस निकाला गया।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

हमारा प्रशासन किस रूप में वहां सोया हुआ था कि इतनी बड़ी घटना वहां हो गयी। माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं सम्पतरामजी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हिन्दुस्तान की सी. बी. आई. कुछ भी नहीं। आज हिन्दुस्तान की सी. बी. आई. पर किसी का विश्वास नहीं है। इस देश के अन्दर हमने देखा है बहुत बड़े-बड़े काण्ड इस देश में हुए, उनमें सी. बी. आई. का रोल बड़े लोगों के साथ रहा है। इसलिये सी. बी. आई. पर किसी प्रकार का····

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री यदुनाथसिंह।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं निवेदन कर रहा हूं। मेरा दूसरा निवेदन यह है कि आप इन्क्वायरी करा रहे हैं। जुडीशियल इन्क्वायरी राजस्थान में जितनी हुई हैं उनका इतिहास उठा लें, उनमें क्या हुआ। पहली बात तो किसी की हिम्मत क्या है कि जाटव जाकर खड़ा होकर कुम्हेर में ···

श्री अध्यक्ष : अब आप ऐसी बात कर रहे हैं। या तो कोई बतावे कि दूसरी इन्क्वायरी कैसे करनी है।

श्री हेतराम बेनीवाल : उनको सजा दी जाय, यही है।

श्री अध्यक्ष : सी. बी. आई. बेकार, जुडीशियल इन्क्वायरी बेकार····

श्री हेतराम बेनीवाल : आज हाउस के अन्दर वे मुख्य मन्त्रीजी बैठे हैं राजस्थान की सरकार के और हमारे हाउस के नेता, वे यह एलान करें कि जिन अधिकारियों का दोष था, जो मौजूद मौके पर थे उनको सस्पेण्ड किया जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आज इस हाउस में यह एलान हो। यही एक सन्तुष्टि है नहीं तो साल भर इन्क्वायरी। और इन्क्वायरी क्या होगी ?

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बिराजिये । श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, कुम्हेर में जो घटना घटी वह बड़ी शर्मनाक और दर्दनाक घटना थी। मैं लम्बी बात न कह कर संक्षेप में इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार इस घटना के कलंक से बच नहीं सकती और न उसे बचने दिया जायेगा। ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है मैं तथ्यों पर बात कहूंगा। एक तारीख को सिनेमा हाल पर घटना होती है, मारपीट होती है, एफ. आई. आर. लाज होती है, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं। दो तारीख को छिटपुट घटनाएँ होती हैं। सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं। तीन तारीख को पेंगोर में जो वाटर वर्क्स स्कीम पर जाकर काम करते हैं उनकी पिटाई होती है उस पर कोई कार्यवाही नहीं। तीन तारीख को शाम को कुम्हेर में ताण्डव होता है, वहाँ बाजार में लूट-पाट होती है, प्रचारित किया जाता है कि वहाँ औरतों को नंगा किया गया, बेइज्जती की गयी। मैं घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, कहा जाता है कि औरतों को नंगा किया। मैं मानता हूँ कि यह असत्य बात भी हो तो भी प्रशासन को प्रचार-प्रसार करना चाहिये था अगले दिन कि यह सब गलत बात है, लोगों में आक्रोश को कम किया जाता। तीन तारीख को जिन लोगों ने कुम्हेर में ताण्डव किया उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं। चार तारीख भी निकल गयी। चीफ सेक्रेटरी साहब का दौरा होता है। कुम्हेर की घटना महत्वपूर्ण नहीं है, चीफ सेक्रेटरी साहब की चमचागीरी में पूरा प्रशासन लग जाता है। धौलपुर तक उनके पीछे सब लोग जाते हैं, कुम्हेर की तरफ किसी का ध्यान नहीं। आप जानते हैं किस प्रकार की सेक्रेटरीज की चमचा-गीरी होती है। कोई कार्यवाही नहीं। पांच

(श्री यदुनाथ सिंह)

तारीख को मैं भरतपुर गया, बहुत से लोगों से बात हुई, उससे नतीजा यह निकला कि यहां बहुत लोगों में आक्रोश है, कोई अप्रिय घटना घट सकती है। बात करने की प्रशासन से कोशिश की, ढंग से बात करने को तैयार नहीं। लोगों से कहा, भई, सरकार से बात करेंगे, गृह मन्त्रीजी से बात करेंगे, मुख्य मंत्रीजी से बात करेंगे, आप लोग कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे यहां तनाव और जो मोरोली में काण्ड हुआ इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति हो। लोगों ने कहा कि हमें गृह मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी की बात का भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। क्योंकि मोरोली काण्ड में जब दो बार डेपुटेशन आये तब उनको बार-बार यही कहा गया कि मोरोली काण्ड के लिये जो जिम्मेदार हैं उनको पकड़ा जायेगा, उनको गिरफ्तार किया जायेगा। आज दिन तक उनको पकड़ा नहीं गया। लोगों ने कहा कि हमको सरकार की बात पर, मुख्य मंत्रीजी की बात पर, गृह मंत्रीजी की बात पर भरोसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, 6 तारीख को मैं अरुणसिंह को लेकर एस. पी. आफिस में, वहां आई. जी. भी बैठे हुए थे गया और कहा कि आई. जी. साहब, बहुत तनाव हो रहा है, लोगों में बड़ा आक्रोश है; पंचायतें हो रही हैं। इसको रोकने की आपको कोई व्यवस्था करनी चाहिये। उन्होंने एक जाति विशेष के लिये कुछ गंदी भाषा का प्रयोग किया कि मैं उसमें नहीं जाना चाहता, तनाव में आदमी कुछ कह सकता है। हमने कहा हमें बतायें कि किस टाइम पंचायत हो रही है। विश्वेन्द्रसिंह को फोन किया, हमको भी वहां बुलाया। वहां बैठे रहे करीब दो घंटे तक। एस. पी., कुम्हेरगढ़ के डी. आई. जी. हमको यह नहीं बता सके कि पंचायत कहां है, कितने बजे वहां जायें। किसी को मालूम नहीं। ढाई बजे करीब डी. आई. जी सर्किट हाउस आते हैं कि मारे गये साहब, वहां बहुत बुरी घटना हो गयी। पंचायत की सूचना करने वाले थे, हम लोग तैयार बैठे थे कि हम लोग वहां जायेंगे, कुम्हेर जायेंगे, इस प्रकार की सारी कोताही, अनदेखी, नासमझी, बचपना, किन शब्दों का प्रयोग करूं, वहां के प्रशासन का रहा। वहां के एस. पी. और डी. आई. जी. में बोलचाल नहीं, बहुत लम्बे समय से बोलचाल नहीं है। वहां के एस. पी. की हालत यह है, फोर्स इतनी होस्टाइल है उनसे कि एस. पी. के आदेश मानने को फोर्स का कोई सिपाही तैयार नहीं। एस. पी. रोज कलम से सस्पेण्ड और टर्मिनेट करने की कार्यवाही करते थे। एस. पी. के टोटल होस्टाइल वहां की फोर्स थी। कोई सुनने को तैयार नहीं था उनकी बात, कई बार यह स्थिति आयी। फोर्स की स्थिति बताता हूँ कि जिसके कमाण्डर की यह स्थिति हो वह किस प्रकार से सम्भाल सकता है। एक कांस्टेबल एस. पी. आफिस में जाकर एस. पी. को मां-बहन की गाली देता है, और बाहर आ जाता है। जिस फोर्स की यह स्थिति हो गयी हो उस फोर्स से इस प्रकार की घटना को रोक पाना सम्भव नहीं था। स्थिति तो यह थी कि पेंगोर में पंचायत हो रही है और डिवीजनल कमिशनर और एस. पी. कार में बैठकर जाने की तैयारी कर रहे हैं कि चलो,

(श्री यदुनाथ सिंह)

कुम्हेर चलते हैं। पटवारी ने स्लिप दी कि मत जाओ, तब एस. पी. साहब और डिवीजनल कमिश्नर कार से उतरे। आई. जी. ने कुम्हेर जाने की जरूरत महसूस नहीं की। बाजार बंद है, सब कुछ घटना हो रही है तो …

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लीपापोती करो, सी. बी. आई. की जांच बैठाओ, इन्क्वायरी कमीशन बैठाओ। वह जोधपुर में बैठा है, नोटिस निकाले जा रहे हैं। अब जोधपुर जाओ जिसको कुछ कहना है। जोधपुर जायेंगे भरतपुर के लोग ? वहां जाकर के अपनी बात कहेंगे ? यह सम्भव है क्या ? मजाक है, मखौल है, जुडीशियल इन्क्वायरी का।

अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूँ कि इसके सामाजिक कारण हैं लेकिन हमें उन कारणों में भी जाना होगा कि ऐसे क्या हालात और कारण भरतपुर में पैदा हो गये कि सारी जाति जाटव को आइसोलेशन में जाना पड़ा। इस काण्ड में आप देखेंगे, कोली इस काण्ड में बन्द हुए। तमाम जातियों पर यह नहीं है। यह कहना कि सवर्ण और उनका झगड़ा है, सही नहीं है। फिर छोटी जातियों के लोग भी इस संगत में, इस दरदंगी में क्यों शामिल हो गये ? इस पर हम को पुनर्विचार की आवश्यकता होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो सवर्ण हैं उनको समझना चाहिए। सोचना चाहिए और अपने लोगों को समझाना चाहिए कि प्रजातंत्र में इनको बराबरी का दर्जा देना पड़ेगा और दूसरी तरफ जो पिछड़ी हुई जातियाँ हैं अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको भी यह सोचना होगा कि हम हड़बड़ी से, कनफ्रण्टेशन से, लड़ाई-झगड़े से, टकराव से इस स्थिति को नहीं लें। धीरे-धीरे एक-दूसरे को प्यार मोहब्बत से, सहयोग से हम इन पिछड़े लोगों को उनके अधिकार देने का प्रयास करेंगे तो इस तरह की परेशानी नहीं होगी। निश्चित सरकार बच नहीं सकती है प्रशासन ने जो गलतियाँ की हैं उससे, जिसके कारण

[समय-समाप्ति-सूचक घंटी]

यह घटना घटी है। आप इस्तीफा दो, नहीं दो। कहने से कौन देता है ? न हमारे पास बहुमत है। बहुमत होता तो आप वहां क्यों होते ? इसलिए, अध्यक्ष महोदय, जिन अधिकारियों के कारण इतना बड़ा काण्ड हुआ और आज भी समाज में तनाव बना हुआ है उन कारणों में जाना होगा, उन्हें दण्डित करना होगा और जो शरारती तत्व हैं, बदमाश तत्व हैं, जिन पर समाज में नजर पड़ रही हैं कि उनसे नुकसान होने वाला है, उन पर कड़ाई से अंकुश लगाना होगा।

किससे छिपा हुआ है, अध्यक्ष महोदय, कि कुम्हेर, भरतपुर और बयाना में हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है ? मुख्य मंत्रीजी नहीं जानते हों तो मना कर दें, गृह मंत्रीजी मना कर दें या डी. जी. साहब बैठे हैं वे नहीं जानते हों तो मना कर दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं माननीय नदबई से आने वाले माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूँ कि बयाना में किस के पास है ।

श्री अध्यक्ष : आप बहस मत करिये । आप बैठ जाइये ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस तरह का आरोप आप गलत लगा रहे हैं । सदन को गुमराह कर रहे हैं । बयाना में नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये । आपको नहीं कह रहे हैं । आपके पास हथियार की बात नहीं कह रहे हैं ।

श्री यदुनाथ सिंह : मैंने किसी का नाम नहीं लिया । हां, सबको मालूम है । फिर से इस प्रकार की घटना हो सकती है इसलिए इस तरह का जखीरा इकट्ठा नहीं होना चाहिए । लोगों में असंतोष पैदा नहीं होना चाहिए, किसी में भी नहीं । इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत सिंह ।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : अध्यक्ष महोदय, जिस दिन माननीय मुख्य मंत्रीजी भरतपुर में आये थे मेरी आशंका यह थी कि कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्त्ता मुख्य मंत्रीजी के सामने बहुत तगड़ा आक्रोश जतायेंगे और काले झण्डे दिखाने की नौबत आ सकती है । मैं समझता हूँ कि वे सारी चीजें माननीय मुख्य मंत्रीजी के सामने आयेंगी । उनकी मीटिंग के बाद मैं पूर्व सांसद विश्वेन्द्रसिंह के पास बैठा था । शाम को टेलीफोन कर रहे हैं, जिन्होंने कांग्रेस के टिकिट पर विधान सभा का चुनाव लड़ा है । वे टेलीफोन कर रहे हैं विश्वेन्द्र सिंह साहब को कि कुंवर साहब, मैंने कोई खिलाफ बात तो ना करी, मैंने कोई गलत बात तो ना कही, कोई हरिजनों का पक्ष तो ना लिया । यह कांग्रेस पार्टी का आज का वर्तमान रह गया है । मैं इसको हल्केपन से नहीं लेना चाहता चाहे आप शेम कहें या नहीं कहें । चाहते तो हम यह थे कि सी. बी. आई. की इन्क्वायरी के बाद जुडीशियल इन्क्वायरी के बाद कोई चर्चा होती और अगर चर्चा हो गयी है माननीय मुख्य मंत्रीजी की पहले से तो यह चर्चा अखबारों में साया नहीं होनी चाहिए । जब इसकी रिपोर्ट आ जाये तब देशक साया हो । रोज-रोज ये हादसे होते हैं ···

एक माननीय सदस्य : मंत्री बनना चाहते है ।

श्री सम्पत सिंह : मैं मंत्री दुबारा न आपकी मेहरबानी से बनूंगा न मुख्य मंत्री की मेहरबानी से । अडवानी का रथ आयेगा, फिर ऊपर–नीचे होंगे । हमारी जरूरत पड़ेगी । हम को राजी खुशी कोई नहीं बनाता है और हम खुशामदी और जी हुजूर नहीं हैं जो ऐसा करके मंत्री बन जायं । आज वोट के लिए जो मर्जी कह दें सदन में मगर कांग्रेस पार्टी कभी एक आन्दोलन थी , भरतपुर में एक साल पहले से इस प्रकार का वातावरण बन रहा था, इस पर कभी गम्भीरता से कोई कोशिश

(श्री सम्पत सिंह)

नहीं की गयी। इस सदन में चर्चा हुई, उन चर्चाओं के बाद भी किसी राजनैतिक दल ने कोई पहल नहीं की कि यह दो-तीन वर्षों में सवर्ण और हरिजनों में झगड़ा क्यों हुआ। छोटी-छोटी बातें हैं। साधारण बुद्धि की बात है। जैसा खैरथल से आने वाले माननीय सदस्य और जनता दल के अध्यक्ष कह रहे थे कि बरात को चढ़ने नहीं देते हैं। यह साधारण बुद्धि की बात है। इस पर बैठकर राजनैतिक दलों को विचार करना चाहिए कि एक साधारण बुद्धि का भी गांव में काम नहीं हो रहा है तो हम किस बात के लिए राज कर रहे हैं। पिलानी से आने वाली माननीय सदस्या बैठी हैं, जब कांग्रेस पार्टी का राज था उनके क्षेत्र में एक पुलिस की गोली से मजदूर मारा गया। हम ने तमाम कोशिश की कि आप इस्तीफा दे दो और कड़ी से कड़ी सजा दो। जब खैरथल से आने वाले माननीय सदस्य गृह मंत्री थे और वहां बिराजते थे हम ने उनसे कहा कि मेव जाति का 20 साल का युवक मरा है, गृह मंत्रीजी आपने इन्क्वायरी इम्पोज की है। + + + की जिनको 250 से 300 रुपये रिश्वत देकर लोग रोज फैसले बदलाते हैं। आप कितने एक युवक की मौत पर ...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य गुमराह कर रहे हैं। पिलानी क्षेत्र के अन्दर मैं जब मंत्री थी कोई मजदूर पुलिस की गोली से नहीं मरा।

श्री सम्पत सिंह : बालूराम।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बालूराम, कब की बात है ? जब आप पानी को "बू" कहते थे। मैं आपोजिशन में थी, मंत्री नहीं थी। किसान आन्दोलन था।

श्री सम्पत सिंह : मैं यह कह रहा था, आपके साथ हम भी बैठते। हमने और आपने मिलकर कांग्रेस पार्टी से कठोर से कठोर कार्यवाही करने की मांग की थी। उस वक्त आप विपक्ष में थीं। कहने का मेरा मतलब यह है कि इन चीजों को कोई भी सरकार गम्भीरता से अगर लेती तो कम से कम हम हिन्दुस्तान की बात नहीं करते, इस फिलासफी में भी नहीं जाना चाहते क्योंकि समय नहीं दिया आपने। लेकिन पूरे प्रान्त में अगर आप व्यवस्था कर सकते हैं तो हिन्दुस्तान ठीक है। जिस दिन ये घटनाएँ थीं पुलिस प्रशासन को सूचनाएँ थीं, तमाम उच्चतम प्रशासन को ये सूचनाएँ थीं। धौलपुर तक प्रशासन ऊपर से नीचे तक जा रहा था। डी. जी. वहां थे। तमाम सूचनाओं के बावजूद, जब पैंगोर में पंचायत हुई, पैंगोर में आपने समुचित व्यवस्था पुलिस की क्यों नहीं की ? उस दिन सवेरे एक वर्ग के तमाम चाहे वे गुण्डा बदमाश थे, अच्छी बात है उनको तमाम उम्र बन्द रखो आप, उनको बन्द करके थाने में बैठाया। और जब गांव के लोग आने लगे, जिम्मेदार प्रशासन का काम तो यह होना चाहिए था कि, उनको चाहे बातचीत से चाहे ताकत से वहीं पैंगोर पर रोकते। जब वे लोग आ गये वहां, हिम्मत की दाद दीजिए, उनकी ईमानदारी की दाद दीजिए, उनकी बहादुरी की दाद

+ + + माननीय अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सम्पत सिंह)

दीजिए। जिस वक्त बड़ा मोहल्ला जल रहा था, जब आग लगती है, दावाग्नि लगती है, मोहल्ले में जरूरी थोड़े ही है कि एक ही एक जात बस रही हो। कभी परवाह नहीं की और वे थाने में डरपोक की तरह बैठे रहे। उच्च से उच्च प्रशासक पुलिस का। माननीय मुख्य मंत्रीजी, तमाम फैसले हुए उसमें। इसके पहले हम कुछ कहना भी नहीं चाहते थे, लेकिन एक तरफ से आपकी कलम से फैसला होना चाहिए था। इतने बहादुर प्रशासक खास तौर से पुलिस के बहादुर सिपाही और अफसर वहां बैठे हुए हों तो दो ही बातें हैं, जैसा नदबई से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि वहां एस. पी. की कोई मानता ही नहीं या जानबूझकर वे ऐसा चाहते थे कि उपद्रव हों, लोग मरें जिससे यह सरकार बदनाम हो और तमाम तरीके के हल्ले राजस्थान में शुरू हों। डी. जी. इत्तफाक से भरतपुर के ही हैं। उनको बड़ा वहम है और हम भी मानते हैं कि वे ईमानदार हैं। लेकिन वे यह नहीं मानते और जानते कि दूसरे लोग भी ईमानदार हैं। कभी किसी मंत्री, मुख्य मंत्री की चीज को गम्भीरता से नहीं लेते। उनको पीड़ा इस बात की है कि उनको तनख्वाह कम मिलती है। वे सी. बी. आई. से यहां आ गये इसलिए उनका रिवर्शन हो गया इसलिए क्यों आत्मा से काम करें, क्यों दिलचस्पी से काम करें।

10–10, 15–15 दिन पहले, और तो और, साल भर पहले जब यह जहर घुल रहा था भरतपुर में, मुख्य मंत्री जी, मैंने आप से आपके चैम्बर में दो बार निवेदन किया था। मैंने कहा था कि हमारी सोशल लाइफ पर बहुत बुरी आंच आ रही है। गुण्डा एलीमेंट, चाहे किसी का राज हो, कांग्रेस का राज हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का राज हो, वह राज की शह में जाता है, प्रश्रय में जाता है और राज की मदद से अपना तमाम कारोबार चलाता है। आपकी पार्टी में कुछ तबका इस तरह का इसा आपके राज में आने पर, मुझे दूसरे जिलों का तो कोई इल्म नहीं है, कि जिनका कोई जमीर नहीं है, जिनका कोई रोजगार नहीं है, जिनका कोई गांव–शहर में धन्धा नहीं है। वे भारतीय जनता पार्टी का रुतबा दिखाकर 15–15 दिन पहले वरिष्ठ मन्त्रियों के घर पर आ–आकर यहां डैपुटेशन मिले हैं। इस घटना से 15 दिन पहले दोनों तरफ के डैपुटेशन मिले हैं। मैंने उस वक्त के जिलाधीश को कहा था, आप दोनों तरफ का साक्ष्य खत्म करने की बात कर रहे हो। गांव में कह आये कि दोनों तरफ का साक्ष्य खत्म कर देते हैं, आप राजीनामा कर लीजिए। मैंने कहा, आप समझते हैं साक्ष्य खत्म करने का क्या अपराध होता है। इतने हल्के तरीके से जिला प्रशासन ने, प्रान्त के प्रशासन ने यह बात ली। मुझे नत्थीसिंहजी की पीड़ा का पता है। ये उस वक्त अपने समाज में अलोकप्रिय हुए। इनके दिल में डर था कि दो ज़ातों में झगड़ा न हो। लेकिन, जैसा मैंने कहा, हमारे तमाम लोगों का सोच ऐसा नहीं है। हम पार्टियों को ताक पर रख देते हैं, हम तमाम चीजों को ताक पर रख देते हैं और जब जाति के दंगे होते हैं, तब हम कई बार जातियों में बंटे नजर आते हैं। उन्होंने ठीक कहा, एक जाति का

(श्री सम्पत सिंह)

दंगा नहीं है। जहां आदमी मरा वहां जाट ने अपने घर से शादी करायी जाटव की। लेकिन जो जाट उसके खिलाफ था उसने कोशिश की कि इस बरात के खिलाफ कोई साजिश हो। और आदमी मारा गया। जाति का कोई सवाल नहीं है। जो गुण्डा एलीमैण्ट है वह यह कोशिश करेगा। और उसने की भरतपुर में, कुम्हेर में। वर्ना तो अलीगढ़ के दंगे होते हैं, कभी इस देश में रिसर्च नहीं हुआ कि दंगे क्यों होते हैं। ठीक उसी तर्ज पर कुम्हेर में दंगा हुआ। मैं इतना बड़ा विद्वान तो नहीं हूं ···। (समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)···· कि सी. बी. आई से बढ़िया जांच कर दूं, लेकिन सिनेमा का कोई झगड़ा नहीं था। सिनेमा पर रोज झगड़े होते हैं, अवैध शराब बनती है कुम्हेर में नामी। 50–50 कोस से अवैध शराब पीने वहां गरीब तबके के लोग आते हैं और शाम को आखरी मोटर में बैठकर जाते हैं। लेकिन आज दिन तक कोई कार्य-वाही नहीं हुई अवैध शराब पर। रोज दंगे होते हैं कुम्हेर में, लेकिन क्या वजह थी कि इतना बड़ा हादसा हो गया उसको जाति-गत दंगा कहा गया, वह जातिगत दंगा बन गया? उसमें सबसे बड़ी कमजोरी थी हमारी पुलिस की, अफसरों को यह वहम हो गया कि हम ईमानदार हैं। आपने हमको एक दिन कहा भी था कि आचार्य कृपलानीजी ने कहा था, मन्त्री को गम्भीरता से तब कोई लेगा जब या तो वह ईमानदार हो या वह अपनी यह दिखा दे कि यह सरकार बहुत अर्से तक रहेगी····। (समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)। ··· या वह यह दिखा दे कि मैं इस अफसर से ज्यादा जानता हूं। तब वह अफसर को मानता है। इन तीनों ही बातों पर अफसरों को तसल्ली हो गयी, इत्मिनान हो गया कि या तो ये मंत्री, मुख्य मंत्री बहुत थोड़े समय के लिए हैं या ये ईमानदार नहीं हैं या ये हमसे ज्यादा समझते नहीं हैं। और इनको वहम हुआ। एस. पी. जिसको भरतपुर के भूगोल का पता नहीं और डी. आई. जी., ठीक कहा था कि आपस में बोलचाल नहीं है। डी. आई. जी. अगर जाति से हरिजन है तो हरिजनों पर कौनसा वह उपकार कर देता? अगर एस. पी. जाति से हरिजन नहीं है, सवर्ण है तो क्या? ये अपने दम्भ में मरे जा रहे हैं, ये इतने अहंकारी हो गये कि इनको अपनी जातियों से ही कोई सरोकार नहीं रहा। सही मायने में अगर देखा जाय तो उन्होंने आपके आदेश नहीं माने। और आदेश आपने किये तो गम्भीरता से नहीं किये। आज तीन-चार महीने के बाद कोई यह मांग भी करे कि मुख्य मंत्रीजी इस्तीफा दें, तो अव्वल तो किसी ने दिया हो। यह परिपाटी डले तो नंगी तलवार सिर पर लटकी रहे। यह सोच लेकर चलें कि हमारे ऊपर यह सरकार जा सकती है तो अधिकारी भी गम्भीरता से लें। आज मुख्य मंत्रीजी के विवेक पर हम छोड़ते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप समाप्त करिये।

श्री सम्पत सिंह : मैं समाप्त ही कर रहा हूं एक मिनट में।

सी. बी. आई. की इन्क्वायरी आने से पहले आप क्या फैसला करते हैं, जुडीशियल इन्क्वायरी से पहले आप क्या फैसला करते हैं। भरतपुर में 6–6, 7–7 किसान पहले

(श्री सम्पत सिंह)

मारे गये। जुडीशियल इन्क्वायरी हुई और इन्क्वायरी में यह माना जज महोदय ने कि वहां पुलिस फोर्स ज्यादा थी, उन्होंने ज्यादातर की, लेकिन मुकदमा इन मरने वालों पर, इनके परिवार वालों पर ही लगेगा। वे आज दिन तक चल भी रहे हैं। इसलिए इन्क्वायरी–विन्क्वायरी में तो किसी का कोई विश्वास नहीं है। ज्यादातर कोई सरकार के भरोसे भी नहीं जी रहा, इन अफसरों के भरोसे भी नहीं जी रहा, वहां की अपनी सोशल लाइफ है, पूरे प्रान्त की अपनी सोशल लाइफ है। एक कुम्हेर का काण्ड हुआ यह बहुत बड़ा हादसा हुआ। वास्तव में साल भर में और भी काण्ड हुए हैं। मैं गृह मंत्रीजी, आप से विनती करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि हम सोच समझकर माननीय भैरोसिंहजी की सरकार के समर्थन में आये थे। मैंने और जगमाल सिंह जी ने इस्तीफा कोई इसलिए नहीं दिया कि हमारे कहने से कोई काम हुआ कि नहीं हुआ। केवल कुछ मुद्दों पर मतभेद हुआ। आपके सामने हमने मुख्य मंत्री जी से यह कहा, जब इन्होंने पूछा तब, कि हमारे–आपके मन ही नहीं मिले। मैं आपसे यह विनती करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि इस कुम्हेर के हत्या काण्ड के पाप को अपने सिर पर आप मत ढोइये। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम समर्थन देंगे, बाहर से देंगे। कम से कम आपको तुरन्त अपने दल–बल के साथ इधर आ जाना चाहिए। यह मुख्य मंत्री के विवेक पर हम छोड़ते हैं, कि वे किस तरह इस हादसे में अपना निर्णय करते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री कमलेन्द्र सिंह। आप बैठिये, आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री सम्पत सिंह : मैं कोई विषयान्तर नहीं हो रहा, अन्तिम बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री कमलेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)। श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

श्री सम्पत सिंह : हम मुख्य मंत्री जी के विवेक पर छोड़ते हैं, वे जो मर्जी फैसला करें। यह हादसा इतना दर्दनाक हुआ है, सी. बी. आई. के आने से पहले तो हम कुछ कर नहीं सकते, इस चीज के बारे में अन्तिम फैसला वही करेगी। धन्यवाद !

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सही मायने में यह चर्चा तो बहुत पहले होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि सत्र का शुभारम्भ आज हुआ है, मामला काफी पेचीदगी में उलझ गया है कि जहां एक तरफ जुडीशियल इन्क्वायरी चल रही है दूसरी तरफ सी. बी. आई. की इन्क्वायरी चल रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न को बड़ी गम्भीरता से लिया है, और खास तौर से सदन के नेता महोदय ने आज उदारता बरती और यह कहा कि चलिये, इसको पहले ले लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इतिहास में इस प्रकार का इतना बड़ा नरसंहार मेरे ख्याल से नहीं हुआ। यह कलंक निश्चित तौर से भैरोसिंहजी के, माथे पर लग गया है, चाहे वे मानें या नहीं मानें, यह

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

राजस्थान की जनता अच्छी तरह से जानती है।

जब स्वयं मुख्य मंत्री जी अपने 17 जून के पत्रकार सम्मेलन में यह बात स्वीकार करते हैं और यह कहते हैं कि इस प्रकार के हादसे की जानकारी राज्य सरकार को पिछले कई दिनों से थी, सरकार की उन्होंने गलती स्वीकार की और यह कहा कि कुछ भूल-चूक हो गई जिससे घटना घटी। राजस्थान के मुख्य मंत्री 17 जून के पत्रकार सम्मेलन में जब यह कहते हैं कि मेरी यह भूल हो गई, सरकार की गलती जब उन्होंने स्वीकार कर ली और जब स्वयं वे यह जानते थे, कि छह महीने से ऐसे आसार नजर आ रहे थे कि यह घटना कभी भी घट सकती थी तो मैं सोचता हूं कि अब नैतिकता का जो तकाजा हैं वह स्वयं मुख्य मंत्री जी जानें। क्योंकि भाई यदुनाथजी ने बहुत साफ कहा है कि हम बहुमत में नहीं हैं इसलिये यह बात कहना बेकार है। नैतिकता की जिम्मेदारी बनती है क्योंकि राजस्थान के मुख्य मंत्री बहुत नैतिकता की बात करते हैं और पहले भी करते रहे हैं, 1952 से इस विधान सभा में करते रहे हैं। अब नैतिकता की कितनी जिम्मेदारी मुख्य मंत्री जी लेते हैं, यह उन पर निर्भर करता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तारीख को वारदात बहुत छोटी थी। एक टिकट को लेकर चाहे उन्होंने टिकट खरीदा था या नहीं खरीदा था, दो तरह के वर्णन आते हैं। कुछ कहते हैं कि कुछ विशेष वर्ग के लोगों ने टिकट खरीदा नहीं था इसलिये दंगा हुआ। कुछ दूसरे वर्ग के लोग कहते हैं कि हम टिकट लेकर बैठे थे फिर भी हमको जबरदस्ती से मारा गया। इस प्रकार की दो प्रकार की बातें आयी हैं। मैं स्वयं भी कुम्हेर में दो बार इस घटना के बीच गया हूं और मैंने लोगों को स्वयं देखा है। हो सकता है कि दोनों ही वर्णन अलग-अलग ढंग से हों लेकिन प्रश्न इस बात का है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि निश्चित तौर से एक तारीख को यह बात प्रशासन को और सम्बन्धित थाने को मालूम पड़ गई थी लेकिन उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी और कार्यवाही नहीं करने से छूट मिली। कोई भी छोटी-सी घटना हो लेकिन वह घटना इतना बड़ा रूप ले लेगी, यह प्रशासनिक दृष्टि से सोचने की आवश्यकता थी। दो तारीख को बहुत छोटी-सी वारदात हुई लेकिन तीन तारीख को फिर 4–5 मजदूरों को उन्हीं लोगों ने जाकर पीटा, उससे फिर वातावरण बना।

कुम्हेर के अन्दर बड़ा मोहल्ला के अन्दर लोग मीटिंग कर रहे थे, इस प्रकार की घटना हो चुकी थी, जहां इतनी बड़ी 400–500 घरों की आबादी हो, उस बड़े मोहल्ला के अन्दर लोग मीटिंग कर रहे हों और वहां के स्थानीय थाने को इसकी सूचना नहीं हो, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। वे सारे के सारे 200–250 लोग थाने पर पहुँचे और उन्होंने यह मांग की कि जिन्होंने पीटा, उनको आप गिरफ्तार कीजिये। उस दिन अगर प्रशासन द्वारा जरा सुस्ती नहीं की जाती और सम्बन्धित आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता तो मैं सोचता हूं, शायद यह विवाद आगे नहीं बढ़ता। विवाद इसलिये बढ़ा कि पुलिस बिल्कुल

(83)

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

निष्क्रिय तौर पर बैठी रही। उन लोगों का वहां जाकर स्वरूप दूसरा बदल गया और 200-250 आदमियों ने बाजार बन्द करा दिया। दूसरी जाति के लोगों ने यह महसूस किया, यह बात सही कह रहे हैं, सम्पतसिंहजी, हम जब गये थे तब भी लोगों ने यही कहा था कि सबसे बड़ा बदमाशी का अड्डा यह शराब की दुकान बन चुकी है। उस बाजार के अन्दर सही मायने के अन्दर रोजाना वारदात होती रही, कई प्रकार की घटनाएँ इस प्रकार की वहां होती रहती थीं। उस समय 250 लोगों ने प्रदर्शन वहां किये, और जयपुर से हरियाणा जा रही बस के अन्दर कुछ महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार की बात भी चर्चा में आई। उससे वातावरण निश्चित तौर से इस बात का बना कि वहां महिलाओं के साथ बड़ा अभद्र व्यवहार किया गया। यह वातावरण पूरे जिले में फैला, लेकिन वहां के प्रशासन और पुलिस को जिस तरह अलार्म करना चाहिये था कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, उन्होंने कोई इस बात का प्रचार नहीं किया। सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी को एक-एक माइक देकर भी अगर यह प्रचार करा दिया जाता कि ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है तो शायद वह उत्तेजनात्मक वातावरण नहीं बनता। लेकिन इन्होंने यह भी नहीं किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घटना हो जाने के बाद जब यह मालूम है कि थाने पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंसक घटनाएँ हो चुकी हैं, चाहे किसी प्रकार की घटना हुई, चाहे किसी ने की हो लेकिन उसके बाद क्या पुलिस उस दिन कोई कार्यवाही नहीं कर सकती थी? उस मामले में भी पुलिस के लोगों ने 5 तारीख की रात को जाकर यह कहा उस मोहल्ले के अन्दर कि हमको 10-15-20 आदमी दे दीजिये। यह कोई तरीका है? पुलिस प्रशासन के लोग यह कहें कि कोई भी 10-15-20 आदमी दे दीजिये, यह इस बात को इंगित करता है कि इनका पुलिस प्रशासन किस तरह फैसला करता है। मोहल्ले के लोगों ने कहा कि आइडेंटिफाई कर लीजिये। किनको आप दंगों में, झगड़ा करने में शामिल महसूस करते हो, उनमें से ले जाइये। लेकिन कहते हैं कि 15-20 आदमी दे दीजिये। इस प्रकार पुलिस का यह रोल रहा।

[समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी]

माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के 2-3 जने बोले हैं अभी तो।

श्री अध्यक्ष : और बोलने वाले हैं। आगे नहीं बोलना है?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : नहीं, बुलवाना है। तथ्यों को तो रखेंगे।

श्री अध्यक्ष : जल्दी करिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आपकी हमेशा कृपा रही है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : कृपा है, आप जल्दी करिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं असली बात आपको कहना चाहता हूँ। 5 तारीख की रात को यहां का पुलिस अधिकारी वहां जाकर यह कहता है कि आप आदमी दे दीजिये। उन्होंने कहा

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

कि आदमी आप छांट लीजिये। आदमी नहीं दिये गये तो यह चेतावनी देकर चले गये कि सवेरे तक छांट के आदमी रखिये किनको गिरफ्तारी देनी है, मैं सवेरे फिर आऊंगा। सवेरे 5 बजे जिस प्रकार का ताण्डव नृत्य हुआ है कि पुलिस प्रशासन ने जो लोग वहां पर बैठे थे, उनके घरों में से जबरदस्ती घसीटा। बन्दूक से ठोकर मार-मारकर वहां की बस्ती के लोगों को मारा गया। हमने-आंखों से देखा है। उनके घाव, जब हम देखने गये, तब तक भरे नहीं थे। निशान उनकी बन्दूकों के ऊपर लगे हुए थे। 70–80 साल के बुड्ढे लोगों पर बन्दूकों की मूँठें मार-मारकर उनके घाव कर दिये गये। सही मायने में जो बुजुर्ग लोग थे, उनको सबसे ज्यादा मारा गया। थे अगर कोई बदमाश तो 10–15–20 आदमियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिये था। जो महिलाएँ लेटी हुई थीं उनको वहां से पकड़-पकड़कर बाहर फेंका गया। पुलिस के द्वारा जो महिलाएँ लोटा लेकर बाहर जा रही थीं, टट्टी करने जा रही थीं, उन तक को भी बख्शा नहीं गया, उनको पीटा गया। अभद्र व्यवहार पुलिस ने जिस प्रकार से किया, मैं सोचता हूं, यह शोचनीय बात है। उसके बाद कम से कम 70 लोगों को गिरफ्तार करके थाने में ले गये। अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब एक तरह से पूरे जिले में इस बात की आग लग रही हो कि जाति विशेष में संघर्ष चल रहा है, किसी वर्ग विशेष में संघर्ष हो सकता है, उस समय पुलिस प्रशासन को यह जानकारी नहीं कि दूसरी जगह छह तारीख को साढ़े 11 बजे से लेकर 10–15 हजार लोग बैठे हैं। जहां एक सभा हो रही हो, उस सभा के अन्दर पुलिस इस प्रकार की सूचना नहीं पाये कि वहां पर क्या निर्णय हो रहा है, वे क्या निर्णय लेते जा रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके या मुख्य मंत्रीजी के यहां पर अगर 100 लोग प्रदर्शन करने जाते हैं, या गृह मंत्रीजी के घर पर जाते हैं तो पुलिस की गाड़ी पीछे लग जाती है। 15,000 की मीटिंग हो रही थी तब पुलिस प्रशासन क्या सो रहा था? क्या--किस प्रकार के हालात थे, कहां मीटिंग होकर कैसे चले हैं, कब रवाना हुए, किधर जा रहे हैं, यह सबसे बड़ा मामला है। पुलिस प्रशासन जान-बूझकर देखता रहा कि होने दो अत्याचार, पुलिस प्रशासन आंख मूँदकर बैठा रहा। वहां का एस. पी. जिसको यह मालूम था, कोई दूर गया नहीं, वह थाने में जाकर बैठ गया। दो सौ लोग पुलिस के वहां मौजूद थे, लेकिन जब लोग हमला करने आये, डीग और भरतपुर पर, सारी पुलिस देख रही थी। काफी संख्या में पुलिस के लोग वहां मौजूद थे, एस. पी. स्वयं पुलिस थाने में मौजूद थे। 400 से ज्यादा घरों को वहां पर जला दिया गया, लोगों के घर जला दिये गये, लोग वहां पर जल गये। नौ लोग तो उसी दिन ही मर गये और एक अस्पताल जाकर मर गया। इस प्रकार की घटना मध्य गांव में शाम को फिर हुई। एक नौजवान वहां पर फिर मारा गया।

अध्यक्ष महोदय, पूरा प्रशासन इस प्रकार देखता रहा। आई. जी. क्राइम्स स्वयं पहुँच जाता है रात को साढे आठ

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

बजे 5 तारीख को, उसके बाद 6 तारीख को यह घटना हुई। मुख्य मंत्री जी प्रशासनिक क्षमता की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन आपकी अक्षमता आज राजस्थान की जनता को मालूम पड़ गई। पुलिस का आई. जी. वहां पर बैठा रहा, उसके बाद भी आप कोई काम नहीं कर पाये।

अध्यक्ष महोदय, 6 तारीख की घटना के बाद माननीय गृह मन्त्री जी 7 तारीख को स्वयं वहां पहुँच गये। 7 तारीख को पहुँचने के बाद जायजा लेने गये, जायजा लेने के बाद भी सौंखली गांव में तीन लोग मारे गये। वहां जूलूस बनाकर लोग आ रहे हैं। तीन जाटव भाई लोगों के डर के मारे थाने के अन्दर आकर बुखारी में बैठ गए थे उनको जला दिया गया। जिले के इस कांड को देखने के लिए स्वयं गृह मंत्री जी के भरतपुर में होते हुए लोग जल जायें और प्रशासन देखता रहे इससे ज्यादा अक्षमता और क्या हो सकती है? अध्यक्ष महोदय, मैं इन सारी बातों को इसलिए आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि जवाब जो आयेगा वह हमको भी मालूम है और आपको भी मालूम है लेकिन राजस्थान की जनता इस बात को कभी भूल नहीं पायेगी। इतिहास इस बात का साक्षी होगा कि इस सरकार ने जिस प्रकार का निरुत्साह, अकर्मण्यता और शिथिलता दिखाई है उसको शायद कोई भूल नहीं सकेगा।

श्री अध्यक्ष : 15 मिनट हो गए हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, बस मैं खत्म कर रहा हूं। 6 जून को घोषणा करते हैं कि सेना बुला ली जाएगी, 7 तारीख को न्यायिक जांच की घोषणा करते हैं और 9 तारीख को सी. बी. आई. से जांच कराने की घोषणा बड़ी उदारता-पूर्वक मुख्य मंत्रीजी ने की। जिस बात की मांग आई वह मान लेते हैं। आज हमने कहा कि पहले इसको ले लीजिए, इस बात को मान लिया। इस मामले में मानना पड़ेगा कि मुख्य मंत्रीजी बड़े होशियार हैं, जिसने जो मांग की, मैं न्यायिक जांच कराने को तैयार हूं, मैं सेना बुलाने को तैयार हूं, मैं सी. बी. आई. से जांच कराने को तैयार हूं। इस तरह साबित करने की कोशिश की कि मेरी तरफ से कोई बात नहीं है लेकिन आपकी प्रशासनिक अक्षमता इस बात से छिपने वाली नहीं है कि आपने जो बात कही है उसको बड़ी उदारता से स्वीकार कर लें। इस प्रकार की घटना निश्चित तौर से शर्मनाक है। जिस प्रकार की राजस्थान में घटनाएँ घटी हैं चाहे जयपुर के साम्प्रदायिक दंगे हों, चाहे जोधपुर के दंगे हों, उदयपुर के दंगे हों, चाहे ब्यावर के दंगे हों, चाहे नागौर के हों, चाहे चौमूं के हों। या चाहे मंडावरी कांड हो, महुआ कांड हो, चाहे कठूमर का कांड हो, इन सब में लीपापोती ढाई साल के अन्दर इस सरकार ने जिस प्रकार से की है, आज प्रशासन में सही मायने में कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। माननीय गृह मंत्रीजी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। क्योंकि सदन जानता है सही मायने में मुख्य मंत्रीजी, गृह मंत्रीजी की आड़ में शिकार

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

करते रहते हैं। लीपापोती करवाते रहते हैं। यह उनकी साझा सरकार है, हमें कुछ कहने का अधिकार नहीं है लेकिन प्रशासनिक अक्षमता से इस सरकार ने जिस प्रकार की स्थितियाँ पैदा की हैं, आज इस विधान सभा में तो ये बहुमत के आधार पर जीत सकते हैं, आपकी बातों के जवाब में हमको बैठना पड़ जायेगा लेकिन आने वाले समय में राजस्थान का इतिहास इस बात को बतायेगा कि भैरोंसिंहजी की सरकार ने किस प्रकार से साम्प्रदायिक दंगों और वर्ग संघर्ष के दंगों को····

श्री अध्यक्ष : पंडित श्री रामकिशनजी।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : शायद कोई नहीं हुए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सदन में जो चीज सामने आ गई हैं मैं उस पर दुबारा जिक्र नहीं करूंगा। मैं केवल इतनी-सी बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार को और राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्रीजी को भरतपुर की भौगोलिक स्थितियों की जानकारी थी। आगरा से लेकर मथुरा और अलीगढ़ तक इन पिछले सालों में जितने जातीय दंगे हुए हैं उन दंगों के साथ-साथ सरकार को, मुख्य मंत्रीजी को कार्यवाही करनी चाहिए थी। उससे पहले भरतपुर में 3 जगह दंगा हुआ था, जिसका जिक्र नहीं करूंगा। उससे पहले भी जब रोहिताश कुमार, एस. पी. थे उस समय से वहां तनाव बना हुआ था। मुख्य मंत्रीजी, इस कुम्हेर कांड में आपने तीन कार्यवाही की हैं। घटना के बाद में आपने जो कदम उठाये हैं मैं समझता हूं कि उनमें तो हमारा कोई मतभेद नहीं है। आपने न्यायिक जांच कराने के लिए कह दिया, आपने जुडीशियल इन्क्वायरी के लिए कह दिया और आज बहस की शुरुआत के लिए कहा तो आपने बहस करवा दी इसलिए आप राजनीतिक मोर्चे पर अपने आपको विजयी मान सकते हैं और यह कह सकते हैं कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि उससे पहले सरकार को जो काम करना चाहिए था उस सम्बन्ध में कुछ नहीं हुआ।

मैं आपको इतना सा कहना चाहूंगा, नए शब्दों के रूप में कि 5 तारीख को मैं कुम्हेर में गया था और आया था कामां से। मुझे वहां पता हुआ कि कोई झगड़ा होने वाला है। नत्थीसिंहजी के चचेरे भाई हैं उनके पेट्रोल पम्प से मैंने टेलीफोन किया और एस. पी. से कहा। उससे पहले मैंने एस. पी. को देखा नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा कि आप उचित समझें तो थाने में आ जायं। मैं थाने में गया। थाने में जाकर एस. पी. साहब से मैंने यह कहा था कि आजकल में कुछ झगड़ा हो सकता है इसलिए इस माहौल के बचाव का इन्तजाम करें। फिर साथ-साथ दूसरी बात जो उससे पहले घटना हो गई थी। उसके लिए मैंने कहा था कि उन पर भी कार्यवाही करें। अगर आप कार्यवाही नहीं करेंगे तो यह उत्तेजना ज्यादा फैल सकती है। एस. पी. साहब ने कहा कि किसी ने एफ. आई. आर. दर्ज नहीं कराई है। तो मैंने उस

87

(श्री रामकिशन)

समय मोतीसिंहजी और दूसरे लोगों से कहा कि आप एफ. आई. आर. तो दर्ज करवायें जिससे पुलिस कोई कार्यवाही करे। यह सारी घटना हुई। उसके बाद कुम्हेर कस्बे में छोटी-सी मीटिंग हुई थी जिसमें मैं भी था और दूसरे लोग भी थे। उस समय मैंने कहा था कि भाई, आप लोगों को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। जो आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसके अनुसार पुलिस कार्यवाही ही नहीं करेगी तो हम भी तुम्हारा साथ देंगे। इस सारी घटना के बाद जो घटना हुई, उस समय लाउडस्पीकर लग चुका था और एलान हो रहा था पैंगोर पंचायत की मीटिंग का सरकार को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि घटना हो रही है ? इलाका सेंसिटिव है, सब कुछ वहां था तो सरकार ने उस समय क्या कार्यवाही की ? आपकी पीछे की कार्यवाही के बारे में चर्चा नहीं करूंगा लेकिन उस समय आपकी सरकार ने वहां पर क्या कार्यवाही की ? वहां पर जितने अधिकारी थे उन सब अधिकारियों के बारे में जिक्र नहीं करूंगा, यह सारी चर्चा हो गई है लेकिन एक बात बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कही जा रही है और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वहां पर एस. पी. और डी. आई. जी. में कोई झगड़ा था। होगा, लेकिन कम से कम मेहरबानी करके जिस एस. पी. के लिए कहा जा रहा है उसके सम्बन्ध में जानकारी तो कर लें। उसमें कुछ गड़-बड़ियां थीं जिन्हें रोकने की कोशिश की थी। पुलिस में भ्रष्टाचार रोकने की कोशिश की थी, अवैध वाहन चल रहे थे उनको रोकने की कोशिश की थी, उससे कुछ लोग नाराज हो सकते हैं। मेरे पास भी लोग आये थे कि इस एस. पी. को यहां से हटवा दें। तो मैंने कहा कि मेरी हैसियत नहीं है हटवाने की। हटवाने का जो कार्य है उस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। बी. जे. पी. के लोगों के पास चले जायें जो इस प्रकार का कार्य करते हों, मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। इस तरह से हम आधार बदल कर दोष डालने की कोशिश करें। मैं समझ नहीं पाता। इसी प्रकार डी. आई. जी. का कहीं और कोई दोष होगा लेकिन केवल हरिजन था इसलिए वह दोषी हो गया, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं इस सम्बन्ध में सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि राजनीतिक मोर्चे पर आपने कुछ भी किया हो लेकिन प्रशासनिक मोर्चे पर आपकी सरकार पूरी तरह से असफल रही है। इस असफलता को आप भी स्वीकार करते हैं और गृह मंत्रीजी भी जानते हैं मन में तो लेकिन आज स्वीकार नहीं कर पायेंगे इसलिए कि आप में साहस नहीं है। अन्यथा राज-नीतिक मोर्चे पर कुछ भी हुआ हो लेकिन प्रशासनिक मोर्चे पर जो गलती हुई है वह राजस्थान में इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कभी घटना हुई नहीं है। सम्पतरामजी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि दंगे और भी जगह हुए हैं। सारे देश में हुए हैं, संख्या भी इससे ज्यादा मरने वालों की होगी लेकिन सरकार को जानकारी हो, सरकार को सूचना दी जा रही हो, आर. ए. सी. पड़ी हो, आपके सारे इन्तजाम हों उसके बाद भी निरन्तर 3 दिन तक दंगा चलता रहे। आप खुद फैसला करें इस बारे में कि

(श्री रामकिशन)

सरकार के बारे में क्या कहा जाय। मैं दूसरों पर इस बात को न छोड़ते हुए आप से ही इस बात का फैसला करवाना चाहता हूँ कि इस घटना के बाद आप इसे सरकार मानेंगे और अगर उसे सरकार मानते हैं तो सरकार की व्याख्या क्या होती है। जब अपना जवाब दें तब व्याख्या जरूर बता देंगे कि सरकार विहीनता क्या होती है।

दूसरा निवेदन मुझे यह करना है कि मुख्य मंत्रीजी को नैतिकता के आधार पर त्याग-पत्र दे देना चाहिए और उनकी सरकार को दे देना चाहिए। मुख्य मंत्रीजी जो जवाब देंगे मुझे उसका पता है। वे कहेंगे कि बिहार में इस्तीफा क्यों नहीं दिया, और जगह इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं। आपका दल जब सरकार में आया था तो आपके दल ने यह कहा था कि हमारी संस्कृति और दलों की संस्कृति से अलग है। अलग हमारी संस्कृति है इसलिए हम नई परम्परा कायम करेंगे। मुख्य मंत्रीजी, ऐसी घटना पर ऐसा नहीं है कि पहले इस्तीफा नहीं दिया गया हो। आपको ख्याल होगा कि केरल में गोली चल गई थी। उत्तम थानु पिल्लै की सरकार थी। हमने सरकार से इस्तीफा मांगा और सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। हमारे दल की सरकार थी और हम ही इस्तीफा मांगने वाले थे और उत्तम थानु पिल्लै की समाजवादी दल की सरकार टूट गई। लेकिन परम्परा कायम करने के लिए हमने अपनी सरकार को गिरा दिया। लाल बहादुर शास्त्री कोई रेल नहीं चला रहे थे। वे खुद कोई ड्राइवर नहीं थे, लेकिन रेल की घटना हुई और लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया। वी. पी. सिंह के टाइम में डकैतों ने कुछ लोग मार दिए थे, वी. पी. सिंह मारने वालों में नहीं थे, लेकिन उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। तो मैं चाहता हूँ कि जब सब दलों ने कुछ नैतिक मर्यादाएँ कायम कर दी हैं तो अब तो आपका नम्बर है ही। और दल तो बचा नहीं है, क्योंकि और दल तो अपना करिश्मा दिखा चुके हैं। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप त्याग-पत्र देते हैं तो इससे एक नई परम्परा इस देश में पड़ेगी और जनता दल के लोग या दूसरे दल के लोग जो इस तरह की अब तक ऐसी घटनाओं के बाद भी गद्दी से चिपके बैठे हैं उनको भी एक रास्ता मिलेगा और शर्म से और झख मार कर उन्हें त्याग-पत्र देना पड़ेगा। इसलिए मैं बड़ी राजनीतिक दृष्टि से कहता हूँ कि मेहरबानी करके आप शुरुआत करें।

एक दूसरी चीज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ सारे प्रचार में नहीं जाऊंगा, नई बात ही कहूँगा। कुछ लोगों के बयान पढ़े हैं, वे क्या बयान दे रहे हैं कि यह झगड़ा हुआ था पासवान जी की मीटिंग की वजह से। पासवानजी की मीटिंग....

(3·47 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(श्री रामकिशन)

उपाध्यक्ष महोदय, मीटिंग का मैं अध्यक्ष था। उस मीटिंग में पासवान ने जो कुछ कहा उसमें नहीं जाऊंगा। उन्होंने केवल दो बातें कही थीं मेरे सामने कि जब हमें मन्दिर में घुसने नहीं देते हैं, हमें कोई हिन्दू नहीं मानते हैं तो मन्दिर में जाने की जरुरत नहीं है, स्कूल बनाओ और पढ़ाई-लिखाई करो। एक बात तो उसने यह कही थी। दूसरी बात यह कही थीं कि जब सिख राष्ट्रपति हो सकता है, मुसलमान राष्ट्रपति हो सकता है तो हम तो हिन्दू हैं हमें भी राष्ट्रपति होने देना चाहिये, हरिजन को भी मौका देना चाहिये। क्या पासवान ने कोई गुनाह किया था ? इस जाति का दर्द और जो हजारों सालों से त्रस्त हैं वे अगर कड़वी बातें भी कह जाते हैं तो हमें उदारता से स्वीकार करनी चाहिये। आज अगर हिन्दू धर्म की पताका को किसी ने फहरा कर रखा है तो इन हरिजनों ने फहरा कर रखा है। मैं जानता हूँ कि बड़ी जातियों के धर्म बदलते हैं, उनके धर्म बदलते हैं स्वार्थों के लिये, यही वे लोग हैं जो कष्ट पाकर भी, तकलीफ उठा करके भी इस धर्म में बैठे हुए हैं और उनके साथ जिस तरह का अन्याय हो रहा है उसकी आप कल्पना भी कहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये जातियों के झगड़े नहीं हैं, ये जातियों के झगड़े बनाये जा रहे हैं। एक बात जरूर भरतपुर के बारे में मैं खास तौर से कहना चाहूंगा, पता नहीं क्या दुर्भाग्य हुआ है। झगड़े के बाद में मैं दूसरे मोहल्ले में गया था तो जाटवों ने मुझसे खुद कहा है कि साहब, कोली ने भी हमारा साथ नहीं दिया, बल्कि खड़े होकर यही कहा था कि जाटवों के घर हैं इन्हें जला दो। यह बिल्कुल सच है। यदुनाथ सिंह जी दूसरे ढंग से कह रहे हैं। वहां इस तरह का वातावरण बना दिया गया है कि हरिजन, पिछड़े लोग, जिनकी जमीन नहीं है, जिन पर जायदाद नहीं है आरक्षण के नाम पर उन लोगों में नाराजगी है। धारा 3 के नाम पर इस तरह का प्रचार किया जा रहा है कि जैसे सारा अपराध इस वी. पी. सिंह ने ही कर दिया हो। जब धारा 3 में कोई संशोधन हुआ था उस समय देवीलाल भी थे, उस समय अजीत सिंह भी थे, उस समय नाथूराम भी थे, उस समय दौलतराम भी थे ये सब दिग्गज बैठे हुये थे लेकिन आज भरतपुर में यह हालत पैदा की जा रही है। अगर यह आरक्षण गलत भी है और धारा 3 गलत भी है तो 17 लोगों को मारने का अधिकार किसने दे दिया ? 3 तारीख को कार्यवाही नहीं हुई तो यह अधिकार किसने दे दिया कि लोगों की हत्या करदी जाये ? लोगों के घर जला दिये जायें ? माननीय मुख्यमंत्रीजी आज तक आपने जांच करने के आदेश दिये, जांच रिपोर्ट का क्या होता है, आप जानते ही हैं। सुखाड़ियाजी के टाइम पर यहां गोली चली थी, लोग मर गये उनको सजा हुई है ? पांच मामले आप ले लीजिये, आप अब तक कैसे अपराधियों को सजा दिलवा पाये हैं ? अपराधी को सजा दिलवा पाये नहीं, सम्पत्ति लोगों की लुट गई और 17 लोगों की हत्यायें हो गई। यह हत्याओं का क्रम कभी रुकने वाला नहीं है अगर इस प्रकार के अपराधियों को दण्ड नहीं दिया गया तो। इसका एक कारण है, उपाध्यक्ष महोदय, सामूहिक जहां-जहां दंगे हुये हैं इस

(श्री रामकिशन)

देश में वहां अपराधियों को दण्ड नहीं मिला है। चाहे दिल्ली में सिख विरोधी दंगे थे, आज तक किसी को दण्ड नहीं मिला, जयपुर में साम्प्रदायिक दंगे थे किसी को दण्ड नहीं मिला। यह सामूहिक दंगों में किसी को दण्ड नहीं मिलता है तब लोगों की प्रवृत्ति बन गई है, लोग यह सोचने लग गये हैं कि अकेले-अकेले झगड़ा मत करो, 100–50 का गिरोह बनाओ और साफ कर दो। इसका नतीजा यह होगा कि देश में अराजकता फैल जायेगी, देश कभी बढ़ नहीं पायेगा और टूट जायेगा। सामूहिक दंगों में सजा के प्रावधान उसी तरह हों, हमें अपराधियों को दण्ड देना चाहिये। अब इस बात की तो कौन कहे कि अपराधी कौन है, हम मौके पर थे नहीं। हम न तो किसी को अपराधी कहेंगे न ही यह कहेंगे कि किसी को छोड़ना चाहिये, लेकिन यह तय बात है कि अपराधियों को दण्ड दिलवाने में सरकार को कोशिश करनी चाहिये। यह एक हवा बनाई जा रही है कि भरतपुर में मानवता का अन्त हो गया है, बड़ी सीमा पर मानवता का अन्त हो गया है। सैंथली गांव में जहां तीन आदमी मरे थे मेरे साथ पुलिस के लोग थे और मैं आपकी इजाजत से ही वहां जा पाया था, मुझे भी जाने को मना कर दिया था। मैंने सम्पतरामजी के यहां से टेलीफोन किया तो आपने कहा मैं कह देता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि जिनके तीन बच्चे मरे, जब मैं चलने लगा तो उन्होंने कहा कि हमारे लिये क्या कर सकते हो आप तो हमने कहा कि भई, हम आपके लिये क्या कर सकते हैं ? हम तो यह कर सकते हैं कि हम सरकार से कहेंगे कि भरतपुर को खाली करो, कहीं जाओ। तो उन्होंने कहा, नहीं, हमारे लिये आप एक काम करो, मेरे तो तीन बच्चे मर गये लेकिन बगल के गांव के जाटवों ने हमारे 9 बच्चे बचाये हैं उनको गिरफ्तार मत होने दो। पुलिस के लोग मेरे साथ में थे और वे यह कह रहे थे कि 9 बच्चे हमारे फलां जाटव ने बचाये हैं, पुलिस ने उनको बन्द कर लिया है, मेहरबानी करके आप हो सके तो उनको छुड़ा दो। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह जाट और जाटवों का झगड़ा नहीं है और आततायी हैं, जो अपराधी हैं उनको दण्ड नहीं दिया जा रहा है। मुख्यमन्त्री जी, अगर आपके राज में और आपके समय में दण्ड नहीं दिया गया तो यह इस जीवन में आपके लिये सबसे बड़ा कलंक होगा और आपकी आत्मा बुढ़ापे में बड़ी बुरी तड़पड़ायेगी और जब आपकी आत्मा तड़पड़ायेगी तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। आप जानते हो कई मामलों में हमारे मतभेद रहे हैं लेकिन जब आप दु:खी होंगे तो मेरा दु:ख भी स्वाभाविक हो जायेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप राज का मोह छोड़ें और एक परम्परा कायम करें, त्याग पत्र दे दें। हम तो आने वाले हैं नहीं, कांग्रेस या आप दोनों में से ही आयेंगे, हमारे तो वैसे भी चार टुकड़े हो गये। आप फैसला कर लेना लेकिन अगर आपने त्याग-पत्र नहीं दिया तो मैं समझूंगा कि आप जो अब तक बोलते थे, आपने चालीस साल में पुलिस ने एक गोली भी चला दी, तो उस सरकार से स्तीफा मांगा और पुलिस ने कोई डण्डा भी मार दिया होगा तो भी इस्तीफा मांगा होगा। जब चालीस साल आप अपनी वाणी इस्तेमाल करते रहे

(श्री रामकिशन)

तो उस वाणी की वकत करना भी सीखो और वाणी की वकत नहीं करोगे तो फिर राजस्थान आपके बारे में क्या सोचेगा, इसका भी मुझे दुःख है। मैंने जैसा कहा मैं तथ्यों को नहीं दोहराऊंगा बहुत गम्भीर तथ्य हैं, बहुत गम्भीर मामले हैं, लेकिन हरिजन और पिछड़े इस देश में रहेंगे, उन्हें रहने का अधिकार है। मैं इतना भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वे अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे तो हमें कष्ट उठाना पडेगा लेकिन उन्हें संघर्ष के रास्ते से नहीं हटाना चाहिये। यह राजनैतिक दलों की कसौटी है। जिस तरह से ये बोल रहे हैं, लीपा पोती की बात कर रहे हैं मैं उसे पसन्द नहीं करता। राजनैतिक दलों को साफ राय देनी चाहिये, जो सोच सके, जो दुःखी है, जो दरिद्र है हमें उसके साथ रहना है। रही वोट की बात तो भरतपुर में वोट की बात जुड़ी कहां? आप हमारे पोलिंग स्टेशन की लिस्ट देखो, हम जिसमें चुनाव लड़ते हैं उस गांव में एक भी वोट नहीं आता है। तो आप समझते हो कि वहां तो ऐसे ही कब्जा कर लेते हैं। वोट की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई उन लोगों की है जिन्होंने हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारे देश को कायम रखा है। यह गंग नहर और ये बिल्डिंग्स, यह सब उनके शोषण का ही नतीजा है। हम उनकी प्राण रक्षा नहीं कर सकें, उनके सम्मान की रक्षा नहीं कर सकें तो इससे ज्यादा इस सदन के लिये लज्जाजनक बात कोई हो नहीं सकती। सारे सदन को इस बात पर गम्भीरता से सोचना चाहिये। आपने आर्थिक मदद की, उसे आप बढ़ा सकते हैं, उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। कुम्हेर के झगड़े की वजह से, मुझे परसों ही कुछ लोग मिले थे, कह रहे थे कि हम गांवों में जाते नहीं हैं। क्योंकि छोटा-सा झगड़ा लुधावई में और हो गया था कल-परसों तो फिर डरके मारे भाग गये कि हमें कोई पकड़ नहीं ले, हमें कोई मार नहीं दे। तो यह मत समझना कि मामला खत्म हो गया है, वहां कभी भी कुछ हो सकता है, कभी भी दुबारा झगड़ा हो सकता है। इसलिए वहां सतर्कता की जरूरत है, सामाजिक मेल-मिलाप जोड़ने की जरूरत है और अपराधियों को दण्ड देने की जरूरत है। अगर अपराधियों को दण्ड नहीं मिला तो निश्चित तौर पर वहां दंगे होंगे........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और उन दंगों की व्यापकता, मैं खास तौर पर कहना चाहता हूं, इतनी ज्यादा होगी जिसे हम रोक नहीं पायेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि या तो आप त्याग-पत्र दें। अगर आप त्याग-पत्र नहीं देते हैं तो जैसा यदुनाथ सिंहजी कह रहे हैं, हमारा बहुमत तो नहीं है लेकिन नैतिक पक्ष तो हमारा मजबूत है। उसका हम दूसरा रास्ता भी दिखा देंगे। राजनैतिक दल जो यहां पर कुछ कह रहे हैं, मैं समझता हूं उनकी वाणी में दम नहीं है। झगड़ा हुआ, आपने राजस्थान में क्या किया? हम तो जगह-जगह राजस्थान में गये, हमने प्रदर्शन किये, धरने दिये, जातीय द्वेष बढ़ाने के लिये नहीं। शोषण एवं अन्याय और अपनी जाति जो सिकुड़ती जा रही है, हिन्दू जाति जिसमें कट्टरता आती जा रही है हरिजनों

(श्री रामकिशन)

के प्रति उनको उदार बनाने की दृष्टि से हमने कोशिश की। कौनसा राजनैतिक दल है ? केवल यहां दो मिनट भाषण दे दें फिर उसके बाद चुप लगा जायें इससे काम चलने वाला नहीं है। समय सीमा में रहते हुए मैंने कोई वह बात नहीं कही है जो दूसरों ने कह दी है। मैं आखिर में यह कहना चाहूंगा कि अब जनक की तरह आपका दिल जरा जग जाना चाहिये। छोटे-से अपराध पर जनक ने गद्दी छोड़ दी थी, इतने बड़े अपराध पर भी आपने गद्दी नहीं छोड़ी तो मैं यहां आपसे क्या कहूं वह तो अलग ही बता दूंगा, लेकिन आप यह मान कर चलिये कि आप जो वाणी का उपयोग करते थे वह वाणी गलत थी और आपकी वाणी और कर्म में सामंजस्य नहीं है। जिनकी वाणी और कर्म में सामंजस्य नहीं होता हैं उन्हें शास्त्रों में क्या कहते हैं यह तो हरिदेवजी से पूछ लेना। इतनी बात कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भरोसी लाल जी।

श्री भरोसी लाल जाटव (हिन्डौन) : उपाध्यक्ष महोदय, जो कुम्हेर में घटना घटित हुई है वह बिल्कुल शर्मनाक, दर्दनाक है। इसी तरह से हिण्डौन में भी एक घटना घटित हुई थी। वहां थानेदार मौजूद था, उसने जाट-जाटवों के झगड़े कराये। महावीरजी से लगा करके उसने गूजरों और मीणों में झगड़ा कराया। महुआ में जब उसकी पोस्टिंग थी तब मीणों और गूजरों का झगड़ा कराया। जैसे ही कुम्हेर में उसका पोस्टिंग हुआ तो वहां जाट-जाटवों का झगड़ा कराया। 1 जून को जो संजय सिनेमा पर झगड़ा हुआ था टिकटों को लेकर के, उससे तनाव बढ़ा था लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की थी। 3 तारीख को कुछ आदमी आ रहे थे तो सिनेमा पर जो कर्मी तैनात थे, जो गेट मैन थे उन्होंने उनको पीटा, उसको लेकर झगड़ा हुआ। ये लोग थाने पर एफ. आई. आर. लॉज करवाने गये तो उनकी एफ. आई. आर. लॉज नहीं हुई। एस. पी. और डी. आई. जी. के बीच में आपस में विवाद था तो 5 जून को एस. पी. साहब ने डी. जी. साहब को टेलीफोन करके, वायरलेस मेसेज देकर कहा कि इस तरह से झगड़ा होने की सम्भावना है तो आई. जी. साहब 8–9 बजे रात को पहुँच गये।

(4.00 म. प.)

एक एस. पी., डी. आई. जी. को बाई पास करके सीधे आई. जी. से बात करे तो क्या अफसरों को आपस में विश्वास नहीं रहा ? इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है ? उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद में 6 जून को 12 बजे कुम्हेर थाने के सामने से 30–40 ट्रैक्टरों में हथियारों से लैस होकर पैंगोर में पंचायत के लिए लोग जा रहे थे। उस समय एस पी. साहब, आई. जी., डी. आई. जी. साहब और कलेक्टर साहब वहां पर बैठे हुए थे। उनको जब यह पता था कि कुम्हेर में झगड़ा होने वाला है तो प्रशासन ने उनको क्यों नहीं रोका ? यदि प्रशासन उनको रोक देता तो यह घटना घटित नहीं होती। यह सारा काम प्रशासन की अकर्मण्यता का प्रमाण है। 7 तारीख को हमारे गृह मंत्रीजी, डी. जी. साहब और एस. पी. साहब थाने में बैठे

(श्री भरोसीलाल जाटव)

हुए थे। 7 तारीख को सैंथरी में 3 बालकों की निर्मम हत्या कर दी गयी। उससे ज्यादा और क्या शर्मनाक घटना हो सकती है ? मैंने कुम्हेर के पीड़ित क्षेत्रों में भी जाकर देखा है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमको भेजा था। वहां पर लोगों से पूछा, सहायता जरूर मिली है, उससे वे लोग सन्तुष्ट हैं लेकिन सहायता से सन्तुष्ट होना कोई बात नहीं है। माँओं के पति चले गये, बहनों के भाई मारे गये। जो लोग वहां पर मरे हैं, उन लोगों को अभी तक नौकरी नहीं दी गई। उनको ज्यादा सहायता देने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से 5 तारीख को सवाईमाधोपुर से पुलिस फोर्स मंगायी गयी, धौलपुर से मंगायी गयी, अलवर से मंगायी गयी प्रशासन को पूरा पता था कि कुम्हेर में ऐसी घटना घटित हो सकती है लेकिन उसके ऊपर प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं तो इतना कह सकता हूं कि प्रशासन के जो भी लोग दोषी हैं और समाज में भी कोई गुंडे तत्व के व्यक्ति हों, उनको कभी बख्शा नहीं जाना चाहिए। जयहिन्द !

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री अरुण सिंह।

श्री अरुण सिंह (डीग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुम्हेर में जो घटना हुई, जो कांड हुआ, वह शर्मनाक थी। इसके लिए मैं सरकार से कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा हूँ पर जिन अधिकारियों ने मुख्य मंत्रीजी को गुमराह किया, उनको दण्ड मिलना चाहिये। 5 तारीख को वरिष्ठ आई. जी., क्राइम एम. एस. मधोक, reaches Bharatpur He goes to Kumher. 10·30 बजे वे एस. पी. आफिस भरतपुर पहुँच जाते हैं। नदबई के विधायक श्री यदुनाथ सिंह, मेरा छोटा भाई विश्वेन्द्र सिंह और हम मिलने जाते हैं। आई. जी. क्राइम, फ्यूचर डी. जी. राजस्थान, उन्होंने हमारे को बहुत गुमराह किया। बदतमीजी से बोला, हमारे पास पर्याप्त फोर्स है, हम तो भरतपुर वालों को जानते हैं। हमने कहा, आई. जी. साहब, इतना हवा में मत उड़ो। भरतपुर राजा मानसिंह जब मारे गये तो एक सीनियर आई. जी. एच. पी. भटनागर पहुँचे, डी. राजनारायण जी वहां पहुँचे थे। एक भाषण देकर वे तो चले गये परन्तु 6 आदमी और मारे गये वहां डीग में। तो हमने कहा, इन चीजों को बहुत गम्भीरता से लो। हमारे को जवाब दिया, पर्याप्त फोर्स है, आप हमारे को सूचित करो कि यह पंचायत हो रही है। हम वहां कोशिश करेंगे पैंगोर जाने की, आप माहौल शांत करें। उन्होंने प्रयास भी किया लेकिन एक घंटे बाद कुम्हेर में 13 आदमी मारे जाते हैं। 300 पुलिस कर्मचारी वहां थे, जिला एस. पी. कपिल गर्ग वहां था और जितने भी वरिष्ठ अधिकारी थे—आई. जी. एम. एस. मधोक, डिवीजनल कमिश्नर एन. के. बैरवा, डी. आई. जी. पी. एन. रछोइया और जिला कलेक्टर तापेश्वर कुमार पंवार, काहिरों के जैसे 10 बजे ही भाग गये। उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि ये अधिकारी वहां कुम्हेर में बैठें, कानून व्यवस्था सम्भालें, पैंगोर जायें और लोगों

(श्री अरुणसिंह)

को विश्वास में लें कि ठीक है। वहां बड़े मोहल्ले में हमने रेड करवायी, 4 पुलिसकर्मी घायल हुए, बारूद बरामद हुआ, बंदूकें बरामद हुईं, बम बरामद हुआ। इस बात की तो मैं बधाई देता हूँ कि+ + + कपिल गर्ग वहां अकेला फंस गया। कुम्हेर से इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती है। एक एडिशनल एस. पी. इंटेलिजेंस भरतपुर में बैठा रहता है। रिपोर्ट विस्फोटक स्थिति बताती थी यहां पुलिस हैड क्वार्टर पर। इंटेलिजेंस रिपोर्ट बताती थी कि कपिल गर्ग के खिलाफ पूरी पुलिस फोर्स है। + + +कपिल गर्ग आदेश दे रहा था, फायर, फायर। पर 350 पुलिसकर्मियों ने फायर नहीं किया, उल्टा अपने हथियार ही फेंक दिये। तो जिम्मेदार है इसमें पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेटिव लेप्सेज हुए और एक कारण यह है कि यह जो व्यवस्था बैठी हुई है जयपुर में, यह भरतपुर के साथ उपेक्षा करती है। ठीक है, कल्चरली हम आपके साथ नहीं मिलते हैं। यह तो गलती है कि हम मर्ज हो गये आपके साथ 1948 में मेरे ताऊ की वजह से कि भाइयों, हमें भाइयों के साथ रहना है। हाँ, कल्चरली हम ब्रज में होने चाहिये। हम लोगों को यहां के वरिष्ठ अधिकारी मानते ही नहीं हैं, न समझ पाते हैं। तो मेरा अनुरोध है दोषी अधिकारियों को दण्ड मिलना चाहिये। जहां तक मुआवजे का सवाल है, वह पर्याप्त है। इस्तीफे का सवाल है, मैं नहीं मानता हूँ कि ठाकुर भैरोंसिंह जी इस्तीफा दें।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का 13वां प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओम प्रकाश गुप्ता, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के 13वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

श्री नत्थी सिंह : वे रह गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वे कर रहे हैं। 5 बज रहे हैं इसलिए बीच में ले रहा हूँ.......

(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : मैं कार्य सलाहकार समिति के....

श्री उपाध्यक्ष : मैं समाप्त नहीं कर रहा हूँ। समाप्त नहीं हो रहा है।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : ....13वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूँ। प्रतिवेदन इस प्रकार है :—

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 16-09-1992 को मध्यान्ह पश्चात् 2 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में हुई। समिति ने निर्णय लिया है कि दिनांक 17 व 18 सितम्बर, 1992 को सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए :—

गुरुवार, 17-09-1992—

(1) मोटरयान राजस्थान संशोधन विधेयक, 1992

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री ओमप्रकाश गुप्ता)

(2) अपराधी परिवीक्षा राजस्थान (संशोधन) विधेयक, 1990

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता राजस्थान (संशोधन) विधेयक, 1991 पर विचार एवं पारण

शुक्रवार, 18-09-1992—

(1) राजस्थान साधारण खण्ड (संशोधन) विधेयक, 1991

(2) भारतीय दंड संहिता राजस्थान (संशोधन) विधेयक, 1991

(3) राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार एवं पारण

इसी प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख है माननीय अध्यक्ष की तरफ से कि दिनांक 17-09-1992 को विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयकों पर कोई भी माननीय सदस्य संशोधन की सूचना देना चाहे तो आज दिनांक 16-09-1992 को सायंकाल 5.00 बजे तक ग्राह्य होंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 13वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति व्यक्त करता है। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष जी, बिजनेश एडवाइजरी कमेटी ने जो प्रतिवेदन सदन में अप्रूवल के लिए चीफ व्हिप महोदय ने रखा है इसमें मेरा एक संशोधन है। कुम्हेर का काण्ड एक बहुत संवेदनशील मामला है और अभी बहुत से माननीय सदस्य चर्चा में भाग लेने वाले हैं। उसके बाद में आपने विधायी कार्य रखा है, दो बिल हैं—राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू (अमेण्डमेंट) बिल और राजस्थान टिनेन्सी एक्ट (अमेण्डमेंट) बिल। पहले जब कभी भी विधेयकों पर चर्चा होती थी तो विधेयकों पर पूरा समय दिया जाता था। घण्टों तक विधेयकों पर चर्चा होती थी, परन्तु यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। सरकार की रिप्लाई बाकी है उसके बाद कुछ प्रश्न भी पूछे जायेंगे। तो मेरा निवेदन है कि शासन की तरफ से अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करते हुए कल के जो तीनों बिल हैं वे छोटे बिल हैं, तो आज जो विधायी कार्य है वह कल लिया जाना चाहिए, यह मेरा संशोधन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष जी, बी. ए. सी. की मिटिंग में जो प्रश्न आपने उपस्थित किया है उस पर चर्चा हो चुकी है। इसमें आपके पार्टी के भी वरिष्ठ नेता उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति में सब कुछ निर्णय हुआ है। इस प्रकार से संशोधन इस सदन की परम्परा के अनुकूल नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : जिस वक्त बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी, मैं मेरी पार्टी के प्रतिनिधियों का प्रतिवाद नहीं कर रहा, लेकिन इतना समय लग जायेगा इस संवेदनशील मामले में यह प्रश्न उस वक्त शायद आपके सामने नहीं था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस समय चर्चा यह हुई थी कि रात के 12.00 बजे तक चाहे बैठना पड़े आज का एजेण्डा आज ही पूरा करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : पहले दिन ही आप वोटर–एक बजा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बारह–एक तो बजते रहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : वे तो कल ही जायेंगे। इसमें प्रेस्टीज का सवाल नहीं है, आज नहीं होंगे तो कल हो जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह ठीक है, लेकिन बिजनस तो होना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : बिजनेस तो हो ही रहा है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो आपने संशोधन पेश करने का टाइम दिया 5 बजे तक, वह बहुत कम है। इसे सुबह 9 या 9.30 बजे तक अलाउ कर दीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बिल ही सर्कुलेट नहीं हुए।

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन के लिए 6 बजे तक अलाउ किया जा सकता है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बिल तो हैं ही नहीं, कहाँ से संशोधन देंगे।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : कल 9.30 बजे तक अलाउ कर दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : बिल दे दिए गए हैं। दो पहले दे दिए हैं, एक अभी सर्कुलेट कर दिया गया है।··· (व्यवधान)

आज 5 बजे तक की जगह 6 बजे तक का समय दिया जाता है।

श्री निर्भय लाल जाटव : इस कुम्हेर काण्ड को ठण्डा करने के लिए ही ऐसा हो रहा है क्या ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, उन बिलों को हम लेकर ही नहीं आये क्योंकि पता नहीं था कि आप आज दो ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : दो घण्टे का तो पर्याप्त समय है इसमें।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : बिल तो हमारे पास है ही नहीं, एक बिल मिला है। कल 9–9.30 तक अलाउ कर दीजिए ताकि जो संशोधन देना चाहेंगे दे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की सहमति है तो संशोधन देने के लिए आज 8 बजे तक का समय अलाउ किया जा सकता है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : सुबह 9.30 बजे तक।

श्री उपाध्यक्ष : आज 8 बजे तक के लिए अलाउ किया जाय।

श्री यदुनाथ सिंह : जो बिल पहले सर्कुलेट हो गए उनका हमें क्या पता ? वे हम लाये ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : वह एजेण्डा पहले आ चुका है।

श्री यदुनाथ सिंह : वे तो घर पर पड़े हैं। हमें बताया अब थोड़े ही कि कल होगा।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें एक सुझाव है. सायंकाल 5 बजे की बजाय हम यह कर देते हैं कि आज की कार्यवाही समाप्त होने तक।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 13वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

सदन के द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

माननीय श्री दिग्विजय सिंह।

शासकीय वक्तव्य

कुम्हेर में साम्प्रदायिक दंगा

श्री रामस्वरूप मीणा : अभी तो चर्चा ही नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी राय है कि इस विषय पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है। अब सेम पाइन्ट्स का रिपिटेशन चल रहा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह नहीं होगा। यह कैसे होगा ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोई नये तथ्य आ नहीं रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप बोलने का अवसर देंगे तभी तो आयेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : टाइम लिमिट बांध लीजिए। दो-दो मिनट का समय देतें हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : दो-दो मिनट में क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : समय सीमा तो हो इसकी।........(व्यवधान) मेरी समझ में सारी बातें आ चुकी हैं। कोई नये तथ्य आने वाले नहीं हैं।........ (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला : नये-नये तथ्य आयेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ईश्वर लाल सैनी। विराजिए आप। अब आप विराजिए। ऑर्डर प्लीज।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति के साथ अन्याय हो रहा है और आप बोलने का अवसर ही नहीं दे रहे हैं। सुबह आप कह रहे थे हमको अवसर दिया जायेगा और अब हमको अवसर नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जाइये आप।

श्री ईश्वर लाल सैनी : यह ऐसा मसला है जो पूर्व में कभी राजस्थान में नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : रिपिटीशन नहीं होना चाहिए।

श्री ईश्वर लाल सैनी : मैं बहुत जल्दी बोलूंगा और रिपिट भी नहीं करूंगा, आप निश्चित रहिए। मेरे कहने का सीधा-सा तात्पर्य यह है कि इसमें सीधे-सीधे सारा प्रशासन जिम्मेदार है और उससे यह सरकार भी नहीं बच सकती। मैं सबसे पहले

(श्री ईश्वर लाल सैनी)
यहां से शुरू करता हूँ कि सरकार की बड़ी भारी इंटेलिजेंस और सीक्रेट सर्विस के पास लाखों रुपए ऐसे हैं जो वे कहीं भी खर्च हो सकते हैं। उनका लेखा-जोखा भी नहीं होता है यह मुख्य मंत्रीजी अच्छी तरह से जानते हैं। इस काण्ड में इस सर्विस ने, इन्टेलिजेंस ने कोई परवाह नहीं की। यह कांड एक तारीख को शुरू हुआ है, हो तो पहले से ही गया था। गृह मंत्री महोदय, आपको ध्यान होगा आप 19 मई को वहां हो आए हैं और वहां बहुत कुछ करके आये हैं। वहां आदेश भी देकर आए हैं लेकिन आपके आदेश की अवहेलना की गई है। मुख्य मंत्रीजी ने आपको भेजा है, मुख्य मंत्रीजी खुद नहीं गए। मैं 19 तारीख की बात कर रहा हूँ, आप गए क्योंकि आपका अलवर में प्रोग्राम था महाराज जयसिंह की जयन्ती के संबंध में आपको मुख्य मन्त्रीजी ने वहां भेजा और रात के 8 बजे आप वहां पहुँचे हैं। उसी कारण से आप गए थे लेकिन उन अधिकारियों ने आपके आदेशों की अवहेलना की, आपके आदेशों की कोई परवाह नहीं की।

दूसरा, यह काण्ड एक तारीख से घट रहा था। इंटेलिजेंस के जो आई. जी. हैं ......

श्री दिग्विजय सिंह : आप कह रहे हैं आदेशों की पालना नहीं की। मैं क्या आदेश देकर आया था ?

श्री ईश्वर लाल सैनी : आप वहाँ व्यवस्था करके आये थे। वहां झगड़ा शुरू हो रहा था उसकी व्यवस्था करके आये थे कि यहां पर झगड़ा नहीं होना चाहिए।

श्री दिग्विजय सिंह : उसके मुआवजे की बात कहकर आया था, मुआवजा मिल गया।

श्री ईश्वर लाल सैनी : मुआवजे की बात भी आपने की और आप व्यवस्था भी करके आये थे। झगड़ा उसके पहले से चल रहा था उसके बाद भी उसको नजरअन्दाज किया गया। दूसरी बात, एक तारीख से शुरुआत हुई और इंटेलिजेंस के जो आई. जी. हैं मि. अशोक भण्डारी वे 3 तारीख को यादगार में मीटिंग कर रहे थे, यानि उन्होंने आपको खबर नहीं दी जबकि रोज वहां से घण्टे-घण्टे बाद खबर आ रही थी कि यहां टेंशन है। एक को टेंशन, दो को टेंशन, तीन को भी टेंशन थी लेकिन वह क्या कर रहे थे कि यहां आर. पी. एस. के दो ग्रुपों में फूट डलवा रहे थे। वे कम से कम 60–70 आदमियों की मीटिंग ले रहे थे। मैं निवेदन करता हूं कि सी. एम. सचिवालय के आदेशों की भी पालना नहीं हुई। आपने सबसे पहले एक आदेश किया कि फलां आई. जी. वहां जायेगा तो उन्होंने बहाना बना लिया कि मेरे धूल से एलर्जी है। जब दूसरे आई. जी. को आदेश किया सी. एम. के सेक्रेटरी ने तो उन्होंने बहाना बनाया कि मुझे दस्त लग रहे हैं। जब तीसरे को आपने आदेश किया तो उन्होंने कहा कि मेरी मोटर रास्ते में खराब हो गई इसलिए मैं देर से पहुँचा हूँ। हुआ यह है कि या तो गर्मी होने से या गर्म होने के लिए रात को आठ किलो बर्फ खर्च हुई उसमें, सर्किट हाउस में। मुख्य मंत्रीजी, आपने आदेश कर दिये, यह बात सही है कि आपने जुडीशियल आदेश भी कर दिये, आपने सी. बी. आई. को भी दे दिये, और

(श्री ईश्वर लाल सैनी)

भी आपने व्यवस्था कर दी लेकिन ये आदेश तो आपने बीलवाड़ी काण्ड में भी किये थे। उस बीलवाड़ी काण्ड में, जबकि सारा सदन एकमत था, उसके बाद आपने एक प्रशासनिक आदेश जारी करके इन्क्वायरी कराई और उस निर्दोष डी. एस. पी. को, एस. पी. को आपने सस्पैण्ड कर दिया। क्या आज वह इन्क्वायरी सी. बी. आई. के पास नहीं है? जिस रोज यह काण्ड हो रहा था उस रोज, श्रीमान् मुख्य मंत्री महोदय, आप अलवर में बिराजमान थे साठ-सत्तर किलोमीटर पर। क्या आपके पास वायरलैस नहीं था, क्या आपके पास मैसेज नहीं पहुँचा था कि अलवर से आप वहां जा सकते थे? अगर आप चाहते तो सीधा वहां जा सकते थे। इसमें पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन बच नहीं सकता। मैं आपसे अन्त में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि एक छोटा-सा काण्ड हुआ था मसारी में। सेशन चल रहा था, सरकार कांग्रेस की बैठी हुई थी, मुख्य मंत्री शिवचरण माथुर थे, अशोक गहलोतजी गृह मंत्री थे, मसारी में कोई मर्डर नहीं हुआ था सिर्फ बरात को रोका था लेकिन तुरन्त हमारे गृह मंत्री ने, कांग्रेस के अशोक गहलोत ने यह घोषणा कर दी कि मैं अभी तुरन्त एक तो सब इन्स्पेक्टर को, एक ए. सी. एम. को और एक ए. एस. आई. को निलम्बित करता हूँ। उनको निलम्बित कर दिया और दोनों, एस. पी. और कलक्टर का ट्रांसफर कर दिया। लेकिन आज चार महीने हो गये, इसमें आप इन्क्वायरी बैठा कर बरी हो गये। जिस बीलवाड़ी काण्ड में आपने एडमिनिस्ट्रेटिव पाइंट ऑफ व्यू से उनको सस्पैण्ड किया, क्या आप एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर जिन अधिकारियों ने यहाँ पर कोताही बरती है, क्या उनको आप इनाम देने जा रहे हैं? क्या आप एडमिनिस्ट्रेटिव पाइंट पर इन्क्वायरी कराकर किसी भी बड़े अफसर को आज सस्पैण्ड करने की घोषणा करेंगे? मैं इसमें नहीं जाता कि एक तारीख को क्या हुआ, दो तारीख को क्या हुआ, तीन तारीख को क्या हुआ, मैं आपको यह साबित करना चाहता हूँ कि पुलिस अफसरों ने इसकी अहमियत ही नहीं समझी। चार तारीख को वायरलैस भेज दिया थ्रू डी. जी. मार्फत आई. जी. कि यहां से पुलिस विथड्रा कर ली जाए। इस वायरलैस की कॉपी मेरे पास है। यही नहीं, इसके अलावा सात तारीख को जब डी. जी. भी वहाँ पहुँच गये, आई. जी. भी वहाँ थे, दो-दो आई. जी. वहाँ बैठे थे तो सात तारीख को फिर तीन आदमियों का कत्ल हो गया। रिपोर्ट लिखा दी, पुलिस में रिपोर्ट है, उसका नम्बर भी है और उसके बाद सिफारिश कर दी सेशन जज को कि इनको बरी कर दिया जाय। सेशन जज ने अपने निर्णय में लिखा है कि नहीं, यह जघन्य अपराध है, इसमें मैं बरी नही कर सकता। इसमें आपका कितना दोष है यह तो आप ज्यादा जानते हैं लेकिन आज आपको यह घोषणा करनी पड़ेगी कि इन अफसरों को जो इसमें दोषी हैं, मैं सस्पैण्ड करता हूँ। यह हमारी सरकार पहले कर चुकी है। हमारे मुख्य मंत्री माथुर इस्तीफा दे चुके हैं उस काण्ड में, मान सिंह काण्ड में। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री निर्भयलालजी।

श्री निर्भय लाल (रूपवास) : माननीय

(श्री निर्भयलाल)

उपाध्यक्ष महोदय, कुम्हेर काण्ड के लिए हर आदमी कह रहा है कि बड़ा जघन्य है, कोई जघन्य अपराध नहीं है क्योंकि शिड्यूल कास्ट करते हैं, मरते रहो। चींटी के बराबर रूह नहीं। क्यों शिड्यूल्ड कास्ट के साथ हर जगह अन्याय होता रहता है ? हम एम. एल. ए. की बात अधिकारी नहीं मानते, तहसील का तहसीलदार और कोई कर्मचारी एम. एल. ए. नहीं मानता। यानि किसान और मजदूर मरते रहो, हरिजन मरते रहो, कोई बात नहीं। कुम्हेर का काण्ड बहुत बडा काण्ड हुआ है, इतना बडा काण्ड हुआ, ऐसा राजस्थान में कहीं नहीं हुआ। देश-विदेश की बात तो मैं कह नहीं सकता, और प्रान्तों की बात कह नहीं सकता पर हकीकत को तो आपके सामने और मुख्य मंत्रीजी के सामने मैं कह सकता हूं, जितना मुझे पता है। जो पता है उसको कहूँगा, आप देख लेना कि असलियत क्या है और सही क्या है। माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, कुम्हेर का काण्ड हुआ इसके पहले मोरोली काण्ड हुआ। मोरोली काण्ड में हुआ क्या ? आपस में ब्राह्मणों और जाटवों में झगड़ा हुआ। जाटवों और ब्राह्मणों में झगड़ा हुआ तो किया क्या—ब्राह्मणों ने जाकर कि जाटों, तुम्हारे आदमियों को मार दिया। कहानी पूरी कहूँगा, इसमें टाइम लगेगा। देख लेंगे बुद्धिजीवी आदमी कि इसमें गलती किस की है और क्या है। तो उन्होंने कहा कि कहां मार दिया जाटवों ने, कि वहां मार दिया मोरोली में। वहां से जाट लोग चले तो झगड़ा हुआ। उन्होंने यह नहीं देखा कि असलियत **क्या है** और गलती क्या है, कोई बात नहीं, वहां झगड़ा हुआ। एस. पी. ने जो हकीकत थी उस टाइम पर हकीकत का मुआयना किया और दोषियों को दोषी बनाया और निर्दोष को छोड़ दिया। चाहे जाटव थे, चाहे जाट थे, दोनों को पकड़ा। एक को पकड़ा, दस को पकड़ा, पचास को पकड़ा, पकड़ा जरूर दोनों पक्षों से। फिर कहानी क्या होती है ? अब एस. पी. के दिल में घबराहट हुई कि मुझसे तो यहां के जाट और जनरल कास्ट के लोग नाराज हो गये, अब धीरे-धीरे इसका बदला चुकाना चाहिए, मुझे रहना है भरतपुर में एस. पी. बनकर। इसलिए एक काण्ड हुआ एक तारीख को, सिनेमा में झगड़ा हुआ। उसका बदला चुकाने के लिए एस. पी. का सारा रोल रहा जबकि एडिशनल एस. पी. ने, डी. एस. पी. ने सब कुछ कहा है कि जाटवों के यहां रेड मत मारिये, ऐसी पंचायत हो रही है। तीन तारीख को हुई है, पाँच तारीख को हुई है और पण्डित रामकिशनजी भी पाँच तारीख को मीटिंग करके कुम्हेर में आये। इनके सामने लोगों ने कहा कि दोनों जातियों जाटव और जाट से ब्राह्मण और बनिये, दोनों कौम असंतुष्ट हैं कुम्हेर के। तो उन्होंने क्या कहा कि बनिये बेचारे क्या कर सकते हैं, बाजार का ही काम करते हैं। तो इन लोगों ने लड़ाया है इस ढंग से, परेशान थी दोनों कौम से यह कौम, ब्राह्मण और बनिये। कुम्हेर में तो जाटवों से और गांवों में जाटों से। तो इन्होंने कहा—पण्डितजी के सामने मीटिंग हुई कि भैया कैसे-कैसे बात हो गई, सेठों ने पूछा कि भैया अब क्या करें, कि भैया देख, पैसा तो हमारी डींग हांकता है, कानून हमारी डींग हांकता है और लट्ठ तो हमारे डींग हांकता है। लट्ठ की बात

(श्री निर्भयलाल)

हमने जानी, तो भैया, हो जाने दो। तो साहब, पांच तारीख को झगड़ा हुआ छह को आदमी मरें। एस. पी. साहब कह रहे हैं कि मेरे सामने ट्राली ईग हैं पचास-सौ। एस. पी. साहब किस बात के लिए लग रहे हैं, साहब ? मोहन सिंहजी को बुला लो, आप पूछ लो, डी. एस. पी. से पूछ लो, एस. पी. का कितना रोल रहा,, मोहन सिंहजी की यही थोड़ी सी जात बिरादरी की भावना वदल गई। मैं तो स्पष्ट कहूँगा चाहे गलती किसी की हो, चाहे जाटवों की हो, चाहे जाटों की हो, हुआ तो यह है। आपस में ये लड़ना कभी नहीं चाहते पर लड़ाया है इन लोगों ने। तो, साहब, देखो, दोष तो पुलिस का सबसे बड़ा है। पुलिस में दोष किसका है ? बदला चुका लिया गर्ग ने तो, साहब, जितनी जातीयता की बात आई उतना ही उसने बदला चुका लिया। डी. आई. जी. साहब को पहले ही पावरलैस कर दिया, पावरलैस क्यों कर दिया ? एक बात बताओ, एस. पी. (सी. बी.) जनरल से बात कर रहा है, ऐसा कहीं होता है क्या पुलिस में ? पुलिस में तो एक नियम होता है कि एस. पी. डी. आई. जी. से बात करे, डी. आई. जी. आई. जी. से बात करे, आई. जी. डी. जी. से बात करे। ऐसा नियम हमने सुना है, जब से एम. एल. ए. बने हैं तब से। पहले पता नहीं था अब धीरे-धीरे जान रहे हैं। जब हमारे अधिकारियों की लड़ाई होती है, हमारे भरतपुर जिले में आप लोगों ने करा राज, हमने खुद गुलामी की। मेरे बाबा ने की, मेरे बाप ने की और थोड़ी-बहुत हम करते रहे। अब अपने हक को हम समझने लगे तो अब गुलामी तो रही नहीं। लड़ाई तो इस बात की है कि गुलामी दुबारा हो नहीं, हमारे अधिकारों की हम लड़ाई लड़ें तो हमको देखकर खुश नहीं होवे। इसलिए मुख्य मंत्रीजी से मैं तो यही कहता हूं कि गुण्डे की तो कोई जाति नहीं होती है चाहे जाटव हो, चाहे जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो। जो आपने हमसे वायदा किया अपने चैम्बर में कि गुण्डों को दुरुस्त कर दूंगा तो गुण्डों को दण्ड देने का समय आ गया है। चाहे जाटव हो, चाहे जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, गुण्डों को तो कर दो ठीक और जिन पुलिस के अधिकारियों ने गलती की है उस गलती का उनको एक बार मजा चख जावे तो आइंदा कोई झगड़े नहीं होंगे। पुलिस का मन बढा है। चाहे जाटव मर रहें हों तो मरो, जूं के बराबर रूह नहीं या और कोई जाति मरे तो मरती रहे। पुलिस करा रही है सब झगड़े, मेरा तो कहने का मतलब यह है। मधोक साहब पांच तारीख की रात को पहुँच गये, डी. आई. जी. को पावरलैस कर दिया, वायरलैस मैसेज देख लो कि इनको पावरलैस किया है या नहीं किया है। आप तो अलवर में थे, अलवर में ड्यूटी लगा दी। डी. आई. जी. साहब वहां जायेंगे या धौलपुर जाना है. पता नहीं क्या क्या हुआ, सारा कुछ नाटक हुआ। हम लोगों के तो गवर्नमेंट कर्मचारी कम हैं, हम लोगों के सिपाही कम हैं इसलिए मालिक, हुआ तो यूं है कि हमसे तो सब बदला लेना चाहते थे, वह बदला चुक लिया, चुकेंगे और मन में आये जैसे करेंगे। राजस्थान के हम भी नागरिक हैं और आपके छोटे भाई या बेटे हम भी हैं इसलिए बराबर का अगर थोड़ा-सा हमको हक मिल जायेगा तो हम

(श्री निर्भय लाल)

भी आपके साथ सुशोभित होंगे और आप भी हमारे साथ सुशोभित होंगे। मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे अधिकारियों का पूरा संरक्षण किया जाये। आपसे बड़ी उम्मीद है। आपने जो बेनिफिट दिया है, जो मुआवजा दिया है कुम्हेर की पब्लिक सन्तुष्ट हुई है। यह जरूर मानना पड़ेगा कि वह एक बात से सन्तुष्ट नहीं है। आपने कहा था कि मैं गुण्डों को ठीक कर दूंगा। दो महीने में कर दूंगा, तीन महीने में कर दूंगा, लेकिन, माननीय मुख्य मन्त्री जी, गुण्डे और बढ़े हैं गुण्डे घटे नहीं हैं। न जाटवों का भय दूर हुआ है। यह मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि वहां पर झगड़ा फिर कभी भी हो सकता है क्योंकि छोटी-छोटी बातों पर रास्ते पर, मेंड पर जाटवों के रास्ते रोके जा रहे हैं। कम से कम दस गांवों की बात तो मैं आपको बता सकता हूं। जब पहले आपकी जागीरदारी थी, आपका राज था' राजाओं का राज था, आपकी जमींदारी थी, हमारे पास जमीन तो थी नहीं हम उसी जमीन में से होकर निकलते थे। कोई सरकारी रास्ते तो उस समय में थे नहीं। अब मनमुटाव हो गया तो आप अपने खेत में से क्यों निकलने देंगे? इसलिए आपकी भी यह जिम्मेदारी है कि उनके लिए आप और कोई व्यवस्था करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं बार-बार यही निवेदन करूंगा कि अगर आप वास्तव में गरीबों के हितैषी हैं और रक्षक हैं तो गरीबों की जाकर सुनें। उनके लिए रास्ते हों, कुओं पर जाने के लिए रास्ते हों, गांव से बाहर सड़क तक जाने के लिए रास्ते हों। इसके लिए व्यवस्था करेंगे तो आपको पब्लिक बहुत अच्छा कहेगी। हमारे साथ में पुलिस ने जितनी गद्दारी की है उनको पनिशमेन्ट के लिए आपने न तो एक को भी टर्मिनेट किया, न एक को भी सस्पैण्ड किया। इसलिए पुलिस का मनोबल बढ़ा है और हमारे ऊपर अत्याचार होते रहे। हम जाटवों को अदर कास्ट से इतना भय नहीं है जितना पुलिस से भय है। माननीय मुख्य मंत्री जी हम केवल एम. एल. ए. इसलिए नहीं बने हैं कि हम कोई बात कह नहीं सकते। आपके सामने बात तो कह सकते हैं चाहे एम. एल. ए. बनें या नहीं बनें। सही बात आपके सामने रखेंगे, जरूर रखेंगे चाहे आप अपनाओ या नहीं अपनाओ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रसाद लड्ढा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (वैर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भरतपुर जिले के कुम्हेर क्षेत्र की जो घटना हुई है उससे सदन को अवगत कराना चाहता हूं। सबसे पहले मैं सदन से एक बात पूछूंगा, सभी जाति के लोग हैं, हम हिन्दू हैं या नहीं? दूसरी बात, हम देश के नागरिक हैं या नहीं? अगर हम देश के नागरिक हैं, अगर हम हिन्दू हैं, अगर हम समाज के अंग हैं तो हमारे ऊपर अत्याचार क्यों? आज चालीस साल हो गए, माननीय मुख्य मंत्री जी और हमारे विपक्ष के नेता, बड़े जोरों से देश के बहुत बड़े नेता महात्मा गांधी का नाम लिया जा रहा है। महात्मा गांधी ने कभी नहीं कहा कि हरिजनों के साथ अत्याचार हो। महात्मा गांधी ने यह कभी नहीं कहा कि हरिजनों को न्याय नहीं मिले। महात्मा गांधी ने यह कभी नहीं कहा कि हमारे लोगों को कुओं पर पानी नहीं पीने दिया जाए, बरात को नहीं चढ़ने दिया जाए। महात्मा गांधी ने तो नहीं कहा।

103

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

महात्मा गांधी ने तो यह कहा था कि भारत आजाद होगा और जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं इनको आगे बढ़ाया जायेगा, इनको शिक्षा दी जायेगी, इनको इस तरह का वातावरण दिया जायेगा। आज चालीस साल के शासन में हम लोगों को इस तरह से मार दिया जाता है, इस तरह से कुचल दिया जाता है और आज हमारी कोई सुनवाई नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी आपसे हम कई बार मिले, आपने हमें विश्वास दिलाया कि आप निश्चिंत रहिये, भरतपुर जिले में इस तरह की घटना नहीं होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं दूसरी बात पर जाना चाहता हूं। तारीख 1 को घटना हुई, क्यों हुई, इसका क्या कारण था, माननीय मुख्य मंत्री जी को मालूम है। तारीख 3 को घटना हुई, वह क्यों हुई, माननीय मुख्य मंत्री जी को मालूम है और पूरे अधिकारियों को मालूम है। तारीख 5 को और 4 को जो सारी घटना हुई उसकी सारी जानकारी पूरे प्रशासन को है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि हमने ऐसा कौन-सा पाप किया जो हमारी बरात भी नहीं चढ़ सकती? मेरे वैर क्षेत्र से कुम्हेर के पास एक गांव है वहां बरात गयी। दूल्हे के बाप को बुला कर खेत में मार दिया और बरात नहीं चढ़ने दी। कुम्हेर काण्ड तो इस तरह से हो गया पर यह कैसे हो गया? क्या इसमें पुलिस का हाथ नहीं था? अब मैं दूसरी बात पर आना चाहता हूं। एडीशनल एस. पी. मौके पर मौजूद था, एडीशनल एस. पी. वहां जाकर बातचीत करता रहा है और उनको हथियार दे रहा है, उनको शह दे रहा है। एडीशनल एस. पी. के खिलाफ आज तक कुछ नहीं किया। एस. पी. वहां पर मौजूद था। वहां दंगा हो रहा है और रैली उसके सामने से होकर गुजर रही है, उनके पास हथियार थे, किसी आदमी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की। पुलिस को अधिकार नहीं दिये कि इस तरह की घटना क्यों हो रही है। माननीय डी. जी. श्री शेखर साहब तो हमारे भरतपुर के हैं, 4 तारीख को इन्होंने एक आदेश फर्माया कि धौलपुर से आर. ए. सी. भिजवाई गयी। 4 तारीख को आदेश दिये कि कोटा से आर. ए. सी. भिजवाई गयी। चार सौ आदमी मौके पर पहुंच गये थे। यह घटना क्यों हुई? मधोक साहब 4 तारीख की शाम को वहां पहुंचे। मधोक साहब डी. आई. जी. के अधिकार छीन लिये और कहते हैं, डी. आई. जी. वहां मौके पर मौजूद थे। डी. आई. जी. के अधिकार क्यों छीने गये? कहते हैं कि वे शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी हैं। कलक्टर बैठे हुए थे, उनकी तो जानकारी में ही नहीं है। आई. जी. साहब वहां मौके पर मौजूद थे, 6 तारीख को कुम्हेर में गये और बातचीत हुई। वहां पर लोगों को मारा गया। एक चपरासी ड्यूटी पर जा रहा था, नत्थी नाम का जाटव था उसको मारा गया। उसको गांव के लोगों ने मना किया कि तुम मत जाओ, तुम्हारे साथ कोई घटना हो सकती है लेकिन उसको जबर्दस्ती मारा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि डी. जी. श्री शेखर साहब थे इनको सारी जानकारी थी, क्यों नहीं इन्होंने इसकी कार्यवाही की? मैं श्री शेखर साहब पर आरोप लगाना चाहता हूं, वे नोट कर लें। उसके पहले मोरोली

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

काण्ड हुआ था वह ब्राह्मणों और जाटवों का झगड़ा था। इन्होंने इसलिए आदेश नहीं दिये कि जाटवों और जाटों का झगड़ा होना चाहिए, और डी. आई. जी. के अधिकार छीन लिये। इसमें शेखर साहब का हाथ था। मधोक साहब को भेजा और मधोक साहब ने वहां कोई कार्यवाही नहीं की। आज तक चालीस साल के शासन में महात्मा गाँधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू और बड़े-बड़े देश के लोग जो शहीद हुए उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया लेकिन, माननीय मुख्य मंत्री जी, आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं? हम आप लोगों के गुलाम रहे, आज प्रजातन्त्र में भी हमको सुरक्षा नहीं मिल रही है। आज हमको आरक्षण मिल रहा है इसलिए इससे लोगों को जलन हो रही है। यहां अधिकारी बैठे हुए हैं, वे हमारे अधिकारी तो हैं नहीं। हमारे तो दो पर्सेन्ट अधिकारी हैं। ये लोग जलते हैं, इसलिए जलते हैं कि ये लोग आगे नहीं बढ़ जाएं, ऐसे ही दबे रहें। माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपने कई बार यहां विश्वास दिलाया कि, माननीय सदस्य,' एडीशनल एस. पी. को वहां से हटा दिया जायेगा। लेकिन आपने बीकानेर में उसका प्रमोशन कर दिया, उसको बीकानेर में लगा दिया दिया और जितने भी हमारे अधिकारी थे उनको लाइन हाजिर कर दिया। ये दो बातें आपकी नहीं चलेंगी। हम शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों से तो कुछ कहते हैं, और दूसरों से कुछ कहते हैं। यह भेद-भाव नहीं चलेगा जो आजकल चल रहा है। हमसे कुछ कहते हैं और दूसरे लोगों को कुछ कहते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी, जो शक्तिशाली लोग हैं उनके आगे तो आप हाथ जोड़ते हैं। आप मुख्य मंत्री हैं राजस्थान के.......

श्री उपाध्यक्ष : लड्ढा साहब, बिराजिये, बहुत बोल गए। श्री ओमप्रकाश बैरवा ....

(व्यवधान).......

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं एक बात कह रहा हूँ, मुख्य मंत्री जी आप क्षत्रीय हैं, आप हमारी रक्षा करें। हम आपकी रियाया हैं, हम छोटी कौम के लोग हैं। मुख्य मंत्री जी, आप हमसे बदला चुका रहे हैं, इस तरह का भेद-भाव करते हैं। ऐसा है कि या तो आप हमारे साथ न्याय कीजिए नहीं तो, मुख्य मंत्री जी, मैं एक आदमी ऐसा होऊंगा जो आपकी कार के सामने लेटूंगा। जो पुलिस ने बर्ताव किया है उसके लिए उन अधिकारियों को बर्खास्त नहीं किया तो आपको घर से नहीं निकलने दिया जाएगा। मैं आपकी सरकार की बड़ाई करना चाहता हूँ, यह सरकार किस तरह की है? आप कहते हैं कि हमारी बहुत बढ़िया सरकार है। मैंने और भाई अरुणसिंह ने जो मोरोली कांड हुआ था उसमें मिल कर शान्ति की। यदुनाथ सिंहजी थे, हम भूख-हड़ताल पर बैठे, एक दिन तो उपवास किया। हमने मिलकर वहां शान्ति की फिर दुबारा से झगड़ा कर दिया। किसका हाथ था, यह तो बतायें। यह जाट-जाटवों का झगड़ा नहीं है। यह तो झगड़ा पुलिस और जनता का है। जाट-जाटव का झगड़ा होता तो यह इस तरह का नहीं होता। पुलिस ने सारा किया, यह पुलिस की साजिश से सारा काम हुआ।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

आज शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों पर अन्याय होता है। मैं एक निवेदन करना और चाहता हूँ कि लोकसभा में एक प्रस्ताव पास हुआ है छुआछूत का ताकि शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों पर अत्याचार नहीं हो। डी. जी. साहब ने यह कैसे आदेश जारी किया है? पहले डी. एस. पी. उसकी तफ्तीश करता है, उससे अधिकार छीन कर एस. पी. को दे दिये गये जबकि लोक सभा का यह प्रस्ताव है कि डी. एस. पी. उसका चालान करेगा। एस. पी. को अधिकार दे दिये और आई. जी. साहब का यह आदेश है, जाकर इन्क्वायरी कर लो सारे राजस्थान में। शेखर साहब भरतपुर से जेलेसी रखते हैं। भरतपुर के होते तो आज भरतपुर के हित की बात करते। भरतपुर के हित की बात नहीं की, इनकी वजह से सारा झगड़ा हुआ है। यह बात कहते हुए मैं पुलिस पर पूरा आरोप लगाता हूँ, सरकार पर पूरा आरोप लगाता हूँ। सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो मैं दुबारा से निवेदन कर रहा हूँ, मुख्य मंत्री जी, कि आपकी कार के सामने लेटेंगे। हम एम. एल. ए. बनें या नहीं बनें, हमें कोई जरूरत नहीं है एम. एल. ए. बनने की। हमें समाज की रक्षा करनी है; समाज को जिन्दा रखना है। आज आप हमें बहका देते हो, यह कहते हो कि नेता हाँ, यह काम कर रहा हूँ और नेटा के काम कुछ नहीं करते हो। इस तरह से काम नहीं चलेगा। खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, बनावटी फूलों से खुशबू नहीं आयेगी।

(4.42 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन।)

मुख्य मंत्री जी, यह सचाई छिप नहीं सकती झूठे असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बिना काम करने वाले की ..

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : श्री प्रकाश बैरवा। विराजिये आप, प्लीज सिट डाउन।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा (फागी) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कुम्हेर जैसे कांड पर पूरे सदन के लोगों का, पूरे राजस्थान की जनता का, पूरे हिन्दुस्तान की जनता का शर्म से सिर झुक जाना चाहिए। कुम्हेर जैसा काण्ड मानव जाति के लिए एक कलंक है। यह क्यों हुआ? कैसे हुआ? सरकार ने क्या कार्यवाही की? प्रशासन वहां क्या कर रहा था? यह सारा दोष सीधा-साधा सरकार पर जाता है। एक तारीख को राजेन्द्र प्रसाद जाटव नाम के एक व्यक्ति टिकट लेने सिनेमा घर पहुँचे, उसके साथ झगड़ा हुआ। उनको सीट पर नहीं बैठने दिया गया, गेट कीपर और उसके बीच में झगड़ा हुआ। राजेन्द्र प्रसाद ने रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा दी लेकिन उस रिपोर्ट पर पुलिस के अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसके बाद तीन तारीख को भजनलाल नाम के एक व्यक्ति के साथ तीन कारीगर मजदूरी पर जा रहे थे, उनके पास मजदूरी के ढाई हजार रुपये भी साथ में थे। उन लोगों

(श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा)

को रास्ते में ही दूसरे लोगों ने पकड़ कर मारा-पीटा और तीनों को खत्म कर दिया। इस बात के विरोध में वहां के जाटव लोग पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने गये लेकिन वहां के थानेदार ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसके विरोध में वहां के जाटवों ने इकट्ठे होकर जुलूस निकाला। रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने पर गये। वहां पर एडीशनल एस. पी., एस. पी. मौजूद थे, रिपोर्ट तो दर्ज नहीं की लेकिन उन्हें मौखिक आश्वासन दिया गया कि आपकी रिपोर्ट दर्ज कर ली जायेगी, आप यहां से जाइये, लेकिन उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। रिपोर्ट दर्ज नहीं करने के बहाने दूसरी तरफ दूसरे लोगों ने असत्य प्रचार चालू कर दिया। वहां एक "अमर उजाला" अखबार निकलता है। जिसके सम्पादक हैं मनोज पत्रकार, उन्होंने असत्य अफवाह पूरे शहर में अखबार के जरिये फैलायी कि एक औरत को इस प्रकार से जाटवों ने नंगा कर के ऐसा किया, मार दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, जबर्दस्त लूट कर ली, डकैती कर ली, बंदूकें चला रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, इस प्रकार की असत्य खबरें उस अखबार ने निकाली जिससे लोगों की भावनाएँ भड़कीं और भावना भड़कने के साथ यह दंगा भड़क उठा। मैं, माननीय गृह मंत्रीजी से और माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह पूछना चाहूँगा कि क्या उस अखबार के खिलाफ आपने कोई कार्यवाही की ? क्या उस पत्रकार के खिलाफ आपने कोई कार्यवाही की ? जब तीन व्यक्ति मर गये तो थाने में एफ. आई. आर. दर्ज क्यों नहीं की गयी ? मेरा एक निवेदन और, है, पुलिस के अधिकारी 5 जून को वहां मौजूद थे, जब 8–10 हजार की भीड़ वहां इकट्ठी हो गयी तो क्या यह भीड़ चन्द घण्टों में, चन्द मिनटों में इकट्ठी हो सकती है। यह प्री प्लान था, पूरी योजना थी····

श्री अध्यक्ष : यह सब पुनरावृत्ति हो रही है, कोई नई बात हो तो आप कहिये। वर्ना तो हो चुका।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : मेरा एक निवेदन है कि जब इतनी भीड़ इकट्ठी हो गयी, पुलिस के सारे अधिकारी वहां मौजूद रहें और उनके सामने सारा सब कुछ हो रहा है तो पुलिस के अधिकारी क्या वहां पर सो रहे थे ?

श्री अध्यक्ष : यह भी हो चुका है, यह हो गया है, आप कोई नई बात बताइये।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : मेरा एक निवेदन है इस सम्बन्ध में, जब सारे अधिकारी वहां मौजूद थे, उनकी आंखों के सामने सब-कुछ हुआ है....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, हो गया। यह सारी बातें आ चुकी हैं।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : जैसा कि और लोग मांग कर रहे हैं, उनको सस्पेण्ड किया जाय। मेरा निवेदन है कि सस्पेण्ड नहीं, उन सबके खिलाफ जिस प्रकार डीग काण्ड में राजा मानसिंह की हत्या के समय ...

श्री अध्यक्ष : विराजिये। माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : वहां के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया था उसी प्रकार से जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे, शामिल थे उस काण्ड में उनके खिलाफ 302 के मुकदमें कायम होने चाहिए, यह मेरी सदन से मांग है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये बैरवा साहब। हां, हो गया, बिराजिये आप।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्षजी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि आज की कार्य सूची पूरी होने तक सदन का समय वढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की इच्छा आज की कार्य सूची पूरी होने तक समय बढ़ाने की है ?

(स्वीकृत)

विधान सभा की कार्यवाही का समय कार्य सूची पूरी होने तक वढ़ाया गया।

शासकीय वक्तव्य

कुम्हेर में साम्प्रदायिक दंगा

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, कुम्हेर काण्ड पर ··

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : एक मिनट, मैं पूरा कर लूँ····

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका पूरा बिराजिये आप। आपके सारे जवाब सुन लिये।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : जैसी कि चर्चा है, नर बलि दी गयी है, इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ, सरकार जवाब देगी····

श्री दिग्विजय सिंह : मैं जवाब दे दूँगा वैसे ही, नर बलि का भी बतला दूँगा आपको।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : जैसे कि चर्चा है, अखबारों में छपा है, लोगों ने हमसे कहा है कि नर बलि दी गयी है। मरुवा पुत्र श्री नत्थीसिंह, निवासी पेंगोर, जो कि डीग की सैकण्ड्री स्कूल में फोर्थ क्लास कर्मचारी था, रास्ते में साइकिल से वह पेंगोर की ओर जा रहा था। जब भीड़ वहां से रवाना हुई, कहां तक सत्य और कहां तक असत्य है, इस बात की जानकारी और जांच मुख्य मंत्रीजी करवायेंगे लेकिन जब वह जा रहा था तो रास्ते में भीड़ को मिला, उसको पकड़ कर नर बलि दी गयी, चामुण्डा के चढ़ा दिया गया और उसके खून से तिलक लगाये गये।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : यह जांच का विषय है। मैं यह नहीं कहता कि यह सत्य है···

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये, हो गया। माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, कुम्हेर काण्ड के ऊपर आज चर्चा सारे माननीय सदस्यों ने की। जहां तक इस काण्ड का प्रश्न है, निश्चित रूप से यह जो काण्ड हुआ है इसकी सराहना कोई भी नहीं करता। और मैं कहता हूं कि राज्य सरकार ने भी इस कांड की भर्त्सना की है और हमने पूरी तत्परता से जितना हमसे हो सका, इस काण्ड के बाद जो एक्शन लेने चाहिये थे, वह हमने लिये। उनके ऊपर मैं जाऊं उससे पहले माननीय सदस्यों ने जो बातें यहां कही हैं उसके उसके ऊपर मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

यहां पर तीन बिन्दु मुख्य तौर से इस सदन के अन्दर आपने दर्शाये हैं। एक तो आपने कहा कि यह जो कांड हुआ उसके पीछे कारण क्या रहे, और भरतपुर के अन्दर इस क्षेत्र के अन्दर इन समुदायों के बीच में काफी समय से मनमुटाव चल रहा था तो प्रशासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी, उसके साथ ही विशेष तौर से एक तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में जो घटनाएं हुई उन घटनाओं प्रशासन ने क्या किया और प्रशासन की तरफ से कितनी सतर्कता बरती गयी। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सोरोली कांड के बाद यहां जो पुनरावृत्ति हुई, एक कांड तो जो हुआ जिसमें मैं खुद वहां गया था, बारात जा रही थी उस बारात के अन्दर आश्चर्य की बात यह थी, मेंडा जहां पर कहा जाता है वह भी जाट के घर में ही था और सारी व्यवस्था उन्हीं के घर में हो रही थी, उस लड़की के वहां पर, जब बारात जा रही थी, कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ उदंड मचाया और न मालूम किस कारण से ट्राली में से उस दूल्हे के पिता को नीचे खींच करके उसको मारा और उससे उसकी मौत हो गयी। उसके बाद में मैं जब उस गांव के गया, जहां का वह पिता रहने वाला था और मैंने जाकर जब देखा तो वहां पर सभी कौमों के लोग उसके घर के ऊपर बैठे हुए थे और उसको सांत्वना दे रहे थे। इसलिये यह बात तो निश्चित है कि यह कहा जाय कि दोनों समुदाय के अन्दर इतनी ज्यादा कटुता वहां पर हो गयी हो, मैं उस दृश्य को देखकर कह सकता हूं कि वहां पर इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा और यह निवेदन करना चाहूँगा हाउस से भी कि कभी-कभी हम भी जैसा अभी कहा कि दलगत राजनीति से ऊँचा उठकर अगर इन दोनों समुदायों के बीच के अन्दर सद्भाव बनाने की कोशिश करें, जैसा माननीय सम्पतरामजी ने कहा, मैं उन से सहमत हूं कि केवल कारणों पर और उसके बाद में इंक्वायरी जिस प्रकार की हो जाती है और नतीजे क्या निकलते हैं उस तक ही जाकर रह जायें तो उसका कोई उपयोग नहीं होगा, हमको निश्चित रूप से इस पर भी जाना पड़ेगा कि इन दोनों समुदायों में किस प्रकार से सद्भाव और मेनस्ट्रीम में एक साथ रखकर इनको लाया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां निवेदन करना चाहूँगा कि यह आरोप लगाना कि वहां पर प्रशासन बिल्कुल

(श्री दिग्विजय सिंह)

निष्क्रिय रहा, मैं इसको नहीं मानता। नहीं मानने का कारण है ....

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप मान लेंगे तो आप कुर्सी पर रहेंगे क्या, क्या बात है ?

श्री दिग्विजय सिंह : आप मेरी सुन लें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपके मानने और न मानने से क्या होता है ? आप मत मानिये इसको।...... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप जवाब तो सुन लीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मरवा दिया लोगों को, आप क्या मानेंगे ?

श्री दिग्विजय सिंह : आप मेरी सुनले। प्रद्युम्न सिंह जी, मैंने आपकी बात सुनी है। मैं इसलिये मानता कि यह कहा जाय......

श्री अध्यक्ष : पांच घण्टे तक इन्होंने शांति से सुना है, अब आप 15 मिनट सुन लीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हम भी खड़े हुए हैं, इनकी गलतियां हैं, भयंकर गलती की है इन्होंने। यह सुनेंगे नहीं तो क्या करेंगे, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : इसलिये बीस मिनट इनकी भी सुन लीजिये। बैठिये, बैठिये।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आपने यह आरोप लगाया था कि एक तारीख की घटना हुई टिकट खरीदने को लेकर के और उसके बाद माननीय सदस्य हेतरामजी ने कहा, वह जो टिकट लेकर वहां बैठे थे हरिजन लोग, उनको कुर्सी पर से नीचे उतार दिया और यह कहा गया कि तुम ऊपर क्यों बैठते हो, यह बात सत्य नहीं है। वह जब टिकट के मामले को लेकर ही झगड़ा हुआ था और उस झगड़े को लेकर उसके बाद के अन्दर एफ. आई. आर. दर्ज करायी गयी, उसके बाद दोनों समुदाय के लोग दुसरे दिन मिले...

श्री हेतराम बेनीवाल : एफ. आई. आर. में क्या लियाया गया है ?

श्री दिग्विजय सिंह : एफ. आई. आर. दर्ज करायी गयी और यह व्यवस्था की गयी किसी न किसी तरीके से इस मामले में दोनों समुदाय के बीच के अन्दर वापस एकता और समन्वय हो जाय तो ठीक है। इसके प्रयास भी किये गये। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद तीन तारीख को घटना होती है, उस घटना के अन्दर जो आपने बताया कि वह मजदूर उधर से आ रहे थे और फागी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, उन्होंने किसी को मार डाला, मारने की बात बिल्कुल असत्य है। उनको मारा पीटा गया जरूर और उसके बाद में यहां पर आक्रोश हुआ कुम्हेर में आने पर,

(श्री दिग्विजय सिंह)

कुम्हेर में जब पहुंचे तो वहां पर बात जब फैली तो वहां पर जाटव समुदाय के लोग कुछ 300–400 की संख्या में आ करके एक रोडवेज की बस आ रही थी उस बस को रोक लिया और रोककर उसमें जो सवारियां बैठी हुई थीं उनके साथ कोई अभद्र व्यवहार किया, यह बात बिल्कुल असत्य है। क्योंकि इसका इन्वेस्टीगेशन भी किया, किसी प्रकार का किसी औरतों के साथ कोई अभद्र व्यवहार किया हो या कोई नंगा किया हो या उनको निर्वस्त्र कर दिया हो, यह कोई बात सामने आयी नहीं। इसका प्रचार जो दूसरे पक्ष कर रहे थे, प्रशासन ने किया भी कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं हुई, थोड़ा सा झगड़ा जरूर हुआ है। रोडवेज के ड्राइवर……

श्री हेतराम बेनीवाल : प्रशासन ने क्या किया ? इसके लिये कोई इश्तहार निकाला ?

श्री अध्यक्ष : हेतरामजी, अब आप बोलने दीजिये। लेट हिम कम्पलीट। आप इस तरह से बीच में खड़े होकर कहेंगे तो बोलेंगे क्या। आप पहले बोलने तो दीजिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके गलत तथ्य सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जा रहे हैं, श्रीमन्, तो कैसे सुनते रहें ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब तक आप उनका पूरा सुनेंगे नहीं और बीच में इंट्रप्शन करेंगे……

श्री प्रद्युम्नसिंह : एक-एक शब्द गलत है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बाद में देख लेंगे, पहले बोलने दीजिये। लेट हिम कम्पलीट। आप बैठिये। बोलने दीजिये।

एक माननीय सदस्य : यह कैसे कह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप बोलने दीजिये इनको पहले।

श्री अरूण सिंह : जब सी. बी. आई. इनवेस्टीगेशन कर रही है, यह मंत्री कैसे कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, इनकी बात तो सुन लीजिये पूरी।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं यह निवेदन करना चाह रहा था और मैंने तो पहले ही आपको लिख कर दिया था, हम स्वयं अपना स्टेटमेंट देने को तैयार हैं, आपने चर्चा कर दी तो चर्चा के हिसाब से चर्चा का उत्तर मैं आपको दे रहा हूं। रोडवेज के ड्राइवर ने स्वयं ने कहा कि उसकी गाड़ी के शीशे तोड़े गये, आगे के भी शीशे तोड़े, पीछे के भी तोड़े, खुद ने उसने कहा कि मैं यह नहीं कह सकता कि वहां इस प्रकार की कोई घटना हुई। इसके बाद चार-पांच तारीख को जो प्रिवेंटिव मेजर लेने थे, वहां से यहां मैसेज आया, कलक्टर को भी आया, यहां से अधिकारी वहां पहुंचे, उसके

(श्री दिग्विजय सिंह)

वाद क्षमता का जो चार्ज लगाया है उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन करना है, पांच तारीख को वहां पर शाम को आई. जी. पहुँच जाते हैं और उसके बीच में जो पानी के नल को तोड़ने की घटना होती है उसको ले करके भी प्रशासन मौके पर पहुँचा और पहुँचने के बाद उन दोनों को समझाया, पुनः उस पाइप लाइन को चालू कर दिया गया, पाइप लाइन चालू हो गयी। यह मान कर चलें कि अब हो सकता है दोनों समुदायों में इस बात की सहमति है कि आगे से कार्यवाही नहीं होगी। पांच तारीख को फिर सुबह पानी रोक दिया गया और वह पानी फिर बंद हो गया तो दुबारा फिर जाकर वहां कार्यवाही करनी पड़ी। अध्यक्ष महोदय, 6 तारीख की जो घटना हुई उस घटना के सम्बन्ध में मैं विस्तार से यहां नहीं चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि यह मामला सारा का सारा अब जुडिशियल कमीशन के सामने और सी. बी. आई. के पास में है पर फिर भी मैं कुछ तथ्य तो यहां पर बताना चाहूँगा और खौर से जो आपने नर वलि की बात कही, वह नर वलि की बात बिल्कुल निराधार है क्योंकि मेरे पास पोस्ट मार्टम रिपोर्ट मौजूद है उस आदमी की जिसकी मृत्यु हुई और उसका शव मिला और शव मिलने के बाद उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आयी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार वहां कोई नर बलि का होना नहीं पाया गया और न ही कोई नर-बलि हुई, न ही किसी के तिलक लगाया गया जैसा कि आपको जानकारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे पास मौजूद हैं आप चाहें तो देख सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही ·······

(5.00)

श्री हेतराम बेनीवाल : इसमें सिर काटना लिखा है क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नत्थी सिंह नाम का जाटव, मैं गृह मंत्रीजी पूछना चाहता हूं वह मर कैसे गया था ?

श्री दिग्विजय सिंह : नर बलि नाम की कोई चीज नहीं हुई। किसी ने मार दिया वह अलग चीज हो सकती है। बलि चढ़ाना अलग बात होती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह बीमारी से मर गया था ? गृह मंत्रीजी यह बताने की कृपा करें।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को ज्यादा पीड़ा क्यों हो रही है और वह पीड़ा इसलिए हो रही है कि आपकी मांग के पहले ही सरकार ने यह फैसला कर लिया कि हम इस सारी जांच को निष्पक्षता से कराने के लिए जुडिशियल कमीशन का अपाइण्टमेण्ट कर रहे हैं और सी. बी. आई. को हम इस जांच को सौंप रहे हैं तो आपको उस बात का दुःख हो गया कि यह बात आप मांग हिसाब से करना चाहते थे और आपके पहले ही माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सी. बी. आई. को सुपुर्द किया ···

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप यह आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। आपका यह आरोप असत्य, मनगढंत और तथ्यों से परे है। आज हमको पीड़ा हो रही है इस बात से। + + + करें। आपको + + + आनी चाहिए।

आप इस किस्म का वक्तव्य यहां दे रहे हैं। आपका लेप्त

लोगों को मरवा दिया आपने और कह रहे हैं, हमको यह पीड़ा हो रही है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह पीड़ा हो रही है हमको ··· (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ 6 तारीख की जो घटना हैं, जो पेंगोर की बात आपने कही है ··· ···

श्री हेतराम बेनीवाल : 6 तारीख की घटना कैसे हुई, आप बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आप तो बोल चुके।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी को इस्तीफा देना चाहिए और जब वहां पर सारे पुलिस के अधिकारी मौजूद थे तो फिर आप क्या कर रहे थे ? उन सारे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये प्लीज। कृपया जवाब सुनें। बैठिये आप ······ (व्यवधान) मैंने बात कह दी जवाब होने के बाद ······· (व्यवधान) हां अभी तो बैठिये आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह कोई जवाब है। हमको तकलीफ हो रही है।

श्री अध्यक्ष : हां अभी तो बैठिये आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हमको तकलीफ हो रही है।

श्री अध्यक्ष : सुनिये, जवाब सुन लीजिए। बिराजिये। जवाब सुन लीजिए (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : हमको पीड़ा किस बात की हो रही है।

श्री अध्यक्ष : तो आपने कह दिया पीड़ा नहीं हो रही है। ठीक है।········ (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, आप तो हमें यह जानकारी दिलवा दीजिए कि आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं, यह बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आप सुन तो लीजिए। आप सुनेंगे ही नहीं उनको। आप सुनिये, आपके ही सवालों का जवाब दे रहे हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक बात निवेदन करना

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री दिग्विजय सिंह)

चाहता हूँ कि अगर आपको यह बात गलत लगी कि भई आपको तकलीफ हो रही है, तो मैं जब आपको तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, 6 तारीख को घटना की बात कहना चाहूँगा कि पेंगोर में जो पंचायत हो रही थी और पेंगोर कुम्हेर से करीब तीन किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है (व्यवधान) मैं बता रहा हूँ ना। मैं आगे बता रहा हूँ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पेंगोर में जो मिटिंग हो रही थी पुलिस का अधिकारी मौजूद था। पुलिस का अधिकारी वहां मौजूद था कि नहीं था।

श्री अध्यक्ष : हां बैठिये।

श्री दिग्विजय सिंह : बता रहा हूँ, सुनो तो सही आप। पेंगोर में, कुम्हेर में, अध्यक्ष महोदय, वहां पुलिस प्रशासन के एस. पी. मौजूद थे, ए. डी. एम. मौजूद थे, एडीशनल एस. पी. भी थे, डी. वाई. एस. पी. भी थे ……

श्री अरूण सिंह : पुलिस फोर्स कितनी थी ?

श्री दिग्विजय सिंह : कुम्हेर में……… (व्यवधान) मैं कुम्हेर में कह रहा हूँ।

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा : धारा 144 क्यों नहीं लगाई गई (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मिस्टर बैरवा प्लीज सिट डाउन। अब आप क्या कर रहे हैं। आप प्रत्येक लाइन में स्टेण्ड अप करेंगे तो जवाब कैसे आयेगा ? आप पूरी बात सुन लीजिए फिर आपको कोई आपत्ति हो ….

श्री दिग्विजय सिंह : और कुम्हेर के अन्दर यह जो प्रशासन के अधिकारी वहां मौजूद थे और वहां से पगोर की दूरी 3–4 किलोमीटर है। जहां तक इस पंचायत के आयोजन का प्रश्न है, इस पंचायत को पहले आयोजकों ने दो बजे करने का ऐलान किया था कि यह पंचायत दो बजे होगी और जैसा माननीय सदस्य बता रहे थे कि आपने वहां भरतपुर में आई. जी. साहब से मालूमात की कि यह पंचायत कब होने वाली है, हमको सूचित करें। उस सूचना के अनुसार उनका यह अनुमान था कि यह पंचायत दो बजे होगी और यह पंचायत कुछ जल्दी कर दी गई और दो के बजाय 11 बजे हुई और एक-डेढ़ बजे तो यह पंचायत समाप्त हो गई। यह पेंगोर से…. (व्यवधान) इसके बाद में वहां जो सूचना आयी कि पंचायत….

श्री अरूणसिंह : डिवीजनल कमिश्नर कहां थे ?

श्री दिग्विजय सिंह : पंचायत के अन्दर जो बड़े, बुजुर्ग लोग थे

श्री अरूणसिंह : बैठे थे।

श्री अध्यक्ष : आपका स्थान कौनसा है ? आपकी जगह जहां है ? टेक योर सीट।

श्री दिग्विजयसिंह : पंचायत में उन बुजुर्ग लोगों ने यह राय दी कि हमको

(श्री दिग्विजय सिंह)

कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। जो भी कठिनाई है, जो कुछ भी है, वह सरकार के सामने, प्रशासन के सामने रखें, इसके बाद ही कोई आगे कार्यवाही करें, पर कुछ नवयुवकों ने उनकी सुनी नहीं और उसके बाद ट्रैक्टरों में भर कर एकदम से कुम्हेर की ओर रवाना हो गये और उनकी संख्या करीब 1400 से 1500 तक की थी। ट्रैक्टरों, ट्रोलियों के अन्दर भर कर वे रवाना हुए। जब भीड़ वहां आती दीखी तो पुलिस जो वहां मौजूद थी उनको जब सूचना हुई तो वह जिस रास्ते से आ रहे थे, वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद एस. पी. मौजूद थे, ए. डी. एम. भी साथ थे और यह कोशिश की गयी कि भीड़ को बाहर ही रोका जाये और उसके बाद अश्रु गैस भी छोड़ी गई, पर भीड़ नियन्त्रण में नहीं आयी। उसके बाद गोली चलाने के आदेश दिये ए. डी. एम. ने और 30 राउण्ड गोली चलायी गयी। अब आप यह पूछ सकते हैं जब गोली चली····

श्री यदुनाथ सिंह : कितने लोग घायल हुए साहब।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : कितना बड़ा असत्य है। कितना असत्य बोलेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : मेरी सुन लें। मेरी सुनिये मैं आगे बोल रहा हूं।

श्री परसादी लाल मीणा : प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय; पुलिस के अधिकारियों ने ए. डी. एम. के आदेशों की पालना नहीं की (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये आप सुन लीजिए।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूँ आप···· (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Mr. Chandrabhan you have already spoken.

आप बोल चुके हैं। आपने अपनी बात कह दी। एक क्वेश्चन आपने दिया। उनको भी तो सुन लीजिए आप। फिर आप यह आग्रह क्यों करते हैं बहस करवाइये।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारी क्यूरोसिटी बढ़ रही है।

श्री अध्यक्ष : नहीं आपकी क्यूरोसिटी बढ़ रही है यह तो

श्री यदुनाथ सिंह : 30 राउण्ड गोली चली कितने घायल हुए, कितने मरे ?

श्री अध्यक्ष : वह बोल रहे हैं सुन तो लीजिए। उन्होंने एक वाक्य बोला नहीं कि आप खड़े हो गये।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आपने यह बात कही कि पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई, कोई एक्शन नहीं लिया, इसका जवाब मैंने दिया। इफैक्टिव फायरिंग हुआ कि नहीं, यह जरूर एक अलग से प्रश्न है। मैं आगे निवेदन करना चाहता हूँ कि उसके बाद में जो भीड़ थी तो अंदाज यह था कि उस फायरिंग की वजह से वह भीड़ वहीं दब

115

(श्री दिग्विजय सिंह)

जायेगी और रिट्रीट करेगी तो रिट्रीट करने के बजाय उसने कुम्हेर कस्बे में, मैं भी तीन दफा देखकर आया हूँ, उसकी जो सारी बनावट है वह इस प्रकार की है कि क्राउड फैल गई, तो पुलिस फोर्स वहां तक पहुँचे यह संभव नहीं था और जब क्राउड इधर-उधर तितर-बितर हो गई, उन्होंने साइड की जो झोपड़ियां थी, उनमें आग लगानी शुरू की और वह आग उस वक्त लगी, आग लगते वक्त आंधी भी चली तो आंधी चलने से अंदर मौहल्ले में आग लगी और लगने के बाद ही....

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, असत्य कथन बयान कर रहे हैं। आंधी चली, तूफान चले।

श्री दिग्विजय सिंह : उसके बाद में जब यह सूचना यहां मिली और यहां मिलने के बाद यह जो हुआ....

श्री हेतराम बेनीवाल : पुलिस ने गोलियों का क्या किया ?

श्री दिग्विजय सिंह : वहां पर जो प्रशासन था और उस प्रशासन ने जो ठीक ढंग से विवेक से कार्य करना चाहिए था, नहीं किया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय गृह-मंत्री महोदय उसके पहले तो ...

श्री दिग्विजय सिंह : तो निश्चित रूप से उस बात को देखते हुए मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की कि इसकी सारी इनक्वायरी निश्चित रूप से करायी जायेगी। ज्यूडिशियल इनक्वायरी होगी ऐसी घोषणा कर दी गई। सी. बी. आई. को यह मामला दे दिया गया और जहां तक मुआवजा देने का प्रश्न है, मुआवजे के लिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिवार को एक लाख रुपये का मुआवजा दिया है, गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति को ढाई हजार रुपये और मामूली रूप से घायल प्रति व्यक्ति तो 500 रुपये .

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : मुआवजे के बारे में नहीं सुनना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि आपने क्या किया ? भीड़ नियंत्रित नहीं हुई उसके लिए आपने क्या किया। मुआवजा दिया या नहीं दिया, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या किया ?

श्री अध्यक्ष : वह यही बता रहे हैं क्या किया ? आप सुन नहीं रहे हैं।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : असत्य बयान करने से कोई फायदा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वह बता रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह बता दें गोलियां किस चीज की थीं।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या किया ?

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये एक मिनट। (व्यवधान)...

श्री रामनारायण वर्मा : मेरा सवाल है कि क्या खून का तिलक लगाया गया था (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप कहां से खड़े हो गये। विराजिये। आप बैठिये प्लीज।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : अध्यक्ष महोदय, इस बात को गृह मंत्रीजी ने....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

'**श्री रामनारायण वर्मा** : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने क्या किया विजिट के बाद में।

श्री अध्यक्ष : मैं खड़ा हूँ, आप बैठिये। ऐसा है उन्होंने जो बताया वह आपने सुना नहीं। उन्होंने कहा कि भीड़ को हमने तितर-बितर किया लेकिन वह भीड़ चारों तरफ से बिखर के एक गली में घुस गयी, और आग लगानी शुरू कर दी।... (व्यवधान) ... यह कह रहे हैं। अब आप तीन किलोमीटर, चार किलोमीटर ... (व्यवधान) ... जवाब तो सुन लीजिये। अब इनको कोस करने से क्या मतलब है। न तो आप मौजूद थे; न यह मौजूद थे। आप अपनी इन्फोर्मेशन पर कह रहे हैं, यह अपनी इन्फोर्मेशन पर कह रहे हैं। अब यहां क्रास क्यों कर रहे हैं आप। आप किस बात पर क्रास कर रहे हैं? आप कोई आई विटनेस है क्या? किस बात पर क्रास कर रहे हैं? (व्यवधान) ... आप बैठिये। अब आप जवाब सुनिये प्लीज। कृपया वर्माजी सुनिये जवाब।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय गृह मंत्रीजी एक बात बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय हेतरामजी प्लीज। नहीं तो फिर जवाब बन्द करवाता हूँ, आप सुनना ही नहीं चाहते तो कोई मतलब ही नहीं है।

'**श्री दिग्विजय सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जिन लोगों के घर पूरे जल गये उनको 15,000 रुपये नकद तथा इसके अलावा क्वार्टर बना कर दिये गये और करीब 106 क्वार्टरों का निर्माण कराया गया और प्रति परिवार उनकी नुकसान हुई। सम्पत्ति के एवज में 5,000 रुपये की सहायता दी गयी। गाय, भैंस, ऊँट के नुकसान पर उन्हें 2,000 रुपये नकद राशि दी गयी। भेड़-बकरी के नुकसान पर 300 रुपये प्रति जानवर उनको दिये गये और यहां पर यह उल्लेख करना चाहता हूँ कि यह जो राशि उपलब्ध करवायी गयी है वह केन्द्र सरकार द्वारा साम्प्रदायिक दंगों में हुये नुकसान के मापदण्डों से भी कहीं ज्यादा है। केन्द्र सरकार की अभी जो मीटिंग हुयी उस वक्त भी इस बात की सराहना की थी कि राजस्थान सरकार ने जो केन्द्र के मापदण्ड जो 50,000 रुपये थे उसको बढ़ाकर एक-एक लाख रुपये तक का मुआवजा दिया है वह सराहनीय है।

श्री यदुनाथ सिंह : माइक सीधा नहीं है, आवाज साफ नहीं आ रही है।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहूँगा, मैं यह इसलिये जानकारी [व्यवधान]....

श्री अध्यक्ष : आप अटेन्टिव नहीं है। आप शान्ति से सुनें जवाब को।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं माननीय सदस्यों को एक बात अंत में निवेदन करना चाहूँगा कि हो सकता है कि मेरे बयान से आप सन्तुष्ट नहीं हो तो वहां इन्क्वायरी चल रही है····

श्री रामनारायण वर्मा : आपको इस्तीफा देना चाहिये।

श्री दिग्विजय सिंह : उस इन्क्वायरी के सामने आपके पास में जो भी तथ्य हो वह आप उनको दे दें ताकि वह उनके सामने आ जायेगा। राज्य सरकार के कर्मचारी जिसमें दोषी होंगे या राज्य सरकार का दोष होगा, वह अपने आप ही अपने स्तर पर निर्णय ले लेंगे और····

श्री रामस्वरूप मीणा : कितनों को आपने रोजगार दिया है।

श्री दिग्विजय सिंह : अपने विचार व्यक्त कर देंगे।····

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं····

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ···

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मेरा गृह मंत्रीजी से कुछ क्वेश्चन····

श्री चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी क्या कह रहे हैं। गृह मंत्रीजी बयान दे रहे हैं। ··· (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज।

डा. चन्द्रभान : क्या गृह मंत्रीजी सक्षम नहीं है बयान देने में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुनिये, सुनिये।

श्री चन्द्रभान : गृह मंत्रीजी सक्षम नहीं है क्या बयान देने में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुनिये। सुन तो लीजिये आप।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। सुनिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : बोले, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जवाब मंत्री महोदय दे दें क्वेश्चन उनसे पूछेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुनिये आप। सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : हो सकता है आपका जवाब पहले ही मिल जाय।···· (व्यवधान) आप बैठिये। आप सुन लीजिये पहले।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, कुम्हेर की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है····

श्री रघुनाथ सिंह : गृह मंत्रीजी एक बात मेरी पहले सुन लें

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और इस पर यह स्वाभाविक है कि सदन में चर्चा हो।····

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : मुख्य मंत्रीजी पहले, एक मिनट।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं शुरू तो कर लूँ आप बीच में टोक लेना।

श्री परसराम मदेरणा : शुरू करने के बाद आप बन्द नहीं होंगे मैं जानता हूँ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्यों ? आप जब भी खड़े होंगे मैं बैठ जाऊँगा।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं बैठने की बात नहीं है। गृह मंत्रीजी ने जो वक्तव्य दिया है···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक बार मैं शुरू कर दूं। मैंने कहा ना कि मुझसे पूछ लेना मैं जवाब दे दूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : आप गृह मंत्रीजी से सप्लीमेन्टरी····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह भी जवाब दे दूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : सदन के नेता की हैसियत से किसी वक्त भी स्टेटमेण्ट दे सकते हैं You can give your statement any time as the leader of the House.

लेकिन होम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेण्ट दिया है···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसका भी मैं जवाब देऊँगा।

श्री परसराम मदेरणा : होम मिनिस्टर के स्टेटमेण्ट के बाद में कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। The position of the House is very much different than the Home Minister. He is the Leader of the House. He can speak any time. He can intervene, he can possess the Floor of the House.

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी की, आप सुन लीजिये पहले फिर कोई प्रश्न रहेगा तो पूछ लेंगे।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, नेता महोदय मर्जी आये तब बोलें और····

श्री अध्यक्ष : आप मुख्य मंत्रीजी को क्यों नहीं सुनना चाहते हैं। सुनिये। आप बैठिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : गृह मंत्रीजी ने जो वक्तव्य दिया है पहले कुछ सवाल पूछ लें।····(व्यवधान)···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप वाक-आउट करना चाहते हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : गृह मंत्रीजी से प्रश्न कर लें फिर उसके बाद आप बोल लेवें।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। बाद में आप पूछ लीजिये। सुन तो लीजिये आप।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इस प्रकार की व्यवस्था मत डालिये। मंत्री महोदय ने जो जो वक्तव्य दिया है (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। आप मेरे को, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। (व्यवधान)....

डा. चन्द्रभान : क्या इस्तीफे की घोषणा कर रहे हैं आप।... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, आप मेरी व्यवस्था सुन लीजिये। आप बैठिये।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी के बयान से स्वयं मुख्य मंत्रीजी ...

डा. चन्द्रभान : क्या इस्तीफा दे रहे हैं आप?।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। बैठिये। सामान्यतः इस हाउस में....

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले भी आपने एक मंत्री के लिये कहा था कि मंत्री में जितनी योग्यता है उतना रिप्लाई दे दिया, पहले भी आप कह चुके हैं....

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : इनके लिये भी कहा था कि जितनी योग्यता थी उतना जवाब दे दिया अब बाकी मुख्य मंत्रीजी देंगे।....

डा. चन्द्रभान : आप इस्तीफा दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। देखिये, मुख्य मंत्रीजी को अधिकार है और आप लोग भी कई बार यह मांग करते हैं और बार-बार मुख्य मंत्री से यह चाहते हैं कि अधिकृत रूप से वह अपनी बात कहें तो वह कह रहे हैं, अब सूओ मोटो कह रहे हैं वरना आप भी अभी यहां मांग करते कि मुख्य मंत्रीजी कहें कुछ। वह तो अपने आप ही कह रहे हैं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, हमें कतई आपत्ति नहीं है कि नेता महोदय बोले, इससे हमको आपत्ति नहीं है। हमें इस बात की कतई आपत्ति नहीं है कि नेता महोदय बोलें।

श्री अध्यक्ष : तो फिर सुन लो।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : लेकिन या तो अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का जवाब जो आया है यह ठीक नहीं आया इसलिये यह जवाब देना चाहते हैं या तो आप यह कह दें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन् ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मंत्री ने जो जवाब दिया है वह सही नहीं है इसलिये आप देना चाहते हैं ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरा पाइंट आफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिये । पाइंट आफ आर्डर ।···· (व्यवधान)····आप पाइंट आफ आर्डर उठा रहे हैं ।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी को पूरा अधिकार है अपनी बात करने का ।

श्री अध्यक्ष : हां, है ।

श्री सम्पतराम : He is the Leader of the House.

श्री अध्यक्ष : हां बिल्कुल है ।

श्री सम्पतराम : लेकिन यह गृह मंत्री के द्वारा एक स्टेटमेण्ट इस सदन के अन्दर दिया गया है और कुछ फैक्ट्स उन्होंने यहां पर रखे और इतनी देर से माननीय सदस्यों ने यहां पर अपने-अपने विचार रखे । कानून की बात यह है कि जो अपने स्टेटमेण्ट दिया है उसके ऊपर सप्लीमेण्टरी इन्फोर्मेशन ठीक करने का जो अधिकार है माननीय सदस्यों को वह पूरा होना चाहिये उसके बाद मुख्य मंत्रीजी बोलें ।

श्री अध्यक्ष : रोका किसने है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है मेरा ।

श्री अध्यक्ष : क्या है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आधा प्रश्न तो अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया । श्रीमन्, इस सदन की परम्परा रही है, माननीय सदन के नेता जो पहले विपक्ष के नेता थे और बरसों तक इस तरफ बैठे हैं । अध्यक्ष महोदय आप एक नयी चीज क्यों डाल रहे हैं सदन के अन्दर । आपकी स्टेब्लिश्ड परम्परा जो है, एक वक्तव्य आया है यहां पर उस वक्तव्य के तहत माननीय गृह मंत्रीजी ने सदन को गुमराह करने की चेष्टा की है उसके बारे में हम लोग कुछ क्वेरीज करना चाहते हैं, खत्म क्यों कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : हां, आप बैठिये । आपका पाइंट आफ आर्डर हो गया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन सुन लें । माननीय गृह मंत्रीजी ने जो कुछ कहा है वह सदन के सामने कहा है । यदि आपकी तैयारी वाक-आउट करने की हो ···(व्यवधान)····तब तो मैं यह दूसरी बात कह रहा हूँ ।

(व्यवधान)

वाक आउट करने की तैयारी हो तो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

तब तो बात दूसरी है और वाक-आउट नहीं करना चाहते हैं तो सुनिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : हम डरने वाले नहीं हैं। हम तो इस्तीफा चाहते हैं।

डॉ. चन्द्रभान : आप इस्तीफा दे रहे हैं····

श्री नरपतसिंह : इस्तीफा दे रहे हो क्या।

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप एक मिनट बैठिये। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : हम आपका इस्तीफा चाहते हैं। इस्तीफे के बारे में आपने क्या जवाब दिया।

श्री अध्यक्ष : प्रद्युम्नसिंहजी बैठिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपने इस्तीफे के बारे में क्या जवाब दिया।

श्री अध्यक्ष : आप पाइंट आफ आर्डर उठाते हैं और व्यवस्था भी सुनना नहीं चाहते। देखिये, स्टेटमेण्ट देने का सवाल यह था कि जब हाउस में ······ (व्यवधान) ···सुनिये आप। सुओमोटो गवर्नमेण्ट ने स्टेटमेण्ट देने की बात कही उसको सदस्यों ने स्वीकार नहीं किया और इसको डिबेट में कन्वर्ट करने की बात की और हाउस की मन्शा के अनुसार डिबेट शुरू हो गयी। अब वह स्टेटमेण्ट नहीं दे रहे थे आपकी डिबेट का जवाब दे रहे थे, उसके बावजूद भी यदि उसमें कोई क्लेरिफिकेशन आपको पूछना है तो वह मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ लेकिन इसके पहले मुख्य मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं तो आपत्ति क्या है उसमें सुन लीजिये, उनको उसमें आपत्ति क्या है। माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री हीरालाल देवपुरा : मुख्य मंत्रीजी कहें उसमें कोई एतराज नहीं है। (व्यवधान)

डॉ. चन्द्रभान : कुछ भी नहीं कहा है आपने। सरकार इस्तीफा देती है कि नहीं देती। हम कोई वाक-आउट करके भागने वाले नहीं हैं। यह चाहते हैं कि वाक आउट कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। अब बोल रहे हैं।

डॉ. चन्द्रभान : हम यहां पर खड़े हैं, यहां पर धना दे देंगे। वाक आउट नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छा मत करिये। बैठिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी बोले और जैसा माननीय मदेरणा साहब ने कहा उसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती वह बोले लेकिन किस रेफरेंस में बोले क्या बोल रहे हैं यह पहले मुख्य मंत्रीजी को क्लियर करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : करेंगे वह तो।

श्री हीरालाल देवपुरा : क्या मुख्य मंत्रीजी जवाब····

श्री अध्यक्ष : वह बोलने के लिए खड़े हुये····

श्री हीरालाल देवपुरा : खड़े होने का सवाल नहीं है अध्यक्ष महोदय, he is not intervening the debate डिबेट को इन्टरवीन करना होता तो जवाब देने से पहले आप इन्टरवीन कर सकते थे। जवाब हो गया अब इन्टरवीन करने का प्रश्न है नहीं। या तो जो जवाब दिया वह मुकम्मिल जवाब नहीं था उसको सप्लीमेण्ट करने के लिए मुख्य मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं तो we will hear him. हम उसको ना नहीं कह रहे हैं। यह डिबेट इसीलिये हुई है।

श्री अध्यक्ष : तो यह मुख्य मंत्रीजी ही कहेंगे ना। आप सुनिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : पहले वे यह बतायें, फिर जवाब दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, बोलूँगा······

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए, प्लीज।···· (व्यवधान) ······लड्ढा साहब बैठिए। बदमजगी मत करिये, प्लीज, बैठिए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक बात पूछ लूँ।

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन, आप बैठिए। आप बैठ जाइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि कुम्हेर की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : पहले जो नेता महोदय ने प्रश्न किया है वह बता दें। देवपुराजी ने पाइंट आउट किया किया था पहले यह बता दें कि सप्लीमेण्ट कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक दुर्भाग्यपूर्ण कहने में····(व्यवधान)···आप बोलने तो दीजिए सरकार का व्यू रख रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण कहना मैं समझता हूँ इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। सुन लीजिए···

श्री हीरालाल देवपुरा : दुर्भाग्यपूर्ण कहने में कोई आपत्ति नहीं है कोई गलत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपने जो सवाल उठाया मुख्य मंत्रीजी ने सुना और मुझे विश्वास है कि आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब वह देंगे। मैं कह रहा हूँ।

श्री हीरालाल देवपुरा : पहले उसका जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : आपने जो सवाल उठाया है उसका जवाब वह निश्चित देंगे। जब वह बोलने के लिए खड़े हुए हैं तो सबका जवाब देने की कोशिश करेंगे।

123

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ क्लेरीफिकेशन । मेरा पाइंट आफ क्लेरीफिकेशन यह हैं कि इस डिबेट का जवाब माननीय गृह मंत्रीजी ने सदन में दिया और जहां तक पवित्र सदन का कोई भी माननीय सदस्य या मंत्री महोदय उस डिबेट को इण्टरविन कर सकते हैं लेकिन सदन में जवाब आने के बाद मुख्य मंत्रीजी अपना वक्तव्य देना चाहते हैं तो उस स्थिति में क्या इस सदन के माननीय सदस्यों को जो प्रश्न पूछने का अधिकार है। वह क्या दोनों से अलग पूछेंगे····

श्री अध्यक्ष : जैसा आप चाहें।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : या माननीय मुख्य मंत्रीजी गृह मंत्री जी के जवाब को सरकार का जवाब नहीं मानते हैं। हम कौन से जवाब को वक्तव्य मानें। मेरा पाइंट आफ क्लेरी फिकेशन माननीय अध्यक्ष महोदय यह है कि मैं माननीय गृह मंत्रीजी ने जैसा कहा कुछ तथ्यों के बारे में जो मैटर आफ इन्वेस्टीगेशन के हैं उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स के रूप में दिये तो क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी उनको बदलेंगे। यहं कुछ मुद्दे इस सदन में जागृत हो चुके हैं। इसलिए सदन के माननीय सदस्यों को अधिकार है उनसे प्रश्न पूछने का। अब क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी गृह मंत्रीजी के जवाब को उपयुक्त नहीं समझते हैं। उससे डिफर करते हैं डिबेट को इण्टर-विन करने वाली बात तो समाप्त हो चुकी है। सरकार का जवाब माननीय मुख्य मंत्रीजी का जवाब समझें या सरकार का जवाब माननीय गृह मंत्रीजी का जवाब समझें। इसको पहले स्पष्ट कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष : एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मुख्य मंत्रीजी को अधिकार है बोलने का इसमें कोई दो राय नहीं है। Nobody can question it. He has got every right to speak.

सवाल जो आप दूसरा पूछ रहे हैं यह आप एण्टीसिपेट कर रहे है हर चीज को, यह पहले कैसे कहा जा सकता है कि आप उनसे पूछेंगे कि उनसे पूछेंगे जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक मैं कैसे बता दूँ इसलिए पहले आप सुन लीजिए।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : हम तो क्वरेचन कर रहे हैं गृह मंत्री जी से, माननीय गृह मंत्रीजी ने तो····

श्री अध्यक्ष : मैंने बताया मुख्य मंत्रीजी बोलेंगे। आप इतना भी नहीं समझते कि गृह मंत्रीजी के वक्तव्य को कन्ट्राडिक्ट करेंगे ? उन्होंने कहा उसको कण्ट्राडिक्ट करेंगे तो आप क्या यह समझते हैं कि मुख्य मंत्री जी ऐसा समझ रहे है आप ? आप सब बातों का एण्टीसिपेट कर रहे हैं। इसलिए मुख्य मंत्रीजी को सुनने के बाद आपको लगेगा कि गृह मंत्रीजी से कुछ क्लेरिफिकेशन करने हैं तो उसमें आपको कौन रोक रहा है, मुख्य मंत्रीजी से करना है तो मुख्य मंत्रीजी क्लेरिफिकेशन कर देंगे। जब सरकार आपकी हर डिबेट का जवाब दे रही है तो फिर आपको आपत्ति क्या है, सुन लीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : सुन लीजिए ।

एक माननीय सदस्य : चौमूं का नहीं है मामला ।

श्री राजेश्वर दयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कहना चाहूँगा कि माननीय मंत्रीजी जो इस मामले को कुम्हेर जैसा काण्ड जिसके लिए घिनौने से घिनौना शब्द उपयोग किया जाय । ऐसे मामले को लाइटली वे में कहकर, आपके मन्त्रिमण्डल के सदस्य इस बात को लेते हैं तो इससे बड़ा जघन्य अपराध आप भी नहीं कर रहे हैं ।…(व्यवधान)… यह आपने कैसे कह दिया कि चौमूं का क्या मामला है, चौमूं थोड़े है । व्हाट यू आर । नो नो व्हाट यू आर । कुम्हेर जैसे जघन्य अपराध के मामले में आप मजाक करना चाहते हैं ।

डॉ. चन्द्रभान : इस तरह के रिमार्क केबिनेट मिनिस्टर्स की ओर से इनको प्रताड़ना दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : आप मेहरबानी करके चौमूं का नाम मत लीजिए और किसी गांव का नाम लीजिए । हां बोलिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्री ने सदन में वक्तव्य दिया है मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता । यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है इस सम्बन्ध में कोई संदेह नहीं और सदन में इस घटना पर चर्चा हो यह स्वाभाविक है ।

इस घटना के सम्बन्ध में कई बातें कही गयीं । सरकार निश्चित रूप से इस घटना का पूरा विवरण जिस प्रकार का आप चाहते हैं वह इसलिए नहीं दे पा रही है कि एक तरफ सी. बी. आई. की इन्क्वायरी चल रही और दूसरी तरफ जुडीशियल इन्क्वायरी की कार्यवाही चल रही है । इसी सम्बन्ध में एक मामला सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था । सुप्रीम कोर्ट में ऐसे आरोप लगाये गये जो तथ्यों के बहुत बिल्कुल विपरीत थे, असत्य थे, मनगढ़न्त थे, सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से उत्तर दिया गया और उस उत्तर के पश्चात् सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि सरकार की ओर से जो उत्तर दिया गया है; रिलीफ वर्क का जो जिक्र किया गया है उसके अतिरिक्त इसमें यदि किसी आदमी को कोई कार्यवाही करनी है तो सी. बी. आई. या जुडीशियल इन्क्वायरी की फाइण्डिग आ जाये उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसका काग्नीजेंस ले सकती है । हमारे सामने भी वह समस्या है, यह मामला जब तक जुडीशियल इन्क्वायरी में यह मामला है या सी. बी. आई. इन्क्वायरी कर रही है इस मामले में किस सीमा तक इन सारे तथ्यों पर जाया जाय या यहां सदन में रखा जाय ।

अध्यक्ष महोदय, परसों के दिन दिल्ली में इण्टरनेशनल एमनेस्टी की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए मुख्य मन्त्रियों की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बैठक प्रधान मंत्रीजी ने बुलायी थी। उस बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई लेकिन मेरी ओर से वहां यह कहा गया कि चाहे गरीब तबका हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो चाहे जन जाति का हो चाहे और किसी वर्ग का हो हिन्दुस्तान की न्याय व्यवस्था गरीब के पक्ष में नहीं है। हिन्दुस्तान की न्याय व्यवस्था साधन सम्पन्न व्यक्ति के पक्ष में है। अंग्रेजों के जमाने में बनाये गये आई. पी. सी. सी. आर. पी. सी. एवीडेंस एक्ट इन सबकी व्यूह रचना को देखा जाय तो कोई गरीब आदमी न्यायालय से न्याय प्राप्त नहीं कर सकता है। जिस आदमी के पास साधन होंगे, जिस आदमी के पास अच्छा एडवोकेट होगा, जो आदमी सुप्रीम कोर्ट तक जाने की क्षमता रखता होगा, उसका मुकाबला कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है इसलिए यदि गरीब के साथ न्याय की चर्चा की जाय, या न्याय की व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार किया जाय तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण प्रश्न यह आता है कि हम किस प्रकार से गरीब को न्याय दिलाने के लिए इस कानून में वाजिब संशोधन करें। इस बात का समर्थन उस बैठक में जितने भी उपस्थित लोग थे उन सब ने इसका समर्थन किया और साथ ही गृह मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। आवश्यकता पड़ेगी तो लॉ कमीशन या ला मिनिस्टर की बैठक बुलाकर इस सम्बन्ध में चर्चा करेगी।

अब यह चाहे कोई माने या नहीं माने, लेकिन यह तथ्य है कि गरीब को न्याय नहीं मिलता। अभी आप सैक्शन 3, एट्रोसिटीज एक्ट की चर्चा कर रहे थे। कानून तो बन गया लेकिन कानून के पालन में क्या लोगों को सजा हो पाती है? मेरा अपना अनुभव है कि जो लोग इसमें गवाही देने के लिए जाने को तैयार होते हैं या जिनकी गवाही लेकर मुकदमे का चालान किया जाता है उन गवाहों को खरीद लिया जाता है, उन गवाहों को बदलवा दिया जाता है। और इस कारण से ऐसे मामलों में भी जहां कानून स्पष्ट है उन लोगों को न्याय नहीं दिला पाते। मैंने इस बात का भी जिक्र किया था कि हमने यह व्यवस्था की है कि गरीबों को कानूनी सहायता प्रदान की जाय। जिस प्रकार की लेकिन रचना है उस रचना में आप किस प्रकार की कितनी सहायता दें और उस सहायता के आधार पर भी क्या गरीब को न्याय मिल सकेगा, मुझे तो इसमें पूरा सन्देह है। इस कारण जब तक इस कानून में आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया जाय, जो इस कानून का बायस साधन सम्पन्न व्यक्तियों के पक्ष में है उस बायस को बिलकुल नार्मल नहीं किया जाय, उस समय तक गरीब इस कानून के अन्तर्गत न्याय प्राप्त कर लेगा, इसकी कोई सम्भावना नहीं रहती।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूँगा कि देश की आजादी के पश्चात् मौलिक अधिकारों का प्रश्न आया। संविधान में हर व्यक्ति को हमने बराबर के मौलिक अधिकार दिये, इसमें कोई सन्देह नहीं। लेकिन शनैः शनैः जागृति आने में समय लगा और अब जागृति आ गयी।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आज गरीब आदमी अपने अधिकार की मांग करता है। वह अपने अधिकारों के सम्बन्ध में समझने भी लग गया है, कि अमुक मेरा अधिकार है वह अधिकार मुझे मिलना चाहिए। इस अधिकार की मांग जब वह ज्यादा जोर शोर से करता है तो उसका विरोध भी होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं। यह केवल एक राजस्थान का प्रश्न नहीं, सारे हिन्दुस्तान में देखें। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता कि अन्य राज्यों में एस. सी. और एस. टी. के लोग कितने मारे गये, कितने बेघरबार हुए या कितने लोगों के घर जले। मैं वे आंकड़े देकर सदन का समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की स्थिति पूरे देश में है। जहां-जहां इस प्रकार की बातें होती हैं उनके रोकथाम की कोशिश अवश्य की गयी है, लेकिन वातावरण में जिस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है उस परिवर्तन के अनुसार जितनी सख्त कार्यवाही होनी चाहिए वह इसलिए नहीं हो पाती कि कानून में कुछ खामियां हैं।

मैं इस आधार पर निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान में जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कुम्हेर में सारी घटना हुई। यह सदन अच्छी तरह से जानता है कि राजस्थान में खास तौर से जहां अलीगढ़, आगरा इसके पास में हम हैं उस क्षेत्र में यह हवा 1985 से आयी। 1985 के बाद पहली बार शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों ने यह महसूस करना शुरू किया कि हमारे भी सामाजिक अधिकार हैं, इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था में जो चाहें वह करने का एक हमारा अधिकार है, उसको कोई रोकेगा हम उसका प्रोटेस्ट करेंगे, उसका विरोध करेंगे। यह सदन अच्छी तरह जानता है कि अलवर में एक वर्ष में शादी के कई मामले आये। शादी के इतने मामलों में, कइयों में घोड़ी पर चढ़कर बारात निकालने की कोशिश की। कामयाब नहीं हुए। जहां जनता ने सहयोग दिया वहां कामयाब हुए। इस प्रकार की स्थिति चलते-चलते इस काण्ड के रूप में अन्तिम रूप में हमारे सामने आयी है। मैं इसलिए निवेदन करना चाह रहा हूँ कि यह एक दिन की उपज नहीं है। एक दिन के अन्दर कोई वातावरण बना हो, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। यह वर्षों से चल रहा गुलामी से निकलने का प्रयास है। इस प्रयास के कारण से यह स्थिति राज्य में ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान में आज उत्पन्न हुई है।

यहां पर यह कहा गया है कि इस सम्बन्ध में किसी की नर बलि की गयी। यहां मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं उन तथ्यों से जाना इसलिए नहीं चाहता कि वे तथ्य जब जुडीशियल इन्क्वायरी के सामने आएँगे, सी. बी. आई. इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो निश्चित रूप से जो तथ्य सही हैं वे सही रूप में प्रगट होंगे। जहाँ तथ्य असत्य हैं वे असत्य तथ्य अपने आप ही रह जाएँगे।

यहां पर यह कहा गया कि जितने भी भ्रष्ट अधिकारी थे उनको भरतपुर में लगा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दिया गया । विपक्ष के नेता ने कहा । अब वह अधिकारी भरतपुर में एस. पी. है। एस. पी. के सम्बन्ध में इसी सदन में माननीय सदस्यों ने प्रशंसा की थी कि यह पहला एस. पी. भरतपुर के अन्दर गया है जिस एस. पी. ने वहां गुण्डागर्दी रोकी। (व्यवधान) ... आप बीच में टोकिये मत। आपको बाद में जो कुछ करना है, कर लीजिए। चाहे कल सुबह हो जाय, मैं आपकी सब बातों का जवाब दूंगा।

इसी सदन में उसकी प्रशंसा हुई कि उसने जितने भी ट्रांसपोर्ट के क्लैण्डेस्टाइन आपरेशन चल रहे थे उनको रोका और उसके कारण से रोडवेज की इनकम बढ़ी। गुण्डों के साथ उसने सख्ती की। मैंने अपने विधान सभा के जीवन काल में किसी भी पुलिस आफिसर की पहली बार यदि प्रशंसा सुनी तो भरतपुर के एस. पी. की सुनी और वह भी सारे सदन ने उसकी प्रशंसा की। आज उस एस. पी. के बारे में यह कहें कि वह करप्ट है, जोशी वैसे बुजुर्ग आदमी, किसी आदमी को साबित किये बिना। आप यह कह सकते हैं कि इन एफीशिएण्ट है, आप यह कह सकते हैं कि इस घटना को रोक नहीं सका। लेकिन उस अधिकारी को यह कहना कि वह करप्ट है, मैं समझता हूँ, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज भी कह सकता हूँ, राजस्थान के....... (व्यवधान) ... जोशी जी ने कहा। (व्यवधान) ... आप सुनते जाइये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह कहा, इनकाम्पीटैण्ट है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप डी. आई. जी. के बारे में क्या कहते हैं ? हमने डी. आई. जी. के बारे में कहा, आप उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं सब कह रहा हूँ, आप सुनते जाइये। आपका कोई पाइण्ट नहीं छोड़ूंगा, आप तसल्ली ले लीजिए।

श्री जुबेर खान : एस. पी. तो चार दिन पहले गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, वह चार दिन पहले गया। मैंने तो केवल इतना-सा कहा कि आपने उसकी प्रशंसा की है। सब बातों का मैं जवाब दूंगा। मैं तो केवल जो इस सदन में बातें हुई हैं, वही कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई नहीं जोड़ रहा।

अब दूसरा प्रश्न आता है एस. पी. के सम्बन्ध में आपने कह दिया, वहां पर सारे भ्रष्ट अधिकारी लगा दिये। कलेक्टर वहां गया नया। उसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि वह आदमी करप्ट नहीं है। उस आदमी के बारे में आप यह कह सकते हैं, कुम्हेर की घटना आपकी दृष्टि में इनएफीशिएंसी ही हो सकती है, लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि उस आदमी की ईमानदारी पर कोई सन्देह नहीं कर सकता। तीसरा प्रश्न आया डी. आई. जी. का। मुझे इस बात की खुशी हुई कि डी. आई. जी. के सम्बन्ध में यहां कई माननीय सदस्यों ने प्रशंसा की।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : आप इस इश्यू को डाइवर्ट कर रहे हैं। तथ्यों से परे हट रहे हैं आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं भाषण आपके कहने से दूंगा नहीं। अब आप सुनते जाइये, आपने बहुत देर बात कही है, 6 घण्टे तक आप बोले हैं। मैं तो थोड़ी-सी देर बोलना चाहता हूं। आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ।

वहां पर डी. आई. जी. को कह दिया कि करप्ट है। इसी सदन में माननीय सदस्य कहने लगे कि डी. आई. जी. तो बहुत इफेक्टिव था, उनके अधिकार छीन लिये। बाकी और कोई आरोप नहीं है। तीसरा, जयपुर का डिवीज़नल कमिश्नर है जो, मैं आज भी कह सकता हूँ कि हार्ड आनेस्ट व्यक्ति है। इन तीन आदमियों में अब आप यही कहें कि कमिश्नर बेइमान, एस. पी. बेइमान, डी. आई. जी. बेइमान, कलक्टर बेइमान, तो मैं समझता हूँ कि यह शासन किस प्रकार से चलेगा, आप इसका अनुमान लगा लें।

श्री राजेन्द्र पारीक : बी. जे. पी. के वर्कर बन गये थे वहां पर। एज. बी.जे.पी. वर्कर काम किया इन्होंने वहां पर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह ठीक है, अगले चुनावों में आप भी बीजेपी के वर्कर बन जाओगे। मैं तो इन सबको बता देना चाहता हूँ....

श्री यदुनाथ सिंह : करप्ट कौन-कौन है, वे बता दो आप। ईमानदार तो बता दिये आपने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऐसी स्थिति में सौभाग्य से या दुर्भाग्य से तीन शिड्यूल्ड कास्ट के अफसर वहां थे। कमिश्नर शिड्यूल्ड कास्ट के थे, डी. आई. जी. शिड्यूल्ड कास्ट के थे और कलक्टर शिड्यूल्ड कास्ट के थे। मैं इतना कहता हूँ कि तीनों अधिकारियों ने मिलकर कोई इसमें षडयन्त्र किया हो कि शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के साथ अत्याचार हो जाय, अभी तक इस सदन में इस बात का आरोप नहीं लगाया है कि इनके साथ योजनाबद्ध तरीके से पुलिस प्रशासन ने कोई एट्रोसिटी करायी। यह तो आरोप नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बात मुख्य मंत्री जी, एडिशनल एस. पी. की थी। आपने कई बार वायदा किया भी था उसको हटाने का। बीकानेर में लगा रखा है उसको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वैसी स्थिति में, अध्यक्ष महोदय, चार में से तीन सीनियर मोस्ट अफसर शिड्यूल्ड कास्ट के हों तो सरकार को कम से कम एक विश्वास तो रहता है कि इनकी मौजूदगी में किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होगा। वे इस कन्सिडरेशन से नहीं लगाये, लेकिन इस कन्सिडरेशन में एक बात निश्चित रूप से है कि भरतपुर में जिस प्रकार का घटनाक्रम

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चल रहा था, कम से कम शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों का कान्फिडेंस बने कि कोई दूसरे अधिकारी जिनके बारे में माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे कि ब्राह्मण अधिकारी आ जाय तो वह हमारा कहना नहीं मानते। और अधिकारी आ जाय तो हमारे साथ भेदभाव बरतता है। भरतपुर में हमने कम से कम इस बात की तो व्यवस्था की कि शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों में कांफिडेंस क्रियेट हो जाय कि हमारे लिये भी यहां पर डी. आई. जी. यहां का कमिश्नर, यहां कलेक्टर इस प्रकार के बैठे है, जिन्हें किसी भी समय जाकर हम उनको शिकायत कर सकते हैं, वे हमारी शिकायत निश्चित रूप से सुनेंगे। इसलिये भ्रष्ट अधिकारी नहीं लगाये, लोगों में कांफिडेंस क्रियेट करने के लिये ऐसे अधिकारी लगाये।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : यह विचार-धारा कितनी निरर्थक है कि 3–3 अफसर थे, उसके बाद में भी ऐसा अन्याय हो गया। यह सब फिलोसाफी जमीन पर गिर पड़ी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : न फिलोसाफी जमीन पर नीचे गिरी, न मैं गिरा और न आप गिरे। अब दिक्कत हो रही है कि मेरी एक-एक बात कांटे की तरह चुभ रही है। अब इसका इलाज मेरे पास नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यहां पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पहाड़िया जी ने बड़े दर्द से कहा, इसमें कोई सन्देह नहीं। स्वाभाविक है, सबको दर्द होगा और दर्द से ही बात कही जाय लेकिन एक बात जरूर कह गये कि मुख्य मंत्रीजी बहुत होशियार हैं, चतुर हैं। वर्ड यूज किया है "चतुर" हैं और इस मामले में कि जो हम मांग करते जुडिशियल इन्क्वायरी की, वह पहले मान ली, जो हम मांग करते कि सी. बी. आई. को इसको दिया जाय, वह भी पहले कर ली, हम जो मांग करते कि इनको मुआवजा दिया जाय, वह मुआवजा भी दे दिया। वह जो आपने चतुराई की तारीफ की है, मैं चतुर नहीं हूं आप जितना।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं गलतफहमी में था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपके मुकाबले में कहां चतुर हूँ ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं गलतफहमी दूर कर लूं अपनी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके मुकाबले में चतुर नहीं हूँ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप तो चतुर ही नहीं, बहुत चतुर हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको तो राजस्थान में चतुर मुख्य मंत्री की आवश्यकता है ना। जो आवश्यकता है, उसकी पूर्ति कर रहा हूँ।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इन्क्वायरी हमने इन्स्टीट्यूट कर दी, वह भी हमारे सामने संकट। कहते हैं आपने इन्क्वायरी क्यों इन्स्टीट्यूट की ? आपने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हमारी मांग के बाद में क्यों नहीं इन्स्टीट्यूट की ? पहले इन्क्वायरी क्यों आपने इन्स्टीट्यूट कर दी ? अब यह तो राजनीतिक लाभ नहीं है। मैं कोई खुश नहीं हूँ इस बात से कि कुम्हेर में इस प्रकार की घटना हुई है लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप लगाये जा रहे हैं, यहां नहीं सदन के बाहर, जितने मेरे पास ज्ञापन आये, जितने मेरे पास पत्र आये, जितनी लोगों ने वहां जाकर सारी सूचनाएँ दी, उस सूचनाओं के आधार पर जो उचित मैं आज समझता हूं, उस समय जो तत्काल निर्णय ले लिया कि इस मामले की सी. बी. आई. इन्वेस्टीगेशन करेगी और इस मामले की जुडीशियल इन्क्वायरी होगी, वह निर्णय बहुत ही उचित था। इसमें कोई राजनीति नहीं है। राजनीति नहीं है किसी भी प्रकार की। अब जब यह मामला सी. बी. आई. के पास चला गया, आप आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि कितने लोगों को आपने अब तक पकड़ा, कितने आदमियों को सजा मिली, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मामला सी. बी. आई. के पास है। उस इन्वेस्टीगेशन में मेरा कोई दखल नहीं है। वे कब किसको गिरफ्तार करेंगे, किसका चालान करेंगे, यह स्वतन्त्रता उनकी है।

श्री चन्दन मल वैद : यह चतुरता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जब आप कुछ भी कहें, मैं तो स्वतन्त्रता कहूँगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि वे पूर्णतया स्वतन्त्र हैं। इन्वेस्टीगेशन से उनको यह पता लगे कि कौन मुलजिम है, कौन मुल्जिम नहीं है, उसका सारा मूल्यांकन इन्वेस्टीगेशन से करेंगे, उसके आधार पर स्वतन्त्र आगे कार्यवाही होगी। अब आपकी यदि मन्शा यह हो कि सी. बी. आई. से इन्वेस्टीगेशन वापस ले ली जाय तो आप हुक्म दे दीजिये, वही काम करूंगा मैं। आप कह दीजिये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा अधिकार है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपके हाथ में है क्या ? (व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : मैं कहता हूँ कि ले लो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, इनको कह रहा हूँ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप ले नहीं सकते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप एक प्रस्ताव कर दो। मैं ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ, बाद में ···· (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : काहे के लिये प्रस्ताव पास करें हम ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर आप प्रस्ताव भी पास नहीं करे, मैंने दे दिया, वह अपराध किया, मैं उनसे इन्वेस्टीगेशन करा रहा हूँ, वह अपराध कर रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : वह तो फँस गये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा, ठीक है, मैं फंस गया। आपको तो खुश होना चाहिये, वह खुशी भी नहीं है।

श्री चन्दन मल बैद : आप डिस्मिस होने से बच गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं फंस गया तो आपको तो बहुत खुश होना चाहिये था।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सी. बी. आई. में देकर बच गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वे यह कह रहे हैं कि इन्क्वायरी में फंस गये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : नहीं, बच गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बच गये तो प्रस्ताव पास कर दो, मैं वापस ले लूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप ले नहीं सकते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मुझे बचाना भी चाहते हो, मारना भी चाहते हो।

अध्यक्ष महोदय, मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या है कि यदि कोई इन्क्वायरी की घोषणा करता हूँ इनके बिना पूछे तो उससे नाराज और मैं इन्क्वायरी विदड्रा करने की अनुमति लेना चाहता हूँ तो अनुमति देते नहीं। अब आप फैसला करिये कि मैं कहां जाऊं।

अध्यक्ष महोदय अब क्वेश्चन यह आता है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आज तो आप बिल्कुल इरेलेवेंट बोल रहे हैं, मुद्दे की बात कह नहीं रहे हैं। देखिये, यदि आप अपने मन्त्री के जवाब से संतुष्ट नहीं थे। और सप्लीमेंट करना चाहते थे तो लम्बी चौड़ी फौज रखकर राजस्थान की जनता पर क्यों भार डाल रहे हो ? आप अकेले ही काफी हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुमित्राजी, आपको याद होगा, जब आप मन्त्रिमण्डल में थीं उस समय भी कांग्रेस वाले कहते थे कि इस मन्त्रिमण्डल का भार क्यों ढो रहे हो। उस समय भी कहते थे, ऐसी कोई बात नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह कोई जवाब नहीं हुआ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सुमित्राजी के लिए आज तक नहीं कहा किसी ने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी जिक्र किया गया कि उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन क्या लिया, क्यों नहीं उनको सस्पेंड किया, यह भी कहा गया कि उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। यह आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं ईश्वर लालजी सैनी का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने इस मामले में मेरी बड़ी मदद की। मदद इस रूप में की कि भीलवाड़ी काण्ड में मैंने एस. पी. को सस्पेंड कर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दिया और जिस समय सस्पेंड नहीं किया था, उस समय उधर से कहा जा रहा था कि इनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, इस डीवाईएस. पी. को सस्पेंड क्यों नहीं किया, इन्स्पेक्टर को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया। हाउस में बीलवाड़ी काण्ड पर चर्चा ही यह हुई कि इनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया। और जब मैंने सस्पेंड कर दिया तो आज ईश्वर लालजी कहते हैं कि एस. पी. को सस्पेंड कर दिया। (व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : जिस रोज हाउस ओन था, उस रोज आपने सस्पेंड नहीं किया, दो महीने बाद किया है। आपने अपनी पार्टी के दबाव में, बी. जे. पी. के अध्यक्ष के दबाव में किया है। उसे दुबारा बहाल कर लीजिये, वह सारा तथ्य उनके फेवर में जायेगा। जो आपने सस्पेंड किया है, वह गलत किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह ठीक है, आपने कहा।

श्री ईश्वर लाल सैनी : आप इनको क्यों नहीं करते। अब कर दो, बाद में करोगे। आज करो ना। सारा हाउस एक है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस समय समय एस. पी. को सस्पेंड नहीं किया, उस सदन में यह मांग हुई कि इसको सस्पेंड किया जाय और जब मैंने उसको सारी जांच-पड़ताल करने के बाद सस्पेंड कर दिया तो माननीय सदस्य (व्यवधान)

श्री ईश्वर लाल सैनी : सी. बी. आई. की जांच चल रही है ना। आपने सी. बी. आई. में दिया था बीलवाड़ी कांड में। और उसके बाद आपने सस्पेंड किया। अब आप अभी अभी यह कह रहे हैं कि अभी सी. बी. आई. में जांच चल रही है, इसकी जुडीशियल इन्क्वायरी भी चल रही है, इसलिये हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, न इसमें सच्चा स्टेटमेंट दे सकते हैं। यानी वह सी. बी. आई. को जांच देने के बाद आपने एस. पी., डी. वाई. एस. पी. को किन पाइन्ट्स पर सस्पेंड किया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको दर्द इस बात का है, मैंने एस. पी. को क्यों सस्पेंड किया। यही है ना ? (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : हमारा दर्द तो यह है कि आपको सस्पेंड कैसे करें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अब आप सी. बी. आई. की ओट क्यों ले रहे हो ? उन प्रशासनिक अधिकारियों को, जिन्होंने गलती की है, उनको सस्पेंड की आज आप घोषणा कीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इस विषय पर अभी बोला नहीं हूँ, आप पहले से क्यों यह बात कह रहे हैं।

मैं इतना निवेदन कर रहा था कि ऐसी स्थिति में पिछले सत्र में इसी एस.

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

पी. के सस्पेंशन की चर्चा हुई और कई माननीय सदस्यों ने सस्पेंशन का विरोध किया।.... और यही क्वेश्चन खड़ा किया गया कि जब मामला सी. बी. आई. के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए हैं तो आपने क्यों किया। आज भी रिपोर्ट वही बात कर रहे हैं। गवर्नर साहब को भी ज्ञापन दिया गया....

श्री यदुनाथसिंह : नहीं करना है, कह दीजिए नहीं करता हूँ बस।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सुन लेओ पहले, मेरी बात तो सुनो। मेरी बात तो सुन लेओ। गवर्नर साहब को भी ज्ञापन दिया गया और गवर्नर साहब को दिए गए ज्ञापन में भी यह लिखा गया कि मामला सी. बी. आई. के पास इन्वेस्टिगेशन में है, इस एस. पी. को सस्पैण्ड क्यों किया गया। (व्यवधान)....आपने लिखा है क्योंकि मैंने आपका नाम नहीं लिया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं। नाम की बात नहीं हैं, तब गलती की, मानते हो ना ? अब तो नहीं कर रहे हैं आप ? सी. बी. आई. में अगर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है तो सस्पेंड नहीं कर रहे हैं मैं आपसे सहमत हूँ लेकिन तब तो गलती करी ना आपने ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप मुझे बोलने तो देओ इस विषय पर। मेरे खिलाफ ज्ञापन दिया गया कि एस. पी. को सस्पैण्ड कर दिया। जिस सरकार ने इसको सस्पैण्ड किया जाय, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाय। सी. बी. आई. की इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें आप किसी को सस्पैण्ड नहीं कर सकते हैं, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बात है, सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात हैं।....(व्यवधान)....मेरी बात तो सुनो आप ..

श्री हेतराम बेनीवाल : हम भी इस सम्बन्ध में आपके साथ हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं इतना निवेदन कर रहा हूँ कि सी. बी. आई. को इन्वेस्टिगेशन देने से आज किसी अफसर के खिलाफ मैं कार्यवाही करूँ। और वह यह समझे कि सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। मैं इस थ्योरी और इस सिद्धान्त को मानता भी नहीं हूँ और ना यह है भी। (व्यवधान) ...

श्री सुरेन्द्र व्यास : होम मिनिस्टर सहाब क्या कहते हैं ? फाइल पर क्या बोला है उन्होंने। फाइल पर क्या बोला है ? फाइल हर होम मिनिस्टर साहब ने क्या बोला ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने फाइल कहां से ले ली, मुझे पता नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : फाइल आप रख दीजिए, टेबल पर रख दीजिए।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अच्छा आप देख लेना फाइल, फाइल देख कर कोई बात कर लेना। अब प्रश्न यह आया, अध्यक्ष महोदय, कि कौन-कौन अधिकारी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हैं जिनको सस्पैण्ड किया जाय, किन-किन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय ? मैं फिर एक दिल्ली का उदाहरण देना चाहूँगा। कल ही इन्टर स्टेट कौंसिल की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में कितने आई. ए. एस. और कितने आई. पी. एस. आफिसर्स स्टेट के कोटे में आये ?

श्री चन्दनमल बैद : इनको दिल्ली भेज देओ साहब।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : हर बात में दिल्ली, आप तो दिल्ली पधारो साहब। आप तो जयपुर और राजस्थान में टिकते नहीं हैं, दिल्ली की बात करते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है। मैं इतना आपको बता देउं कि परसरामजी ने अभी कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है फिर मैं कैसे दिल्ली पहुँचुंगा। आप यहां से निकाल भी देओगे तो ? यदि आपको मुझे दिल्ली भेजने की सहानुभूति है तो मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले 40 वर्षों में सेवा नियमों में जिस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं वह सब जानते हैं। आज किसी आदमी को आप सस्पैण्ड करो तो सस्पैण्ड करने का एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर के बाहर जाकर यदि किसी आदमी के खिलाफ कोई एक्शन ले लिया तो वह कोर्ट में जायेगा। कोर्ट में पिटीशन मूव करेगा और अपना स्टे आर्डर लेगा और लेने के बाद फिर आप और मैं, दोनों विवश हो जायेंगे, हम उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। मैं इस सदन को इतना विश्वास दे सकता हूँ कि मैंने इस सम्बन्ध में जो भी मेरे पास जानकारी थी, जो माननीय सदस्यों ने जानकारी दी या और कोई जानकारी जिस सूत्र से भी मुझे प्राप्त हुई, उस जानकारी के आधार पर सी. बी. आई. की इन्क्वायरी हो रही है या नहीं हो रही है लेकिन जो व्यक्ति जिनकी लेप्सेज हैं, जो दोषी हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से मैं कार्यवाही करूंगा। इसमें कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है।....(व्यवधान)...

श्री ईश्वरलाल सैनी : 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यहां पर इस बात का भी जिक्र किया गया है...(व्यवधान)... मेरी बात तो आप सुन लो फिर मैं अपनी भी कह दूँगा। चिन्ता मत करो, मैं कहूँगा। आप उतावले क्यों हो रहे हैं ?

डा. चन्द्रभान : इस्तीफा वाला कागज दिखा रहे थे अभी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमारे सामने नहीं हैं। मैं इस्तीफा देऊंगा विधान सभा के चुनाव होंगे। आपका पता नहीं लगेगा, आप बैठे रहें। मैं इसलिए इतना निवेदन कर रहा हूँ कि (व्यवधान)...

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय यह सदन के नेता जिस तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि विधान सभा के चुनाव में पता नहीं

(डा. चन्द्रभान)

लगेगा। आपकी क्या गारन्टी है, क्या आपके सब लोग जीत कर आ जायेंगे और बाकी सभी हार जायेंगे ? अगर चुनाव होंगे····(व्यवधान)····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, गारन्टी किसी की नहीं हैं।

डा. चन्द्रभान : मुख्य मंत्रीजी आप जनता दल के कारण मुख्य मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव में जीत कर नहीं आई है। यह खरीदे हुए लोगों को आपने इकट्ठा कर रखा है और आपको गलत फहमी है।····(व्यवधान)···· आप अकेले सरकार में नहीं आ सकते हैं। जनता दल के कारण से जीते हैं। आपको गलत फहमी है। अध्यक्ष महोदय, यदि मुख्य मंत्रीजी को गलतफहमी है, मुख्य मंत्रीजी आप तो सदन के नेता है, आपतो विधान सभा को भंग कीजिए और चुनाव करवाइए, इतनी हिम्मत है तो······ (व्यवधान)···· हम तो यही मांग कर रहे हैं कि आप इस्तीफा दें और····

श्री अमृतलाल परमार : इनके दिमाग के तार खराब हो गए हैं······ (व्यवधान)······ इनके स्क्रू ढीले हो गये।

डा. चन्द्रभान : विधान सभा को भंग करवाइएँ, चुनाव करवाइएँ आपके अन्दर हिम्मत हो तो।

श्री जगतसिंह दायमा (अल्प बचत, राज्य मंत्री) : अब आपको भी किसी ने खरीद लिया है क्या ? जो अलग ही गए हैं।

श्री अध्यक्ष : आप प्रवोक क्यों हो रहे हैं ?

डा. चन्द्रभान : नहीं, आप यह कह रहे हैं कि पता नहीं लगेगा। नहीं अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी का यह तरीका बहुत गलत है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए, प्रवोक मत होइए। वह भले ही कह दें, आप प्रवोक मत होइए।

डा. चन्द्रभान : मैं आपके माध्यम से एक निवेदन कर रहा हूँ कि यह सरकार इस्तीफा दे, विधान सभा भंग करवाए, चुनाव करवाए। आपको पता लग जायेगा।

श्री अध्यक्ष : यह सवाल नहीं है अभी।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि वह इस्तीफा देंगे, चुनाव होगा और हमारा पता ही नहीं लगेगा। हम स्वागत करते हैं, हमारा पता लगे या नहीं लगे आप तो इस्तीफा दो ताकि आपका तो पता लग जाय।

डा. चन्द्रभान : अब आप इस्तीफा दो, विधान सभा भंग करवा दो, हमारा पता नहीं लगेगा।····(व्यवधान)····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, चुनाव के क्या परिणाम होंगे, मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा लेकिन यहां जो मेरे लिए कहा गया कि आपका जनता पत्ता काट देगी, मैं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

समझता हूँ कि वह भी भविष्यवक्ता नहीं हैं।

डा. चन्द्रभान : हमारे सहयोग से जीते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह ठीक है। आपका सहयोग जिन्होंने लिया वह सब धोखा खा गए। ··· (व्यवधान) ···

श्री अध्यक्ष : देखिए 6 बज गए हैं, प्लीज इसको संक्षिप्त में ···(व्यवधान)···· उनका पूरा हो जाने दीजिए, आप बीच में इन्ट्रप्ट करेंगे···· (व्यवधान) ··· सुनिए आप, एक बार शान्ति से सुन लीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बड़ा दर्द हो रहा है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे तो बार-बार कहा जा रहा है ··(व्यवधान)···

श्री अध्यक्ष : चले जाइए जनता के पास, कोई नहीं रोक रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे तो बार बार यह कहा जा रहा है कि जनता में जाओगे तब पता लगेगा तो क्या वह भविष्यकर्ता है या जनता की नब्ज केवल इन्होंने ही देख रखी है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ···(व्यवधान) ·· देखिए डा. साहब यह ठीक नहीं है।······ (व्यवधान)···

डा. चन्द्रभान : आपके कहने का तरीका गलत था इसलिए मैंने यह बात कही है। आपने एक बार पहले भी कहा था ···(व्यवधान) आप भूल गए हैं, आपकी जनसंघ पार्टी की 8–8 सीटें आती थीं। पहले भी आप चीफ मिनिस्टर जनता पार्टी और लोक दल के सहयोग से बने थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल सही है।

डा. चन्द्रभान : और अब की बार भी जनता दल के सहयोग से आप मुख्य मंत्री बने है, केवल जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के अकेले के कारण से, मुख्य मंत्री नहीं है आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय, आपने इधर बैठे हुए लोगों के लिए कहा **ठीकरा, खरीदे हुए ठीकरे, खरीदे हुए ठीकरे,** यह असंसदीय भाषा है।····(व्यवधान)···· आपने जो कहा कि ठीकरे की बात वह बिलकुल असंसदीय है। **खरीदे हुए ठीकरे** हैं।

डा. चन्द्रभान : कौनसा शब्द ? असंसदीय शब्द तो है। "खरीदा हुआ" तो अध्यक्ष महोदय, फैसला कर देंगे इस पर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक हैं तो।

श्री भंवरलाल शर्मा (नहर मंत्री) : सब जीते हुए हैं, खरीदे हुए कहां हैं ?

श्रीमती सुमित्रासिंह : क्या सदन के नेता को भी यह कहना शोभनीय था कि

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

अगली बार आप जीत कर नहीं आयेंगे। क्या आप भविष्यवक्ता हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे अपनी पोजीशन का ख्याल भी है और आपकी पोजीशन का भी ख्याल है।

श्री महिपालसिंह यादव (बहरोड) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी भविष्यवक्ता हैं या. ज्योतिषी हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं न तो भविष्यवक्ता हूँ और ना धमकी दे रहा हूँ । लेकिन डा. साहब....(व्यवधान).... मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि बार-बार यह कहा जाय कि आपको अब की बार जनता देख लेगी तो क्या हम आसमान से टपके हैं, क्या हम जनता से बाहर हैं ?....(व्यवधान)....

श्री केदारनाथ शर्मा : अध्यक्षजी, डिबेट डेबीएट हो रही है, मैं आपसे, अध्यक्ष महोदय, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डिबेट को डेजीएट मत होने दीजिए। हमने जो हीट पैदा की है, आपने रिफ्यूज कर दी। हमने जो पिन-पाइंट कुछ इश्यूज आपके सामने इमर्ज करके रके हैं यहां पर कुछ सोशल, इकोनोमिक, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव वे सारे डिफ्यूज कर दिये इसलिए डिबेट मत करो । हम मान गये आप मास्टर पीस हैं, बड़े होशियार हैं मान गए हम सब, वह सारे इश्यूज आपने डिफ्यूज कर दिए। इसलिए डिफ्यूज मत करो ।.... (व्यवधान)....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : केदारजी आप इनको रोको।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, आप आसन पर है। आप स्वयं फैसला करें तो माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे उठाये हैं।

श्री अध्यक्ष : (व्यवधान).... आप मुझे फैसला करने का अधिकार कहां देते हैं ? आप तो अपनी-अपनी बात कहते हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता महोदय ने कोई गम्भीर बात भी नहीं हैं क्या अब तक ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सारे मुद्दे मैंने नोट करके रखे हैं। सत्र का जवाब दूँगा । अब प्रोफेसर केदार को यह चिन्ता हो रही है कि हमने हीट पैदा की थी, इन्होंने डिफ्यूज कर दिया तो मैं हीट बनाकर रखूँ आपके लिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इस स्थिति में न थे, दोनों ही नहीं है अब ।

एक माननीय सदस्य : यह काम भी आप पहले करते रहे हो।

(6.00)

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन के नेता महोदय को याद दिलाना चाहती हूँ कि वह सदन के नेता है विपक्ष के नेता नहीं हैं जो इस तरह की बातें करते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

महोदय, यहां पर नाम लिया गया डी. जी. का, और डी. जी. के लिये कहा गया कि वे भरतपुर के हैं और ब्रह्मण हैं। मुझे डी. जी. के ऊपर गर्व है और इस सदन को गर्व होना चाहिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : इस ढाई साल में आपको किस पर गर्व नहीं रहा.... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यूंही अधिकारियों का नाम लेकर, चूँकि वह किसी जाति विशेष के हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : नेता महोदय यह बता दीजिये कि इनसे ज्यादा मीठालालजी पर है या उनसे भी ऊपर इन पर है। मीठालालजी मेहता से ज्यादा बढ़ कर है या उनसे नीचे...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही कहता हूँ जनार्दनसिंह जी आप पर तो कोई गर्व कर नहीं सकता। आपकी पार्टी भी आप पर गर्व नहीं करती है लेकिन कम से कम जो अधिकारी ईमानदार है, कर्त्तव्यनिष्ठ, कर्मठ हैं उन अधिकारियों को यदि इस सदन में जिस प्रकार की चर्चा आई है उसका उत्तर नहीं देऊंगा, मैं समझता हूँ मैं अपने कर्त्तव्य का ठीक प्रकार से निर्वहन नहीं करूँगा। और इस दृष्टि से मैंने डी. जी. की बात आपसे कही है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय मुख्य मंत्रीजी को अपने अधिकारियों पर तो गर्व है लेकिन मंत्रिमण्डल पर गर्व नहीं है... (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, ये सारा क्रम तोड़ रही है। यह गलत बात है, इनको बोलने की अनुमति नहीं दी जाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही कह सकता हूँ सुमित्राजी आपको वहम नहीं होना चाहिये आप मेरे मंत्रिमण्डल में थी तब मुझे आप पर भी बहुत गर्व था।

श्रीमती सुमित्रासिंह : इसके लिये मैं आपकी आभारी हूँ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिये आप यह मत कहो कि मंत्रिमण्डल पर गर्व नहीं है। मंत्रिमण्डल पर गर्व है, चन्द्रभानजी थे उन पर भी गर्व था। अब आज हमको कुछ भी कह दें इनकी मर्जी की बात है... (व्यवधान)

श्री केदारनाथ शर्मा : सुमित्राजी की ऑनेस्टी के लिये कह रहे हो क्या आप ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर। मेरी बात सुन लीजिये। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इतना बड़ा काण्ड हुआ और पूरे देश-विदेशों में इसकी निन्दा हो रही है और चर्चा हो रही है। एस. सी. के लोगों के साथ अत्याचार हुआ लेकिन बड़े खेद की बात है इस सदन में मखौलबाजी की जा रही है। हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है। इधर-उधर की बातें करके इस

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

मामले को टालना चाहते हैं मुख्य मंत्रीजी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ मुख्य मंत्रीजी आपसे एडीशनल एस. पी. के लिये हम कई बार मिले। आपने यह वायदा किया था कि एडीशनल एस. पी. को वहां से हटाया जा रहा है और आपने उसका प्रमोशन करके उसको बीकानेर में लगा रखा है। आपसे पक्ष और विपक्ष के जितने एस. सी. के एम. एल. एज. मिले आपने इस बात का वायदा किया कि तुरन्त उनको वहां से लाइन हाजिर कर दिया, इस बात को नहीं कर सके आप। मुख्य मंत्रीजी मेरी इस बात का आप जवाब दे दीजिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं जवाब देता हूँ। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि एडीशनल एस. पी. का प्रमोशन नहीं हुआ है, ट्रान्सफर किया है, प्रमोशन नहीं हुआ है। और लड्ढा साहब आप और भरोसी लाल जी, निर्भयलाल जी अभी कुछ बोले हैं आप जो मेरे से बात करते थे, आप तो सब कुछ कह रहे हैं, आप तो स्वतंत्र हो। आप मेरे से आकर बात करते थे मैं हाउस में कहूँ तो····(व्यवधान)

श्री निर्भयलाल जाटव : मुख्य मंत्री महोदय, जो हमने आपसे कहा है उसको सदन से उजागर करिये, हमने क्या कहा है। हमने कहा है तो यही कहा है कि दोषियों को दण्ड दिया जाये, यही कहा होगा और कोई गलत····

श्री भरोसीलाल जाटव : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी सदन में जो कुछ कह रहे हैं हमने जो कुछ भी इनसे कहा है उसको उजागर करें। हमने जो हरिजनों की हत्या हुई. कुम्हेर काण्ड ने ऊपर सहायता के बारे में आपने हमारी कमेटी का गठन किया, स्पीकर साहब से मिले ··· (व्यवधान) जो सहायता दी, हमने आपकी बड़ाई की है। दोषी कोई भी व्यक्ति है उसको गिरफ्तार करने की मांग की है इसके अलावा कोई बात हो तो कहें····

श्री सुरेन्द्र व्यास : ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री निर्भयलाल जाटव : मुख्य मंत्रीजी आपको याद हैं। आपने कहा भरोसीलालजी, निर्भय लालजी, रामप्रसादजी लड्ढा ने हमसे कुछ कहा है, बात कही है तो उसको उजागर करें। यह जरूर कहा कहा है कि निर्दोष जो है उनको छोड़ा जाये और दोषियों को दण्डित किया जाये, यही कहा होगा। गरीबों के साथ अन्याय हुआ है। इन शब्दों के सिवाय कुछ नहीं कहा है और कोई बात कही है तो आप उस बात को उजागर करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है ·· (व्यवधान).

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हमने यह कहा था कि जो दोषी है उनको गिरफ्तार किया जाये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने अभी अपने जवाब के दौरान कुछ माननीय सदस्यों को नाम

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

लेकर सम्बोधित करते हुए यह कहा कि आप लोग मुझसे मिलते थे और क्या कहते थे यह बात यदि मैं सदन में कह दूँ तो यदि अध्यक्ष महोदय "तो" यह बड़ा विचारणीय विषय है। या तो सदन के नेता महोदय इसका मतलब क्या है अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसी बातें जो इल्लीगल फेवर या गलत बात इन्होंने कही है मुख्य मंत्रीजी को जिससे उनकी छवि खराब होती है और दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, हाउस को कान्फीडेन्स में नहीं लेकर सदन के नेता क्या आचरण कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, यह उनको + + + कर रहे हैं। इन मेम्बर्स को + + + कर रहे हैं कि यदि आप मेरे खिलाफ बोलोगे तो तो मैं सदन के समक्ष आपकी वे बातें रख दूंगा। सदन को कान्फीडेन्स में नहीं ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दें सदन के नेता महोदय को कि सदन को कान्फीडेन्स में लेना पड़ेगा और यह बताना पड़ेगा इस सदन में कि इन माननीय सदस्यों ने किस प्रकार का फेवर आपसे चाहा था या किस प्रकार की बातें कहीं थी। आप यह भी कह सकते हैं।

He can not + + + the Members.

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह धमकी भी किसको दे रहे हैं। तीनों सदस्य हरिजन हैं। यहां हरिजनों के हिमायती बनेंगे और हरिजन सदस्यों को ही धमकी दे रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बैठ जाओ, मैं धमका नहीं रहा हूं ··

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कैलाशजी मेघवाल भी हमारे साथ में थे दो दफा ·· (व्यवधान)

कैलाशजी मेघवाल बैठे हुए हैं कल ही इन्होंने कहा है मेरे से ··

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, ना तो मैंने धमकाया है और अभी भरोसी लालजी ने

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इन्होंने कहा था कि माननीय सदस्य, कल कुम्हेर काण्ड पर जोरदारी से बोलना है और अपनी बात रखनी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, माननीय भरोसी लालजी ने कहा कि हम तीनों ने आपने जो व्यवस्था की है उसकी प्रशंसा की है ····(व्यवधान) यही तो कहा है न। तो मैं यही बात कहलवाना चाहता हूँ · (व्यवधान)

(6·08 म.प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री ईश्वरलाल सैनी : खोदा पहाड़ निकली चुहिया।

श्री निर्भयलाल जाटव : मुख्य मंत्रीजी जो विशेषता की बात होगी वह बात कही जायेगी परन्तु जो विशेषता की बात नहीं होग ···· (व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(141)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मामला बड़ा गम्भीर था, जो जघन्य अपराध राजस्थान में हुआ, अब आप इस मामले को जिस तरह ले रहे हैं मैं सोचता हूँ कि उससे ज्यादा दुभाग्यपूर्ण बात हो ही नहीं सकती....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य तथ्यों को सुनना नहीं चाहते हैं तो मैं अपना भाषण समाप्ति की ओर ले जा रहा हूँ। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि यहां पर त्याग-पत्र की मांग है.... (व्यवधान) मैं बोल रहा हूँ, पहले तुम लीजिये। केवल एक ही चीज है ना....

श्री चन्दन मल बैद : दे रहे है ना।

श्री रामकिशन : यही असली मुद्दा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : त्याग-पत्र के लिये जो आपने बातें कही है कि त्याग-पत्र दिया जाये। मैं स्वयं इस बात के लिये आपका आभारी हूँ कि आपने व्यक्तिश: मुझे या गृह मंत्रीजी को दोषी नहीं ठहराया है। आपने यह कहा कि नैतिक जिम्मेदारी आपकी है और नैतिकता के नाते आपको त्याग-पत्र देना चाहिये। इसका अर्थ स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष में हम दोषी नहीं है लेकिन मुख्य मंत्री और गृह मंत्री होने के नाते हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि त्याग-पत्र दिया जाये। (व्यवधान) मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ पर यह भी कहा गया कि जब मैं विपक्ष में था तो मैंने उस समय की तत्कालीन सरकारों से इस प्रकार की घटनाओं पर त्याग-पत्र मांगा और यह भी कहा गया कि कथनी और करनी में किसी प्रकार का अन्तर नहीं होना चाहिये। यह बात सही है कि जहां-जहां भी पुलिस गोली काण्ड हुए, मैंने त्याग पत्र मांगा था। घटनाओं में अन्तर है। जिन घटनाओं को लेकर त्याग-पत्र मांगा और ये जो घटना है, इसमें अन्तर है.... (व्यवधान) अब आप थोड़ा सुन लीजिये। सुनने के बाद आप पूछ लेना। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि यह घटना कुछ अपराधियों ने की और आप यह आरोप लगाते हैं कि प्रशासन की इनएफिशियँसी। लोकतंत्र में सरकार जो बनती है वह जनता की चुनी हुई सरकार होती है। जनता उसे चुनती है। उस सरकार का भविष्य आप कुछ अपराधियों के हाथ में देना चाहते हैं या उस सरकार का भविष्य कुछ अधिकारियों के हाथ में देना चाहते हैं। यदि अगर एक मुख्य मंत्री भैरोंसिंह चला गया, इस अपराध के कारण से चला गया, इन तथाकथित पुलिस को इनएफिशियंसी के कारण से चला गया तो कोई भी सरकार का मुख्य मंत्री बनेगा। कोई आदमी यदि बहुमत को अल्पमत में नहीं ला सकता तो इस प्रकार का षडयन्त्र कर सकता है और उस षडयन्त्र के आधार पर कई सरकारें जा सकती हैं.... (व्यवधान) आप सुन लीजिये। अब आप यह कहें कि हमने इस प्रकार की परम्परा डाली थी। पण्डित जी ने कहा, थानु पिल्लई ने इस्तीफा दिया, लाल बहादुर जी शास्त्री ने इस्तीफा दिया....

श्री रामसिंह विश्नोई : मुख्य मंत्री जी आप कह रहे थे आपको तो गर्व है इस पुलिस के ऊपर। यदि पुलिस के ऊपर गर्व है तो यह डिफाल्ट किसकी ओर से हुआ हैं ? (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : ...अभी आपके त्याग-पत्र मांगने के षड़यन्त्र में आपके पुलिस अधिकारी थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने जो कहा, है मैने कहा है सही कहा है और आप समझे वह सही नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूँ, सम्पत राम जी कह गये कि त्याग पत्र देना चाहिये.... (व्यवधान) मेरे से नहीं मांगा था क्या, दिग्विजय सिंह जी से मांगा था ?

श्री हरिसिंह : सरकार से मांगा है और इसके पीछे कामन लॉ का एक फ्रेज हैं कि यह डेमोक्रेटिक सेट-अप का पूरा बेस ही यहां है।

Master is responsible for the acts of servants and you are the master.

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना निवेदन कर दूं कि आप फिर जिक्र करेंगे कि मैं हिन्दुस्तान की घटनाओं का जिक्र करने लग गया। आन्ध्र प्रदेश में 19 हरिजनों को मारा गया और जलाया गया....(व्यवधान) मैं एक बात कह रहा हूँ तो उस समय की सरकार ने इस्तीफा यदि दिया होता, वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, हमारी पार्टी की सरकार नहीं है। अगर देते तो आन्ध्र प्रदेश का उदाहरण यहां पर लागू हो जाता....

श्री हरिसिंह : क्या आन्ध्र प्रदेश में 150 पुलिस का दल मौजूद था ? घटना-स्थल पर ? आपके यहां 150 पुलिस के आदमी मौजूद थे।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हरिसिंह जी, ये ताज का साफा बांधकर इस तरह से जोर से बोलना, यह साफे की बदनामी होनी है।

श्री हरिसिंह : आप बिना साफा बांधकर जोर-जोर से बोले और आपकी बदनामी हुई तो मेरी भी हो जायेगी। मुझे कोई परवाह नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तीज का साफा बांधकर घूम रहे हैं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ और कोई बात नहीं कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, आज कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब दिल्ली में किसी तरह के अपराध नहीं होते हों। कोई एक दिन नहीं जाता जिस दिन किडनेपिंग नहीं होते, जिस दिन मर्डर नहीं होता, जिस दिन टेररिस्ट लोग किसी व्यक्ति का अपहरण नहीं करते, जिस दिन किसी महिला से बलात्कार नहीं होता। आज हिन्दुस्तान में क्राइम्स की राजधानी दिल्ली बन गई, जिस दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन कांग्रेस पार्टी के हाथ में है।

143

श्री हरिसिंह : हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा क्राइम्स जयपुर में हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अखबारों में आया है, माननीय मुख्य मन्त्री जी, जयपुर भी अपराधों में 14 स्थानों में से एक है।.... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हाँ, वह सही है। अब आप तो यह कहने वाले हैं लेकिन हर इन्सान हिन्दुस्तान का जानता है कि दिल्ली में आजकल किस प्रकार के अपराध हो रहे हैं और अपराधियों ने किस प्रकार से अपना पूरा साम्राज्य जमा रखा है। यदि अपराधों के कारण से त्याग-पत्र देने की परम्परा पहले किसी ने डाली होती तो आपको मांग करने की आवश्यकता नहीं होती लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि इस समय त्याग पत्र देना.... ये तीनों माननीय सदस्य फिर कहेंगे, अगर ईमानदार हैं तो आप ईमानदारी से कहिये। मैंने इनसे पूछा था कि मैं त्याग पत्र दे दूं क्या तो ये तीनों सदस्य कहने लगे कि त्याग पत्र दे जाओगे तो इन हरिजनों का नरसंहार होगा, तुम बचा सकते हो।....(व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : तीनों की बात धार रहे हो। आजकल तीनों के कहने पर ही चल रहे हो क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। लड्ढा साहब बैठिये .... (व्यवधान) बैठिये। बैठिये। हर बात की कैरी थोड़े ही होती है। ....(व्यवधान) बिराजिये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, जनतादल के नेता त्याग-पत्र मांग रहे थे। अब यह पता नहीं कौनसे में है, लेकिन है जनता दल।

श्री रामकिशन : जब जनता दल कितने हैं यही भी पता नहीं तो आप मुख्य मंत्री किस बात के हैं। आप जरा बताओ किस बात के मुख्य मंत्री हैं आप। आप कहते हो कि हरेक के घर के बारे में जानता हूं और दल के बारे में नहीं जानते हो, आप किसलिए बैठे हो यहाँ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कौनसे जनता दल में है ? कहीं टिकाऊ हो तो पता भी बता दूं। ये रोज इधर-उधर होते हैं। असली, नकली, मैं इन चक्करों में कहां पड़ूं ?

श्री नत्थी सिंह : असली तो असली रहता है। आप क्यों घबरा रहे हो। असली तो असली ही रहेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप असली है और पंडितजी नकली है। अब इसका मालूम नहीं, आप असली है तो बाकी के बोगस है। अब मैं यह क्यों कहूँ ? .... (व्यवधान) लेकिन मैंने इसलिए कहा, आप जो बात कह रहे हैं त्याग-पत्र दिया जाय, त्याग-पत्र दिया जाय। मैं ऐसा समझता हूं कि अपराध के कारण से और इस प्रकार के अपराध जिसमें अपराधियों को प्रोत्साहन मिलता हो और जो मारे गए हैं, उन लोगों के साथ उनको एक प्रकार की प्रताड़ना मिलती है, वैसी स्थिति में इस प्रकार की मांग करने का कोई औचित्य नहीं है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हिन्दुस्तान में आज तक इस प्रकार की मांग परम्परा किसी ने नहीं डाली। (व्यवधान) पंडितजी, एक मिनट। मैं खत्म कर रहा हूँ, फिर आप बोल लें।

श्री रामकिशन : मैं तो डिस्टर्ब करता ही नहीं। मैं याद दिला दूँ ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बाद में दिला देना।

श्री रामकिशन : ठीक है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन वी. पी. सिंह के जमाने में 36 आदमियों ने आत्मदाह किया, क्या वी. पी. सिंह जी ने त्यागपत्र दिया ? उस समय कहां गये थे।

श्री यदुनाथ सिंह : अब वो खो गये, इसलिए आप भी खो जाओगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है। आप बेफिक्र रहो। हम नहीं खोने वाले हैं। जब मेदाना में दो हरिजनों को, एक युवती को पेड़ से बांधकर लटका दिया था, उस समय नेता लोग कहां थे, उस समय बोला था कोई, उस समय कोई बोला नहीं (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : उत्तर प्रदेश की विधान सभा में बोले थे। (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : ...आप अपना कीर्तिमान ज्यादा बढ़ाना चाहते हो क्या ? आप और जगह का एग्जाम्पल देकर राजस्थान में अत्याचारों का कीर्तिमान करना चाहते हो तो कोई बात नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बता दूं, जनार्दन सिंह जी बार-बार कह रहे हैं, 40 वर्षों में सामाजिक टेंशन दूर करने की जिम्मेदारी किसकी थी ? क्या कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी थी और क्या जिम्मेदारी का निर्वहन किया ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपकी पार्टी ने सारे देश में आग लगा दी।... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिए मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ....... (व्यवधान)

श्री रतनाराम : यह बहुत गम्भीर मामला है और आप हल्का-फुल्का ले रहे हैं। मामले को गम्भीरता से नहीं लिया गया है। इतने गम्भीर मामले को भी ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये। गम्भीरता से उत्तर दिया गया। आप बिराजिये। (व्यवधान) अब पूरा कर रहे हैं। बिराजिये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अन्त में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, मुझे इस बात की खुशी है कि इस सदन में चर्चा हुई, उस चर्चा के कारण से आगे जाकर किसी प्रकार का गंदा वातावरण नहीं बने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

और इसके लिए माननीय सदस्य, जिन्होंने भी चर्चा में भाग लिया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने काफी रेस्ट्रेंट बरता है।

यहां एक प्रश्न माननीय परसराम जी, महोदय ने मेरे 17 तारीख को कांफ्रेंस के मामले को लेकर उठाया है। मैं समझता हूँ, उसका जवाब देना आवश्यक है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने उस समय कहा था "एरर आफ असेसमेंट"। इतनी पुलिस होते हुए घटना क्यों हुई ? इसके लिए मैंने कहा था एरर आफ असेसमेंट।

श्री केदार नाथशर्मा : यह फेटल लेप्सेज है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बताता हूँ, बिल्कुल सही है। आई. एग्रीड यू। लेकिन पंडित जी आप यह जानते होंगे। रोज डे-लाइट में मर्डर करने वाले आदमी है। हाई कोर्ट से उनको सजा हुई और सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गये और लिख दिया "एरर आफ जजमेंट"। आप कह सकते हैं कि मेरे सामने मर्डर हुआ और यह कातिल बच गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बचाया तो इस पर तो दोष आप तो नहीं लगायेंगे।

श्री केदार नाथ शर्मा : यह बेनेफिट आफ डाउट है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : It may be anything. It my be benefit of doubt or anything else. लेकिन एरर आफ जजमेंट और आस उस एरर आफ जजमेंट में असेसमेंट में कहां गलती हुई जो मैं सब्जेक्ट टू एफ करक्शन हूँ। कमीशन के सामने क्या कहना है, उस सम्बन्ध में मैं थोड़ा सा संकेत कर देना चाहता हूँ। पेंगोर में जिस समय मीटिंग हुई। यह कहा गया कि जिम्मेदारी नहीं आती हैं। पेंगोर में जिस समय मीटिंग हुई और इस मीटिंग के समय वहां पुलिस क्यों नहीं पहुँची और दूसरा प्रश्न खड़ा किया गया कि गोली चली तो कितने आदमी घायल हुए अब सारे घटनाक्रम में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन दो तथ्यों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि मीटिंग हुई। मीटिंग के पहले कुछ लोगों से बातचीत हुई कि पेंगोर की पंचायत नहीं की जाय। जवाब मिला भरतपुर जिले में तो खासतौर के पांचवें, छठे या दसवें दिन पंचायतें होती हैं। सामाजिक विषयों के लिए भी चर्चाएँ होती हैं और अन्य किसी प्रकार के विषय पर भी चर्चा होती है। उस पंचायत के पहले यह मांग की गई कि जिन लोगों ने 3 तारीख की घटना की है उन दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय। पुलिस ने 6 तारीख को तलाशी ली....

श्री यदुनाथ सिंह : 3 को घटना क्या हुई थी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह आप बता चुके, मैं रिपीट नहीं करना चाहता और

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कभी बोल लें। एक तारीख को जो घटना हुई, आई में बी रांग, 3 या 4 तारीख को बस स्टैण्ड पर जो बस रोकी गयी यह सभी कुछ हुआ उसके बाद में एक इम्प्रेशन यह क्रियेट हुआ कि इस सारे एक्शन के कारण पेंगोर की पंचायत निरर्थक हो जाय। उन्होंने इस प्रकार का डिसीजन नहीं लिया गया लेकिन भरतपुर के माननीय सदस्य यह जानते हैं वहां दो प्रकार के वर्ग थे। एक थे उत्साही कि हम बदला लेंगे और जो कुछ कार्यवाही की है उस पर हम विश्वास नहीं करते। दूसरे जो समझदार व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि इस प्रकार का अपराध करना या इस प्रकार का एक्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुलिस ने जिन अपराधियों के खिलाफ एक्शन ले लिया उससे हमको संतोष करना चाहिए। यह भ्रम था और इस भ्रम के साथ एक भ्रम वहां पेंगोर में पंचायत में पहुँचाया गया कि 3 तारीख को जो घटना हुई उसमें एक जाति विशेष की महिला को निर्वस्त्र किया गया। यह एक जहर था, यह एक आग थी जो आग सारे इलाके में फैल गई और उस आग के प्रतिरोध में ही पेंगोर में सारे लोगों को इकट्ठा किया गया। मैं स्वयं गया था 8 तारीख को उस समय तक कोई मुझे यह कहने को तैयार नहीं था कि यह घटना सही नहीं है। मैंने वहां कुम्हेर में सारी बस्ती के लोगों को बुलाया, सब जाति के लोग वहां आये और उनसे एक-एक से डिटेल्स में घटनाक्रम पूछते-पूछते मैंने कहा कि मैं उस घर में जाना चाहता हूँ जिस घर के अन्दर वह नग्न महिला गई और वहां कपड़े पहने। सब आदमी सुट हो गए, कोई बोला नहीं। मैंने कहा कि कम से कम घर तो बता दो और घर के बारे में बताने के लिए जब किसी आदमी ने अपना सिर नहीं उठाया तो मैंने कहा कि बात गलत है। मैंने कहा कि किसी ने आंख से देखा तो किसी ने हां नहीं भरी। किसी ने आंख से नहीं देखा और उस अफवाह के आधार पर इतना बड़ा नरसंहार हो जाय यह बहुत सी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और आठ तारीख के पहले पुलिस वालों से मैंने पूछा कि इस प्रकार की कोई घटना हुई है तो उन्होंने कहा कि कोई घटना इस प्रकार की नहीं हुई। पेंगोर में पंचायत में जाने वाले जो लोग हैं हमने उनको भी अच्छी तरह से इस बात की जानकारी दे दी है इस प्रकार की कोई घटना नहीं है लेकिन यह अफवाह आग की तरह से गांवों में फैली और उस कारण से लोग वहां इकट्ठे हो गए। यह अफवाह नहीं फैलती तो मैं ऐसा समझता हूँ इस मामले में किसी प्रकार की कार्यवाही, जो नृशंस हत्याकांड हुआ है वह नहीं होता। अब इस अफवाह को किस प्रकार से वहीं रोका जा सकता था, कौन रोकने के लिए सक्षम था इस मामले की जांच हो रही है और जांच का जो भी परिणाम आयेगा वह आप सब लोगों को मालूम हो जायेगा।

अब दूसरा प्रश्न यह खड़ा किया गया कि आपने 30 गोलियां चलाई।...... (व्यवधान) मैं यह भी निवेदन कर रहा हूँ कि यहां पर यह प्रश्न खड़ा किया गया कि 30 गोलियां चलाई और गोलियां चलाने के बाद में कितने घायल हुए। गोली चलाने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

का अर्थ केवल यही हो कि गोली चले उससे मरे या गोली चले उससे घायल हो। प्रश्न यह है कि पेंगोर से भीड़ आ रही थी उस भीड़ का मुकाबला करने के लिए पुलिए बाहर निकली और बाहर निकलकर उसने सबसे पहले लाठीचार्ज किया, अश्रु-गैस के गोले छोड़े और फिर गोलियां चलाई। यह सही है कि गोली से कोई चोट नहीं लगी। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : यह तीनों चीजें ही गलत हैं। तीनों बातें ही फर्जी हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मेरी बात तो सुन लीजिये।

डा. चन्द्रभान : अश्रु गैस के कोई गोले नहीं छोड़े। कोई गोली नहीं चली। सब झूठा है, सब मनगढंत है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : पुलिस ने वहां मौजूद ए. डी. एम. के आदेश को नहीं माना।

श्री उपाध्यक्ष : आप बात सुन लीजिए। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : केवल 200 आदमी थे, आपके ए. डी. एम. तो भाग गये वहां से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बात सुन लीजिए फिर कह दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ पैंगोर से भीड़ जब तक आगजनी और मृत्यु का काम नहीं करती उस समय तक पैंगोर की भीड़ दोषी नहीं थी। दोषी इस सम्बन्ध में भी यह भीड़ वहां से तय करके आई है आधे से ज्यादा हिस्सा वहां रह गया और थोड़े से लोग आगे बढ़े। इनको डरा-धमाकर इस शहर से निकाल दिया जाय। उसी के कारण अगर वहां पर मार दिया जाता तो यह कहते कि आपने मारा क्यों? आपने लोगों को भून दिया और भून दिया तो एक समस्या और खड़ी होती।...... (व्यवधान) आप तो गए नहीं, जो गए हैं उनको ही बोलने दो। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति में आपको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। जुडीशियल इंक्वायरी होगी उसमें कितने लेप्सेज हैं, ये सरकमस्टांसेज क्यों बने जिसके कारण से यह स्थिति बनी, कौन-कौन दोषी हैं उसके लिए सी. बी. आई. इंक्वायरी कर रही है। मैं समझता हूँ ऐसी स्थिति आज तक कभी पैदा नहीं हुई, तुरन्त सी. बी. आई. की इंक्वायरी और तुरन्त जुडीशियल इन्क्वायरी यह सभी होने के बाद ज्यादा समय नहीं लगेगा। सी. बी. आई. की इंक्वायरी शायद इस महीने के अन्त तक या अगले महीने की 15 तारीख तक खत्म हो जायेगी और उस समय लोगों को पता चल जायेगा कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सरकार ने जो कुछ कार्यवाही की है वह कार्यवाही की है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो उसका भी इंतजाम किया है और जिसने दोष किया है उन दोषियों को सजा मिले। ऐसी स्थिति में माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किए उनका भी मैंने उत्तर दिया है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं आशा करता हूँ हम सब मिलकर इस प्रकार का एक वातावरण बनाये जिसके कारण से इस देश में जिस प्रकार के टेंशन्स क्रियेट हो रहे हैं वे टेंशन्स खत्म हो जायं।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय पर चर्चा समाप्त हुई। ''(व्यवधान) चर्चा समाप्त हुई, कृपया बैठिए। माननीय हीरालालजी देवपुरा। विराजिए आप।

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी कि माननीय गृह मंत्रीजी ने और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो भी इस डिबेट का जवाब दे रहे हैं उसे जवाब के रूप में माना जाकर उनसे प्रश्न किये जा सकेंगे। वह अलाउ करके गए हैं। इसलिए मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा। मैंने पहले भी पूछना चाहा था और दुबारा फिर पूछ रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : There must be an end to the subject विषय सुबह से चल रहा है, 12 बजे से बोल रहे हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : उसका कोई उपाय नहीं है उपाध्यक्ष महोदय। ''(व्यवधान)'' उपाध्यक्ष महोदय, माननीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक बात कही है और यह कहा माननीय मदेरणा साहब का हवाला देते हुए कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर चाहे वह पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन हो या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, लेप्सेज नहीं है, आपने कहा— असेसमेंट की गलती हो सकती है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि गृह मंत्रीजी और मुख्य मंत्री से जानना चाहूंगा गृह मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में यह कहा है। माननीय सदस्यों ने इस सदन में यह कहा कि पुलिस की ओर से लेप्सेज रहे। मैं उस बात को नहीं मानता यह गृह मंत्रीजी ने अपने स्टेटमेंट में कही है। लेप्सेज नहीं हुए आप नहीं मानते और आप कहते हैं लेप्सेज नहीं उनकी असेसमेंट की भूल है। क्या बारीकी से आप जवाब देना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? जब गवर्नमेंट यह मानती है लेप्सेज हुआ है तो क्यों नहीं इमिजियेट एक्शन लिया गया? मैं यह निवेदन करना चाहूँगा लेप्सेज हुआ है, असेसमेंट की भूल नहीं है। सभी माननीय सदस्यों ने बताया है कि 4 तारीख और 5 तारीख को पुलिस वहां पर थी। मैं एक रेफरेंस और देना चाहूँगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी कहते हैं वो असेसमेंट की भूल है। अगर असेसमेंट की भूल होती तो यहां जो चीज आप बता रहे हैं वह कभी नहीं होती। 4 तारीख को डी. जी. ने यहां से वायरलैस किया है डी. आई. जी. पुलिस भरतपुर को, डिस्ट्रिक्ट पुलिस धौलपुर और भरतपुर को। धौलपुर के अंदर जो आर. ए. सी. डिप्लोएड है, ट्रेनिंग आर. ए. सी. डिप्लोएड है उसकी एक कम्पनी को तत्काल धौलपुर भेजा जाय। और भरतपुर भेजा जाय और बारह तारीख को उसको वापस ले ली जाय, अगर असेसमेंट की भूल होती तो डी. जी. की ओर से कभी भी यह ट्रस्ट नहीं जाता और असेसमेंट की भूल कही जा सकती थी। डी. जी. वाज नोइंग दिस, कि तीन तारीख को कोई

(149)

(श्री हीरालाल, देवपुरा)

गम्भीर घटना भरतपुर में और कुम्हेर में घट सकती है। इसीलिए उन्होंने यह बात कही है और यह बात घूम फिर कर आप स्वयं ने दोनों ने मानी है। तो हम. यह जानना चाहेंगे कि तत्काल एक्शन क्यों नहीं लिया गया ?

दूसरा, मैं यह कहना चाहूँगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि हमने वहां पर सी. बी. आई. को सौंप करके, तत्काल जुडीशियल इन्क्वायरी बैठा कर एक फैसला किया, अच्छा किया, भेज दिया आपने। लेकिन इसके पीछे राज, उसको मैं कहना चाहता हूँ जिसको आज आप असेसमेंट की भूल मानते हैं, इसी वजह से कि आप तत्काल पुलिस की जो एडमिनिस्ट्रेशन की लेप्सेज हुई है, एक्शन नहीं लेना चाहते थे और सी. बी. आई. और जुडीशियल इन्क्वायरी के नाम पर उसको टाल देना चाहते थे ताकि एक्शन लेने की जिम्मेदारी आप पर नहीं आये और आप यह कह सकें कि जो कुछ भी सी. बी. आई. और जुडीशियल इन्क्वायरी में साबित हुआ है उसके आधार पर आगे हम एक्शन लेना चाहते हैं। आपने कोई सी. बी. आई. की इन्क्वायरी देकर या जुडीशियल इन्क्वायरी सौंप करके कोई बहुत बड़ा अहसान नहीं कर दिया जिसको कि आप कहें, कभी ऐसा नहीं हुआ। और हमने यह कर दिया है। मैं इसको अहसान नहीं मानता, यह तो आपने अपनी बात को छिपाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को हटाने के लिए जो तत्काल आपको एक्शन लेना चाहिए था। वह नहीं लेने के लिए आपने ऐसा किया है। इसका आप स्पष्टीकरण कर दीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुझे भी एक सवाल पूछना है श्रीमान्।

श्री उपाध्यक्ष : हां, पूछ लीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पहले इनका जवाब दे दें। इनका जवाब आ जाये साहब।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर केदारजी। (व्यवधान) अलाउ कर रहा हूँ मैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था दे दीजिए ...... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : या तो एक-एक करके जवाब दिलवा दें अन्यथा यह है कि कुछ प्रश्नों का जवाब जो कन्वीनियंट होगा उसका उत्तर ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है एक-एक का जवाब मिलता है लेकिन आप एक साथ खड़े हो जाते हैं ऐसी हालत में मैं क्या करूँ। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप सुनिये तो सही साहब।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय देवपुराजी के सवाल का जवाब मिल रहा था, आप सब खड़े हो गये।

श्री केदारनाथ शर्मा : मान्यवर, मेरा एक ही प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : पूछ लीजिए आप।

श्री केदारनाथ शर्मा : कि छह तारीख को जब भीड़ को रोकने के लिए इन्होंने कहा अश्रु गैस छोड़ी और गोली चलाई; यह आफ्टर थॉट है। यह न तो जंकब, जो स्टेट मिनिस्टर गये वहां पर स्पॉट पर, उन्होंने लोक सभा में यह फैक्ट हमारे सामने वहां डाइल्यूट नहीं किया, जो टीम के एम. पी. थे उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया लोक सभा में, उसमें कोई डेमेज नहीं हुई। स्टेटमेंट कहीं नहीं आया, स्टेटमेंट में कहीं यह फैक्ट नहीं आया और जो माननीय सदस्य गये हमारे नेता....(व्यवधान).... सुन तो लो आप, यह क्या करते हो आप। जो हमारे नेता गये, इनके बयान में आज तक कभी कोई ऐसा इन्डीकेशन नहीं आया कि वहां पर अश्रु गैस छोड़ी गई या वहां गोलियां चलाई गई। मान्यवर, क्या यह एवर्ट नहीं हो सकता था। जब आपको मालूम है कि पन्द्रह सौ-दो हजार की भीड़ आ रही है, आपने उस विलेज के बोर्डर पर उनको रोका, दस किलोमीटर दूर रोक दिया, वहां 144 क्लैम्प कर देते आप, डिस-आर्म कर देते आप और सारे गांव को कार्डन कर देते और यह एवर्ट हो जाती अपने आप। अब यह सेंस क्या है, इसे एरर ऑफ असेसमेंट कहते हैं आप ? यह फैटल लैप्स है, इसको कोई बख्श ही नहीं सकता, यह फैटल लेप्स है।

दूसरा, मान्यवर, जुडीशियल इन्क्वायरी कवर अप है। मैं बहुत बड़ी सोच के कह रहा हूँ आपको, मैंने जुडीशियल इन्क्वायरी की फाइंडिंग्स की फैट देखी है। सारे देश में 365 आज तक कमीशन हुए, केवल दो में कार्यवाही हुई है। एक तो प्रताप-सिंहजी के खिलाफ जब की थी और एक मूंदड़ा के खिलाफ। और किसी कमीशन की फाइंडिंग्स के ऊपर फालो अप एक्शन कोई नहीं आया। हमारे यहां दस हुई हैं। मुझे मालूम है, मुख्य मंत्रीजी बता दें तो सही, जब यहां बैठते थे आप, यही कहते थे कि जुडीशियल इन्क्वायरी को इन्स्टी-ट्यूट करना अपने लैप्सेज को कवर अप करना है। यह कवर अप करना है। इसलिए यह तो आप रिवोक कर दें, माफ करावें, कि दो और सी. बी. आई. की इन्क्वायरी चलती रहनी चाहिए। इसमें एक बात और कह रहा हूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आता, जब मोब का मूड फ्रेंजीड हो जाय, एग्रेसिव हो जाय तो आप उसको क्या सोचते हो, आप वहां पर रोक लोगे ? कभी सोच सकते हो आप ? इंटेलीजेंस कहां गई ? पांच तारीख को मीटिंग हो रही है, अनाउन्समेंट तीन दिन पहले हो रहा है, पम्पलेट साया हो रहे हैं, वहां पर प्रोवोकेट स्पीचेज हो रहे हैं, आपका इंटेलीजेंस कहां था ? सारा एडमिनिस्ट्रेशन वहां बैठा है आपका और आपकी इंटेलीजेंस ने रिपोर्ट क्या दी है, वह मूड को रीड नहीं कर पाई, यह तीन तारीख की घटना हुई, यह रिटेलीएट करेगी दूसरी कास्ट। तीन तारीख की जो घटना हुई है तीन सौ आदमियों को, और तीन आदमियों ने जो घेरा है बस को, जो पीटा है, जो मारा है, कैसे कहा, इसको रिटेलीएट करेगी और वह सारी मिसचीव करते रहे, मिसचीवियस कम्पेन करते रहे, प्रचार करते रहे और

151

(श्री केदारनाथ शर्मा)

आप चुपचाप बैठे हैं और फिर हमें यह कहते हैं कि यह एरर ऑफ असेसमेंट है। यह फैटल लैप्स है, लैप्सिटी है, कोई बख्श नहीं सकता। आप उनको लाजिमी सस्पैण्ड करो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रद्युम्न सिंहजी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप जवाब तो दिलवाओ साहब। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आ रहा है, आ रहा है, जवाब भी आ जायेगा। (व्यवधान) आप पूछ लीजिए, आ जायेगा, सब्जैक्ट एक ही है।

श्री जनार्दन गहलोत : एक साथ कैसे देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : हां दे देंगे। आप पूछिए प्रद्युम्न सिंहजी। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : एक-एक का जवाब आना चाहिए साहब, एक साथ कैसे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आ जायेगा, हेतरामजी साहब। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, दो प्रश्न खड़े किए, एक तो कहा कि पुलिस लैप्सेस नहीं हुई, अगर पुलिस की लैप्सेस नहीं होती तो जांच कराने की आवश्यकता ही नहीं होती। यह प्रोफेसर केदारजी ने कहा।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : लैप्सेस नहीं की, यह किसने कहा है, फैटल लैप्स कहा है।

एक माननीय सदस्य : लैप्सेज हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : हां, फैटल लैप्सेज कैसी भी हों, लैप्सेज को डिफेन्ड नहीं किया है, लैप्सेज की इन्क्वायरी कराने की बात मैंने कही है। किसी भी अफसर की यदि कोई लैप्स है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, मैं इतना ही कह सकता हूं। प्रश्न यह आया, केदार जी ने कहा कि जुडिशियल इन्क्वायरी तक का इन्तजार नहीं किया जाय, और माननीय सदस्यों ने भी कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जुडिशियल इन्क्वायरी का इन्तजार किये बिना ही जिन लैप्सेज की मैं इन्क्वायरी करा रहा हूं उन इन्क्वायरी की रिपोर्ट्स मेरे पास आते ही जो भी दोषी पाया जायेगा उनके खिलाफ मैं एक्शन लूंगा। नम्बर एक। अब एक और, माननीय सदस्य देवपुरा साहब ने कहा....

श्री यदुनाथ सिंह : लैप्सेज की इन्क्वायरी कौन कर रहा है साहब ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है डिपार्टमेंटली।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं, मैं खुद ही कर रहा हूं। छोड़िये आप इसको। दूसरी बात माननीय देवपुरा साहब ने कहा कि मैंने यह कहा था कि एरर आफ असेसमेंट की बात मैं भी कहूंगा, आपको भी छूट है, उस कमीशन के सामने आप भी कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूं I may be proved wrong and you may be proved correct, इसमें ऐसा नहीं की मैंने कह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दिया उसके कारण से बहुत बड़ा फुल स्टाप लग गया। मैं तो आप सब को इन्वाइट करता हूं कि इस कमीशन के सामने जो यहां भाषण दिये हैं या जिस प्रकार के ज्ञापन पेश किये हैं उस सारे आधार के ऊपर आप निश्चित रूप से कमीशन के सामने भी जायेंगे और सी. बी. आई. के पास भी.... (व्यवधान) अब आप मुझे तो कहने दीजिए।

श्री यदुनाथ सिंह : कुम्हेर से जोधपुर के लिए ट्रेन चलवाइए साहब ताकि कुम्हेर से लोग जोधपुर चले जायें और वहां कमीशन के सामने पेश हो सकें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, जोधपुर नहीं, जांच भरतपुर में ही होगी। आपको जोधपुर जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी। एक बात और, मैं आपका ध्यान....

श्री हीरालाल देवपुरा : लैप्सेज का मतलब तत्काल इन्क्वायरी का होता है, जब लैप्सेज मान लेते हैं तो फिर कमीशन की इन्क्वायरी का इन्तजार करने की जरुरत नहीं है। गवर्नमेंट अगर उसको लैप्स मानती है तो गवर्नमेंट के पार्ट पर तत्काल इन्क्वायरी होनी चाहिए। यह हमारा प्रश्न था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल सही है आपका कहना, तत्काल इन्क्वायरी होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन एक बार पहले क्वेश्चन यह था कि लॉ एण्ड ऑर्डर को किस प्रकार से मेन्टेन किया जाय। पहला प्रश्न। और इसीलिए माननीय प्रद्युम्न सिंह जी, नत्थी सिंह जी और अरुण सिंह जी, यह तीनों गवाह होंगे कि उसके बाद दस तारीख को दुबारा पंचायत बुलाई गई तो मैं स्वयं भरतपुर गया और माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं कि उन्होंने उस सारी सिचुएशन को बिगड़ने से रोका। उस समय गवर्नमेंट के सामने क्वेश्चन यह था कि उसका रिपीटीशन न हो। उस रिपीटीशन की बात की जब तसल्ली हो गई कि हमने अपने आप इस प्रकार की व्यवस्था कर ली तब उन सारे लैप्सेज के बारे में हमने अपना विचार किया है और मैं आपको इतना कह सकता हूं, कोई भी बड़े से बड़ा अफसर हो, लैप्सेज के मामले में मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं। क्वेश्चन इतना सा है कि इन्हीं मामलों के ऊपर जुडिशियल इन्क्वायरी भी हो रही है, कि किन कारणों से यह सारी सरकम्सटांसेज हुई जिसके कारण से उसमें लैप्सेज का भी प्रश्न आता है, लैप्सेज के कारण से कोई बच नहीं पायेगा, इतना ही मैं आपको एश्योर कर सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष/प्रद्युम्न सिंह जी : (व्यवधान) आपको बोलने दीजिए। प्रद्युम्न सिंहजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़ी खूबसूरती से अफसरों की इनएफिसियेंसी और ईमानदारी को जोड़ करके उनको बचाने की चेष्टा की है। उपाध्यक्ष महोदय, न. डी. जी. की इंटेग्रिटी के बारे में कोई डाउट किया, न कमिश्नर की इंटेग्रिटी के बारे में किसी ने कोई बात कही और न एस. पी. की इंटेग्रिटी के बारे में बात कही। ईमानदारी का सर्टिफिकेट आपने दिया, ईमानदार अफसर को आप इनएफिसियेंसी की बात कर रहे हैं, an honest officer can be inefficient and in-

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

compctent आपने उनकी इनकर्म्पटेंस को, इनएफिसियेंसी को, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया, आपने ईमान-दारी की ओट लेकर इशु को डाइल्यूट करने की, डाइवर्ट करने की चेष्टा की। नम्बर एक श्रीमन्।

मैं आपसे दूसरी बात और पूछना चाहता हूं कि इससे बड़ा लैप्सेस असेस-मैण्ट का और क्या होगा कि आई. जी. वहां बैठा हुआ है, डी. जी. वहां बैठा हुआ है और उसके बाद हादसा हो जाये। आखिर कौन जिम्मेदार है? यह चीज तो आपके सामने है। कुम्भलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि डी. जी. का असेसमेंट हो चुका था, क्रेश मेसेज दिया धौलपुर से आर. ए. सी. बटालियन भेजने के लिए। एन्टीसिपेट कर रहे थे। आपने इन्टेलीजेन्स की रिपोर्ट आपको मिल गयी थी 1 तारीख को, 2 तारीख को और 3 तारीख को। बराबर 3 दिन इन्सीडेन्स हुए हैं। आपने सरसरी तौर पर वी. के. थानवी साहब को भेजा। अखबारों में निकला। उनकी रिपोर्ट आ गयी। उसके एक्सट्रेक्ट्स छप गये हिन्दू अखबार के अन्दर। आप क्या एक्शन ले रहे हैं? क्या देरी कर रहे हैं आप एक्शन लेने के अन्दर? थानवी साहब की क्या रिपोर्ट आई। आप उसके ऊपर क्या एक्शन ले रहे हैं? इन चारों बातों को बताइये और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सबसे बड़ी मांग थी आपसे इस्तीफा मांग रहे थे नैति-कता के आधार पर। आपने गोलमाल कर दिया। हम आपसे पुनः इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और इस सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, यह हमारी मांग है।

श्री उपाध्यक्ष : जनार्दनसिंह गहलोत

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता महोदय बहुत ही चतुराई से अभी अपना भाषण दे रहे थे और उन्होंने बड़ी गंभीरता से कहा कि हमारे डी. आई. जी. बहुत ईमानदार हैं, कमिश्नर बहुत ईमानदार हैं, एस. पी बहुत ईमानदार हैं, कलक्टर बहुत ईमानदार है और एक तरफ कह रहे हैं कि मैं स्वयं जांच कर रहा हूँ लैप्सेज की। तो जब स्वयं लैप्सेस की जांच कर रहे हैं और ईमानदारी का सर्टीफिकेट आप पहले ही दे चुके तो फिर आपसे ईमानदारी की आशा कैसे की जा सकती है? जब आप सदन के अन्दर खुद ईमानदार साबित कर चुके और फिर एक तरफ कह रहे हैं कि मैं स्वयं लैप्-सेज की जांच कर रहा हूँ तो आपकी ईमान-दारी पर प्रश्न चिन्ह लग गया। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के के ऊपर हमें आपका जवाब आने तक आपकी जांच का कोई विश्वास नहीं है।

दूसरा प्रश्न इस बात का कि पैंगोर में जब मीटिंग हो रही थी और सभी जब थाने में मौजूद थे अधिकारी उस समय 10–15 हजार लोग मौजूद थे उसके अन्दर पुलिस फोर्स साथ क्यों नहीं गयी? यह लैप्सेस नहीं है क्या? जब 4–5 किलोमीटर दूरी पर लोग चले हैं, उसके बाद पुलिस वहां क्यों नहीं गयी? इसका मतलब वहां जितने भी पुलिस अधिकारी बैठे थे कायर थे कम-जोर थे। पहले से मानस बना चुके थे। इस

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

बात का मानस बना चुके थे कि इनको पिटने दो या झगड़ा होने दो। या जैसा आपने स्वयं ने कहा कि कहीं ऐसे लोगों की षड़यंत्र करके सरकार को गिराने की साजिश हो सकती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हो सकता है माननीय मंत्रीजी को गिराने की या नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिलवाने की मांग करने वाले वहां बैठे हों। हो सकता है उनकी साजिश हो....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें आपकी तो कोई साजिश नहीं है ना।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मेरी कोई साजिश नहीं है। मैंने किसी पर इस प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया। मैंने आरोप इस बात पर लगाया है कि इस सरकार को जब पहले मालूम था, जब आपके सारे अधिकारी सचेत थे और मुख्य मंत्री को यह आभास है कि 6 महीने पहले होने वाला था, स्वयं आपने डी. जी. और आई. जी. (क्राइम्स) को भेज दिया 4 तारीख को जैसे देवपुराजी ने बताया, वायरलैस कर दिया आपने। सारी बातें सदन के सामने आपके जवाब से ही साबित हो रही हैं। आपकी सरकार को पूरी तरह से मालूम होते हुए भी आप उन लैप्सेज को और सारी घटना को नहीं रोक सके। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात इस राजस्थान सरकार की क्या हो सकती है। इसलिए नैतिकता के आधार पर आपका जवाब यह आना चाहिए कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। इसके अलावा कोई लैप्स की बात करें और आप कह रहे हैं जुडीशियल इन्क्वायरी में वहां बयान दे आइये तो अब कुम्हेर का आदमी जोधपुर में जाकर किस तरह से बयान देगा ? सारे लैप्सेज तो वैसे ही दब जायेंगे। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन बिन्दुओं पर जवाब आना चाहिए कि गृह मंत्रीजी स्वयं मौजूद हैं उसके बाद 3 लोग मार दिये गये हों, आई. जी. (क्राइम्स) वहां मौजूद है उसके बाद वहां पर लोग मारे गये हों और एस. पी. थाने में बैठा हो और फिर लोगों के घर जलाये जा रहे हों तो इससे ज्यादा सरकार की और लैप्सेज क्या हो सकती है। किसकी इन्तजार कर रहे हैं आप ? इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नैतिकता के आधार पर नहीं तो कम से कम राजस्थान के उन लोगों के साथ जो अत्याचार हुए हैं और श्रद्धांजलि आपने सवेरे दी है और कुम्हेर के अन्दर जिस प्रकार का नरसंहार हुआ है इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात राजस्थान के लिए और हो नहीं सकती। यह इतिहास कभी नहीं बख्शेगा आपको।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी ने और मुख्य मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है उन्होंने एक ही चीज को चारों तरफ चक्कर काटा है। लैप्सेज थे उसकी इन्क्वायरी करायेंगे और एक्शन लेंगे। हम तो समझते हैं कि जो आज हाउस में बहस हुई है और पिछले महीने में उन्होंने अपनी नालेज से और अपनी खुद की समझ से उसके बारे में जो भी जांच की है क्या आप आज इस स्थिति में हैं या उनके मन में है कि 6 तारीख की जो घटना है उसमें और किसी अधिकारी का कसूर है या नहीं मुद्दे की बात यह है। क्या गृह मंत्री और मुख्य मंत्री आप यह समझते हैं कि उस दिन 6

(श्री हेतराम बेनीवाल)

तारीख की घटना बिना किसी ग्राफिसर के ग्रौर बिना किसी ग्रधिकारी की कसूर के ग्रपने ग्राप ही हो गयी। दो हजार ग्रादमी वहां से ग्राये, हथियारबन्द ग्राये।

श्री उपाध्यक्ष : यह बातें तो सारी ग्रा चुकी हैं।

श्री हेतराम बेनीवाले : मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं उनसे। वह इस बारे में ग्राज क्या करते हैं। यह नहीं है कि वह इन्क्वायरी करायेंगे। यह इन्क्वायरी का विषय नहीं है। विषय इस बात का है कि क्या ग्राज सरकार जो बैठी है वह उनमें से किसी को दण्ड देना चाहती है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : यह भी जवाब ग्रा गया। श्री परसराम मदेरणा.

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं मुख्य मंत्रीजी से दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्योंकि वह यहां सदन में नहीं हैं इसलिए बाद में पूछूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : नोट करने वाले बैठे है। गृह मंत्रीजी बैठे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : ग्रब गृह मंत्री जी से तीन प्रश्न पूछता हूं। मेरा पहला प्रश्न यह है गृह मंत्रीजी ग्राप यह बात बताइये कि जब पेंगोर में 10–15 हजार लोगों की पंचायत हो रही थी उस पंचायत में किस प्रकार के भाषण हो रहे थे ? उन लोगों के इरादे क्या थे ? वह क्या करना चाहते थे ? इस संबंध में कोई भी पुलिस ग्रधिकारी को ग्रापने वहां पर ग्रमले के साथ भेजा या नहीं ? गृह मंत्रीजी, क्या यह सही है कि ग्रापकी ट्रान्सपेरेन्ट इन्टीग्रिटी वाले एस. पी. भरतपुर 6 तारीख को करीब 2.30 बजे पुलिस फोर्स को लेकर पेंगोर की तरफ रवाना हुग्रा ग्रौर जब भीड़ को ग्राते देखा तो ग्रबाउट टर्न होकर वहां से भागकर थाने में चले गए। भाग छूटे ट्रान्सपेरेन्ट इन्टीग्रिटी वाले ग्राफिसर। नम्बर तीन मैं यह पूछना चाहता हूं कि ग्रापके ए. डी. एम. ने भीड़ को बीच में कहीं नहीं रोका है। जब कुम्हेर के ग्रन्दर एन्ट्री हो गयी उस वक्त रोकने की कोशिश की है ग्रौर मैं ग्रापसे यह पूछना चाहता हूं कि जब ग्रापने 30 गोलियां चलाई ग्रौर हथगोले चलाये तो 30 गोलियां ग्रापने हवा में चलाने के ग्रादेश दिये थे या हिट करने के ग्रादेश दिये थे ? जब मोब इतना वायौलेन्ट था, ग्रनलाफुल ग्रसेम्बली थी, वातावरण बिगड़ा हुग्रा था तो क्या यह सही है, मैं यह सदन में पूछ रहा हूं ग्रापसे प्रश्न कि ग्रापके ए. डी. एम ने गोलियां हवा में तो चला दी होंगी लेकिन मुझे यह जानकारी मिली है कि जब वहां गया था 20 ग्रौर 21 को ठहरा भी था ग्रौर कई लोगों से यह बात पूछी ग्रापका ए. डी. एम. चिल्लाता रहा फायर करो, फायर करो ग्रौर वहां हुकुम की सब उदूली कर रहे थे। लेप्सेस की बात जब माननीय मुख्य मंत्री जी उसका ग्रसेसमेन्ट कर रहे हैं, एरर ग्राफ ग्रसेसमेम्ट हो सकता है लेकिन यह एरर ग्राफ ग्रसेसमेन्ट नहीं है। वहां पर ग्रापके हुकुम को खुली उदूली हुई है। मजिस्ट्रेट बिलकुल हैल्पलैस था। यह बात वहां एक एक कर्मचारी, ग्रधिकारी ग्रौर जनता को मालूम है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि गृह मंत्री

(श्री परसराम मदेरणा)

जी यह बतायें कि जब 10-15 हजार आदमियों ने जैसा कि अभी भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि मैं कुम्हेर में था तो लाउडस्पीकर से पंचायत में आने की चर्चा हो रही थी। पंचायत हो रही है। पेंगोर में राज्य सरकार ने कर्फ्यू इम्पोज क्यों नहीं किया? और अगर कर्फ्यू इम्पोज करते तो उस पंचायत को जो ला हाथ में लेने जा रही है अनलाफुल असेम्बली, उसको इस बात की जानकारी हो गयी होती कि कर्फ्यू है और लोगों को चलने भी नहीं दिया जायेगा उसका जो डिटैरेन्ट इफेक्ट होता आपने उसको निषेधाज्ञा जारी नहीं करके अनडूय कर दिया और मुख्य मंत्री जी आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं लेकिन गृह मंत्री जी एक बात और है। 6.30 बजे 6 तारीख को जून को एस. पी. पुलिस स्टेशन कुम्हेर में बैठा हुआ था उससे मिलने के लिए इस सदन के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री गिरिज प्रसादजी तिवारी, हरिसिंह जी एक्स एम. एल. ए, साहब सिंह, मोहन गौरवाल, मास्टर आदित्येन्द्र जी और सुरेश गुप्ता पुलिस स्टेशन में जब उनसे मिलने के लिए गये तो उनको इस हादसे की जानकारी नहीं थी। He was Ignorent कि एक ही आदमी का कत्ल हुआ है। इससे बड़ी लैप्सेस और क्या हो सकती है ?

आप इसका जबाब दीजिए कि यह मोरल रेस्पोंसिबिलिटी नहीं है, यह जबर्दस्त लैप्स है आपके पार्ट पर प्रशासन को चलाने में बिल्कुल ही फेल हुए हैं। मुख्य मंत्री जी आपसे सिर्फ इतना ही पूछना चाहता था, शुरू में आपने सुप्रीम कोर्ट की किसी पिटीशन का उल्लेख किया है। सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन हुई है उसमें पिटीशन के अन्दर आपने रिप्लाई दिया है. कोपी आई होगी आपके पास वह अभी पिटीशन आपने कहा था जब तक जुडशियल कमिशन की फाइंडिंग नहीं हो जाय जब तक सी. बी. आई. किसी निर्णय पर नहीं पहुंच जाय तब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कोई अपना वर्डिक्ट देना नहीं चाहता। सुप्रीम कोर्ट में किसी केस को पेंडिंग रखा है उन्होंने या इसको रिजेक्ट कर दिया पिटीशन को ? एक बात। मुझे मालूम नहीं है, कोर्ट के मामले में वह तो एक डिसीजन लेता है, either they admit the petition or they reject it. बीच का रास्ता, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग वेडिंग कुछ नहीं होता है।

तीसरा मैं यह पूछना चाहता था कि अभी सदन में आपने एक वातावरण बनाया, जैसा पिछली दफा पंचायतों के चुनावों को लेकर बनाया कि यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास करो। आपने कहा कि मैं इसको, सी. बी. आई. इन्क्वायरी को वापस ले लूं। आप एक दफे सी. बी. आई. इन्क्वायरी देने के बाद में जब क्रिमिनल प्रोसिजर कोड भारत सरकार लागू कर देती है पूरे देश में तो क्या उस सी. बी. आई. को दी हुई इंवेस्टिगेशन आप विधि अनुसार उसको विड्रा कर सकते हैं ? मैं समझता हूं कि आप नहीं कर सकते और आप करेंगे क्योंकि वह बहुत सोच-समझ कर किसी केसेज को लेते हैं और लेने के बाद में आप, चाहें जब तो उनको दे जाय, जैसे कोई आपकी सबोर्डिनेट एजेंसी है वह और जब आप ठीक समझे तो उसको विड्रा

(श्री परसराम मदेरणा)

कर लें। मैं समझता हूं, ऐसा करने में आप सक्षम नहीं हैं। न भारत सरकार बाध्य है आपके इस प्रकार के किसी रिक्वेस्ट को एक्सीट कर ले।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पूनमचन्द जी बिश्नोई।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ मुख्य मंत्री जी से मुख्य मंत्री जी ने अपनी डिबेट शुरू की तब यह फर्माया कि विपक्ष में इस बात से नाराजगी है कि मैंने सी. बी. आई. में केस दे दिया और जुडिशियल इन्क्वायरी भी बैठा दी और हम लोगों को मौका नहीं मिला कि हम मांग करते और फिर इनको देते। उपाध्यक्ष महोदय, शान्ति और व्यवस्था कायम रखने का प्रथम दायित्व राज्य सरकार का है। जिन मामलों में बहुत ज्यादा विवाद हो, हमने कभी कहा हो कि आप में विश्वास नहीं है इसलिए आप सी. बी. आई. से करवाइये, आप में विश्वास नहीं है इसलिए जुडिशियल इन्क्वायरी करवाइये, यह तो कोई मांग ही नहीं थी। आपने बड़ी ही होशियारी से कि इस पर गहराई में चर्चा में मत जाओ क्योंकि जुडिशियल इन्क्वायरी हो रही है, गहराई में मत जाओ क्योंकि सी. बी. आई. इसकी जांच कर रही है। जनता को जो राहत तत्कालीन राज्य सरकार से मिल सकती है वह न जुडिशियल इंक्वायरी से मिल सकती है और न सी. बी. आई. से मिल सकती यहां की पुलिस तत्कालीन कार्यवाही कर सकती थी। यहां के अफसरों को, अगर उनकी नेग्लीजेंसी थी तो फौरन दण्डित कर सकते थे इसलिए आपने यह कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया और यह तरीका भी गलत है कि जहां पर विवाद नहीं हो वहां अपने दायित्व से आप मुक्त होना चाहें। यह सदन है, इसका भी चर्चा करने का अधिकार नहीं रहे और आपनें स्वत. ही सौंप दी किसने आप में अविश्वास व्यक्त किया कि आप न्याय नहीं करेंगे इसलिए जुडिशियरी को दे रहे हैं, सी. बी. आई. को क्यों दिया आपने।

एक छोटा-सा प्रश्न फायरिंग के बारे में है। फायरिंग का सीधा कानून है पुराने जमाने से यह है कि अव्वल फायरिंग नहीं होनी चाहिए, हो तो इफेक्टिव होना चाहिए। क्यों ऐसा रखा गया यह इस, लिए रखा गया है, जैसा आपके यहां पर

(6.55)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन।)

हुआ है 30 आपने फायर किये, किस के लगी थी और किसने फायरिंग की, परवाह नहीं की। तो यह जो तरीका है कि जान बचाने के लिए इन्होंने सब फायर ऊपर ही कर लिये, इसका मतलब फायरिंग का या तो ओकेजन नहीं था या आपकी मैजिस्ट्रेसी और आपकी पुलिस ट्रेण्ड नहीं है कि किन परिस्थितियों में फायरिंग की जाय और किस वक्त नहीं किया जाय। अगर फायरिंग झूठा चला जाता है तो आपके पास शस्त्र कौनसे हैं अभी दो जान बचाने में कभी आपको सौ जान लेनी पड़ेगी इन बातों का जवाब दीजिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी। मुख्य मंत्री जी दे रहे हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने सी. बी. आई. की इन्क्वायरी के सम्बन्ध में कहा कि आप क्रिमिनल प्रोसिजर कोड के अन्तर्गत अगर एक बार इन्क्वायरी सी. बी. आई. को दे दी तो आप उस को बिथड्रा नहीं कर सकते मैं ऐसा समझता हूं, मुझे जिस प्रकार की जानकारी है या अनुभव है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि सी. बी. आई. को अगर कोई इन्क्वायरी दी है तो राज्य सरकार को इस बात का अधिकार है कि वह किसी भी स्टेज पर उसको बिथड्रा कर सकती है, नम्बर एक।

दूसरा प्रश्न जहां लेप्सेज के, जो हैं या आपने लेप्सेज के बारे में कहा है मैंने उस सम्बन्ध में कोई डिफेंस नहीं दिया है लेकिन लेप्सेज कितने हैं, किसके हैं यह बिना इन्क्वाय री के स्टेब्लिश करना असम्भव है इस लिए इसकी इन्क्वायरी होने के बाद ही पता लगेगा कौन आदमी के कितने लेप्सेज हैं और इनके लेप्सेज हैं। मैं आपको सदन में विश्वास दिलाना चाहता हू कि मेरा किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं है, कोई मोह नहीं है .... व्यवधान.......

श्री अध्यक्ष : आप बीच में क्यों खड़े हैं, आप बैठ जाइये। प्लीज सिट डाउन बैठ जाइये। Don't be silly यह क्या सवाल हुआ। हर वक्त खड़े हो जाते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : जिनके लेप्सेज हैं, वह निश्चित रूप से दण्ड का भागीदार बनेगा। ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, प्लीज सिट डाउन (व्यवधान) आप बैठिये प्लीज। प्लीज सिट डाउन। बचपन मत करिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : विश्नोई साहब ने क्वेश्चन उठाया कि आप सी. बी. आई के पास क्यों गये ?.......(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : प्लीज सीट डाउन।

श्री राजेन्द्र पारीक : कम से कम जिस भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं. मैं उसका विरोध करता हूं पर करने जैसी कौनसी बात हुई। ... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, बचपन मत करिये, मैं कह रहा हूं बचपन मत करिये, बैठिये आप। सुनते भी नहीं हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : विश्नोई साहब ने कहा ....(व्यवधान) ..

श्री अध्यक्ष : देखिये, मेरी बात सुनिये। मेरी भी धैर्य की सीमा है। दिन भर से जिस इश्यु पर डिबेट कर रहे हैं उसका सीरियसली जबाव मिल रहा है और आप खड़े हो जाते हैं, There must be an end is it.

श्री यदुनाथ सिंह : नहीं, हमसे तो इस तरह नाराज नहीं हों... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल नहीं है। मैं कहता हूं अभी-अभी मुख्य मंत्री जी कोई मजाक भी नहीं कर रहे थे, सीरियसली आपकी बात के पोइण्ट का जबाव दे रहे हैं और आप खड़े हो गये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय विश्नोई साहब ने प्रश्न खड़ा किया कि आपने यह मामला अपनी बला टालने के लिए सी. बी. आई. को दे दिया या जुडिशियल इन्क्वायरी करा ली। अब यह तो आप भी मानते हैं कि मैं जुडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा नहीं करता तो आपकी मांग यही होती ....(व्यवधान)....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अविश्वास होता है आपके प्रशासन में और हम जोर लगाते हैं तो आप कहते हैं, आपने दायित्वों से मुक्ति पा ली और अफसरों को बचा दिया और हम सब का मुंह बन्द कर दिया कि जुडिशियल इन्क्वायरी हो रही है। यह क्या तरीका है ? हमने तो अविश्वास आप में व्यक्त किया नहीं। आप करते, पुलिस करती .... (व्यवधान)....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं विश्नोई साहब का बड़ा आभारी हूं, उनका मेरे में और मेरी सरकार में पूरा विश्वास था ...

एक माननीय सदस्य : था नहीं, है। ... (व्यवधान) ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका विश्वास था इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपकी यह मान्यता है कि जब सरकार में विश्वास था तो सी. बी. आई. को इन्क्वायरी क्यों दी ? सी. बी. आई. की इन्क्वायरी कोई पाकिस्तान इन्क्वायरी नहीं कर रहा, यह गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया का एक इन्स्टीट्यूशन है जिसमें सारी व्यवस्थाएँ हैं, एक्सपर्ट आदमी हैं, हर चीज की गहराई में जाते हैं और गहराई में जाकर के इस कॉम्प्लीकेटेड मैटर के अन्दर यदि वह सही नतीजे पर पहुंच जाते हैं, इस गर्ज से दिया है। मैंने रेस्पोंसिबिलिटि शक करने के नाते से नहीं दिया है। मैं आपको इतना कह रहा हूं। एक प्रश्न मदेरणाजी ने पूछा कि इस पिटिशन का क्या हुआ ? मदेरणा साहब ने पूछा था कि इस पिटिशन का क्या हुआ, इस पिटिशन के अन्त में दिया है कि "with these observation this writ petition is finally disposed of"

(7.00)

यह पैण्डिंग नहीं हैं, डिस्पोज आफ है मतलब वह पूरी हो गयी। इस नाते से अब रहा फायरिंग हुई की नहीं हुई ? मैं समझता हूं सब यह मामले इन्क्वायरी के हैं, फायरिंग कितनी हुई, कितनी गोलियां चली, कितनी नहीं चलीं, लाठी चार्ज हुआ कि नहीं, इफेक्टिव हुआ कि नहीं, किन सरकम्सटांसेज में गोली चलीं........

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जनता ने आपको सौंप रखा है उसका आपके पास जवाब नहीं है, आप टाल रहे हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : टाल नहीं रहा हूँ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपका क्या मत है, यह तो बताओ ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक और बता देऊं आपको कि जब सारी चीजें इन्क्वायरी में चल रही है उस समय आप क्या पूछना चाहते हो ? आपको मेरी बात सही नहीं लगती तो आप कोर्ट में जायं, जुडिशियल इंक्वायरी के सामने अपना ज्ञापन रखें और वहां कहें, मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही है वह गलत है वहां कहें, तथ्य जो सरकार की तरफ से रखे गये हैं वह गलत है। आपको तो इतना अवसर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मिला है, उस अवसर का आप लाभ उठाइये। ऐसा मेरा विश्वास है कि उसका लाभ उठाकर आप लोगों का इसमें सहयोग मिलेगा। अब रहा, माननीय मदेरणा साहब कह रहे थे कि इसमें सरकार ने उस अफवाह को खतम क्यों नहीं किया, यों नहीं किया। आज भी उस मीटिंग में थे जिसमें बलरामजी जाखड़ और कांग्रेस का डेलीगेशन था शायद आपको याद हो, उस डेलिगेशन में बलराम जी जाखड ने क्या कहा था। उन्होंने कहा, तीन तारीख की घटना के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कुम्हेर में जाना चाहिये। अब मैं ऐसा समझता हूं मुझे तो आप दोषी मान लें, आपकी इच्छा है, जो चाहे वह कहें लेकिन आज भी मेरी मान्यता है कि उस स्थिति के अन्दर चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बी. जे. पी. हो, चाहे जनता दल हो, जब आप सब कह रहे हैं कि हमको सबको जानकारी थी, गवर्नमेंट को जानकारी थी तो क्या राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में हमारा कर्तव्य नहीं था कि हम उस प्रकार की स्थिति में वहां पहुचते और पहुंचकर वातावरण को शुद्ध करने की कोशिश करते ताकि किसी प्रकार की हिंसात्मक घटना नहीं हो। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले में ज्यादा बहस करने से कोई नतीजा निकलेगा नहीं, नतीजा इंक्वायरी होगी, सी. बी. आई. जैसा मैंने कहा, अगले महीने के मध्य तक अपना काम पूरा कर लेगी, जुडिशियल इंक्वायरी हो ही रही है। जो भी जिस माननीय सदस्यों को कुछ कहना है उन लोगों को निश्चित रूप से कमीशन के सामने अपीयर होना चाहिये। कमीशन नेशायद नोटिफिकेशन निकाल दिया, आप लोगों के सुझाव या आप लोगों के तर्क यह सब आमंत्रित किया है, उसके सामने आप प्रस्तुत करें, यही इसका सबसे बढ़िया उपचार होगा।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है, कि डूंगरराम पंवार

श्री राजेन्द्र पारीक : चर्चा कोई समाप्त नहीं हुई। आप यह बताजें कि यह सरकार इस्तीफा देना चाहती है या नहीं देती है.... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : इस सरकार ने इस्तीफा नहीं दिया....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब मैं खड़ा हूं। फार्मल कीजिये... (व्यवधान)

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री डूंगरराम पंवार. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना....(व्यवधान)

श्री प्रधुम्न सिंह : हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(विपक्ष द्वारा सदन से बहिर्गमन)

अनुपस्थिति–अनुमति

श्री डूंगरराम पंवार उप मंत्री इंदिरा गांधी नहर परियोजना. को सदन की बैठकों से अनुपस्थिति रहने की अनुमति।

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना हैं कि श्री डूंगरराम पंवार, इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं सिंचित क्षेत्रीय विकास उप मंत्री ने अस्वस्थता के कारण वर्तमान सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुमति प्रदान कर दी जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, वाक आउट का वातावरण नहीं बनायें।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री नरपतसिंह व दो अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा हाल ही में कृषि घरेलू एवं औद्योगिक विद्युत दरों में की गई वृद्धि से गरीब किसान एवं आम जनता पर बढ़े भार से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

(2) प्रो. केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा की ओर से इस वर्ष मूसलाधार वर्षा के कारण राज्य के कई शहरों में जान व माल की काफी क्षति होने तथा हजारों गरीब परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हो जाने और राज्य सरकार द्वारा समय पर सहायता उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री गोविन्द सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर शहर में दिनांक 4 सितम्बर, 1992 को देर रात पत्रकार श्री मदन पर कातिलाना हमला कर हत्या का प्रयास किये जाने और अभियुक्तों को नहीं पकड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री जगन्नाथ पहाड़िया व 13 अन्य सदस्य, विधानसभा की ओर से राज्य में पंचायत चुनावों की बार बार घोषणा करने के बावजूद सरकार द्वारा चुनाव कराने में किये जा रहे विलम्ब से पंचायती राज की अव्यवस्था होने के सम्बन्ध में। उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी पर निर्णय लिया जायेगा।

माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित विषयों पर और स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :-

(5) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जून, 1992 के प्रथम सप्ताह में राजस्थान के पूर्वी जिले भरतपुर के कुम्हेर कस्बे में हुए भयंकर दंगे से हुई जान माल की क्षति तथा प्रशासन की तटस्थता के सम्बन्ध में।

(6) श्री प्रद्युम्न सिंह व दस अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से कुम्हेर में पिछले माहों में हुए वर्ग संघर्ष तथा सरकार के संघर्ष को रोक पाने में असफल रहने के संबंध में।

(7) डा. चन्द्रभान व दो अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से 6 जून, 1992 को भरतपुर जिले के कुम्हेर कस्बे में राज्य सरकार व जिला प्रशासन की ओर से लापरवाही व अदूरदर्शिता के कारण हिंसा व आगजनी की घटनाओं से हुई जान माल की क्षति से जनता में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में।

कुम्हेर की घटना के संबंध में बहस हो चुकी है अतः मैं स्थगन प्रस्तावों को अस्वीकार करता हूं।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सूचनाएं

(1) श्री रामनारायण वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बून्दी से रायथल तक 33 के. वी. ग्रिड क्षमता की लाइन डाली जाकर सब स्टेशन की स्थापना करने में सम्बन्ध में।

(2) श्री श्रीकिशन सोनगरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर मेडिकल कालेज में शिक्षा एवं उपचार सुविधाओं के विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री मौहम्मद माहिर आजाद, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुंझुनू शहर स्थित करबला, कब्रिस्तान, दरगाह हजरत, कमरुद्दीन शाह की भूमि खसरा नम्बर 536, 538, 541, 543, 545 व 546 का राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करवाने एवं चारों ओर बाउण्ड्री खिचवाने के संबंध में।

(4) श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य की अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के शैक्षणिक कर्मचारियों को राज्य ससकार के शैक्षिक कर्मचारियों के समान वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएं दिलाये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्य को उनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री रामनारायण वर्मा।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि यह स्थगन है या 295 है।

श्री अध्यक्ष - 295

श्री नत्थीसिंह - क्या हुआ पीछे से। मुख्य मंत्री महोदय ने सारे राजस्थान की जनता को करों के भार के बोझ से लाद दिया (व्यवधान) मैं जानकारी करना चाहता हूं····

श्री अध्यक्ष : वह रेलगाडी निकल गयी। वह मैंने जानकारी प्राप्त की है।

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

बूंदी से रायथल तक 33 के. वी. की लाइन एवं सब स्टेशन की स्थापना

श्री रामनारायण वर्मा - माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत बूंदी जिले के ग्राम रायथल व आसपास के गावों में कम वोल्टेज से बिजली मिलने से बनी हुई समस्या तथा बिजली की व्यवस्था के सुधार के लिए योजना बनाये जाने हेतु निवेदन करना चाहूंगा। बूंदी जिले के ग्राम रायथल एवं रायथल के पास पड़ने वाले गांवों में कम वोल्टेज बिजली मिलने की समस्या बनी हुई है। ग्राम भुवासा, पीपल्या, अन्थडा, माइजा जरवाणा, नन्नपुरा, गुवाडी, जैथल, बीचड़ी आदि गांवों में विभिन्न फीडरों से बिजली की आपूर्ति की जाती है। ग्राम रायथल में 33 K. V. ग्रिड उप केन्द्र की स्थापना हेतु काफी वर्षों पूर्व से ही कार्यवाही चल रही है। तत्कालीन सिंचाई मंत्री भारत सरकार द्वारा भी अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक: 3- 1-83 एम (1)-563 दिनांक 25. 10. 1983 के जरिये राजस्थान के ऊर्जा मंत्री जी से इस बाबत अनुरोध किया था।

इन परिस्थितियों में बिजली आपूर्ति

(श्री रामनारायण वर्मा)

की मौजूदा व्यवस्था के सुधार हेतु बून्दी से रायथल तक 33 के. वी. क्षमता की विद्युत लाइन डाली जाकर उपकेन्द्र की स्थापना करके बिजली की ठीक आपूर्ति की जा सकती है। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के अधिशाषी अभियन्ता (ओ एण्ड एम) बून्दी द्वारा भी रायथल क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था सुधार हेतु योजना बनाई जाने हेतु सहायक अभियन्ता (ओ एण्ड एम) ग्रामीण बून्दी को पत्र क्रमांक: आर एस ई बी/–एक्स ई एन/ओ एण्ड एच/बी एन डी/–डब्लू टी/डी/199 दिनांक 2.5.92 से लिखा है। रायथल में बहुत सी सरकारी सिवाय चक भूमि खाली पड़ी हुई है तथा विद्युत मंडल को भूमि मिलने में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं है। बिजली व्यवस्था सुधार हो जाने के पश्चात क्षेत्र के किसान कुरल नदी से कृषि भूमि की सिचाई हेतु जलोत्थान योजनाएं बना सकेंगे तथा समीपवर्ती ग्राम हनुत्या, बीचड़ी, ब्यावदा, छापरदा, भाटों का खेड़ा आदि को भी विद्युतीकृत किया जा सकेगा।

अतः इस क्षेत्र के विभिन्न गांवों के निवासियों की वर्षो पुरानी चली आ रही मांग को एवं जनहित को मद्देनजर रखते हुए बिजली की सही आपूर्ति की वर्तमान व्यवस्था के सुधार के लिए ग्राम रायथल जिला बून्दी में 33 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना की जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री श्रीकिशन सोनगरा।

अजमेर मेडिकल कालेज में शिक्षा एवं उपचार सुविधाओं का विस्तार :

श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व) - अध्यक्ष महोदय, अजमेर मेडिकल कालेज में शिक्षा एवं उपचार सुविधा के विस्तार हेतु नियम प्रक्रिया 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं।

अजमेर मेडिकल कॉलेज की स्थापना सन् 1963–64 में हुई थी। समय के साथ-साथ इस कालेज के माध्यम से चिकित्सकों के प्रशिक्षण एवं चिकित्सा सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है लेकिन जब इसकी तुलना अन्य मेडिकल कालेजों से की जाये तो यह विस्तार बहुत ही अपर्याप्त लगता है। मैं राज्य सरकार का ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जहां एक ओर राज्य के अन्य मेडिकल कालेजों में प्रशिक्षण एवं चिकित्सा की नवीनतम पद्धतियों के संबंध में चहुँमुखी विकास प्रगति की है इसके मुकाबले अजमेर का मेडिकल कालेज प्रगति के पथ पर पिछड़ा हुआ प्रतीत होता है। अभी हाल ही में राज्य सरकार ने जोधपुर मेडिकल कालेज में उच्चतम चिकित्सा कोर्स जैसे कि एम. सी.-एच. एम. डी. एम. इत्यादि कुछ विषयों में चालू करने की स्वीकृति प्रदान की है साथ ही वहां पर सी. टी. स्केन लगाने के लिए बजट में एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया है इनकी तुलना में अजमेर मेडीकल कालेज में किसी विशेष कोर्स अथवा नवीनतम उपचार सुविधाओं के संबंध में उचित उपचार नहीं किये गये हैं। इस संबंध में राज्य सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि अजमेर मेडिकल कालेज को केन्द्र सरकार ने एक्सरे विभाग में कैंसर के मरीजों के निदान के लिए **कोबाल्ट यूनिट** लगाने हेतु

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

70 लाख रुपये की राशि प्रदान की है. अब अगर राज्य सरकार कोबाल्ट यूनिट की स्थापना हेतु उचित प्रयास करे एवं समुचित बजट उपलब्ध कराये तो यह कार्य शीघ्र रूप से यहां पर शुरू किया जा सकता है। इससे कैंसर जैसे प्राण घातक रोग के गरीब मरीजों का इलाज सुलभ हो सकेगा और यह हमारी सरकार के लिए अजमेर मेडिकल कालेज की बड़ी देन होगी।

अतः मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि अजमेर मेडिकल कालेज में उच्च प्रशिक्षण कोर्स प्रारम्भ किये जावें, सी. टी. स्केनं लगाने की मंजूरी दी जावे, न्यूरो सर्जरी तथा पीडियोट्रीक्स सर्जरी की ईकाई स्थापित की जावे, जलने वाले रोगियों के समुचित उपचार हेतु अलग से बर्न वार्ड स्थापित किया जाये। इन सब सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ उचित चिकित्सा हेतु संबंधित विषयों के विशेषज्ञों को लगाया जाये, अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की कमी को दूर किया जावे तथा मेडिकल कालेज के सम्पूर्ण विकास हेतु अधिकाधिक बजट उपलब्ध कराकर अजमेर की जनता का विश्वास अर्जित किया जाये, यही मुझे कहना है।

श्री अध्यक्ष : श्री मौहम्मद माहिर आजाद। (अनुपस्थित)

श्री सम्पतसिंह। (अनुपस्थित)

श्री रामनारायण वर्मा : आज माननीय ऊर्जा मंत्रीजी भी बैठे हुए हैं। हम प्रस्ताव करते हैं, आपका हालांकि पूरा निर्देश है कि इमीजियेट उसके बारे में जवाब आये लेकिन काफी समय लग जाता है। यदि इसके बारे में माननीय ऊर्जा मंत्रीजी कह दें कि···· पुराना मैंने 83 का बताया है। अध्यक्ष महोदय, 83 का मामला है।

श्री अध्यक्ष : नहीं उनको यदि उस मामले में जानकारी होगी····

श्री रामनारायण वर्मा : आप चाहें तो उसको देख लें, या इसके बारे में कोई ध्यान कर लें।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि समय को देखते हुए यह 295 हैं, उनमें पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष - नहीं नहीं एक ही है। अब उनको पता होता तो बता देते।

श्री बुलाकीदास कल्ला।

अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को राजकीय शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के समान वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, राज्य की अनुदानित शिक्षण संस्थाओं जिनमें स्कूल कालेज दोनों ही सम्मिलित हैं जिसमें एक लाख 50 हजार से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, के संबंध में पूर्व सत्र में दिनांक 16.9.91 के मेरे पत्र के उत्तर में सरकार ने 15.11.92 को जवाब दिया था कि सभी अनुदानित संस्थाओं में बराबर वेतन, भत्ते व अन्य सुविधाएं कर दी जावेगी लेकिन प्रायः एक साल बीत जाने के बावजूद भारत सरकार ने अपना संकल्प पूरा नहीं किया। अनुदानित शिक्षा कर्मियों ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

फैसले प्राप्त कर लिए, जिसमें अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में वेतन एवं भत्तों की पूर्ण समानता के निर्देश दिये गये, लेकिन सरकार इस बहाने से बच रही है कि इस संबंध में वादी प्रकाश चतुर्वेदी ने जो प्रारम्भिक रिट हाई कोर्ट में दायर की थी, वह सिर्फ महा विद्यालय से संबंधित थी।

लेकिन 7 मार्च, 92 को कालेज कर्मचारियों के लिए जो आदेश राज्य सरकार द्वारा निकाले गये वे रिट के आधार पर थे या हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टत: 17 फरवरी, 1992 को "अनुदानित शिक्षण संस्थाओं" शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ सिर्फ कालेज नहीं होता है। वर्ष 1991 के 5 सितम्बर को होने वाले शिक्षण दिवस पर लाठीचार्ज आदि करने पर 9 सितम्बर को सरकार ने राजस्थान अनुदानित विद्यालय महाविद्यालय शिक्षक कर्मचारी संघ समिति से एक समझौता किया था। उस पर एक साल तक अमल नहीं हुआ। 1992 के शिक्षक दिवस पर पुनः अनुदानित शिक्षा कर्मियों ने शिक्षक दिवस का बहिष्कार किया, प्रदर्शन किया, जो किसी भी सरकार के लिए शर्म की बात होती है। शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार, लाठीचार्ज, गाली गुफ्ता इस सरकार का फैशन बन चुका है। क्योंकि इनके समर्थक राष्ट्रीय शिक्षा समिति के तहत राज्य में सैकड़ों संस्थाएं चला रहे हैं जिसमें कर्मचारियों के साथ घोर शोषण का व्यवहार होता है।

इस बार प्रकाश चतुर्वेदी ने 5 सितम्बर से आमरण अनशन किया। 10 सितम्बर को राज्य मंत्री उच्च शिक्षा ने पुन: समझौता किया है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार इस बार भी अपना वायदा पूरा करना चाहती है, या नहीं। मैं स्पष्टत: जानना चाहता हूं कि सरकार सरकारी शिक्षण संस्थाओं के अनुरूप अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन भत्तों की समानता के आदेश कब तक लागू कर देगी। महाविद्यालय और स्कूल शिक्षकों के लिए यह दोहरा मापदण्ड क्यों अपनाया जा रहा है। आज सारे प्रदेश में लाखों शिक्षाकर्मी शिक्षक आंदोलनरत हैं। भूख हड़तालें हो रही हैं, जगह-जगह धरने दिये जा रहे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारियां चल रही हैं, फिर भी सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही है। आखिर प्रदेश की शिक्षा को कितना पीछे आप धकेलना चाहते हैं। क्या इनका इरादा शिक्षाकृत व्यापार और दुकानदारी ही बनाना है। महामहिम राष्ट्रपतिजी की शिक्षा विधेयक पर सहमति 4-जून, 1992 को प्राप्त हो गई एवं आज तक उसके नियम और उप नियम नहीं बने हैं, मैं जानना चाहता हूं क्या इस हेतु भी आंदोलन करना पड़ेगा अथवा न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा। आप कब तक उसके नियम एवं उप नियम बना देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह अपील करना चाहता हूं कि एक ही प्रदेश में महाविद्यालय शिक्षा के कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन भत्ते लागू होंगे लेकिन सीनियर हायर सैकेण्डरी, माध्यमिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों के ऊपर समान वेतन भत्ते लागू नहीं होना, यह दोहरा मापदण्ड है, यह नहीं

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

होना चाहिए। इसके ऊपर इनको तुरन्त पुख्ता आदेश जारी करने चाहिए।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

राज्य सभा से प्राप्त संदेश

श्री अध्यक्ष : सचिव, विधान सभा, संविधान (छियहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992 का अनुसमर्थन करवाने संबंधी राज्य सभा द्वारा भेजे गये संदेश को पढ़ेंगे एवं तत्संबंधी पत्र सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री सचिव (विधान सभा) : मैं, प्रक्रिया के नियम 118 का का के अन्तर्गत संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992 का अनुसमर्थन करवाने संबंधी राज्य सभा द्वारा भेजे गये संदेश की सूचना देता हूँ जो निम्न प्रकार है—

Parliament of India, Rajya Sabha Secretariat; No. RS. 1/28/92-B. Parliament House Annexe, New Delhi-110001, May 15, 1992.

From : Sudarshan Agarwal, Secretary-General, Rajya Sabha.

To : The Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur.

Subject : The Constitution (Seventy-sixth Amendment) Bill, 1992-ratification of,

Sir, I am directed to state that the Constitution (Seventy-Sixth Amendment) Bill, 1992 was passed by the Council of States on the 29th April, 1992. The House of the People passed the Bill witn an amendment on 7the May, 1992. The amendment was agreed to by the Council of States on the 12th May, 1992. A copy of the Bill, as passed by the Houses of Parliament, is sent herewith.

2. Clause 2 of the Bill seeks to amend article 54 of the Constitution and therefore in terms of clause (a) of the proviso to clause (2) of the article 368 of the Constitution, the amendment is required to be ratified by the Legislatures of not less than one half of the States by resolutions to that effect passed by those Legislatures before the Bill is presented to the President for his assent,

3. I am, accordingly, to request that a resolution ratifying the amendment may be placed before the State Legislative Assembly/State Legislative Council as early as practicable and the decision thereto my be communicated to this Secretariat.

167

(श्री सचिव)

4. It is suggested that the resolution may be in the following form :

"That this House ratifies the amendment to the Constitution of India falling within the purview of clause (a) of the proviso to clause (2) of article 368 there of, proposed to be made by the Constitution (Seventy-sixth Amendment) Bill, 1992, as passed by the Houses of Parliament."

5. The Parliamentary proceedings on the Bill are being printed and as soon as they are available, the required number of copies thereof alongwith the copies of of the Bill, as introduced in the Council of States and as passed by the Houses of Parliament, will be forwarded to you for use of Members of the State Legislature.

6. The receipt of this letter may kindly be acknowledged.

अनुमति प्राप्त विधेयक

श्री अध्यक्ष : सचिव, विधान सभा। गत सत्र में पारित विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

श्री सचिव (विधान सभा) : महोदय, मैं, गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूँ जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

(क) राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

(1) श्री सांवलियाजी मन्दिर विधेयक, 1992

(2) राजस्थान स्टाम्प विधि अनुकूलन (संशोधन) विधेयक, 1992

(3) राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था विधेयक, 1986

(ख) राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

(1) राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1992

(2) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1992

(3) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1992

(4) राजस्थान मोटर यान पथ कर (संशोधन) विधेयक, 1992

(5) राजस्थान विनियोग (संख्या–1,) विधेयक, 1992

(श्री सचिव)

(6) राजस्थान विनियोग (संख्या–2,) विधेयक, 1992

(7) नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1992

(8) राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1992

(9) राजस्थान विद्युत शुल्क (संशोधन और विधि मान्यकरण) विधेयक, 1992

(10) राजस्थान विडियो फिल्म प्रदर्शन का विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1992

(11) राजस्थान भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1992

(12) राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1992

(13) राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1992

(14) अजमेर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1992

(15) राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1991

अध्यादेश

राजस्थान पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 1992

श्री अध्यक्ष : श्री हरलाल सिंह खर्रा, पंचायत राज मंत्री एक अध्यादेश सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री हरलाल सिंह खर्रा (पंचायत राज मंत्री) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं, राजस्थान पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (1995 का अध्यादेश संख्या–1) सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री शांति लाल चपलोत।

राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) अध्यादेश, 1992

श्री शांति लाल चपलोत (विधि राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (1992 का अध्यादेश संख्या–2) सदन की मेज पर रखता हूँ।

अधिसूचनायें

श्री अध्यक्ष : अधिसूचनायें। श्री कृष्ण कुमार गोयल।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग विभाग की अधिसूचना संख्या निल दिनांक 2 जून, 1990 जिसके द्वारा राजस्थान फाइनेन्शियल कारपोरेशन जनरल रेगुलेशन में संशोधन किया गया है सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, दो वर्ष का लेप्सेज गवर्नमेंट के पार्ट के ऊपर। आप मंत्री महोदय को कृपया डाइरेक्शन दें कि भविष्य में ऐसे लेप्सेज उनके विभाग की तरफ से नहीं हो।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब आपने फरमाया था उसके बाद यह जो मैंने भेजा है यह

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

मई के अन्दर ही विधान सभा के अन्दर भेजा जा चुका था चूंकि गलत लेप्सेज हुये थे इसके लिये मैंने पिछली बार क्षमा मांग ली थी उसके बाद आरम्भ में बहुत जल्दी मई के अन्दर भेज दिया गया हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह।

श्री दिग्विजयसिंह (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं गृह विभाग की निम्न अधिसूचनाएँ सदन की मेज पर रखता हूँ।

(1) अधिसूचना संख्या प. 1/6 (9) गृह–5/86, दिनांक 20 अप्रैल, 1992 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के अन्तर्गत समस्त सेवाओं को आवश्यक सेवाऐं घोषित किया जाकर राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के अन्तर्गत समस्त सेवाओं में हड़ताल किये जाने पर एतद् द्वारा प्रतिषेध किया गया है, एवं

(2) अधिसूचना संख्या प. 1/6(9) गृह–5/86, दिनांक 3 जुलाई, 1992 जिसके द्वारा लारी, सर्विस व गुडस ट्रांसपोर्ट सेवाओं के अन्तर्गत समस्त सेवाओं को अत्यावश्यक सेवायें घोषित किया जाकर लारी सर्विस गुड्स ट्रांसपोर्ट सेवाओं में हड़ताल किये जाने पर ,एतद्द्वारा प्रतिषेध किया गया है।

श्री अध्यक्ष : ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–1) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ–8 (17) एम. पी. एच./ग्रुप–1/65, दिनांक 9 फरवरी, 1989 जिसके द्वारा राजस्थान शारीरिक नियम, 1988 वितरित किये गये हैं, शुद्धि पत्र सहित सदन की मेज पर रखता हूँ।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान पर्यटन विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन (1989–90) एवं लेखे

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन एवं लेखे। सुश्री पुष्पा जैन, पर्यटन मंत्री।

सुश्री पुष्पा जैन (पर्यटन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं, कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उप धारा 3 (बी) के अन्तर्गत राजस्थान पर्यटन विकास निगम के वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1989–90 सदन की मेज पर रखती हूँ।

विधायी कार्य : विधेयकों का पुरःस्थापन

राजस्थान अभिधृति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य। पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक। श्री गंगाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री।

श्री गंगाराम चौधरी (प्रभारी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अभिधृति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है राजस्थान अभिधृति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान अभिधृति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करता हूँ।

विधेयक पर विचार

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1992

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। श्री गंगाराम चौधरी।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी। श्रीमती उजला अरोड़ा।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, धारा 183 "ख" में इस आशय का उपबन्ध मान्यवर मंत्री महोदय लाने जा रहे हैं कि अनुसूचित जाति के।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का संशोधन पेश किया है। आप 183 टीनेन्सी एक्ट के बारे में बोल रही हैं।

श्री अध्यक्ष : हां, टीनेन्सी एक्ट में ही तो भू राजस्व है ना।

श्री गंगाराम चौधरी : धारा 91 वाला है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : राजस्थान भू-राजस्व के बारे में ही कहना था। मान्यवर, चारागाह जमीन में जो अतिक्रमण उसकी भूमि पर साथ में ही जो गांव के तालाब की जमीन या ऐसी और जमीनों के सम्बन्ध में आप यहां संशोधन ला रहे हैं मैं इसका एक तरह से तो स्वागत करती हूँ लेकिन मैं यह कहना चाहती हूँ कि जिन जमीनों पर जो चरागाह की हैं उनको पिछले दिनों आवंटित कर दिया। उनके लिये क्या करने जा रहे हैं आप, यह बताइये। मेरे इलाके में ही जयपुर ग्रामीण में, पंचायत बासना में नीवी गांव के खसरा नम्बर–दो में जयपुर नगर के तीन लोगों को भूमि का आवंटन कर दिया गया। अब वह कब से कर दिया गया, शायद मेरे चुनाव लड़ने से पहले कर दिया गया। मैंने बराबर कोशिश की कि चारागाह से उस अतिक्रमण को हटाया जाय लेकिन जमीन आवंटित हो चुकी है यह कहकर उसको हटाया नहीं गया। ऐसी अनेक भूमियां हैं जिन पर आवंटन हो चुका है, कृपया स्पष्ट करें कि ऐसी भूमियों

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

के लिए क्या करेंगे, किस प्रकार से सारे काम को करेंगे।

मुझे ऐसी भी स्थिति का पता है कि किसी को आवंटित कर दिया तो उसकी मृत्यु हो गयी, उसकी पत्नी के नाम नामांतरण कर दिया गया। कोर्ट का फैसला है ऐसे मामलों में अब आप क्या करेंगे, वह मुझे बता दें। अगर आप यह कहना चाहें कि वहां जितने भी एरिया को चारागाह में है या मुक्त कर देंगे तो इसका कोई गजट नोटिफिकेशन निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। उतनी जमीन को आप इंगित करके रखेंगे कि यह चरागाह की जमीन है और इस पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं होगा। मैं इस बात के लिए आपको बधाई देती हूँ कि आपने इसकी जिम्मेदारी भी उन लोगों पर सौंपी है कि जो अधिकारी हैं जिनके इलाके में अगर अतिक्रमण किया गया है तो उनको न केवल जुर्माना आप उनको सजा तर्क दे पायेंगे। मैं इस बात के लिए आपको बधाई देती हूँ लेकिन मेरे जो तर्क हैं उसको यदि आप स्पष्ट कर दें तो ···और 20,000 तक का जुर्माना····

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : तो तीन महीने के लिए नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1992 को तीन माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय इस बारे में बोलना चाहता हूँ।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में बना था। इस एक्ट की धारा 41 व 50 एवं धारा 261 की उपधारा (2) के खण्ड सात से दस तक और अधिनियम की धारा 262 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति गांव चौकीदार को हटाये जाने के सम्बन्ध में राजस्व मंत्रीजी इस मूल अधिनियम में जो संशोधन लाये हैं, मैं इस सम्बन्ध में सबसे पहले तो सरकार से यह जानना चाहूँगा कि गांव के चौकीदार को अभी भी आपने तहसीलदार के माध्यम से रखने की बात कही है, पटवारी के माध्यम से रखने की बात कही है तो उसको 150 रुपया प्रति माह दिया जाता है। चार महीने वह काम करता है। मिनिमम वेजेज एक्ट में भी अब काफी बदलाव होते रहते हैं···

श्री अध्यक्ष : वह तो चौधरी बनने में ही प्रसन्न है। 150 रुपये की तो ज्यादा कीमत नहीं लेकिन चौकीदार बना दिया यही बहुत है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, इसमें परिवर्तन लाना चाहिए। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, इस एक्ट की धारा 91 की उपधारा 6 में जो अन्तर्स्थापन किया है उसमें अतिक्रमणी को कम से कम एक माह और अधिकतम 3 वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान किया है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने समय-समय पर जो लोग वर्षों से काबिज हैं उनके पजेशन को नियमित करने के लिए 5-7-84

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

को आदेश जारी करके और कब्जों के नियमन की बात कही थी, कुछ लोगों ने अपने कब्जों का नियमन करवा लिया।

(7.35)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि गांवों में लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और वह अपने कब्जों की नियमन नहीं करा सके है जिसके कारण इस एक्ट की इस धारा के अन्तर्स्थापित होने के बाद कोई भी पुलिस अधिकारी हमारे भोले ग्रामीण जन को एक्सप्लायट कर सकते हैं और पुराने कब्जे जो वर्षों से कम से कम दो-तीन पीढ़ियां जहां गांव में रहती आयी हैं, बसती आयी है, उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करके तीन साल की सजा दिला सकते हैं। इस धारा की अन्तर्स्थापना से पुलिस को इतने अधिकार दे दिये गये हैं कि इसको कोग्नीजेबल आफेंस बना दिया गया है, नोन बेलेबल आफेंस बना दिया है। नोन बेलेबल आफेंस बनाने के कारण कोई भी पुलिस अधिकारी षडयंत्र करके इन ग्रामीण जनों का शोषण कर सकता है।

मैं इस सम्बन्ध में दो-एक सुझाव देना चाहता हूँ कि आप इस सम्बन्ध में तहसीलदार को जो आपने अधिकार दिये हैं वह नोटिस देने से पहले एस. डी. ओ. से इस बात के बारे में कन्फर्म करायें क्योंकि जितने छोटे अधिकारी को जितना अधिक प्रभावी बनायेंगे उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ेगा। एस. डी. ओ. से उस नोटिस को एप्रूव कराने के बाद प्रीलिमिनरी इन्क्वायरी करने के बाद आप नोटिस दें और सजा का प्रावधान तीन वर्ष का रखा है। इसको ढाई साल या दो साल कर देंगे तो इसका दुरुपयोग नहीं होगा।

इसी तरीके से मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि चारागाह के ऊपर अतिक्रमण राज्य सरकार भी खूब कर रही है। जगह-जगह जो सुविधाएँ दी जा रही हैं, जैसे आज कहीं स्कूल बन रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बन रहे हैं, सबसे ज्यादा जिलाधीश को और एस. डी. एम. को चारागाह की भूमि नजर आती है और वहां पर अतिक्रमण आज सबसे ज्यादा लोगों ने नहीं किया, उससे ज्यादा सरकार के द्वारा, उसकी एजेंसियों ने किये हैं, डी. आर. डी. ए. के जो काम हुए हैं वह चारागाहों पर हुए हैं। आयंदा इस प्रकार की व्यवस्था करें कि चारागाह की भूमि पर अतिक्रमण चाहे सरकार के द्वारा जितने भी काम किए जायं, उतनी भूमि दूसरी जगह चारागाह के लिए सुरक्षित रखी जाय, ऐसी पुख्ता व्यवस्था की जाय।

इसी तरह से चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यह वायदा किया था कि अमुक तारीख तक के कब्जों को नियमित कर देंगे। इसके बारे में आपकी क्या नीति है। पुराने कब्जों के बारे में जो लोग बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत हरिजन, अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति के भाई लोग हैं और

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

जो वर्षों से अपनी जमीनों पर बैठे हुए हैं। उनके नियमों की कट आफ डेट तय करके उन सारे कामों को करने के बाद यदि आप इस अधिनियम को लागू करते हैं तो निश्चित रूप से हम इसका स्वागत करेंगे। लेकिन इन सब बातों को सोचे बिना आप अफरा-तफरी में जल्दी में यह संशोधन लाये हैं। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्रीजी से अपील करूंगा कि इसको तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय परसराम मदेरणा, प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव रखेंगे।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रस्ताव है कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु (अमेण्डमेण्ट) बिल, 1992 (बिल नं. 18) को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे।

इसका कारण यह हैं कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल के क्लोज का प्रश्न है मुझे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। क्लोज दो जिसमें राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के सैक्शन 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, एवं 50 को जो डि–लिट करने की बात कही है। इस सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि यह रीडण्डैण्ट है क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई इम्प्लीमेण्ट नहीं हुआ। जब एक्ट्स के प्रावधान रखते हुए भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है तो इसको स्टडी बुक में रखने का कोई औचित्य नहीं है।....(व्यवधान) इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, क्लोज 2 को प्रवर समिति समिति को सुपुर्द करने के मैं पक्ष में नहीं हूँ। मैंने जो प्रवर समिति को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा है मैं चाहता हूँ कि क्लोज–3 जिसको प्रभारी मंत्रीजी इस बिल के द्वारा सैक्शन 91 आफ दी राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट में इन्सर्ट करना चाहते हैं यह बिना सोचे-समझे प्रावधान रखा है। बिना सोचे समझे मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब सैक्शन 91 में इस प्रकार का प्रावधान है जिसमें कोई भी अगर ट्रैस-पास करेगा तो उसकी स्टैंडिंग क्रोप को डेस्ट्राय कर दिया जाएगा या कब्जा ले लिया जाएगा।

वह कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग है उसको भी डिस्पोज आफ कर दिया जाएगा। कलक्टर की परमिशन से। सब्सीक्वैंण्ट ली ट्रेसपास अगर कोई करता है तो फर्स्ट ट्रेसपास में 50 टाइम्स आफ दी राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु आर एन्युअल रैण्ट पैनल्टी इम्पोज की जाएगी और प्रत्येक सब्सीक्वैण्ट ट्रेसपास के ऊपर उसको पैनल्टी भी होगी जो लैण्ड रेवेन्यु का 50 गुना होगी और तीन महीने का सिविल इम्प्रिजनमैण्ट भी होगा। इस प्रकार का स्ट्रिंजैण्ट और

(श्री परसराम मदेरणा)

डैटेरेण्ट लॉ होते हुए अब जो अमैण्डमेण्ट लाये हैं राजस्व मंत्री जी, वह बहुत हार्श है। सब्सीक्वैंण्ट ट्रैसपास के बाद अगर वह नोटिस को कम्प्लाई नहीं करता है तो अब उसको तीन महीने की सजा नहीं है, अब उसको तीन साल की सजा है। लैण्ड रेवेन्यु में 50 टाइम्स पैनल्टी नहीं है, अब 20 हजार रुपये की पैनल्टी है। यह दो प्रकार का जो प्रोविजन आपने एक ही एक्ट के अन्दर, एक ही सैक्शन में रखा है, मेरी ऐसी मान्यता है, राजस्व मंत्रीजी, कि आप इसको एग्जामिन कर लीजिए। मैं समझता हूँ, लॉ डिपार्टमैण्ट ने आपको सलाह नहीं दी है। यह कानकरेण्ट प्रोविजन है। किसी भी लॉ से अगर कानकरेण्ट प्रोविजन है तो दैट इज ए बैड लॉ। इसमें अगर आप दोनों प्रकार का प्रोविजन कानकरेण्ट रखना चाहते हैं तो आप मुझे यह बताइये और सदन को यह जानकारी दीजिए कि सैक्शन 91 के सब सैक्शन (1) और (2) को कब आप इस्तेमाल में लेंगे, कब इसको फोर्स में लाएंगे और अब जो सब सैक्शन 6 जोड़ने जा रहे हैं उसको किस वक्त फोर्स में लाएंगे ? इस प्रकार की कोई भी गाइड लाइन आपने इस बिल में नहीं दी है।

तीसरा मेरा एतराज यह है कि यह दो प्रकार का प्रोविजन एक ही प्रकार के ट्रैसपास पर रख रहे हैं यह प्रावधान अल्टीमेट एनेलेसिस में डिस्क्रिमिनेटरी है। जब यह डिस्क्रिमिनेटरी है तो यह हिन्दुस्तान के कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 14 को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट जब करता है तो उसको वायोलेट करता है। इसलिए मेरा यह निवेदन है और मेरा यह निश्चित अभिमत है कि सैक्शन 91 में जो आप अमैण्डमैण्ट लाए हैं कानकरैण्ट प्रोविजन के साथ बिना किसी गाइड लाइन के, यह प्रावधान डिस्क्रिमिनेटरी होते हुए वायोलेटिव आफ दी आर्टिकल 14 आफ दी कांस्टीट्यूशन है। और कभी चैलेंज होता है तो यह स्ट्रकडाउन होगा। ये प्रावधान कांस्टीट्यूशन के वायोलेटिव हैं कि नहीं, गाइड लाइन इसमें आपने रखी नहीं है। कानकरेण्ट प्रोविजन है तो कानकरैण्ट प्रोविजन नहीं रखकर इसका ड्राफ्टिंग और तरह से करते आप, या पहले वाले प्रोविजन को दूसरी तरह से अमैन्ड करते तो यह अच्छा कानून होता। यह बैड लॉ है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मुझे कहने को बहुत बातें हैं, लेकिन क्लॉज 3 में मैं अमैण्डमैण्ट लाया हूँ उस वक्त कहूँगा। प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने के सम्बन्ध में मुझे इतना ही निवेदन करना है और आप सलैक्ट कमेटी को रैफर कर दीजिए। नहीं तो यह आपका डिस्क्रिमिनेटरी प्रावधान क्योंकि आर्टिकल 14 का वायोलेटिव है। इसलिए स्ट्रकडाउन होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री जी।

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु अमैण्डमैण्ट बिल, 1992 लाया जा रहा है, इसके मुख्यत: चार भाग हैं।

(श्री गंगाराम चौधरी)

एक, सब क्लॉज दो है क्लॉज दो में। इसके बारे में तो किसी को एतराज नहीं है। हालांकि हमारे कल्ला साहब ने यह जरूर कहा था कि यह विलेज सर्वेण्ट है, इसे क्यों आप खत्म करने जा रहे हो। मदेरणा साहब ने ही कल्ला साहब का उत्तर दे दिया कि विलेज सर्विसेज में नियुक्ति चूंकि सरकार ने पहले कभी की नहीं इसलिए यह रिडण्डैण्ट है। पटवार संघ की ओर से बार-बार यह मांग की जा रही थी कि हमें एक नौकर दीजिए, विलेज सर्वेण्ट दीजिए, गांव चौधरी दीजिए। इसी तरह की उनकी मांग बराबर आती गई क्योंकि लैण्ड रेवेन्यु एक्ट में प्रोविजन था। इस वजह से इस रिडण्डैण्ट प्रोविजन को समाप्त करना आवश्यक था, इसीलिए हम इसको लाए हैं। पटवार संघ की मांग की पूर्ति के लिए हमने यह किया है कि चार महीने के लिए एक पटवारी को हर माह 150 रुपये ऐसा एलाउंस देंगे जिसके जरिये जरूरत पड़ने पर डेली वेजेज पर वह किसी आदमी को रख ले। गिरदावरी के वक्त उसकी जरूरत पड़ती है, नाजायज कब्जा हटाने वक्त, प्रोसेस सर्विंग के वक्त जरूरत पड़ती है। उसके लिए हमने एक प्रोविजन कर रखा है। यह तो उसके लिए है।

जो दूसरा हमारा अमैण्डमैण्ट है सैक्शन 91 के अन्दर, मैं निवेदन करूँ इसमें····

श्री रामसिंह विश्नोई : वह ग्राम चौधरी तो नहीं कहलाता, वह तो दूसरे नाम से है।

श्री गंगाराम चौधरी : ग्राम प्रतिहारी समझ लीजिए। चौधरी पहले खतम कर दिये।

श्री रामसिंह विश्नोई : चौधरी की परिभाषा को क्यों बदनाम करते हो आप ?

श्री परसराम मदेरणा : यह चौधरी नहीं है, पटवारी जब काश्तवार गिरदावरी करेगा तो उसकी चैन खींचने वाला है। पर, रेवेन्यु मंत्री जी, आपको पता है कि नहीं कि जो यह आप की गिरदावरी आ रही है जिसमें 50 पर्सेण्ट लॉस हुआ, यह गिरदावरी नजरिया गिरदावरी है। वहां न तो कोई चैन है, न कोई खींचता है और न कोई जा रहा है।

श्री रामसिंह विश्नोई : असिस्ट करने के लिए नाम दूसरा कर लीजिए इसको आप।

श्री गंगाराम चौधरी : धारा 91 के बारे में मैं यह निवेदन कर रहा था कि मैंने जो यह क्लॉज 3 इसमें जोड़ा है सब सैक्शन 6 जो धारा 91 में जोड़ने जा रहा हूँ यह मुख्यतः सार्वजनिक भूमियों के लिए है, हर भूमि के लिए नहीं है। यह जो सजा का प्रावधान रखा है हमने इस क्लॉज में अगर एक्सप्लेनेशन में आप नीचे देखें तो उसमें लिखा है :—

"For the purpose of this sub-section 'Land' means— (1) a pasture land as defined in the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act no. 3 of 1955); and

(श्री गंगाराम चौधरी)

(ii) land as defined in sub-clauses (iii) and (iv) of clause (a) of section 103 including land appurtenant to a public well, Nadi, Johad and Talab."

इसी जमीन के लिए डेटेरेण्ट प्रोविजन जोड़ने जा रहे हैं हर भूमि के लिए नहीं सिवाय चक के लिए नहीं, आबादी भूमि के लिए नहीं, और भी कई सरकारी भूमि हैं उनके लिए नहीं, सरकार को यह जरूरी इसलिए महसूस हुआ कि पिछले कुछ वर्षों से सार्वजनिक भूमियों पर वह चाहे क्रेमेशन ग्राउण्ड हो, ग्रेवयार्ड हो, नाडी तालाब हो या चीरागाह भूमि हो, इन पर नाजायज कब्जे इन दिनों में बहुत ज्यादा तादाद में हो रहे हैं। जो मौजूदा प्रावधान हैं हमारे चार तरह के, जो मदेरणा साहब ने अभी बताये थे ...

श्री रामसिंह विश्नोई : यह क्लियर तो कीजिए कि कौन-कौनसी भूमि के ऊपर यह लागू होगा।

श्री गंगाराम चौधरी : यह इसमें लिखा भी है, मैं बता रहा हूँ। एक तो चारागाह, जो पहले में मैंने रखा है। दूसरे में रास्ता सच एज रोड्स एण्ड पास वेज। उसके अलावा है क्रेमेशन ग्राउण्ड और ग्रेवयार्ड और उसके अलावा है कुआं, नाडी और तालाब। बस इन जमीनों पर ही यह डेटेरेण्ट प्रोविजन, तीन साल की सजा के लागू होंगे और उसमें डिप्टी सुपरिण्टेण्डैण्ट से कम अधिकारी जांच नहीं करेगा।

एक बात यह भी रखी है कि अगर कोई राजकीय कर्मचारी जिसमें कि कलक्टर आर्डर दे तामील करने के लिए, कब्जा हटाने के लिए और वह अगर तामील नहीं करता है तो उसका भी चालान कलक्टर की परमिशन के बाद हो सकता है। ये डैटेरेण्ट प्रोविजन इन दोनों में जरूरी थे इसलिए मैं इन प्रोविजन को लाया हूं। म्यूनिसिपल लैण्ड के बारे में पहले ही ऐसे प्रोविजन आ चुके हैं जेल के, इसलिए सरकार ने जरूरी समझा। मैं समझता हूँ कि माननीय मदेरणा साहब सन्तुष्ट होंगे।

मैं एक बात और कह दूँ, माननीय मदेरणा साहब ने कहा कि ये प्रोविजन डिस्क्रिमिनेटरी हो सकते हैं। मैं अर्ज यह कर रहा हूँ कि इसमें चूँकि कुछ ही जमीन के लिए अलग से किया है इसलिए डिस्क्रिमिनेशन की बात इसमें नहीं होती है। मैं समझता हूँ, प्रस्ताव वापस लेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय मंत्री महोदय, जो जमीन का नियमन हो चुका है, जो अतिक्रमण और चरागाह की श्रेणी में आती हैं उनके बारे में क्या करेंगे? यह स्पष्ट किया ही नहीं। अब ये विवाद निरन्तर खड़े हो जाएंगे।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं तो यह निवेदन करना चाहूँगा राजस्व मंत्री जी से आपके माध्यम से कि इतना सख्त कानून, 12 गुना, इनके राजस्व रिकार्ड तो दुरुस्त आपको मिलेंगे नहीं। बीस हजार रुपये या तीन साल की सजा या 12 गुना।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो स्पेसिफिक लैण्ड के लिए किया है।

श्री रामनारायण वर्मा : जो भी कोई पोजीशन है, वह मुझे पता है।

श्री उपाध्यक्ष : चारागाह है, नाडी है, कुआं है सार्वजनिक, ग्रेवयार्ड है।

श्री रामनारायण वर्मा : जहां रास्ता इनके रिकार्ड में है वहां तो वर्स्ट जमीन है और जहां रास्ता निकल रहा है उनके रिकार्ड में नहीं है। पोलिटिकली इसका मिसयूज होगा, गांव के गरीब आदमी इससे तकलीफ पाएँगे। आप थोड़ा देख लें, सोच लें। यदि इसको थोड़ा हार्ड ही बनाना है तो दुगना कर दें आप। इतना ज्यादा नहीं करें।" (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिये। आ चुकी सारी बातें। जिनके संशोधन थे, बोल चुके हैं।

श्री रतनाराम चौधरी : इसमें सिर्फ एक चारागाह आपने बताया है, जमीन कहीं ओरण है कहीं गोचर में दर्ज है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि चारागाह को शामिल करते वक्त ओरण और गोचर को भी शामिल कीजिए ताकि यह क्लियर हो जाय।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य समझ नहीं रहे हैं। आमतौर पर "चारागाह" शब्द में गोचर, ओरण भी शामिल है।

श्री उपाध्यक्ष : ओरण भी शामिल होता है। आप बैठिये रामनारायण जी।

श्री रामसिंह विश्नोई : मंत्री महोदय, यह नाडी है, अंगार है, रास्ते हैं, ओरण है और लाटें हैं, ये सारी बातें क्लियर तो होनी चाहिये। बाकी यह जो कब्जा करते हैं, उनका मामला क्लियर हो जाये।

श्री उपाध्यक्ष : उसमें स्पेसीफाइड लेंड दी हुई है।

श्री रामसिंह विश्नोई : उसमें नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, नाडी नहीं है, अंगोर नहीं है, रास्ते नहीं है, ओरण नहीं है और लाटें हैं, अब यह सब इलाके गांव के पास में आये हुए हैं, और उन पर कब्जा कर रखा है उन्होंने।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूँ कि इसमें लाटें की जमीन शुमार नहीं है। जो इसमें शुमार है, वह मैंने पहले भी निवेदन किया यह सब मैंने एक्सप्लेनेशन में दे रखा है उसमें सैक्शन 103 का मैंने हवाला दिया है। सैक्शन 103 में दो चीजें हैं, नम्बर एक

"public purposes such as roads and pathways"

और दूसरे में है गोचर क्रीमेशन ग्राउन्ड्स और ग्रेव यार्ड्स। इसके अलावा है पब्लिक वेल, नाडी, जोहड़ और तालाब।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भू राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1992 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(श्री उपाध्यक्ष)

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1992 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया। खण्डश : विचार।

विधेयक पर खण्डश : विचार

खण्ड–2 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खंड–2 स्वीकार किया गया।

खण्ड–3

खण्ड–3. श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड–3 में मेरा संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार है—

In sub-section (6) of section 91 of the principal. Act sought to be inserted by clause 3, the following proviso shall be added after sub-clause (a), namely :—

"Provided that this clause shall not apply if the person occupying land without lawful authority is a member of scheduled caste or scheduled tribe".

उपाध्यक्ष महोदय, आज दिन भर कुम्हेर कांड को लेकर यहां पर चर्चा हुई और इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की इकानामिक इमान्सीपेशन और उनके लिये सोशल जस्टिस की बात की। जिस भूमि के लिये हार्श और स्ट्रिन्जन्ट प्रावधान रेवेन्यु मिनिस्टर लाये हैं (व्यवधान) सिवाय चक की जमीन अब रही नहीं। बहुत सी जगह ट्रेसपास अनुसूचित जाति और जन जाति वालों का है और उनका रेग्युलराइजेशन अभी तक हुआ नहीं है, हालांकि इसके लिये रेवेन्यु कैम्पेन भी चला था। मेरी पर्सनल जानकारी में हैं कि इन लोगों का बहुत सी जगह ट्रेसपास है और उनका अभी तक कई कारणों से रेग्युलराइजेशन नहीं हुआ है। सदियों से यह लोग

(श्री परसराम मदेरणा)

पिछड़े हुए हैं। सामाजिक तौर पर इनको ऊपर उठाने के लिये और पावर्टी लाइन से इनको ऊपर उठाने के लिये राज्य सरकार की कई पालिसीज आज लागू हैं। इस सदन में कई ऐसे माननीय सदस्य बैठे हैं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के हैं और उनके लिये सीट्स रिजर्व्ड हैं (व्यवधान) नैनवां की सीट रिजर्व्ड नहीं है, एकाध कोई आ गया पोगा भूले भटके। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग उन्हीं सीटों से आते हैं जो उनके लिये रिजर्व्ड हैं। और उनके लिये रिजवेशन का प्रावधान केवल असेम्बली में ही नहीं, नगर पालिकाओं के वार्ड्स में भी उनके लिये रिजर्वशन है। सर्विसेज में भी उनके लिये रिजर्वशन है, और सर्विसेज में रोस्टर सिस्टम में भी रिजरवेशन है और जो बैकन्सीज शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों से नही भर पाती हैं वह केरी फारवर्ड भी होती है। जो जमीन का एलाटमेंट होता है उसमें भी इन लोगों के लिए प्रिफरेन्स और प्रायरिटी है, अगर वह जमीन भी सिवाय चक लेंड है लेकिन इन लोगों ने ट्रेसपास गगरा और पेस्चर लेंड पर कर दिया है। राजस्थान केनाल पर भी जो आवंटन होता है उसमें भी इनके लिये प्रिफरन्स और प्रायरिटी है। रिजर्व प्राइस भी इनके लिये आधी है और इनको एलाटमेंट भी मांग के ऊपर है। आई. आर. डी. फेमिलीज में भी इनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये प्रावधान है। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब में थोड़ा सा फर्क है लेकिन एक तिहाई सब्सिडी है लोन के अन्दर। शेड्यूल्ड कास्ट के लिये थोड़ा कम है। शेड्युल्ड कास्ट डवलपमेंट कार्पोरेशन है, वह इस एक फोर्थ को पूरा करती है। इस प्रकार राजस्थान अनुसूचित जाति और जन जाति विकास निगम भी इनके आर्थिक उत्थान के लिये कोशिश करता है और शेड्युल्ड ट्राइब डवलपमेंट कार्पोरेशन भी इनकी मदद करने में लगा हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह पिछड़े और गरीब लोग हैं। इनके पास भूमि नहीं है। जहाँ दूसरे लोगों ने भूमि ले रखी है, वे तो लेण्ड लैस नहीं हैं। ये ज्यादातर लैण्ड लैस लोग हैं।

(8·00)

इसलिए सामाजिक न्याय की दृष्टि से जब हम विकास की योजनाएँ बनाते हैं और हमारी जो एप्रोच प्लान में रहती है, हर प्लान में रहती है तो हम विकास करना चाहते हैं समाज के पिछड़े हुए तबके का, विकास के साथ में सामाजिक न्याय हमारा लक्ष्य है और इस सामाजिक न्याय के लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही यह रिजर्वेशन एण्ड प्रायोरिटी इस समाज के पिछड़े हुए लोगों के लिए रखी है और इसलिए आई. आर. डी. योजना के संदर्भ में, क्योंकि इस वर्ग का निरन्तर शोषण हुआ है, ये वेगार देते रहे हैं पीढ़ियों से। हमारे समाज की वर्ण व्यवस्था भी इनके पिछड़ेपन के लिए बहुत बड़ा कारण है। आज कह रहे थे खैरथल से आने वाले माननीय सदस्य लेकिन एक कारण यह वर्ण व्यवस्था भी है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप जो प्रावधान

(श्री परसराम मदेरणा)

लाये हैं जिन लोगों के पास में जमीन है, जो लैण्ड लैस नहीं हैं उनके सम्बन्ध में हालांकि यह डिस्क्रिमिनेटरी ला है, कान्करेंट जुरिडिक्शन ले रहे हैं आप लेकिन आपको शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग जो ट्रेसपासर हैं, उनको जब हम हर विकास की गतिविधि में प्रिफरेंस दे रहे हैं तो एक शिड्यूल्ड कास्ट का कोई भी व्यक्ति जिसने ट्रेसपास कर दिया मगरे का, मगरे को आप रेगुलराइज नहीं कर रहे हैं, आप यह कह रहे हैं कि मगरा जो है सिवाय चक नहीं है ······ (व्यवधान) ··· 91 में नहीं ले रहे हैं वो, ऐसा कोई जजमैण्ट हो गया है रेवेन्यु बोर्ड का····(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पास्चर लैण्ड में नहीं आता है वह।

श्री परसराम मदेरणा : पास्चर लैण्ड में नहीं आता है लेकिन वह मगरा जो है सिवाय चक में कनवर्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को स्ट्रिंजेन्ट प्रावधान में नहीं डालना चाहिए। किसी भी शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति को या शिड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्ति की यह हैसियत नहीं है इकोनोमिकली कि वह बीस हजार रुपये को पेनल्टी आपको दे सके और 3 साल की सजा यह भी कान्करेट है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह प्रावधान जो है रिट्रोगेटरी है, इसके आपको नहीं लाना चाहिए और मैंने जो अमेंडमैंट मूव किया है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : गोचर भूमि पर कब्जा शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग करते हैं या साधन सम्पन्न व्यक्ति करते हैं ?

श्री रामकिशन : वह नहीं करते हैं, बड़े लोग करते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : साधन सम्पन्न लोगों के लिए ही तो आप प्रावधान ला रहे हैं। मैंने जो एक्सेप्शन किया है ··· (व्यवधान) ···

श्री रामसिंह विश्नोई : आप तो क्लियर करवा दो मगरे का ?

श्री परसराम मदेरणा : यह कौन करता है उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो यह कह रहा हूँ कि एक्सेप्शन करो आप शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को इस स्ट्रिंजन्ट प्रावधान से और अगर दूसरे लोग करते हैं तो उनको सजा हो जायेगी 3 साल की और बीस हजार रुपये जुर्माने के दे देंगे। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि सामाजिक न्याय की दृष्टि से और आज जो हमारे विकास की अर्थ-व्यवस्था है पूरे देश भर में जोर इनको प्राथमिकता दी गई है इनके उत्थान की पिछड़े वर्ग से, उसके अनुरूप है, इसलिए रेवेन्यु मिनिस्टर साहब मेरे इस अमेंडमैंट को स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन का मूल उद्देश्य

(श्री गंगाराम चौधरी)

माननीय सदस्य का यह है कि हम इस धारा में जो सजा का प्रावधान जोड़ रहे हैं इसमें शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को नहीं जोड़ा जाय, उन पर लागू नहीं किया जाय। मैं इस सम्बन्ध में, निवेदन यह करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य ने नियमन के लिए बात कही है, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग नाजायज कब्जा वर्षों से किए हुए बैठे हैं उनका नियमन नहीं हुआ है। उनको आप यह सजा दे देंगे। इसमें मेरा अर्ज यह है कि जिन भूमियों पर यह है कि जिन भूमियों पर यह सैक्शन लागू होना वह नियमन के काबिल है ही नहीं, उन पर नियमन होगा ही नहीं। चारागाह पर नियमन नहीं होगा, पाथवेज पर नहीं होगा, क्रिमेशन पर नहीं होगा, कुएँ की जमीन पर नहीं होगा, उन पर नियमन वैसे ही मुमानियत है।

दूसरा मेरा अर्ज यह है कि अभी हमने जो अभियान बनाये थे, मैंने यहां आते ही राज्य सरकार की ओर से नियमों में यह प्रावधान किया था, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि 15-7-1984 के पहले के नाजायज कब्जे हैं उनका नियमन कर दिया जाय, इन जमीनों को छोड़ कर, सिवाय चक भूमि पर अगर नाजायज कब्जा है किसी का तो उसका नियमन कर दिया जाय। अभी अभियान के दौरान हमने लगभग 4,173 लोगों के अतिक्रमण का नियमन किया है उसमें 11,463 एकड़ भूमि नियमन में आई है। यह जरूर है कि चारागाह और सार्वजनिक भूमि है उन पर नियमन नहीं किया जा सका है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मूल सिद्धान्त है कि क्राइम के लिए किसी वर्ग विशेष को अलग नहीं रखा जा सकता है। अपने जितने भी कानून है, चाहे इण्डियन पिनल कोड हो, चाहे अदर एक्ट्स हो, चाहे शराब का कानून हो, चाहे दूसरे लॉ हो, लॉ के बीच में, जो बीच करेगा वह सारे ही समान कब से गुनाहगार होगा। इसलिए माननीय श्री मदेरणा साहब के इस संशोधन को मंजूर करने की परिस्थिति में नहीं हूं। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को अलाटमेंट और नियमन में हमेशा राज्य सरकार आगे रही है और आगे भी रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

खण्ड 4 व खण्ड 5 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 और 5 स्वीकार किये जाए ?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खण्ड 4 व 5 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1–अधिनियमन सूत्र नाम आदि–कोई सशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जांय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री गंगाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1992

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय।........ (व्यवधान)....

श्री रामकिशन (भरतपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन विधेयक आया है मैं इसका तहेदिल से समर्थन करता हूं और समर्थन का कारण यह है कि आज जिस प्रकार से सरकारी सम्पत्ति पर, चारागाह रास्तों पर प्रभावशाली लोग कब्जा कर रहे हैं, अगर यही प्रवृत्ति चलती रही तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि गरीब आदमियों के लिए निकलने के लिए तो कोई रास्ते ही नहीं रहेंगे। आज इस विधेयक में जो प्रावधान किया है सजा का, जुर्माने का वह लम्बा लग सकता है, बड़ा लग सकता है, है भी बड़ा। लेकिन जिस तरह को समाज की आज हालत है, कानून से कोई डरता नहीं है, सबको यह विश्वास है कि होने वाला कुछ है नहीं, उसका नतीजा यह हो रहा है कि शहर तो छोड़िए गांवों में भी आज रास्ते नहीं रहे। आने-जाने के रास्ते है नहीं, चारागाह पर कोई छोड़ते नहीं।

मैं माननीय श्री मदेरणा साहब की एक बात से असहमति प्रकट करता हूँ कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स, मैं नाम तो क्या लूंगा लेकिन ये सवाई-माधोपुर में कब्जा कौन करते हैं, ये बड़े लोग कब्जा करते हैं चारागाह पर, गरीब आदमी कोई कब्जा नहीं करता है और उन्हें कोई कब्जा करने भी नहीं देता है। कब्जा करते हैं हमेशा डंडे वाले, पैसे वाले, शक्ति वाले। ट्राइब्स के नाम पर आज वह कहेंगे, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा लेकिन ट्राइब्स अलग-अलग तरह की है और एक ट्राइब्स में इस तरह के लोग हैं जो बड़े शक्तिशाली हैं, बड़े ताकतवर हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा .... (व्यवधान) .. नहीं, नहीं, आप मीणा हो क्या, आप तो मीणों में ब्राह्मण हो, काहे के मीणे हो, आप तो चुनाव का लाभ उठाते हो, कोई मीणे हो आप ? मैं निवेदन यह करना चाहता हूँ, मैं इस पर बोलना नहीं चाहता था लेकिन मेरा एक स्पष्ट मत है

(श्री रामकिशन)

कि राज्य सरकार का समर्थन कर रहा हूँ लेकिन सवाल यह है मुख्य मंत्रीजी कानून तो बहुत बन जाते हैं पर उन पर अमल किस तरह से किया जाय। शहरों में भी अतिक्रमण के लिए पिछली बार सदन में कानून बनाया था। अब मैं सब जगह की तो क्या कहूँ भरतपुर में तो सड़क पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया है। और हम प्रशासन के लोगों से कहते हैं कि कुछ करो तो वह कहते हैं कि मरने कौन जायं, झगड़ा हो जाएगा, इन्क्वायरी हो जाएगी, यह हो जाएगा, वह हो जाएगा और नतीजा यह है कि कुछ हो नहीं रहा है। मेरा तो आपसे निवेदन यह है कि कानून की मंशा बिलकुल अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है पर इस पर अमल की कैसे व्यवस्था हो? जब तक अमल नहीं होगा तब तक इस प्रकार के कानून हम कितने ही लम्बे चौड़े बना दें, इतना कोई असर होने वाला है ही नहीं। मैं तो इस सम्बन्ध में इतना सा निवेदन करूँगा कि ·· (व्यवधान)····

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य। आप समर्थन कर रहे हैं फिर आप पब्लिक ओपीनियन एनेलेसिस करने के लिए प्रस्ताव क्यों लाए थे ?····

श्री रामकिशन : हां, लाया हूँ ना। वह आपकी वजह से लाया था ना। जब आपका अमेंडमैंट देखा था कि गड़बड़ कर रहे हैं। ·· (व्यवधान)········हां हां, मैंने आपका अमैण्डमैण्ट देखा था। जब मैंने प्रस्ताव दिया था।

श्री परसराम मदेरणा : (व्यवधान) क्लॉज का अमेण्डमेंट तो क्लॉजेज में बाद में आता है। आपने तो आंख मींच करके बिल प्रस्तुत कर दिये और बाद में पढ़ा दिखता है मुझे ऐसा लगता है।

श्री रामकिशन : अमेण्डमेंट जब आपका असेम्बली में आ गया था अंग्रेजी में, तब मैंने भिजवाया था हिन्दी में। वह भी इसलिए क्योंकि मैं आपकी मंशा जान गया था।

श्री परसराम मदेरणा : हमेशा पब्लिक ओपिनियन का प्रस्ताव तो पहले किया जाता है।

श्री रामकिशन : आपका इरादा सही है मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ लेकिन उस इरादे के भीतर जो गड़बड़ी थी उसका थोड़ा सा मैंने संकेत दे दिया है। प्रभावशाली लोगों को किसी तरह से कब्जे से हटाया जाये, यह इस कानून में मददगार है, सवाल तो अमल का है। अमल की कोई व्यवस्था कर लेंगे तो हमारा पूरा स्वागत है।

श्री उपाध्यक्ष . श्री प्रद्युम्नसिंह। आप तो पहले बोल चुके है ना, बात तो वहीं है। पहले आपको बोलने दीजिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरा जो एप्रीहेन्शन है उसके ऊपर, इसके मिस यूज की सम्भावना है। आपने पटवारी जिलों में लगा रखे है, हालत यह है कि तहसीलों के तहसील में पटवारी लगे हुये हैं और कहीं तो आपके जिस हल्के का पटवारी रहने वाला है वहीं लगा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह समझौता आपकी सरकार ने किया था।

श्री प्रद्युम्नसिंह : वह जैसा भी था, उस समझौते के तहत उस वक्त बहुत सारी बातें लागू की थी। उन पर भी आप अमल कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी सरकार ने पटवार संघ से समझौता किया था उसी के आधार पर नियुक्ति दी गई थी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उसी एप्रीहेन्शन के आधार पर मैं आपसे कह रहा हूँ। सरकार ने समझौता किया था। आपने अपने बहुत से काम किये। पटवारी की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन आज स्थिति क्या है ? पटवारी जिले में लगने के साथ-साथ तहसीलों में लगे हैं अपने हल्कों पर लगे हुये हैं। हल्कों के आस-पास लगे हुये हैं और जिस प्रकार से पटवारी की हैसियत है। कहीं उसने गलत रिपोर्ट के आधार पर, मेरे खेत की बगल में मान लीजिये मेरी फील्ड है। आपका रास्ता है या चारागाह भूमि है। यह तो है ही नहीं कि चारागाह भूमि के आस-पास किसी का खेत नहीं है। किसी का मान लीजिये एक बिस्वा, आधा बिस्वा, दस गज, पांच गज की ट्रेसपास की आपने रिपोर्ट कर दी। मेरा आपसे निवेदन यह है कि गांवों के अन्दर किसी आदमी की टोपी उछालने का मौका नहीं मिले किसी अधिकारी को राजनैतिक आधार पर, तो जो नोटिस देने की व्यवस्था है इसके अन्दर आप इसके ऊपर विचार कर लीजिये, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर निकाल दीजिये। इसके लिये क्योंकि रजिस्टर्ड नोटिस का अमेण्डमेंट आप ला नहीं सकेंगे यहां पर तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि नोटिस आपने किया दिया, आपको मालूम है दफा 91 के नोटिस सर्व होते हैं, क्या हश्र होता है, आज तामील कराने वालों का हाल यह है कि लिख देते है कि नोटिस सर्व नहीं हुआ। मिला नहीं, लेने से इन्कार किया, लेने से इन्कार किया तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग शुरू हो गई। या एक केस रजिस्टर करवा करके डी.वाई. एस. पी. को इन्वेस्टीगेशन के लिये दे दिया, एक एप्रीहेन्शन है, देखिये मिस यूज लॉ का भी हुआ है। आपने कानून उस वक्त बनाया, कहीं तो अमल नहीं हुआ कानून के ऊपर और कहीं मिसयूज हुआ है और जो आज राजनैतिक व्यवस्था है। आज आप बैठे हैं, प्रजातन्त्र में कल कोई भी बैठ सकता है तो जो राजनैतिक कार्यकर्ता हैं उनके भी खेत हैं, उनकी फील्ड्स है इसलिये मेरा आपसे निवेदन है इसके ऊपर आप माननीय राजस्व मंत्रीजी आप विचार करें कि इसके दुरुपयोग की सम्भावना है। मुझे मालूम ही नहीं है कि मेरे खिलाफ रिपोर्ट हो गई, एक्स को मालूम ही नहीं है कि उसके खिलाफ रिपोर्ट हो गई है और उसके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही चालू है, आप देखिये किसी भले आदमी की टोपी उछालने की सम्भावना है उसको रोकने के लिये आपको कोई प्रिवेन्टिव मेजर लेना पड़ेगा यह मेरा सुझाव है आप विचार करना चाहे करें, बाकी आपकी मर्जी है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उज्ला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि एक तो इस संशोधन में हिन्दी में उद्देश्य और कारण आप नहीं लाये हैं। बड़े खेद की बात है जबकि यह हर जगह व्याख्यायित किया जाता है उद्देश्य और कारण बताने पड़ते हैं। नम्बर दो, मेरी आपत्ति इस बात पर है कि जहां आप भूमि की व्याख्या करते हुये बता रहे हैं कि नदी, तालाब, रास्ते, आपने रास्तों को तो व्याख्यायित ही नहीं किया, आपको रास्ते को व्याख्यायित करना चाहिये था। मैं मानती हूँ कि 90 प्रतिशत रास्तों के विवाद गांवों में चलते हैं। थाने कोतवाली में ही नहीं बल्कि किसी को गोली दिखा करके, घर से निकाल करके भी, आजीवन वह कैद पा सकते हैं लेकिन वह अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहते हैं तो आपको यहां रास्ता व्याख्यायित करना चाहिये था। मैं यह निवेदन करना चाहूँगी की आप इसमें बतायें। मैंने पहले जो आपको मेरा तर्क दिया था कि अगर किसी की भूमि चारागाह में पूर्व में आवंटित हो चुकी, नियमित हो चुकी, दूसरों को स्थानान्तरित हो चुकी उन मामलों में आप आज तक की बात लेंगे या पिछली बातों को छोड़ करके चलेंगे इसको भी आपको स्पष्ट करना चाहिये था। आपको ध्यान होगा कि जयपुर में जब जे. डी. ए. के नियम बनाये गये थे तब हमने उसमें 56 संशोधन किये फिर भी यह एक व्यवस्था रह गई कि किसी भी व्यक्ति को पकड़ करके ले आया जायेगा, 24 घण्टे के अन्दर अगर वह पहचाना नहीं गया कि यह आदमी वही है या दूसरा है तो वह कोई उसके प्रति अपना मानहानि का दावा नहीं कर सकता, उसको पकड़ करके बैठा लिया तो बैठा लिया। इस प्रकार की बातें जो है यह लोगों को कष्ट दायक ना हो, मैंने यह जो संशोधन आप लाये हैं इसकी पूर्व में प्रशंसा कर दी लेकिन यह कमियां इसमें ना रह जाये इसलिये मैं आपसे चाहूँगी कि आप सदन को आश्वस्त करें कि इन कमियों को आप दूर करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

श्री रामनारायण वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आज के दिन जिस तरह का कानून पास कर रहे हैं इस सदन में उसको सौभाग्यशाली कहें या दुर्भाग्यशाली। मैं क्षमा चाहता हूँ। यह एक ऐसा कानून है जिसको हम लाइटली ले रहे हैं यह पवित्र सदन कोई कानून पास करे तो उसको गम्भीरता से देखा जाना चाहिये। आज जैसे रेगिस्तान की चर्चा चल रही थी, आंधी चली, नहर कहां से कहां हो गई, किसी ने रिपोर्ट कर दी, कोई सीमा होनी चाहिये। गांवों में ऐसे भी गरीब लोग काश्तकार हैं, माननीय उपाध्यक्षजी मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूँगा कि यह नहीं है कि सरकार ने कोई विधेयक पेश कर दिया तो पास हो ही हो। जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, आप यदि उनको नौकरी देना चाहते हो, आप देना चाहते हो उनको रोजगार, रोजगार नहीं मिलता। मैं तो इसको इस तरह से भी कहना चाहूँगा कि शादी शुदा, बाल बच्चेदार आदमी जिसके पास कोई रोजगार नहीं है। बच्चे-बच्ची के सोने के बाद घर में आता है, खुद तो

(श्री रामनारायण वर्मा)

भूखा रह जाता है लेकिन बच्चे-बच्चियों को भूखा नहीं देख सकता, यह परिस्थितियां गांवों के अन्दर पैदा होने लग गई है। शहरों में जाते हैं तो भी उनको रोजगार नहीं मिलता (व्यवधान) एक बीघा, दो बीघा जमीन उन्होंने ट्रेसपास कर ली कोई, आप बीस हजार की बात उनसे करते हैं, तीन साल की बात उससे कहते हैं, तीन महीने का प्रोवीजन है, माननीय उपाध्यक्षजी, तीन महीने का प्रोवीजन तो आप लाते नहीं है। आज माननीय राजस्व मंत्रीजी से इस सम्बन्ध में बात हुई। नैनवां तहसील में एक लक्ष्मीपुरा गांव है, रेवेन्यु आथेरिटीज मिली हुई है। कानून के जो मिस यूज की बात आपसे निवेदन कर रहा हूँ। रेवेन्यु आथेरिटी उसको डिसपजेज नहीं करना चाहती है। फसल को बर्बाद नहीं करना चाहती है, चारागाह में, कानून का उपयोग किस तरह से हो। रेवेन्यु मशीनरी तीन साल में जहां हो जायेगी वहां बीस हजार रुपये का जुर्माना हो जायेगा। रेवेन्यु मशीनरी में करप्शन बढ़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, इसलिए भी निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मुख्य मंत्रीजी से और राजस्व मंत्रीजी से कि आप दोनों सारी गांवों की परिस्थितियों को जानते हैं।

भोपालगढ़ से आने वाले माननीय परसरामजी मदेरणा साहब ने जो अमेण्डमेंट रखा है वह सही अमेण्डमेंट है गरीब आदमी के साथ। उसमें एक चीज और जोड़ी जा सकती थी, काश्त में उन लोगों को जिनके पास दो बीघा या तीन बीघा से ज्यादा है आप उनको तरजीह दें। लेकिन ऐसे लोगों को आपने एग्जम्प्ट करने की बात कही है उसको आप मत बनाइये। मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तरह के विचार माननीय सदन के किसी सदस्य के हो कि किसी पर्टिकुयलर कास्ट के, पर्टिकुयलर, जिले या पर्टिक्युलर ग्रुप में अगर इस तरह की बातें होती है तो यह हमारे लिये दुर्भाग्यशाली है, कौन क्या करता है? भरतपुर के रास्ते में हो, इसमें तीन साल के एक आॅवर की बात कर दीजिये, इसमें कोई बात नहीं है। आज की तारीख में आपका रेवेन्यु रिकार्ड माननीय राजस्व मंत्रीजी, मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को इसी सदन में सन् 1990 में लिख करके दिया था भाटुण्डा के लिये कि जहां रास्ता बताया जा रहा है। वहां तो जमीन है, जिस जगह शिड्यूड कास्ट की जमीन बताई जा रही है वहां स्वर्ण जाति की जमीन है, खाती की जगह नाई की जमीन है दो साल पहले मैंने चिट्ठी लिखी थी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने रेवेन्युस क्रेट्री साहब को लिखा और वह चिट्ठी चली, कलक्टर तक गई हमने वहां उसको प्रोसेस किया दो साल में राजस्व रिकार्ड में उनको दुरस्त कराने की स्थिति में तो क्या हम उस नक्शे को भी ठीक नहीं करवा सके। नैनवां का आपका नक्शा ही खराब है। शहर में रास्ता कहां बताया जा रहा है, कहीं से नक्शा फट रहा है। आप इसके बजाय यह कर दीजिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इस बारे में यदि सतर्क है तो पहले रिकार्ड को दुरस्त करें या कोई प्रोवीजन जोड़ दें बशर्ते कि इस बात की गारन्टी तहसीलदार या वहां की नीचे

(श्री रामनारायण वर्मा)

की अथोरिटी कर ले कि इसके साथ किसी तरह की रिकार्ड में गड़बड़ी नहीं है, रिकार्ड दुरुस्त है, रास्ता वहीं है जहां 50 साल पहले निकलता था। रास्ता कहां है, रास्ता वहां नहीं है रिकार्ड में, रास्ता वहां से दो किलोमीटर दूर है, रिकार्ड में दूसरी जगह लिख दिया गया, ऐसे भी उदाहरण है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री रामनारायण वर्मा : विराजने वाली बात नहीं है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मसला है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या गम्भीर है।

श्री रामनारायण वर्मा : बिल्कुल गम्भीर मसला है। हम कह रहे हैं। बहुत गलत कानून बनाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से.......

श्री उपाध्यक्ष : यह तो इक्विपमेंट लैण्ड के लिए है और आप दूसरी बात कह रहे हैं।

श्री रामनारायण वर्मा : यह कानून गांवों में कहीं काला कानून साबित नहीं हो, गरीब देश की बात है। मैं दो बात और आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आपको एक नहीं, 10 इंसटांस दे सकता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय और माननीय मुख्य मंत्रीजी चाहे इसकी जांच करवा लें। मांडपुर में मन्दिर की जमीन है, जोती जा रही है, सैटिलमेंट 20 साल पहले दूसरी जगह कर दिया गया, वहां कोई नाडी नहीं है। इस तरह के केसेज एक नहीं, सैकड़ों-हजारों केसेज आपको गांवों में मिलेंगे माननीय उपाध्यक्ष महोदय। माननीय राजस्व मंत्रीजी से मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इसके बारे में पुनर्विचार करें, इसको लाइटली नहीं लें, आप गांवों के लोगों के हालात जानते हैं। जिनके पास आज भी पहनने को एक धोती है, पहनने को एक बनियान है। आज भी जब शादी-ब्याह में जाते हैं तो उस बनियान को पहनते नहीं, कंधों पर डालकर ले जाते हैं गांव की सीमा तक, ऐसे लोग हैं, उन लोगों को आप 3 साल की सजा देने जा रहे हो, उन लोगों पर आज 20,000 रुपये का जुर्माना करने की बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल सही स्पष्ट शब्दों में निवेदन करना चाहूँगा माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप इसको किसी भी तरह से लीजियेगा क्योंकि गांवों के हालात से आप वाकिफ है इसलिए आपके सामने कह रहे है, सदन में कह रहे हैं। मुझे उम्मीद है, इसके बारे में राजस्थान सरकार कुछ पुनर्विचार करेगी। सदन में इस बारे में अमेंडमेंट लाया जाय या इसको किसी प्रवर समिति को सौंपा जाय, जिस भी तरीके से आप सदन के मेम्बर्स की कमेटी बैठा दीजिये, इस पर पुनर्विचार कीजियेगा। हम आपको तहे दिल से कह रहे हैं, ईमानदारी से कह रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का लाग-लपेट नहीं रखें, आप अपना प्रेस्टिज नहीं बनाये और जो अमेंडमेंट पेश हुआ है, उसको किसी प्रकार से संशोधित करके उस पर पुनर्विचार करने

(श्री रामनारायण वर्मा)

कोशिश की जाय, इसी आशा और विश्वास के साथ।

धन्यवाद !

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री जी।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, सार्वजनिक भूमि पर नाजायज कब्जों की समस्या पिछले कुछ वर्षों से बहुत ज्यादा गम्भीर हो गई है और पण्डित रामकिशन जी ने भी इसमें सहमति व्यक्त की है, इसी वजह से सरकार को इस प्रकार का कदम उठाना पड़ रहा है। श्रीमती उजला जी ने पिछली बार अपनी बात कही थी, इसमें भी उन्होंने यह कहा कि चारागाह में जिसको आवंटन हो गया है, उसका क्या करेंगे ? उपाध्यक्ष महोदय, 1978 या 1977 में उस समय की सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था। उस समय उन्होंने 1971 से पूर्व के जो नाजायज कब्जे चारागाह पर थे, उनको रेगुलराइज करने का सर्कुलर में उन्होंने प्रावधान रखा था। उस सर्कुलर के तहत और एक 1966 के सर्कुलर के तहत जिन भूमियों का रेगुलाइजेशन चारागाह पर नाजायज कब्जे होने के उपरान्त भी कर दिया गया, उनको भी खातेदारी प्राप्त हो गई। वे भी नियमानुसार बैठे है, उनका तो अधिकार है, राज्य सरकार उनको बेदखल नहीं कर पायेगी और जो नियमानुसार अलाटमेंट हुआ, वह तो खारिज होंगे नहीं और जो अलाटमेंट....

श्री रामनारायण वर्मा : एक बात पूछना चाहता हूँ राजस्व मंत्रीजी, क्या वे दोनों सर्कुलर है, वे अभी भी एज इट इज रहेंगे, चारागाह भूमि का नियमन अब भी उन संशोधनों के तहत होता रहेगा ?

श्री गंगाराम चौधरी : वह सर्कुलर तो 1971 से पहले के नाजायज कब्जों के बारे में था, अब किसी प्रकार से नियमन नहीं होगा।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, उन सर्कुलर के तहत राजस्व अधिकारियों ने अपने राजस्व अभियानों में अब भी किये हैं, क्या अब आप उनको मान्य करेंगे ?

श्री गंगाराम चौधरी : 1971 से पहले के नाजायज कब्जे हैं, वह तो नियमन के अधिकारी बन गये थे, उस समय नहीं किये थे तो अब भी हो सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो आवंटन हो गया, माननीया उजला जी ने यह कहा था कि घोषणा आप गजट में लाया करेंगे। चारागाह जो है उनको इस प्रकार से तो प्रावधान नहीं है। राजस्व रिकार्ड में जो चारागाह दर्ज है, वह तो चारागाह कायम रहेंगे। प्रद्युम्न सिंह ने (व्यवधान) आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : उसकी नपत तो कहीं होगी ना।

(189)

श्री गंगाराम चौधरी : रिकार्ड में नकल है। आप ले सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप पूरा कीजिये।

श्री गंगाराम चौधरी : यह साधारण सी बात है। माननीय प्रद्युम्न सिंह जी ने मिसयूज की बात की है, मिसयूज होने की इसमें गुंजाइश नहीं है। राजस्व अधिकारियों को बाकायदा कहा जायेगा और रामनारायण जी ने यह कहा कि गरीब आदमी को सजा ज्यादा दे दी जायेगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने कहा ना कि राजस्व अधिकारियों को कहा जायेगा। क्या कहेंगे ? आप उसका विस्तार से जवाब दे दें कृपया।

श्री गंगाराम चौधरी : आप देखेंगे, किस प्रकार से कंट्रोल होगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं आप देखेंगे, क्या आप बता दें जरा कि आप किस प्रकार से कण्ट्रोल करना चाहते हैं। अगर आप विस्तार से बता दें जरा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने कहा, अगर आप विस्तार से बता दें। देखिये, हम लोग कुछ कर तो सकते नहीं, आपका ध्यान आकर्षित किया है। यह दुधारी तलवार है। दोनों तरह मिसयूज हो सकता है। इसलिए इसको देखने की गुजारिश है।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें ऐसा नहीं होगा। मिसयूज नहीं होगा। इसमें ज्यादा सजा की बात कही थी, वह तो मैं इसलिए अर्ज कर देता हूँ कि गरीब आदमी भी होगा तो इसमें एक प्रोवीजन भी रखा है कि अगर अदालत चाहे तो एक महीने से कम भी सजा दे सकती है। यहां तक इसमें प्रावधान रखा है, इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये.......(व्यवधान)। प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1992 पारित किया गया।

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1992। प्रभारी मंत्री श्री गंगाराम जी प्रस्ताव रखेंगे।

विधेयक पर विचार

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1992

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर उजला अरोड़ा।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्रीमती उज्ज्वला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो धारा 183 (ख) संशोधन लाए हैं, मंत्री महोदय की भावनाओं को मैं अच्छा कह सकती हूँ कि इनकी भावना बहुत अच्छी है कि जो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति के लोग हैं, उनकी भूमियों की रक्षा हो सके अब दिक्कत यह है कि आपने यहां पर जिस प्रकार से भी अभी राजस्व वाले बिल में एक प्रावधान डाला है, वह प्रावधान यह है कि अगर किसी आदेश के होते हुए और अधिकारी-कर्मचारी उस गलत काम को बन्द नहीं करेंगे, जो नाजायज कब्जे किये जा रहे हैं तब उसको भी सजा होगी, सजा का प्रावधान होगा, जुर्माने का प्रावधान होगा। एक ही समय में भूमियों के सम्बन्ध में, एस. सी. एस. टी. के सम्बन्ध में और राजस्व के सम्बन्ध में दोनों मामले तय किये जाय और दोनों में एक सा प्रावधान नहीं हो तो मन में दुःख होता है। इसमें भी उसी तरह का प्रावधान डाला जाना चाहिये था कि अगर कोई इस भूमि पर कब्जा करने की कोशिश करेगा और सरकारी अधिकारी-कर्मचारी उसमें अपना कर्त्तव्य पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही करने का प्रावधान इसमें डाला जाना चाहिए था। मंत्री महोदय से कहूंगी कि वह ऐसा प्रावधान डालने के लिए अपना मानस तैयार करें। जयपुर नगर में काफी पहले मीणों का राज था, काफी भूमि एस. सी., एस. टी. की है, जो यहां एग्रीमेंट टू सैल के हिसाब से कुछ गृह निर्माण सहकारी समितियों ने खरीद ली, उसके बारे में आप स्पष्ट करें कि उन भूमियों की रक्षा कैसे करेंगे। आपने ले ली और पैसा दिया नहीं, मालिक बैठा है उदास और उन्होंने जमीन बेच-बेच करके, कब्जे कर करके और बहुत अधिक पैसा कमा लिया तो ऐसी भूमियों के लिए आप क्या कहेंगे। अब और लोग तो अपनी जमीन बेच करके पैसा कमा लिया, उनका स्वामित्व है लेकिन आज तक सरकार ने कभी नहीं सोचा। अपनी तकलीफ में या अपने संकट में या मकान बनाने के लिए या कोई मीणा जाति का आदमी, एस. सी. या एस. टी. का आदमी, उस पर उसी तरह का प्रावधान चाहता हो तो आप नहीं करते, परन्तु एस. सी., एस. टी. की भूमियों पर बराबर कब्जे हो रहे। अच्छा है, आप यह लाए हैं। लेकिन मेरा तो आपसे एक ही निवेदन है कि जो जयपुर की तकलीफ है और ऐसी राजस्थान भर की तकलीफ है, उस प्रकार की तकलीफ के बारे में आपने क्या विनिश्चय किया है। यह बताते हुए उत्तर दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बुलाकी दास जी कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1992 को जनमत जानने लिए परिचालित किया जाय तीन माह के लिए।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, यह अभिधृति क्या है ? नहीं मंत्री महोदय, प्रभारी मंत्री जी, आपने हिन्दी को इतनी क्लिष्ट बना दिया है कि यह हिन्दी समझ में नहीं आती है। यह शब्द कहाँ से लाए हैं ? इसे समझ नहीं पाए हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : राजस्थान टेनेंस .... यह ट्रांसलेशन तो आपने वक्त का है

(श्री गंगाराम चौधरी)

पुराना है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप भी तो हमारे साथ थे उस वक्त। आप ही समझाये जरा इसको। आप रेवेन्यु में एक्जीक्यूटिव मेरे साथ रहे थे गंगाराम जी 1967 में।

श्री गंगाराम चौधरी : उस समय हिन्दी में बिल पेश नहीं होते थे, अंग्रेजी में ही होते थे।...... (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मूल अधिनियम 1055 में बना और उसकी धारा 183 (क) और (ख) पहले इसमें है जिसमें अनुसूचित जाति और जन-जाति के भाइयों का जमीन पर यदि कोई अतिक्रमण करता है तो उसके बारे में एक वर्ष के लगान के पचास गुना तक की शास्ति का प्रावधान था। अब 183 (ग) का अन्त: स्थापन किया जा रहा है और इसमें कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति की जमीन पर कोई-अतिक्रमण करता है तो उसको कम से कम एक माह और अधिक से अधिक 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान करने की बात की है।

इस संबंध में उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के अतिक्रमण की शिकायत करता है उसको तहसीलदार के द्वारा एक ड्यू नोटिस सर्व किया जाना चाहिए और इसकी प्रारंभिक जांच करने के बाद यदि अतिक्रमण सही पाया जाता है तो आगे की कार्यवाही की जानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम किसी भी एक्ट में संशोधन लाते हैं तो केवल मात्र हम समसामयिक कोई बात सरकार के जंच जाय और उसके बारे में हम संशोधन ले आते हैं। इस संबंध में होना यह चाहिए कि उससे संबंधित किसानों को क्या क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान कैसे सरकार कर सकती है उन बिन्दुओं को ध्यान में रखकर संशोधन पूरे एक्ट में लाना चाहिए।

मैं माननीय राजस्व मंत्री जी का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इस एक्ट की धारा 43 (बी) जिसमें अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग अपनी संपत्ति को सिर्फ अपनी जाति में ही बेच सकते हैं और कई बार वह ऐसा महसूस करते हैं कि शहरों के पास उनकी जो जमीन आई हुई है या जो अच्छी कीमत वाली जमीन है उनको केवल अपनी ही जाति, बिरादरी में वह जमीन बेचे तो जमीन का पूरा दाम नहीं मिलता।.... (व्यवधान) इन सब चीजों के बारे में प्रावधान करना चाहिए और कोई व्यक्ति लॉं-पुल रीजंस के आधार पर जमीन बेचना चाहे तो उसको दूसरी जाति के लोगों को बेचने की इजाजत देनी चाहिए इसी तरीके से मैं यह भी सुझाव देना चाहूँगा कि आप धारा 183 (ए) व (बी) और उसके आगे एक क्लॉज सी इस रूप में ला सकते हैं कि no appal shall lie against the order of the Thsild–ar issuing such notice but aggrie–ved parties shall have a right to file a revision. रिविज़न का प्रावधान नहीं होने से केवल इकतरफा कार्यवाही होगी।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

इसलिए रिवीजन की छूट होनी चाहिए इसी तरीके से कुछ मुद्दे ऐसे भी हो सकते हैं जैसे मान लीजिए दो भाई हैं और एक भाई दिसावर में रहता है जैसे कलकत्ता, बम्बई, मद्रास रहता है और दूसरे भाई ने अपनी जमीन, पूरी पैरेन्टल प्रोपर्टी को किसी हरिजन भाई को बेच देते हैं जो विवादग्रस्त हो जिसमें उस व्यक्ति का जो दिसावर रहता है उसका इनहरेंट राइट है वह व्यक्ति जब वापस आकर उस पर काबिज होना चाहता है और पुलिस उसको इसी एक्ट में जो आप संशोधन ला रहे हैं उसके अनुसार प्रोसिक्यूट करती है तो ऐसी चीजों के लिए कोई समक्ष अधिकारी को आप बीच में डालिये। वैसे तो तहसीलदार ही जमीन के बारे में नोटिस आदि देगा लेकिन नोटिस के एप्रूवल किसी सक्षम अधिकारी के माध्यम से होना चाहिए ताकि इस एक्ट का मिसयूज न हो।.... धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पं. रामकिशन जी। बोलेंगे क्या आप ?

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ नहीं कहना है। मैंने संशोधन केवल इसी लिए लिया था कि राज्य सरकार ने जो हिन्दी की है टेनेंशी के बारे में, मैं समझता हूँ या तो इनकी मंशा यह है कि देश में हिन्दी का नाश हो जाय और लोग उसका विरोध शुरु कर दे। मैं नहीं समझ पाता कि जो चालू शब्द हैं उनको लॉ डिपार्टमेंट या भाषा विभाग क्यों नहीं समझता ? अगर हिन्दी का कोई बढ़िया शब्द नहीं था तो "काश्तकारी कानून में संशोधन" रख सकते हैं। जो हिन्दी का शब्द रखा है उनको तो मैं समझता हूं मंत्री जी भी नहीं समझते होंगे। आप नहीं पढ़ने और खाली आपको "अभिधृति" दे दिया जाता तो ये नहीं बता सकते इसके मायने क्या हैं ? तो मेरा संशोधन है कि मेहरबानी करके हटा दें और अगर कोई उपयुक्त नाम नहीं हो तो फिर "राजस्थान काश्तकारी कानून संशोधन विधेयक" इसे कर दें। वह चालू शब्द है और सब जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हेतराम बेनीवाल प्रवर समिति को निर्दिष्ट किए जाने हेतु संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। माननीय श्री हेतराम बेनीवाल।

(अनुपस्थित)।

प्रो. केदारनाथ जी। (अनुपस्थित)।

माननीय श्री परसराम मदेरणा।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक राजस्थान टेनेंसी। (अमेण्डमेंट) बिल के क्लॉज 2 का प्रश्न है इसका मैं स्वागत करता हूं। मैंने प्रवर समिति का प्रस्ताव तो प्रभारी मंत्रीजी का ध्यान इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला है 27 अप्रैल, 1992 को जो कन्वर्जन के संबंध में है, ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर. These Rules may be called The Rajasthan Land Revenue Conversion of Agricultural Land for Non-agricultural Purposes in the rural areas. उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत् राजस्व मंत्रीजी से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि राजस्थान टेनेंसी एक्ट की सेक्शन 12 के अनुसार कोई भी शिड्यूल्ड कास्ट का व्यक्ति

193

(श्री परसराम मदेरणा)

जिसके पास खातेदारी की जमीन है, कोई भी शिड्यूल्ड कास्ट का व्यक्ति वह जमीन अपनी कास्ट में बेचता है लेकिन और किसी को नहीं बेचता है और यदि बेचता है तो वाइड है। यह प्रावधान इसलिए रखा गया है ताकि इनकी जमीन इनके पास में रहे और इनका पिछड़ापन और आर्थिक शोषण समाप्त हो। अगर इनके बावत एक्ट है तो अब आपने जो नोटिफिकेशन निकाला है इसमें एग्रीकल्चर की लैण्ड जिसमें शिड्यूल्ड कास्ट के लोग भी अपनी लैण्ड को कंवर्ट करा सकते हैं और राजस्व मंत्रीजी वे सभी परपजेज के लिए करा सकते हैं। वह कॉमर्शियल परपज या रिहायशी परपज तो मैं मानता हूं खुद के लिए करें लेकिन इण्डस्ट्रिज परपजेज के लिए, इण्डस्ट्रियल एरिया के लिए आप भी एक्वायर कर सकते हैं। पब्लिक यूटिलिटी परपज के लिए भी उसकी जमीन ली जा सकती है। मेरा निवेदन यह है कि कमर्शियल परपज क्या है. Establishment of a bank. A hotel, may be a 5 star, office restaurant, show room, cinema, petrol pump. यह मेरे ख्याल से शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब का आदमी न तो कोई सिनेमा हाऊस बना सकता है और न कोई वह शॉ रूम एस्टेब्लिश करेगा और न कोई वह होटल बनायेगा और उसके साथ-साथ इण्डस्ट्रियल परपज के लिए भी आपने लिखा है तो इसमें इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन उसकी जमीन ले सकेगा, पोस्ट ऑफिस के लिए. बैंक एस्टेब्लिश करने के लिए, पावर स्टेशन के लिए, पुलिस स्टेशन के लिए, फायर फाइटिंग के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, हास्पिटल के लिए, तो आप ही इस रूल के तहत ले सकते हैं और पब्लिक यूटिलिटी में कॉलिज बनाने के लिए, होस्टल बनाने के लिए, डिस्पेंसरी बनाने के लिए होस्पिटल बनाने के लिए, पब्लिक गेस्ट हाउस बनाने के लिए, गौशाला स्थापित करने के लिए ले सकते हैं। मैं राजस्व मंत्री जी यह जानना चाहता हूं कि गरीब आदमी तो इस प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन करने वाला नहीं है और इसका परिणाम यह हुआ कि जिस सरकार की जो राजस्व नीति है और पूरे काश्तकारी कानून के अन्दर इनकी जमीन इनके पास में रहे और इनकी जमीन पर किसी ने अन-लॉफुल पजेशन कर लिया है, लॉ अपने हाथ में लिया है तो उसमें जो पनिशमेंट आप देना चाहते हैं वह ठीक है लेकिन इस प्रकार के प्रावधान करने से इनकी जमीन कोड़ियों में कन्वर्ट होगी और ये जो भूमि के माफिया गिरोह हैं जो आजकल कन्वर्ट करवा रहे हैं, ये जो बड़े-बड़े होटल्स, बैंक शो-रूम स्थापित करेंगे, होटल्स बनायेंगे या पम्प्स लगायेंगे।

या धन्ना सेठों के हाथ में ये जमीन जायेगी। आप जो प्रावधान लाये हैं और आपने जो नोटिफिकेशन में कन्वर्जन के रूल्स बनाये हैं, रूपान्तरण के, इन दोनों में विरोधाभास है और इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि आपने यह जो कानून, जो नोटिफिकेशन लाये हैं आप 27 अप्रैल को, यह रेट्रोगेटरी है और शिड्यूल कास्ट के इन्टरेस्ट के ऊपर यह कुठाराघात करने वाला है, उनके इन्टरेस्ट को अन्डरमाइन करता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, शिड्यूल ट्राइब की खातेदारी की भूमि और आवंटित भूमि पर पिछले कुछ वर्षों से और लोग नाजायज कब्जा कर रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि आवंटन के पश्चात् उसको बेदखल कर दिया जाता है उन लोगों द्वारा। अब तक राजस्थान टैनेन्सी एक्ट में जो भी पहले धारा 183 (बी) के तहत प्रावधान थे उसमें जरूर यह चीज रखी थी कि तहसीलदार या तो किसी कर्मचारी की रिपोर्ट पर या खातेदार की रिपोर्ट पर मामला दर्ज करके नोटिस देने के बाद में उस व्यक्ति को बेदखल करे लेकिन वह प्रावधान भी कुछ कमजोर साबित हो रहे हैं और शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के काश्तकारों की जमीनें नाजायज कब्जा किये हुए लोगों से छुड़ाये जाने में जरा कठिनाई पैदा हो रही है। आम तौर पर शिकायतें आने लगीं इसलिए यह प्रावधान जोड़ा हैं। इसमें पहले से ज्यादा सख्त पनिशमेंट रखा है। अगर शिड्यूल कास्ट, शिड्यूल ट्राइब के खेत पर किसी ने नाजायज कब्जा किया है तो तहसीलदार 15 दिन का नोटिस देने के पश्चात् मामले को अदालत में चालान के लिए पुलिस में दे सकता है जिसमें सजा होगी—एक महीने से कम नहीं, और 3 साल तक की हो सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि यह काग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफिस की तारीफ में आ जाता है इसलिए गिरफ्तार करके पुलिस उसको ले जा सकती है और कन्वीक्शन पर उस पर जुर्माना बीस हजार रुपये तक और सजा, जैसा मैंने अर्ज किया, उस हिसाब से हो सकती है। इसमें एक चीज और रखी है उपाध्यक्ष महोदय, जो पहले धारा 91 में नहीं हैं। इसमें बर्डन ऑफ प्रूव गुनाह करने वाले पर रखा है। गुनाह करने वाले आदमी को अपनी तरफ से साबित करना होगा कि मैं बेगुनाह हूं। जो खातेदार या काश्तकार है उसको तो सिर्फ इतना ही कहना है कि मेरे नाम का यह अलाटमेंट है या मेरे नाम का खातेदारी का यह परचा हैं या मेरे नाम की यह जमीन है और फलां आदमी इसके ऊपर बैठा है। वह बेगुनाह हैं तो साबित करना उसको है और यह प्रोविजन जैसा कि नगरपालिकाओं की, सरकारी भूमियों के लिए रखा है, नगरपालिकाओं की भूमियों के लिए जो प्रोविजन रखा है उसी प्रकार का इसमें प्रावधान रखा है।

इसमें एक संशय जो माननीय मदेरणा साहब ने व्यक्त किया है कन्वर्जन रूल्स के बारे में, कि इन रूल्स के तहत तो आप शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब के फायदे की चीज कर रहे हैं और उन रूल्स के तहत जमीन बिक जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, हालांकि वह राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत बने हुए रूल्स हैं, इस वक्त मेरे पास उनकी नकल नहीं है लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, उन रूल्स के अन्दर हमने जो प्रावधान रखे हैं, शिड्यूल कास्ट या ट्राइब का आदमी पहले जमीन कन्वर्जन करवा लें, कन्वर्जन होने के पश्चात् ही वह बेचने की उसको छूट दी है, हमने उस तरह की छूट नहीं दी है कि उद्योगपति जाकर के उससे पहले खरीदे और····

श्रीमती उजला अरोड़ा - आपने कन्वर्जन का कोई नियम ही नहीं रखा। कन्वर्जन के क्या नियम हैं वह बतायें पहले। कन्वर्जन के नियम क्या हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी - कन्वर्जन के पश्चात्, उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज और है। उसमें भी यही चीज हो रही है, जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा था कि शहरी क्षेत्र में आप छूट दीजिए शिड्यूल् कास्ट, और शिड्यूल ट्राइब की जमीन को बेचने की ताकि उनको कीमत अच्छी आये। उसके पीछे भी भावना यही है, शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब के लोगों को आज जरूरत के माफिक कीमत नहीं मिलती है। इसलिए उसके पीछे भी भावना यही है लेकिन खेत छीनने की या इस तरह की भावना उसमें नहीं है। मैं समझता हूं कि, सदन इससे संतुष्ट होगा और प्रस्ताव निरस्त किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1992 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1992 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव रखा है प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का, उसको मैं विदड्रा करता हूं। मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि जो प्रोविज़न्स हैं मैं उनका स्वागत करता हूं लेकिन मैं क्लेरिफिकेशन्स मांगना चाहता था।

श्री उपाध्यक्ष : अब तो अनुमति लेनी पड़ती है। इसको मैं ......

प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय ?

श्री यदुनाथसिंह : वह वापस लेना चाह रहे हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह वन एण्ड सेम है, इसमें लिख कर देना पडता है, वह लिखित में देना पड़ता है ... (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, जब हम हाउस में हैं तो लिख कर देने की आवश्यकता नहीं होती है। आप एक प्रस्ताव यह कहें कि जनमत जानने का जो प्रस्ताव है वापस लेना चाहते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय परसरामजी मदेरणा ने प्रस्ताव वापस लेने का प्रस्ताव किया है। प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति दी जातीहै।

प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह अनुमति तो लेने दो।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया भाई, कम्प-लीट हो गया।

एक माननीय सदस्य : नहीं-नहीं, वह वापस लेंगे न, आप कहां रहते हो।

श्री परसराम मदेरणा : मैं वापस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : आंर्डर प्लीज। प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री गंगाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान अभिधृति(संशोधन) विधेयक 1992 को पारित किया जाय ?

विधेयक का पारण

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक 1992 पारित किया।

सदन की कार्यवाही गुरुवार दिनांक 17. 9. 1992 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक रात्रि 8 बजे गुरुवार, दिनांक 17. 9. 1992 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)